सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर
मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग ✦ INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

मध्य प्रदेश शासन

वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 4

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर
मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

मध्य प्रदेश शासन
वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 4

विषय सूची

विषय	संदर्भ	
	कण्डिकाएँ	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		vii
विहंगावलोकन		ix-xii
अध्यायः 1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप		
प्रस्तावना	1.1	1
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	1.2	2
उत्तरदायित्व संरचना	1.3	3
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण	1.4	4
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	1.5	5
सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा	1.6	5
कोपू के प्रतिवेदनों का अनुपालन	1.7	5
अध्यायः 2 ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप		
प्रस्तावना	2.1	7
ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण	2.2	8
ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	2.3	8
ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता	2.4	9
वित्त लेखों के साथ मिलान	2.5	10
ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण	2.6	10
ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रदर्शन	2.7	11
उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के तहत सहायता	2.8	18
ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों पर टिप्पणियाँ	2.9	20
अध्यायः 3 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (गैर–ऊर्जा क्षेत्र) के कार्यकलाप		
प्रस्तावना	3.1	23
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (गैर–ऊर्जा क्षेत्र) में निवेश	3.2	24
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (गैर–ऊर्जा क्षेत्र) का विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण	3.3	25
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (गैर–ऊर्जा क्षेत्र) को बजटीय सहायता	3.4	25
वित्त लेखों के साथ मिलान	3.5	26
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (गैर–ऊर्जा क्षेत्र) द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण	3.6	26
सांविधिक निगमों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण	3.7	28
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (गैर–ऊर्जा क्षेत्र) का प्रदर्शन	3.8	28
सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों (गैर–ऊर्जा क्षेत्र) का समापन	3.9	35
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (गैर–ऊर्जा क्षेत्र) के लेखों पर टिप्पणियाँ	3.10	35
अध्यायः 4 अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ		
मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड		
औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि का आवंटन/ हस्तांतरण	4.1	37
मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड		
व्यवसायिक वृक्षारोपण के नवम–चरण का कार्यान्वयन	4.2	45

विषय	संदर्भ	
	कण्डिकाएँ	पृष्ठ संख्या
मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड एवं मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड		
भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना का कार्यान्वयन	4.3	53
मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड		
ट्रांसफार्मर के क्रय, मरम्मत एवं रख–रखाव	4.4	64
मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड एवं मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड		
वितरण कम्पनियों में राजस्व बिलिंग तथा संग्रहण दक्षता	4.5	73

परिशिष्ट

क्रमांक	विषय	संदर्भ	
		कण्डिकाएँ	पृष्ठ संख्या
1.1 (अ)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विवरण	1.1	91
1.1 (ब)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विवरण	1.1	93
2.1	ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों की नवीनतम वित्तीय वर्ष के अध्यतन लेखों के अनुसार वित्तीय स्थिति और काम के परिणामों का सारांश	2.1.2, 2.7, 2.7.1 और 2.7.2	95
2.2	31 मार्च 2019 को ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों मे प्रदत्त पूंजी और बकाया ऋणों को दर्शाता पत्रक	2.7.1.1	97
3.1	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (गैर–ऊर्जा क्षेत्र) के अद्यतन लेखों के अनुसार वित्तीय परिणामों का सारांश	3.1, 3.1.1, 3.8, 3.8.1 और 3.8.4	98
3.2	इस प्रतिवेदन में शामिल नहीं किये गए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (गैर–ऊर्जा क्षेत्र) का विवरण	3.1	101
3.3	31 मार्च 2019 को राज्य के उपक्रमों (गैर–ऊर्जा क्षेत्र) के संबंध में अंशपूँजी एवं बकाया ऋण की स्थिति दर्शित करने वाला पत्रक	3.2	103
3.4	मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखों एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (गैर–ऊर्जा क्षेत्र) के लेखों में 31 मार्च 2019 को पूँजी, ऋण एवं गारंटी के बकाया के संबंध में अंतर को दर्शाने वाला विवरण पत्र	3.5	107
3.5	राज्य शासन द्वारा राज्य उपक्रमों में (गैर–ऊर्जा क्षेत्र), जिनके लेखे बकाया है, में बकाया लेखों की अवधि के दौरान किये गये निवेश को दर्शाने वाला विवरण पत्र	3.6.1	109
3.6	वर्ष 2000–01 से 2018–19 की अवधि के दौरान राज्य उपक्रमों (गैर–ऊर्जा क्षेत्र) में राज्य शासन द्वारा निवेशित की गई निधि को दर्शाने वाला विवरण पत्र	3.8.3	111
4.1.1	लेखापरीक्षा अवधि के दौरान आवंटन किया गया उत्पादन शुरू करने हेतु देय मामलों का विवरण	4.1.5.4	116
4.1.2	वर्ष 2016–17 से पूर्व आवंटन किया गया उत्पादन शुरू करने हेतु देय मामलों का विवरण	4.1.5.4	118
4.1.3	मामलों के अनियमित हस्तांतरण का विवरण	4.1.5.5	119

विषय		संदर्भ	
		कण्डिकाएँ	पृष्ठ संख्या
4.1.4	भूमि आवंटन और हस्तांतरण मामलों (क्षे. का. भोपाल) में भूमि प्रीमियम की कम वसूली को दर्शाने वाला विवरण	4.1.5.6	120
4.1.5	भूमि आवंटन और हस्तांतरण मामलों (क्षे. का. इंदौर) में भूमि प्रीमियम की कम वसूली का विवरण	4.1.5.6	122
4.2.1	म.प्र.रा.व.वि.नि.लि. के संभागीय क्षेत्र और वृक्षारोपण के क्षेत्र को दर्शाने वाला मानचित्र	4.2.5	124
4.2.2	मंडलों के कब्जे में 2016–17 से 2018–19 के दौरान अतिक्रमण के साथ ली गई/हटाए गए अतिक्रमण की भूमि का विवरण	4.2.6.2	125
4.2.3	नवम–चरण के लिए परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार वृक्षारोपण के लक्ष्य, 2015–16 से 2019–20 के दौरान निगम द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्य और वास्तविक वृक्षारोपण	4.2.6.6	126
4.2.4	वृक्षारोपण लक्ष्यों के निर्धारण और उपलब्धि में कमी का विवरण	4.2.6.6	130
4.2.5	परियोजना प्रतिवेदन के पैरा 4.1 और 4.4 के अनुसार प्रजातिवार वृक्षारोपण के कुल लक्षित क्षेत्र, लागत लाभ अनुपात और प्रतिफल की आंतरिक दर का विवरण	4.2.6.7	132
4.2.6	बांस, खमेर और आंवला के लिए लक्ष्य और उपलब्धि का विवरण	4.2.6.7	132
4.2.7	10 *प्रतिशत* क्षेत्र से अधिक में पॉली–पॉट रोपड़ के कारण हुई अतिरिक्त लागत की गणना	4.2.6.8	133
4.3.1	वन्यजीव सर्किट और हेरिटेज सर्किट के तहत लेखापरीक्षा के लिए चयनित कार्य आदेशों की सूची	4.3.4	134
4.3.2	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और वन विभाग से अनुमति प्राप्त नहीं करने के कारण या म. प्र. सरकार द्वारा भूमि प्राप्त नही करने के कारण भारत सरकार द्वारा छोड़े गए घटकों का विवरण	4.3.5.1	136
4.3.3	ऐसे घटकों का विवरण जहां ज़मीन की अनुपलब्धता और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से अनुमति नहीं मिलने के कारण स्थानांतरण/ पुनः विनियोजन किया गया था	4.3.5.1	138
4.3.4	निविदाओं और कार्यों को सौपने में देरी	4.3.5.2	140
4.3.5	ठेकेदारो के द्वारा कार्य प्रारम्भ करने में देरी	4.3.5.3	148
4.3.6	नए निविदाओं को आमंत्रित किए बिना मौजूदा ठेकेदारों को कार्यों के नए घटकों को सौपना	4.3.5.3	150
4.3.7	ठेकेदार द्वारा काम पूरा करने में देरी	4.3.5.4	152
4.3.8	स्वदेश दर्शन योजना के तहत कंपनी द्वारा अपने स्वयं के वाणिज्यिक संपत्तियों में किए गए कार्यों का विवरण	4.3.5.7	156
4.4.1	टर्नकी अनुबंधों में ट्रांसफार्मर क्रय का विवरण	4.4.6.2	160
4.4.2	टर्नकी अनुबंधों के तहत खरीदे गए समान क्षमता के ट्रांसफार्मर की दरों में अंतर का विवरण	4.4.6.2	162
4.4.3	2016–17 से 2018–19 के दौरान ट्रांसफार्मर की क्रय और उपयोग का विवरण	4.4.6.3	163

विषय		संदर्भ	
		कण्डिकाएँ	पृष्ठ संख्या
4.4.4	2016–17 से 2018–19 के दौरान ट्रांसफार्मर की क्रय और उपयोग का विवरण (टर्नकी अनुबंध)	4.4.6.3	165
4.4.5	ट्रांसफार्मर की निष्क्रियता का विवरण	4.4.6.3	166
4.4.6	2016–17 से 2018–19 के दौरान ट्रांसफार्मर के क्षतिग्रस्त होने का विवरण और मरम्मत के लिए असंवैधानिक घोषित किया गया	4.4.6.4	167
4.5.1	म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले बिलिंग दक्षता, वितरण घाटे और अतिरिक्त नुकसान का विवरण	4.5.5	168
4.5.2	वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों में प्रस्तुत की गई अतिरिक्त/लघु बिलिंग दक्षता का विवरण	4.5.6.1	169
4.5.3	वितरण हानि के विरुद्ध वितरण कंपनियों की क्षेत्र इकाइयों द्वारा हासिल की गई बिलिंग दक्षता की स्थिति का विवरण	4.5.6.2	170
4.5.4	कुल डी.टी.आर., डी.टी.आर. जहां मीटर स्थापित/स्थापित नहीं किए गए और मीटर रीडिंग नहीं ली गयी का विवरण	4.5.6.3	172
4.5.5	एलटी उच्च मूल्य वाले उपभोक्ता, एलटी उच्च मूल्य वाले उपभोक्ता जहां एएमआर मीटर स्थापित हैं, स्थापित नहीं हैं और मीटर रीडिंग नहीं ली जा रही है का विवरण	4.5.6.3	173
4.5.6	कुल 33/11 केवी एसएस, एसएस जहां सीबी स्थापित हैं, स्थापित नहीं हैं और आवश्यक क्षमता का विवरण	4.5.6.3	174
4.5.7	कुल मीटर्ड उपभोक्ताओं, अनंतिम रूप से मीटर्ड उपभोक्ताओं और मीटर्ड उपभोक्ताओं के खिलाफ अनंतिम रूप से बिल उपभोक्ताओं के *प्रतिशत* का विवरण	4.5.6.4	175
4.5.8	2016–17 से 2018–19 के दौरान दोषपूर्ण मीटरों के प्रतिस्थापन का *प्रतिशत* दर्शाने वाला विवरण	4.5.6.4	176
4.5.9	मूल्यांकन किए गए उपभोग के अनुसार भुगतान किए गए उपभोक्ताओं का विवरण	4.5.6.4	177
4.5.10	31 मार्च 2019 तक मीटर्ड उपभोक्ताओं को तीन वर्षों से अधिक समय तक लगातार अनंतिम रूप से बिलिंग का विवरण	4.5.6.4	178
4.5.11	छापे की जाँच के लक्ष्यों, अनियमितताओं और लक्ष्यों में कमी का विवरण	4.5.6.6	179
4.5.12	लोक–अदालत में चोरी के मामलों, नमूना चयनित कृषि पंप कनेक्शनों की संख्या और लघु मूल्यांकन का विवरण	4.5.6.6	180
4.5.13	मार्च 2019 तक लोक अदालत में चोरी के मामलों, कनेक्शन जारी न करने और राजस्व की हानि (न्यूनतम शुल्क पर) का विवरण	4.5.6.6	181
4.5.14	एचटी उपभोक्ताओं, जिन्हें ग्रामीण क्षेत्र छूट की अनुमति नहीं थी, का विवरण	4.5.6.7	182
4.5.15	एचटी उपभोक्ताओं जिनके बिलिंग गलत टैरिफ श्रेणी के विरुद्ध की गई थी, का विवरण	4.5.6.7	184
4.5.16	एचटी उपभोक्ताओं, जिनकी बिलिंग अस्थायी कनेक्शन टैरिफ के बजाय स्थायी कनेक्शन टैरिफ के विरुद्ध की गई थी का विवरण	4.5.6.7	185

विषय		संदर्भ	
		कण्डिकाएँ	पृष्ठ संख्या
4.5.17	आपूर्ति कोड के प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम आवश्यक भार तक अनुबंधित भार नहीं बढ़ाने के कारण लघु बिलिंग का विवरण	4.5.6.7	187
4.5.18	वितरण कंपनियों की चयनित क्षेत्र इकाइयों में विभिन्न श्रेणियों के बकाया के योग स्थिति का विवरण	4.5.6.8	188
4.5.19	मार्च 2019 तक, विभिन्न श्रेणियों के तहत उपभोक्ताओं जिनसे एक वर्ष से अधिक का बकाया देय था पर वियोग नहीं किए गए, का विवरण	4.5.6.8	189
4.5.20	उपभोक्ताओं का विवरण जिनके कनैक्शन तीन साल से पहले स्थायी रूप से विच्छेदित (पीडी) कर दिए गए, पीडी मामलों के विरुद्ध आरआरसी जारी की गई और मार्च 2019 तक आगे की कार्रवाई के लिए लंबित थे	4.5.6.8	190
4.5.21	मार्च 2019 तक स्थायी रूप से वियोग किए गए, अस्थायी कनेक्शन के विरुद्ध बकाए का विवरण	4.5.6.8	191
4.5.22	संबल योजना में कृषि पंप कनेक्शनों के बकाए की छूट का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	4.5.6.9	192

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाने के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19अ के प्रावधानों के तहत मध्य प्रदेश शासन को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। यह 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए मध्य प्रदेश शासन की सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंधित है।

2. सरकारी कंपनियों के लेखों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा लेखापरीक्षित किया जाता है। मध्य प्रदेश के विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सरकारी कंपनी या निगम के लेखों से संबन्धित प्रतिवेदन सीएजी द्वारा सरकार को प्रस्तुत किया जाता हैं। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा व्यवस्था संबंधित अधिनियमों के तहत निर्धारित की जाती है, जिसके माध्यम से निगम स्थापित किए गए हैं।

3. इस प्रतिवेदन की जानकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखापरीक्षित/प्राविधिक लेखों एवं उन वर्षों जिनके लेखे बकाया थे, के लिए, उनके द्वारा प्रदत्त जानकारी पर आधारित है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों को अंतिम रूप देने/ संशोधन, यदि कोई हो, का प्रभाव भविष्य के प्रतिवेदन में दिखाई देगा।

4. इस प्रतिवेदन में वर्णित प्रकरण वह हैं, जो 2018–19 की अवधि के दौरान परीक्षण लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए, साथ ही जो पहले के वर्षों में संज्ञान में आए थे, लेकिन पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में वर्णित नहीं किए जा सके। जहाँ भी आवश्यक था, 2018–19 के बाद की अवधि से संबंधित प्रकरणों को भी शामिल किया गया है।

5. लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी अंकेक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में निम्नलिखित चार अध्याय सम्मिलित हैं।

अध्याय 1: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

इस अध्याय में राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों में क्षेत्र–वार निवेश और लेखें प्रस्तुत करने की स्थिति दर्शायी गई है।

31 मार्च 2019 को, मध्य प्रदेश के 71 सार्वजनिक उपक्रम (68 सरकारी कंपनियां और तीन सांविधिक निगम) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन थे। 71 उपक्रमों में से 11 उपक्रम ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित हैं और 60 उपक्रम ग़ैर–ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित हैं। 71 सार्वजनिक उपक्रमों में से, 55 सार्वजनिक उपक्रम (दो सांविधिक निगम और 53 सरकारी कंपनियां) 31 दिसंबर 2019 तक नवीनतम लेखें प्रस्तुत कर चुके हैं।

अपने नवीनतम अंतिमिकृत लेखों के अनुसार, राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों ने ₹ 92,696.40 करोड़ का वार्षिक कारोबार दर्ज किया, जो 2018–19 के दौरान मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 11.45 *प्रतिशत* के बराबर था। 31 मार्च 2019 को, इन 71 सार्वजनिक उपक्रमों में अंशपूंजी और दीर्घकालिक ऋण में केंद्र और राज्य सरकारों और अन्य का निवेश ₹ 85,687.61 करोड़ था। 2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान सार्वजनिक उपक्रमों में ₹ 5,176.66 करोड़ के राज्य सरकार के कुल निवेश (अंशपूंजी, ऋण और सब्सिडी/अनुदान) में से, ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को ₹ 3,219.33 करोड़ (62.19 *प्रतिशत*) का निवेश प्राप्त हुआ।

अध्याय 2: ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

इस अध्याय में ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों की वित्तीय स्थिति और वित्तीय प्रदर्शन का विश्लेषण शामिल है।

2018–19 के दौरान, ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों का कुल कारोबार ₹ 77,617.28 करोड़ था, जो मध्य प्रदेश के स.रा.घ.उ. का 9.59 *प्रतिशत* था। इन सार्वजनिक उपक्रमों में वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य ₹ 87,154.15 करोड़ था। इन सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा 2016–17 के दौरान दर्ज कुल ₹ 1,405.93 करोड़ की हानि के विरुद्ध 2018–19 के दौरान कुल ₹ 6,944.74 करोड़ हानि वहन की गयी। 2018–19 के दौरान, इन 11 सार्वजनिक उपक्रमों में से, तीन सार्वजनिक उपक्रमों (मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड और बाणसागर थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड) ने ₹ 216.80 करोड़ का लाभ अर्जित किया और तीन सार्वजनिक उपक्रमों (मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड) को ₹ 7,158.48 करोड़ की हानि हुई। एक उपक्रम (दादा धुनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड) को ₹ 3.06 करोड़ की मामूली हानि हुई, जबकि चार उपक्रमों (मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, शाहपुरा थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड और श्री सिंघाजी पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड) को न तो लाभ हुआ और न ही हानि हुई। वर्ष 2016–19 के दौरान, ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की दर 8.06 *प्रतिशत* और 25.51 *प्रतिशत* के बीच थी। 2016–19 की तीन वर्ष की अवधि के दौरान विद्युत वितरण कंपनियों की भारी हानि ने ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के समग्र घाटे में योगदान दिया।

प्रदत्त पूंजी ₹ 43,893.88 करोड़ के विरुद्ध, इन सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा दर्ज की गई संचित हानि ₹ 54,289.56 करोड़ थी, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी का निवल मूल्य नकारात्मक ₹ 26,824.25 करोड़ रहा।

अध्याय 3: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (गैर–ऊर्जा क्षेत्र) के कार्यकलाप

इस अध्याय में 60 उपक्रमों (गैर–ऊर्जा क्षेत्र) की वित्तीय स्थिति और वित्तीय प्रदर्शन का विश्लेषण शामिल है।

31 मार्च 2019 को, 16 निष्क्रिय सार्वजनिक उपक्रमों सहित 60 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, गैर–ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित हैं। 44 कार्यशील सार्वजनिक उपक्रमों में 42 सरकारी कंपनियां और दो सांविधिक निगम शामिल थे। 2018–19 के दौरान, इस प्रतिवेदन में शामिल 31 कार्यशील सार्वजनिक उपक्रमों का कुल कारोबार ₹ 15,079.12 करोड़ था और इन सार्वजनिक उपक्रमों में कुल निवेश ₹ 6,085.48 करोड़ था। इस प्रतिवेदन में शामिल 31 सार्वजनिक उपक्रमों ने 2018–19 के दौरान ₹ 327.70 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया। 15 सार्वजनिक उपक्रमों ने लाभ अर्जित किया, नौ सार्वजनिक उपक्रमों को हानि हुई और सात सार्वजनिक उपक्रमों को न तो लाभ हुआ और न ही हानि हुई। वर्ष 2016–19 के दौरान, इस प्रतिवेदन में शामिल 31 सार्वजनिक उपक्रमों में नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की दर 8.82 *प्रतिशत* और 19.45 *प्रतिशत* के बीच थी। वर्ष 2018–19 के दौरान प्रमुख लाभ देने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन (₹ 156.52 करोड़), मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 107.47 करोड़) और मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (₹ 88.65 करोड़) थे।

प्रदत्त पूंजी ₹ 1,958.03 करोड़ के विरूद्ध, 31 उपक्रमों जो इस प्रतिवेदन में शामिल है द्वारा अर्जित संचित लाभ ₹ 1,540.78 करोड़ था, जिसका परिणाम ₹ 6,436.59 करोड़ का निवल मूल्य था।

अध्याय 4: अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

अनुपालन लेखापरीक्षा एक स्वतंत्र मूल्यांकन है कि क्या कोई दी गयी विषय वस्तु (एक गतिविधि, वित्तीय या गैर–वित्तीय लेनदेन, एक इकाई या संस्थाओं के समूह के संबंध में जानकारी) लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, स्थापित कोड आदि और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन और सार्वजनिक अधिकारियों के आचरण को नियंत्रित करने वाले सामान्य सिद्धांतों के साथ सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का अनुपालन करती है।

राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों की अनुपालन लेखापरीक्षा लागू नियमों, संहिताओं और नियमावली, सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में त्रुटियों और स्वामित्व के मानदंडों का पालन करने में विफलता के साथ गैर–अनुपालन के उदाहरणों को संज्ञान में लाती है। इस संबंध में महत्वपूर्ण मुद्दों की चर्चा आगामी कंडिकाओं में की गई है:

4.1 औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि का आवंटन/हस्तांतरण

मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) को राज्य में निवेश सुविधा और संवर्धन के लिए एकल खिड़की सचिवालय के रूप में काम करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। कंपनी को औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करके उद्योगों और औद्योगीकरण को बढ़ावा देने, प्रोत्साहित करने और विकसित करने का काम सौंपा गया है। कंपनी ने औद्योगिक इकाइयों को भूमि के आवंटन/हस्तांतरण के लिए म.प्र. शासन द्वारा जारी भूमि आवंटन नियमों को अपनाया है।

कंपनी ने भूमि आवंटन नियमों, 2015 के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया, जो कि समय पर व्यवसाय शुरू करने से संबंधित थे। निगरानी प्रणाली अपर्याप्त थी और नियमों के उल्लंघन में अतिरिक्त भूमि के आवंटन, आवंटियों द्वारा प्रतिबंधित गतिविधि का संचालन और भूमि हस्तांतरण के मामलों में कमियों के मामले थे। कंपनी ने भूमि दरों और वार्षिक रखरखाव प्रभार और बकाया की वसूली को अंतिम रूप देते समय नियमों/म.प्र. शासन के आदेशों का पालन नहीं किया।

4.2 व्यवसायिक वृक्षारोपण के नवम–चरण का कार्यान्वयन

मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, भोपाल (कंपनी) को ऐसी प्रजातियों, जो उच्च आर्थिक मूल्य, तेजी से बढ़ने वाली और औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए विविध उपयोग में सक्षम हैं, के रोपण द्वारा वानिकी उत्पादन में तेजी लाने और बढ़ाने के उद्देश्य से निगमित किया गया था। कंपनी द्वारा दिसंबर 2014 में वाणिज्यिक वृक्षारोपण के नवम–चरण (2015–16 से 2019–20) को, संस्वीकृत किए गए परियोजना प्रतिवेदन एवं वृक्षारोपण के लिए कंपनी द्वारा जारी किए गए मानदंड और दिशानिर्देशों के अनुसार लागू किया।

कंपनी के चयनित आठ में से चार संभाग सागौन वृक्षारोपण के विकास मानदंडों को प्राप्त नहीं कर सके। चार संभागों ने जीपीएस निर्देशांक वाले मानचित्र के साथ लैंटाना उन्मूलन के लिए प्रस्ताव तैयार नहीं किये। इसके अलावा, पांच संभागों के लिए कंपनी द्वारा कार्य योजनाओं की मंजूरी में देरी हुई।

4.3 भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना का कार्यान्वयन

केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय (प.मं.) ने थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट के एकीकृत विकास के लिए 2014–15 में स्वदेश दर्शन योजना (योजना) शुरू की। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड और मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड को चार सर्किट (वन्यजीव, बौद्ध, हेरिटेज और इको सर्किट) योजना के विकास का दायित्व सौंपा गया था, जिसमें से दो सर्किट, वन्यजीव और हेरिटेज की लेखापरीक्षा में जांच की गई थी।

कंपनी ने वास्तविक अनुमतियों/मंजूरी की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना पर्यटन मंत्रालय को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) प्रस्तुत की, जिसमें भूमि/अनुमति/मंजूरी की उपलब्धता बताई गई, जिसके परिणामस्वरूप घटकों/कार्यों को या तो विलोपित कर दिया गया या देरी के साथ निष्पादित किया गया। 32 नमूनों में से 14 कार्यादेश, देरी के साथ पूरे हुए और एक कार्यादेश मार्च 2020 तक अधूरा रहा। कार्यों की निविदा और आवंटन में परिहार्य देरी हुई।

कंपनी ने स्कीम गाइडलाइंस/डीपीआर से विचलन किया और नौ कार्यों को अपनी वाणिज्यिक इकाइयों में अंजाम दिया, जबकि ये डीपीआर में शामिल नहीं थे। मार्गस्त सुविधाओं को पट्टे पर देने के मामलों को छोड़कर, कंपनी को अभी भी सुविधाओं, जो उन्हें सौंपी गयी थी, के संचालन और रखरखाव के लिए अन्य विभागों के साथ समझौते को निष्पादित करना शेष था।

4.4 ट्रांसफॉर्मर के क्रय, मरम्मत एवं रख–रखाव

मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (कंपनी) ने एक कुशल अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली के विकास और रख–रखाव के लिए विभिन्न क्षमताओं के ट्रांसफार्मर की खरीद/मरम्मत की।

कंपनी ने कुल ₹ 452.32 करोड़ की लागत से स्वयं के उपयोग के लिए (उप–केन्द्रों के विभागीय निर्माण के लिए) 155 ट्रांसफार्मर खरीदने के लिए 19 ठेके आवंटित किए। कंपनी किफायती खरीद सुनिश्चित नहीं कर सकी, क्योंकि पिछली खरीद की तुलना में समान क्षमता के ट्रांसफार्मर उच्च मूल्य पर खरीदे गए थे। कंपनी एल–2 बोलीदाता से एल–1 पर की गई खरीद की दर को प्रतिबंधित करने में भी विफल रही और समझौते में मूल्य गिरावट की धारा और 50 *प्रतिशत* मात्रा में कमी की शर्तों को शामिल करने में विफल रही। 18 टर्नकी ठेकों में से 12 टर्नकी ठेकों में, कंपनी ने पारेषण प्रणाली में सर्वोत्तम पृथाओं (बीपीआईटीएस) की सिफारिशों को नजरअंदाज करते हुए ट्रांसफॉर्मरों के क्रय/प्रदाय सहित ठेके आवंटित किए, जिसके चलते इसकी कीमत उसी अवधि के दौरान कंपनी द्वारा सीधे विभागीय निर्माण के लिए क्रय किए गए समान क्षमता के ट्रांसफार्मर की लागत की तुलना मे ₹ 58.51 करोड़ अधिक चुकानी पड़ी।

कंपनी कुशलता से धन का प्रबंधन नहीं कर सकी जिसके कारण वित्तीय संस्थाओं को परिहार्य ब्याज के भुगतान के रूप मे हानि वहन की। इसके अलावा, उन मामलों में धनराशि अवरुद्ध रही, जहां कमीशनिंग में देरी हुई थी, क्योंकि स्थापना के लिए साइट की तैयारी सुनिश्चित किए बिना ट्रांसफार्मर की आपूर्ति प्राप्त हुई थी। कंपनी ने अपने ऋण पर लिए गए कोष में से आपूर्तिकर्ता कंपनियों को ऋणमुक्त मोबलाइजेशन अग्रिम जारी करने के कारण भी हानि वहन की।

4.5 वितरण कंपनियों में राजस्व बिलिंग तथा संग्रहण दक्षता

राज्य में विश्वसनीयता और गुणवत्ता के साथ प्रतिस्पर्धी दरों पर कृषि, घरों और उद्योगों के लिए विद्युत वितरण का दायित्व तीन विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) अर्थात मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.), मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.) और मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.) पर है। ऊर्जा की खपत की बिलिंग मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (म.प्र.वि.नि.आ.) द्वारा जारी आपूर्ति संहिता और टैरिफ आदेशों के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए।

2016–17 से 2018–19 के दौरान तीनों विद्युत वितरण कंपनियां वितरण हानि को म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा तय किए गए 15 से 19 *प्रतिशत* तक के लक्ष्य तक कम करने मे विफल रही। उच्च वितरण हानि ने विद्युत वितरण कंपनियों की बिलिंग दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, जिसके कारण, 2016–2019 के दौरान विद्युत वितरण कंपनियों की बिलिंग दक्षता 62.77 से 83.41 *प्रतिशत* के बीच रही। विद्युत वितरण कंपनियों ने आपूर्ति संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए प्रावधानिक बिलिंग का सहारा लिया। 2016–17 की तुलना में 2018–19 के दौरान मीटर्ड उपभोक्ताओं की प्रावधानिक बिलिंग की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। लेखापरीक्षा हेतु चयनित 15 क्षेत्र इकाइयों के संबंध में 2016–17 के दौरान कुल मीटर्ड उपभोक्ताओं (35,92,736 नग) में से 15.66 *प्रतिशत* की प्रावधानिक बिलिंग की तुलना में 2018–19 के दौरान प्रावधानिक बिलिंग कुल मीटर्ड उपभोक्ताओं (40,85,361 नग) का 37.52 *प्रतिशत* थी।

इसके अलावा, 51 उच्च दाब उपभोक्ताओं को आपूर्ति संहिता और टैरिफ आदेशों के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण ₹ 26.70 करोड़ से कम बिल दिया गया था।

केवल म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. में संग्रहण दक्षता 86.25 से 87.43 *प्रतिशत* तक सुधरी है, जबकि 2016–17 से 2018–19 के दौरान क्रमशः म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. में 8.52 *प्रतिशत* और 5.57 *प्रतिशत* की गिरावट आई है। यह मुख्य रूप से चूककर्ता उपभोक्ताओं के विच्छेदन न करने के कारण, सरकारी विभागों के साथ अनुनय में विफलता, स्थायी विच्छेदित उपभोक्ताओं और अस्थायी कनेक्शन से बकाया की वसूली में देरी के कारण था। परिणामस्वरूप, 15 नमूना क्षेत्र इकाइयों में ₹ 2,619.96 करोड़ का बकाया अप्राप्त (नवंबर 2019) रहा।

अध्याय–1

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

1.1 प्रस्तावना

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना सरकार द्वारा वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों के संचालन, राज्य की उन्नति के साथ–साथ जनकल्याण के लिए की जाती है।

31 मार्च 2019 को, मध्य प्रदेश राज्य में 71 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम[1] (68 सरकारी कम्पनियाँ एवं तीन सांविधिक निगम सहित[2]) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र में थे। इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से कोई भी स्टॉक एक्स्चेंज में सूचीबद्ध नहीं थी। इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विवरण नीचे **तालिका 1.1** में दिया गया हैं:

तालिका 1.1: 31 मार्च 2019 को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विवरण

क्र.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रकृति	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल संख्या
	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल संख्या	**71**
क	सरकारी कंपनियों की संख्या	36
ख	सांविधिक निगमों की संख्या	2
ग	**कुल कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (क+ख)**	**38**
घ	परिसमापन के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	5
ड़	निष्क्रिय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	12
च	उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या जिन्होंने परिचालन शुरू नहीं किया था	7
छ	निष्क्रिय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल संख्या (घ+ड़+च)	24
ज	बकाया लेखों के साथ कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या*	09
झ	**इस प्रतिवेदन में सम्मलित नहीं किए गए कुल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या (छ+ज)**	**33**

**तीन वर्ष से 30 वर्ष तक लंबित*

*(**स्रोत**: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक लेखे एवं जानकारी)*

सार्वजनिक क्षेत्र के 71 उपक्रमों में से, 55 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (11 ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और 44 गैर–ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) द्वारा 2016–17, 2017–18 और 2018–19 अवधि का कम से कम एक लेखा 31 दिसम्बर 2019 तक प्रस्तुत कर दिया था।

इन 55 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से, इस प्रतिवेदन में केवल 38 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सात ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और 31 गैर–ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) शामिल है जैसा की ***परिशिष्ट–1.1 (अ)*** में दर्शाया गया है और शेष 17 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (चार ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और 13 गैर–ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) निष्क्रिय थे जैसा की ***परिशिष्ट–1.1 (ब)*** में दर्शाया गया है।

इस प्रकार, इस प्रतिवेदन में 33 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सम्मलित नहीं है (17 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिनके नवीनतम लेखे उपलब्ध थे, लेकिन वे उपक्रम निष्क्रिय थे, और 16 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो दो वर्ष से 30 वर्षों तक निष्क्रिय रहे हैं और कार्यशील उपक्रम जिन्होंने कम से कम 2016–17 तक के अपने लेखें प्रस्तुत नहीं किए, जैसा कि ***परिशिष्ट–1.1 (ब)*** में वर्णित है।

2018–19 के दौरान, कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, ने अपने नवीनतम अंतिमिकृत लेखों के अनुसार, ₹ 92,696.40 करोड़ का कारोबार दर्ज किया, जो मध्य प्रदेश राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी (₹ 8,09,327 करोड़) का 11.45 *प्रतिशत* था। मार्च 2019 की स्थिति में कार्यशील सार्वजनिक उपक्रमों में लगभग 0.60 लाख कर्मचारी कार्यरत थे।

---

[1] वर्ष 2018–19 के दौरान, लेखापरीक्षा को पाँच सरकारी कंपनियों के गठन की सूचना लेखापरीक्षा कार्यालय को दी गई थी बी– नेस्ट फ़ाउंडेशन, सतना स्मार्ट सिटी डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, सागर स्मार्ट सिटी डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, बुरहानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड और रतलाम बस सर्विस लिमिटेड।

[2] मध्य प्रदेश राज्य वेयरहाउसिंग एंड लॉजीस्टिक कार्पोरेशन (म.प्र.रा.वे.लॉ.कॉ.), मध्य प्रदेश वित्त निगम (म.प्र.वि.नि.) और मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (म.प्र.रा.स.प.नि.)।

1.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

1.2.1 मध्य प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी

राज्य सरकार निम्नलिखित रूप में इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में महत्वपूर्ण वित्तीय हिस्सेदारी रखती है :

(अ) अंशपूंजी और ऋणः अंशपूंजी योगदान के अलावा, राज्य सरकार समय–समय पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(ब) विशेष वित्तीय सहायताः राज्य सरकार आवश्यकतानुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अनुदान और सब्सिडी के माध्यम से बजटीय सहायता प्रदान करती है।

(स) गारंटीः राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण की ब्याज सहित पुनर्भुगतान की गारंटी देती है।

31 मार्च 2019 को 71 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश (अंशपूंजी और दीर्घकालिक ऋण) का क्षेत्रवार विवरण **तालिका 1.2** में दिया गया है:

तालिका 1.2: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में क्षेत्रवार निवेश

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र का नाम	सरकारी कंपनियाँ		सांविधिक निगम		सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का योग	निवेश		
	कार्यशील	निष्क्रिय	कार्यशील	निष्क्रिय		अंशपूंजी*	दीर्घकालिक ऋण*	योग
ऊर्जा	11	00	00	00	**11**	27,465.31	50,136.35	77,601.66
कृषि और सम्बद्धित क्षेत्र	02	00	01	00	**03**	50.67	00	50.67
सेवा	15	00	00	00	**15**	553.00	3,280.77	3,833.77
आधारभूत संरचना	13	01	00	01	**15**	1,220.16	1,412.10	2,632.26
विनिर्माण	06	12	00	00	**18**	150.91	137.80	288.71
वित्त	06	02	01	00	**09**	536.13	744.41	1,280.54
योग	**53**	**15**	**02**	**01**	**71**	**1,784**	**55,711.43**	**85,687.61**

** अंशपूंजी में शेयर एप्लिकेशन मनी सम्मलित होती है और दीर्घावधिक ऋण में केंद्र और राज्य सरकारों, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और व्यावसायिक बैंकों से लिए गए ऋण सम्मलित होते है।*

*(**स्रोतः** सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदान किए गए लेखे/जानकारी)*

31 मार्च 2019 तक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कुल निवेश मे 34.98 *प्रतिशत* अंशपूंजी और 65.02 *प्रतिशत* दीर्घावधिक ऋण थे। जिनके नवीनतम लेखे उपलब्ध हैं उन 55 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में दीर्घकालिक ऋण के रूप में केंद्र और राज्य सरकारों से ₹ 30,289.86 करोड़ और अन्य स्रोतों से ₹ 24,730.59 करोड़ प्राप्त किए गए। विगत तीन वर्षो के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार के निवेश का मुख्य ज़ोर ऊर्जा क्षेत्र पर था। वर्ष 2016–17 से 2018–19 की अवधि में कुल अंशपूंजी निवेश ₹ 5,176.66 करोड़, में से ऊर्जा क्षेत्र की हिस्सेदारी 62.19 *प्रतिशत* (₹ 3,219.33 करोड़) थी।

वर्ष के अंत में, वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राज्य सरकार के निवेश का स्वरुप (अंशपूंजी और दीर्घकालिक ऋण) **चार्ट 1** में दिया गया है:

चार्ट 1: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में क्षेत्रवार निवेश

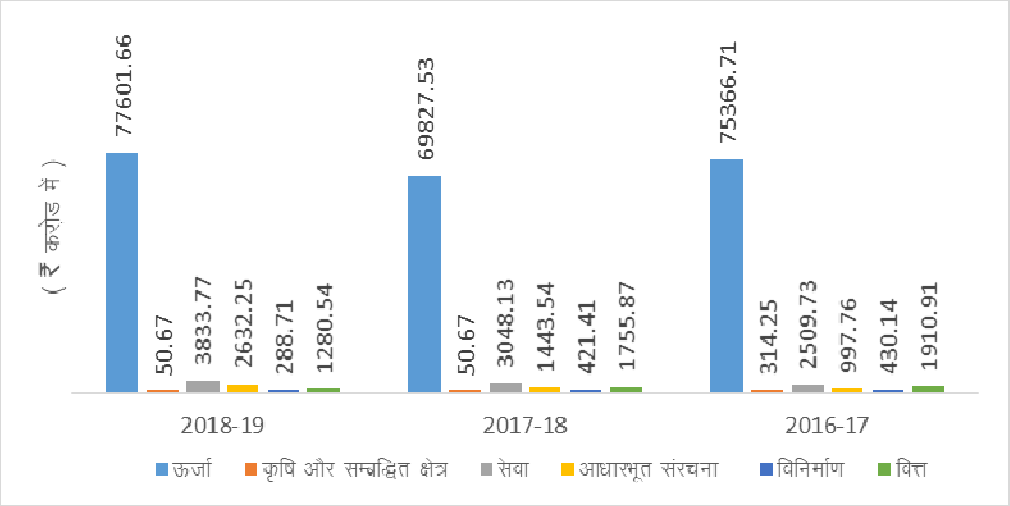

*(**स्रोत:** सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदान किए गए लेखे/जानकारी)*

1.3 उत्तरदायित्व संरचना

एक सरकारी कंपनी या ऐसी अन्य कंपनी जिनका स्वामित्व या नियंत्रण, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से केन्द्र सरकार द्वारा, या किसी राज्य सरकार या सरकारों, या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों मे निहित हो, की लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 और 143 के संबंधित प्रावधानों द्वारा शासित होती है। धारा 2(45) की परिभाषा के अनुसार सरकारी कंपनी ऐसी कंपनी है जिसमे कम से कम 51 *प्रतिशत* प्रदत्त पूंजी सरकार (ओं) द्वारा धारित हो। एक सरकारी कंपनी में एक सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी भी शामिल होती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों की लेखापरीक्षा करने के लिए सरकारी कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों की पूरक लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य के निष्पादन की निगरानी करके एक निरीक्षक की भूमिका निभाता है। इस भूमिका का निर्वाहन निम्नलिखित तरीकों से किया जाता है:

(अ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना, तथा

(ब) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर पूरक या टिप्पणी करना।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों के अनुसार की जाती है। तीन सांविधिक निगमों (म.प्र.रा.स.प.नि., म.प्र.रा.वे.लॉ.कॉ. और म.प्र.वि.नि.) में, म.प्र.रा.स.प.नि. के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक है। म.प्र.रा.वे.लॉ.कॉ. और म.प्र.वि.नि. की लेखापरीक्षा सनिधि लेखापाल द्वारा की जाती है, बाद में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा की जाती है।

1.4 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण

1.4.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों को अंतिम रूप देने और प्रस्तुत करने की स्थिति

कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 394 और 395 के अनुसार, एक सरकारी कंपनी के कार्यचालन और मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन उसकी वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.) के तीन महीने के भीतर तैयार करनी होती है और तैयार होते ही शीघ्रातिशीघ्र उसे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति एवं सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर की गयी किसी टिप्पणी या पूरक टिप्पणी के साथ विधायिका या विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाना चाहिए। सांविधिक निगमों को विनियमित करने संबंधित अधिनियमों में भी लगभग समान प्रावधान मौजूद हैं। यह व्यवस्था राज्य की संचित निधि में से कंपनियों में निवेश किए गए सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 31 दिसंबर 2019 तक जमा किए गए लेखों की स्थिति **तालिका 1.3** में दर्शायी गयी है:

तालिका 1.3: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखे प्रस्तुत करने की स्थिति

	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल सं.	उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या जिनके लेखे 31 दिसंबर 2019 तक प्राप्त हुए				सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या जिनके लेखे बकाया है*
			2018–19 तक	2017–18 तक	2016–17 तक	योग	
क	सरकारी कंपनियों की संख्या	36	16	16	04	36	0
ख	सांविधिक निगमों की संख्या	2	02	00	00	02	0
ग	**कुल कार्यशील सार्वजनिक उपक्रम**	**38**	**18**	**16**	**04**	**38**	**0**
घ	अकार्यशील सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या	12	9	0	0	9	3
ड़	उन सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या जिन्होंने परिचालन शुरू नहीं किया	7	6	0	1	7	0
च	परिसमापनाधीन सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या	5	0	0	1	1	4
छ	कुल अकार्यशील सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या	24	15	00	02	17	07
ज	कार्यशील सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या जिनके लेखें बकाया है*	09	0	0	0	0	09[3]
झ	**उन सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या जो इस प्रतिवेदन में सम्मलित नहीं है**	**33**	**15**	**0**	**02**	**17**	**16**
	योग	**71**	**33**	**16**	**06**	**55**	**16**

**तीन वर्ष से 30 वर्ष तक लंबित*

(***स्रोत:*** *सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक लेखें*)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार प्रत्येक कंपनी के लिए हर कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयर धारको की वार्षिक आम बैठक आयोजित करना आवश्यक है। यह भी निर्दिष्ट है कि दो वार्षिक आम बैठकों की तारीख के बीच 15 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129, के अनुसार उक्त ए.जी.एम., में वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण अवलोकनार्थ प्रस्तुत किए जाने चाहिए। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 (7) में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के गैर अनुपालन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों, निदेशक सहित, पर कारावास एवं आर्थिक दंड आरोपित करने का प्रावधान है। सार्वजनिक उपक्रमों का कोई भी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल में रखे जाने हेतु लंबित नहीं है।

1.4.2 सरकार और विधायिका की भूमिका

राज्य सरकार अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामलों पर नियंत्रण रखता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक मण्डल के निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती हैं।

[3] इसमें पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल है जिनके प्रथम लेखे अभी भी अप्राप्त है ।

राज्य विधानमंडल लेखांकन और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी निवेश के उपयोग पर भी नजर रखता है। इसके लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 अथवा जैसा संबधित अधिनियमों में निर्धारित हो, के तहत, राज्य सरकार की कंपनियों के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ और सांविधिक निगमों के मामले में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाना चाहिए।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियॉ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19अ के तहत राज्य शासन को विधानसभा में रखे जाने हेतु प्रस्तुत किए जाते है।

1.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा समीक्षा प्रक्रिया का सार हैं। अतः यह आवश्यक है कि इन पर कार्यपालिका से उचित एवं समयबद्ध उत्तर प्राप्त किया जावे। मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मलित की गई कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर प्रतिवेदन के विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण से तीन माह की अवधि में, सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) से किसी प्रश्नावली की प्रतीक्षा किए बिना, निर्धारित प्रारूप में जवाब/व्याख्यात्मक टिप्पणियॉ प्रस्तुत करने के निर्देश (मई 2016) जारी किए थे।

31 मार्च 2020 को, वर्ष 2016–17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के छह कंडिकाओं में से दो कंडिकाओं के जवाब/ व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग और लोक निर्माण विभाग से अभी तक अप्राप्त है।

1.6 सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

31 मार्च 2020 तक, कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पीएसयू) में प्रदर्शित दोनों ऊर्जा और गैर–ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा की कंडिकाओं पर चर्चा की स्थिति **तालिका 1.4** में दर्शायी गयी है:

तालिका 1.4: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में छपे निष्पादन लेखापरीक्षा/ कंडिकाओं पर चर्चा की स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष (वाणिज्यिक / पीएसयू)	निष्पादन लेखापरीक्षा/ अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निहित		चर्चा पूर्ण कंडिका	
	निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए)	अनुपालन लेखा परीक्षा कंडिका	निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए)	अनुपालन लेखा परीक्षा कंडिका
ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम				
2015–16	01	06	01	06
2016–17	02	06	02	06
योग	**03**	**12**	**03**	**12**
गैर–ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम				
2015–16	02	09	02	09
2016–17	–	06	–	04
योग	**02**	**15**	**02**	**13**

*(**स्रोत**: कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा–द्वितीय) मध्य प्रदेश के द्वारा संकलित)*

अतः कोपू में किसी भी निष्पादन लेखापरीक्षा या अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिका पर चर्चा किया जाना लंबित नहीं था।

1.7 कोपू के प्रतिवेदनों का अनुपालन

सभी संबंधित विभागों को सिफारिशों के प्रकाशन के तीन महीने के भीतर कोपू द्वारा की गई सिफारिशों पर कार्यवाही प्रतिवेदन (एटीएन) प्रस्तुत करना होता है। कोपू अनुशंसा प्रतिवेदन से संबंधित 38 कंडिकाओं पर कार्यवाही प्रतिवेदन (एटीएन) जो राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत की गई थी अभी तक (मार्च 2020) अप्राप्त है, जैसा कि **तालिका 1.5** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.5: कोपू प्रतिवेदन का अनुपालन

कोपू प्रतिवेदन का वर्ष	कोपू प्रतिवेदन की कुल संख्या	कोपू प्रतिवेदन में सिफारिशों की कुल संख्या	सिफारिशों की संख्या जिस पर एटीएन प्राप्त नहीं हुए
2000–01	1	29	1
2001–02	1	41	10
2009–10	3	3	3
2010–11	3	59	23
2011–12	1	1	1
योग	**9**	**133**	**38**

***(स्रोत:** कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा–द्वितीय), मध्य प्रदेश के द्वारा संकलित)*

इसी तरह, गैर–ऊर्जा क्षेत्र से संबन्धित कोपू की 34 प्रतिवेदनों की 202 सिफारिशों जिन्हे राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत कर दिया गया है, के एटीएन (मार्च 2020) तक अप्राप्त है। इसके अलावा, 2012–13 और उसके पश्चात लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मे प्रकाशित निष्पादन लेखापरीक्षा/कंडिकाओं पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की सिफ़ारिश अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई हैं।

यद्यपि निष्पादन लेखापरीक्षा/कंडिकाओं पर पर्याप्त चर्चा कर ली गयी है और प्रतिवेदन वर्ष 2015–16 और 2016–17 के लिए कोई भी निष्पादन लेखापरीक्षा/कंडिका लंबित नहीं है, 2012–13 और उसके पश्चात लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मे प्रकाशित निष्पादन लेखापरीक्षा/कंडिकाओं पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की सिफ़ारिश प्राप्त होना अभी शेष है।

अध्याय–2

ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

2.1 प्रस्तावना

ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (उपक्रम) राज्य के विकास के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा प्रदान करते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस क्षेत्र के उपक्रम राज्य की जीडीपी में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं जैसा की इन उपक्रमों के टर्नओवर का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) से अनुपात से देखा जा सकता है। निम्नलिखित तालिका मार्च 2019 को समाप्त होने वाले विगत तीन वर्षों की अवधि के लिए मध्य प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कारोबार और स.रा.घ.उ. का विवरण प्रदान करती है।

तालिका 2.1: मध्य प्रदेश की स.रा.घ.उ. की तुलना में ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016–17	2017–18	2018–19
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	11	11	11
टर्नओवर	64,162.93	66,043.29	77,617.28
पूर्ववर्ती वर्ष के टर्नओवर की तुलना में टर्नओवरों में परिवर्तन का *प्रतिशत*	11.55	2.93	17,52
मध्य प्रदेश का स.रा.घ.उ.	6,39,219.67	7,07,046.99	8,09,327,00
पूर्ववर्ती वर्ष के स.रा.घ.उ. की तुलना में स.रा.घ.उ. में परिवर्तन का *प्रतिशत*	20.51	10.61	14.47
मध्य प्रदेश के स.रा.घ.उ. में टर्नओवर का *प्रतिशत*	10.04	9.34	9.59

*(**स्रोत:** ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त जानकारी तथा मध्य प्रदेश शासन की आर्थिक समीक्षा 2018–19 पर आधारित स.रा.घ.उ. आंकड़ों के आधार पर संकलित)*

2016–19 की तीन वर्ष की अवधि में इन उपक्रमों के टर्नओवर का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) से अनुपात 9.34 और 10.04 *प्रतिशत* के मध्य रहा। पिछले तीन वर्षों के दौरान स.रा.घ.उ. में चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर[1] 8.18 *प्रतिशत* थी, जबकि इसी अवधि में ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर में न्यून 6.55 *प्रतिशत* चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्ज की गयी।

2.1.1 ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का गठन

राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (म.प्र.वि.सु.अ., 2000) लागू (फरवरी 2001) किया, जिसके अंतर्गत विद्युत उद्योग के पुनर्गठन और मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल (म.प्र.रा.वि.म.) की शक्तियों, कर्तव्यों और कार्यों को राज्य शासन की एक या अधिक कंपनियों को हस्तांतरित करने के लिए एक योजना तैयार करने का प्रावधान करता है।

2.1.2 मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल का विघटन

मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल (म.प्र.रा.वि.म.) के विभक्तिकरण और संपत्तियों, परिसंपत्तियों, देनदारियों, दायित्वों, कार्यवाहियों और कार्मिकों के पांच ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों {(यानी मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पा.ज.कं.लि.), मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पा.ट्रा.कं.लि.), मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि), मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.) और मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र. प.क्षे.वि.वि.कं.लि.)} को हस्तांतरण के लिए मध्य प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र सुधार योजना, 2003 (एम.पी.पी.एस.आर. टी. योजना, 2003) तैयार (30 सितंबर 2003) की। ऊर्जा क्षेत्र की ये पांच कंपनियां नवंबर 2001 से अस्तित्व में आई और एम.पी.पी.एस.आर.टी. योजना, 2003 के प्रावधानों के अनुसार म.प्र.रा.वि.म. की सभी संपत्तियाँ और देनदारियाँ (₹ 3,528.02 करोड़[2] की पूंजी एवं ₹ 1,151.57 करोड़ की देनदारियों सहित), इन कंपनियों में वितरित कर दी गयी। राज्य शासन ने 1982–83 में ₹ 0.69 करोड़ का पूंजी निवेश कर ऊर्जा क्षेत्र की एक अन्य कंपनी अर्थात मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (म.प्र.ऊ.वि.नि.लि.) निगमित की। इन छः कंपनियों और मध्य प्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, जिसका नाम बदलकर

[1] चक्रवृद्धि वार्षिक विकास की दर [{(2018–19 का मूल्य / 2016–17 का मूल्य) ^ (1 / 3 वर्ष)} – 1] * 100।

[2] म.प्र.पॉ.ज.क.लि. (₹ 1,915.08 करोड़), म.प्र.पॉ.ट्रॉ.क.लि. (₹ 730.43 करोड़), म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. (₹ 284.08 करोड़), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. (₹ 351.88 करोड़) और म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. (₹ 246.55 करोड़)।

मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पा.मै.कं.लि.)[3] कर दिया गया है, के अलावा चार[4] अन्य ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों को म.प्र.पा.मै.कं.लि./म.प्र.पा.ज.कं.लि. की सहायक कंपनियों के रूप में (फरवरी 2007 से अक्टूबर 2011 में) निगमित किया गया। निगमित होने के आठ वर्ष पश्चात् भी, इन उपक्रमों ने 2018–19 तक कोई भी व्यावसायिक गतिविधियाँ शुरू नहीं की और उनमें से एक परिसमापन[5] में भी जा चुकी है। अतः, इस प्रतिवेदन में वह चार उपक्रम सम्मिलित नहीं हैं जिन्होने 2018–19 तक कोई भी व्यावसायिक गतिविधियाँ शुरू नहीं की या परिसमापन में जा चुकी है जैसा ***परिशिष्ट* 2.1** में वर्णित है।

2.2 ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण

वर्ष 2018–19 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में न तो कोई विनिवेश, और न ही किसी उपक्रम का निजीकरण किया गया।

2.3 ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में 31 मार्च 2019 को केंद्र व राज्य सरकार तथा अन्य के निवेश (अंशपूंजी व दीर्घावधिक ऋण) का गतिविधि–वार सारांश **तालिका 2.2** में दिया गया है:

तालिका 2.2: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में गतिविधि–वार निवेश

गतिविधि	सरकारी उपक्रमों की संख्या	पूंजी	दीर्घावधि ऋण	योग
विद्युत उत्पादन	1	6,310.29[6]	12,304.92	18,615.21
विद्युत पारेषण	1	3,294.35	2,666.84	5,961.19
विद्युत वितरण	3	17,715.31	35,137.28	52,852.59
अन्य[7]	2	100.21[8]	18.99	119.20
इस प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं[9] है	4	45.15	8.31	53.47
योग		**27,465.31**	**50,136.34**	**77,601.66**

*(**स्रोत**: सार्वजनिक उपक्रमों के वार्षिक लेखों के आधार पर संकलित)*

31 मार्च 2019 को ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश में 35.39 *प्रतिशत* पूंजी और 64.61 *प्रतिशत* दीर्घावधि ऋण शामिल थे। इसके अलावा, इस प्रतिवेदन में शामिल नहीं किए गए चार सार्वजनिक उपक्रमों में ₹ 53.47 करोड़ का निवेश किया गया था (कंडिका 1.1)।

कुल दीर्घावधि ऋणों में से ₹ 28,023.66 करोड़ (55.89 *प्रतिशत*) राज्य शासन द्वारा प्रदान किया गया था और ₹ 22,112.68 करोड़ (44.11 *प्रतिशत*) अन्य वित्तीय संस्थानों से लिया गया था। 2016–17, 2017–18 और 2018–19 के दौरान राज्य शासन ने 30 सितंबर 2015 की स्थिति में विद्युत वितरण कंपनियों पर बकाया ऋण (₹ 26,054 करोड़) में से ₹ 12,689.99 करोड़ (48.71 *प्रतिशत*) उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय)[10] के तहत वहन किया।

2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान म.प्र.शासन द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में अंशपूंजी और दीर्घावधि ऋण के रूप में किए गए निवेश की वर्ष वार स्थिति **चार्ट 2.1** में दर्शायी गयी है:

---

3 तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की धारक कंपनी के रूप में।

4 बा.थ.पा.कं.लि. (9–6–2011), शा.थ.पा.कं.लि. (5–2–2007), दा.धू.ख.पा.लि. (25–2–2010) और श्री.सि.पा.प्रो.लि. (12–10–2011)।

5 दा.धू.ख.पा.लि. (2017–18) ।

6 ***परिशिष्ट 2.1*** की कं. सं. क 1 पर निहित धारक कंपनी द्वारा अपनी कं. सं. ड. 8 और ड. 11 पर निहित सहायक कंपनियों में निवेशित ₹ 0.25 करोड की राशि को छोडकर।

7 ***परिशिष्ट 2.1*** की कं. सं. घ 6 एवं घ 7।

8 ***परिशिष्ट 2.1*** की कं. सं. घ 7 पर निहित सहायक कंपनी द्वारा अपनी कं. सं. ग 3 से ग 5 और ड. 9 व ड. 10 पर निहित सहायक कंपनियों में निवेशित ₹ 16,428.32 करोड़ की राशि को छोडकर।

9 ***परिशिष्ट 2.1*** की कं. सं. ड. 8 से ड. 11।

10 विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय तथा कार्यकारी सुधार हेतु ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लाई गई योजना ।

चार्ट 2.1: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में मध्य प्रदेश शासन का कुल निवेश

(₹ करोड में)

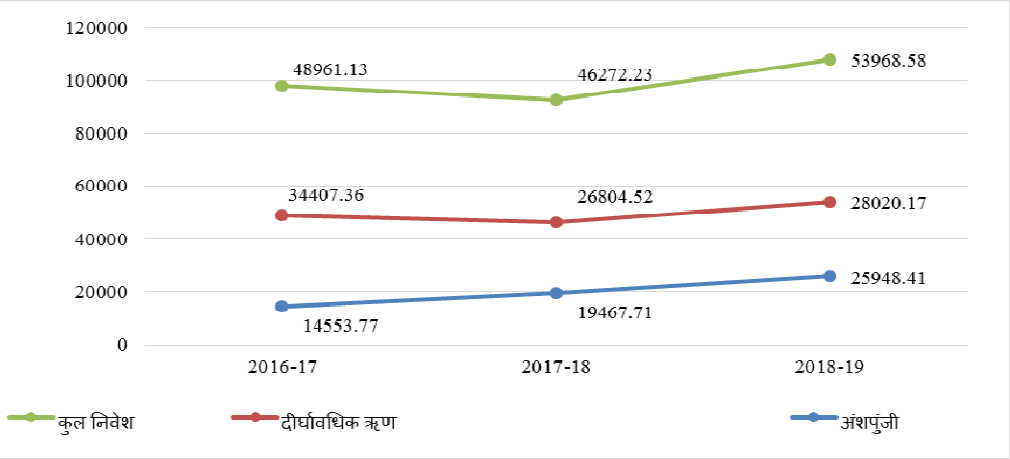

2.4 ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता

मध्य प्रदेश शासन (म.प्र.शा.) वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2019 को समाप्त होने वाले विगत तीन वर्षों की अवधि में ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को पूंजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, के रूप में दी गयी बजटीय सहायता का सारांश **तालिका 2.3** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.3: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता का विवरण

क्र. सं.	विवरण	2016–17		2017–18		2018–19	
		उपक्रमों की संख्या	राशि	उपक्रमों की संख्या[11]	राशि	उपक्रमों की संख्या	राशि
1	अंशपूंजी बहिर्गमन	6	196.93	3	4,913.94	5	1,754.89
2	प्रदत्त ऋण	6	3,201.44	3	217.12	3	174.72
3	प्रदत्त अनुदान/ सब्सिडी	3	6,273.12	4	9,648.21	2	11,730.32
4	**कुल बहिर्गमन (1+2+3)**	**6**	**9,671.49**	**4**	**14,779.27**	**5**	**13,659.93**
5	पूंजी में परिवर्तित ऋण	3	3,557.00	3	4,010.99	0	0
6	बकाया गारण्टी	6	10086.05	4	2,772.16	6	6,679.22
7	गारण्टी प्रतिबद्धता	6	17809.92	4	6,736.26	6	14,019.24

*(**स्रोत**: सार्वजनिक उपक्रमों के वार्षिक लेखों/कंपनी द्वारा प्रदत्त जानकारी)*

केंद्रीय विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के परिचालन और वित्तीय कायाकल्प के लिए नवंबर 2015 में उदय योजना शुरू की। उदय के प्रावधानों और डिस्कॉम द्वारा योजना के कार्यान्वयन की स्थिति पर इस अध्याय की **कंडिका 2.8** मे चर्चा की गई है।

2.4.1 गारण्टी फीस

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश शासन गारण्टी नियम (म.प्र.शा.गा.नि.), 2009 के तहत गारण्टी प्रदान करता है। शासन ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण के मामले में बिना किसी अपवाद के म.प्र.शा.गा.नि., 2009 के प्रावधानों के तहत आधा *प्रतिशत* से एक *प्रतिशत* प्रति वर्ष की दर से गारण्टी कमीशन वसूलने का निश्चय किया (फरवरी 2011)। बकाया गारण्टी प्रतिबद्धताएं वर्ष 2017–18 में ₹ 6,736.26 करोड़ से 108.17 *प्रतिशत* बढ़कर वर्ष 2018–19 के दौरान

[11] म.प्र. शासन द्वारा तीनों सहायक विद्युत वितरण कंपनियों को उनकी धारक कंपनी म.प्र.पा.मै.कं.लि. की ओर से सीधे अंशपूंजी निवेश प्रदान किया गया, जिसके बदले इन सहायक कंपनियों ने अपनी धारक कंपनी को अंशपत्र जारी किए इसलिए राज्य शासन द्वारा निवेश की गणना हेतु सहायक कंपनियों की ओर से केवल धारक कंपनी का ही संज्ञान लिया गया है। शेष एक ऊर्जा क्षेत्र का उपक्रम मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड है।

₹ 14,019.24 करोड़ रही। वर्ष 2018–19 के दौरान सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा ₹ 14.68 करोड़ गारण्टी कमीशन का भुगतान किया गया।

2.5 वित्त लेखों के साथ मिलान

राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के लेखों में इंगित अंशपूंजी, ऋण और गारण्टी से संबंधित आंकड़े मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखों में प्रदर्शित आंकड़ों से मिलने चाहिए। यदि आंकड़े मेल नहीं खाते, तो संबंधित सार्वजनिक उपक्रमों और वित्त विभाग को आंकड़ों में अंतर का मिलान करना चाहिए। इस संबंध में 31 मार्च 2019 की स्थिति **तालिका 2.4** में दी गई है:

तालिका 2.4: उपक्रमों के लेखों की तुलना में वित्त लेखों के अनुसार ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेशित अंशपूंजी, ऋण और गारण्टी की राशि

(₹ करोड़ में)

निवेश का प्रकार	उपक्रमों की संख्या	वित्त लेखों के अनुसार राशि	ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के अनुसार राशि	अंतर
क	ख	ग	घ	ङ=ग–घ
अंशपूंजी	04	30,884.76	25,948.41	4,936.35
ऋण	07	33,162.07	28,023.66	5,138.41
गारण्टी	06	6,675.28	6,679.23	– 3.95

*(**स्रोत**: सार्वजनिक उपक्रमों और वित्त लेखों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित)*

पिछले कई वर्षों से आंकड़ों के बीच अंतर बना हुआ है। अंतर के मिलान का मुद्दा समय–समय पर सार्वजनिक उपक्रमों/विभागों के साथ भी उठाया गया था। राज्य शासन और सरकारी उपक्रमों को समयबद्ध तरीके से अंतरों का मिलान करना चाहिए।

2.6 ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण

2.6.1 ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों की तैयारी में समयबद्धता

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96(1) के अनुसार उपक्रमों को उनके लेखे संबंधित वर्ष के समाप्त होने के छः माह के अन्दर अंतिमीकरण कर लेना चाहिए अर्थात् सितम्बर के अन्त तक। ऐसा करने में विफलता कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 99 के तहत दण्डात्मक प्रावधानों की ओर आकर्षित करती है। निम्न तालिका 31 दिसम्बर 2019 तक ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उनके लेखो को अंतिम रूप देने में की गई प्रगति का विवरण प्रदान करती है।

तालिका 2.5: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

क्रम सं	विवरण	2016–17	2017–18	2018–19
1.	उपक्रमों की संख्या	11	11	11
2.	वर्तमान वर्ष में प्रस्तुत लेखों की संख्या	08	13	12
3.	वर्तमान वर्ष के लेखे अंतिमीकृत करने वाले उपक्रमों की संख्या (2018–19)	05	07	09
4.	वर्तमान वर्ष में अंतिमीकृत पिछले वर्षों के लेखों की संख्या	03	06	03
5.	बकाया लेखों वाले उपक्रमों की संख्या	06	04	02
6.	बकाया लेखों की संख्या	06	04	02[12]
7.	बकाया अवधि	एक वर्ष	एक वर्ष	एक वर्ष

*(**स्रोत**: 31 दिसंबर 2019 तक प्राप्त उपक्रमों के लेखों के आधार पर संकलित)*

मध्य प्रदेश सरकार का ऊर्जा विभाग, ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के प्रशासनिक विभाग के रूप में, इन संस्थाओं की गतिविधियों की देखरेख करने की जिम्मेदारी रखता है। अतः, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा लेखों को अंतिम रूप दिया जाए और निर्धारित समयावधि के भीतर उनके संबंधित निदेशक मंडलों द्वारा अपनाया जाए।

[12] म.प्र.ऊ.वि.नि.लि. का तथा दा.धू.ख.पा.प्रो.लि. के एक–एक लेखें, (दा.धू.ख.पा.प्रो.लि. के वित्त वर्ष 2016–17 तक के लेखें प्राप्त हुए हैं यद्यपि, इस उपक्रम के 15.11.2017 से ही परिसमापनाधीन होने के कारण केवल 2017–18 के लेखे को ही बकाया मे दर्शाया गया है)।

2.6.2 लेखे अंतिमीकृत न किए जाने के परिणाम

लेखों के अंतिमिकरण में देरी के फलस्वरूप, संबन्धित वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के साथ ही गबन एवं जन धन के अनभिज्ञ रिसाव का खतरा भी बना रहता है। अतः यह अनुशंसा की जाती है कि राज्य सरकार लेखों के अंतिमिकरण में विद्यमान बकाया के समापन हेतु त्वरित आवश्यक कदम उठाए।

2.7 ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रदर्शन

ऊर्जा क्षेत्र के 11 उपक्रमों के 31 दिसंबर 2019 को नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के अनुसार वित्तीय स्थिति और कार्य परिणाम ***परिशिष्ट 2.1*** में वर्णित हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से अपेक्षा की जाती है कि वे उपक्रमों में शासन द्वारा किए गए निवेश पर उचित लाभ अर्जित करेंगे। एक कंपनी की लाभप्रदता का आंकलन पारंपरिक रूप से निवेश पर प्रतिफल, अंशपूंजी पर प्रतिफल और निवेशित पूंजी पर प्रतिफल के माध्यम से किया जाता है। निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर कुल निवेश के वर्तमान मूल्य (पीवी) के लिए लाभ या हानि का प्रतिशत है। वास्तविक प्रतिफल की दर लाभप्रदता और दक्षता को मापती है जिसके साथ उन्हें उनके समय मूल्य के लिए समायोजित करने के बाद अंशपूंजी और इसी तरह के गैर–ब्याज आधारित पूंजी को नियोजित किया गया है। इस गणना का महत्व बढ़ जाता है जब इसकी तुलना पारंपरिक प्रतिफल की दर जिसकी गणना, कर पश्चात लाभ को कुल निवेश की ऐतिहासिक लागत से विभाजित करके निकली जाती है, से की जाती है। इस उद्देश्य के लिए निवेश में अंशपूंजी और ब्याज मुक्त ऋण शामिल थे। नियोजित पूंजी पर प्रतिफल एक वित्तीय अनुपात है जो कंपनी की लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है जिसके साथ इसकी पूंजी का उपयोग किया जाता है और इसकी गणना कंपनी के कर और ब्याज़ पूर्व लाभ को नियोजित पूंजी द्वारा विभाजित करके की जाती है। पूंजी पर प्रतिफल प्रदर्शन को मापने का एक पैमाना है जिसकी गणना कर पश्चात शुद्ध लाभ को अंशधारकों की पूंजी से विभाजित कर दी जाती है।

2.7.1 निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर

निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर कुल निवेश पर लाभ या हानि का *प्रतिशत* है। ऊर्जा क्षेत्र के सभी उपक्रमों द्वारा 2016–17 से 2018–19 के दौरान अर्जित लाभ/वहन हानि[13] की समग्र स्थिति **चार्ट 2.2** में दर्शायी गयी है:

चार्ट 2.2: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वहन हानि

(₹ करोड़ में)

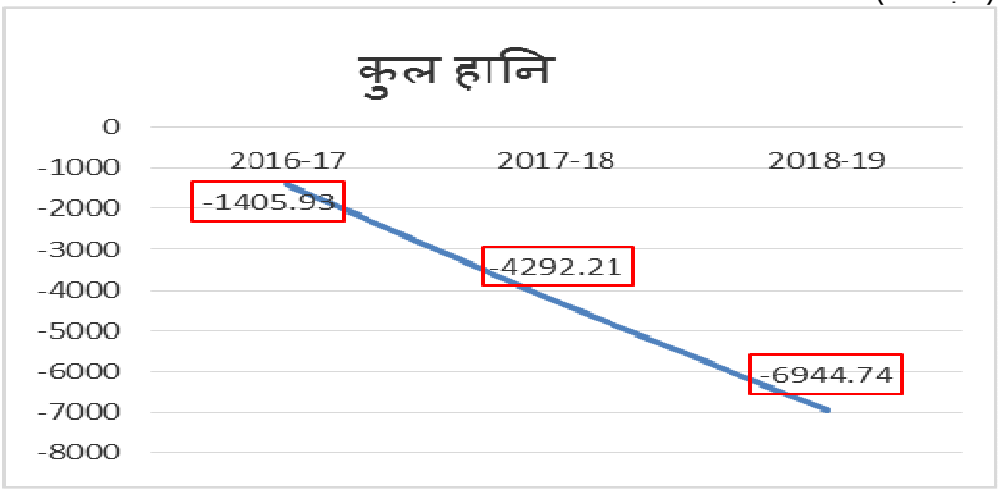

इन ऊर्जा क्षेत्र के 11 सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा 2016–17 की ₹ 1,405.93 करोड़ की हानि के विरुद्ध 2018–19 में ₹ 6,944.74 करोड़ हानि वहन की गयी। इस प्रतिवेदन में शामिल सार्वजनिक क्षेत्र के सात उपक्रमों के नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के अनुसार दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (म.प्र.पॉ.ज.कं.लि. और

[13] संबंधित वर्ष में नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के अनुसार आंकड़े।

म.प्र.पॉ.ट्रां.कं.लि.) ने ₹ 216.73 करोड़ लाभ अर्जित किया, तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि., म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि. और म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि.) ने ₹ 7,158.48 करोड़ हानि वहन की और दो[14] सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कोई लाभ/हानि नहीं हुआ (***परिशिष्ट 2.1***)। इस प्रतिवेदन मे शामिल नहीं किए गए चार सार्वजनिक उपक्रमों में से केवल एक उपक्रम यानी बा.थ.पा.कं.लि. ने ₹ 0.07 करोड़ का मामूली लाभ अर्जित किया।

कुल ₹ 216.73 करोड़ के लाभ में से, म.प्र.पा.ज.कं.लि. ने अकेले ₹ 171.50 करोड़ का लाभ अर्जित किया, जो लाभ कमाने वाले उपक्रमों के कुल मुनाफे का 79.13 *प्रतिशत* था, जबकि म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. (₹ 3,837.52 करोड़) और म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. (₹ 2,896.68 करोड़) ने ₹ 7,158.48 करोड़ के कुल नुकसान में बड़ा (94.10 *प्रतिशत*) योगदान दिया।

2016–17 से 2018–19 के दौरान लाभ अर्जित/हानि वहन करने वाले ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या **तालिका 2.6** में दी गयी है:

तालिका 2.6: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रम जिन्होंने लाभ अर्जित/ हानि वहन की

वित्तीय वर्ष	कुल उपक्रम की संख्या	वर्ष के दौरान लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों की संख्या	वर्ष के दौरान हानि वहन करने वाले उपक्रमों की संख्या	वर्ष के दौरान लाभ/ हानि दर्ज न करने वाले उपक्रमों की संख्या
2016–17	11	2	5	4
2017–18	11	3	3	5
2018–19	11	3	4	4

2.7.1.1 निवेश के ऐतिहासिक मूल्य के आधार पर वास्तविक प्रतिफल की दर

राज्य के 11 ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में से राज्य सरकार ने केवल आठ उपक्रमों में अंशपूंजी, दीर्घकालिक ऋण और अनुदान/सब्सिडी के रूप में धन का निवेश किया। राज्य सरकार ने 2018–19 तक अन्य तीन ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों में कोई प्रत्यक्ष धन नहीं डाला (शाहपुरा थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड, श्री सिंगाजी पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड और दादा धुनी वाले खंडवा पावर लिमिटेड)। उन तीन कंपनियों की पूरी अंशपूंजी जो दो ऊर्जा क्षेत्र कंपनियों[15] की सहायक हैं, संबंधित होल्डिंग कंपनियों द्वारा ही दी गयी थी।

आठ सार्वजनिक उपक्रमों से निवेश पर प्रतिफल (आर.ओ.आई.) की गणना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों में अंशपूंजी और ऋण के रूप में किए गए निवेश पर की गई है। ऋण के मामले में, केवल दीर्घकालिक ऋण को निवेश माना जाता है। इसके अलावा, अनुदान/सब्सिडी के रूप में उपलब्ध धनराशि को निवेश के रूप में नहीं लिया गया है क्योंकि वे निवेश के रूप में माना जाने योग्य नहीं हैं। 2016–17 और 2017–18 के दौरान उदय योजना के तहत बिजली क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों को दिया गया अनुदान निवेश माना गया है क्योंकि यह अनुदान बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋण हस्तांतरित करने के लिए म.प्र. शासन द्वारा दिया गया था।

इन आठ ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में प्रत्येक वर्ष के लिए राज्य सरकार के निवेश की गणना अंशपूंजी (संचित घाटे के उपरांत शेष प्रारंभिक अंशपूंजी और बाद के वर्षों में निवेशित अंशपूंजी), दीर्घकालिक ऋण को जोड़ने और लंबी अवधि के ऋण जो बाद में परिवर्तित हो गए थे, उन्हे घटाकर की गयी है।

इन आठ ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में 31 मार्च 2019 को राज्य सरकार का निवेश ₹ 53,968.58 करोड़ था, जिसमे ₹ 25,948.41 करोड़ की अंशपूंजी और ₹ 28,020.17 करोड़ के दीर्घकालिक ऋण शामिल हैं, जैसा कि ***परिशिष्ट 2.2*** में वर्णित है।

2016–17 से 2018–19 की अवधि के लिए ऐतिहासिक लागत के आधार पर निवेश पर प्रतिफल निम्नानुसार है:

---

[14] म.प्र.पा.मै.कं.लि. के शुद्ध खर्चे उसकी सहायक कंपनियों, जिनकी ओर से वह कार्य करती है, में वितरित कर दिये जाते है। म.प्र.ऊ.वि.नि.लि. की व्यापारिक हानि सरकार को हस्तांतरित कर दी जाती है।

[15] म.प्र.पा.ज.कं.लि. और म.प्र.पा.मै.कं.लि.।

तालिका 2.7: ऐतिहासिक लागत के आधार पर राज्य सरकार के निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर

वित्त वर्ष	ऐतिहासिक लागत के आधार पर अंशपूंजी और ऋण के रूप में म. प्र. शासन द्वारा प्राप्त धन (₹ करोड़ में)	कुल लाभ/ हानि[16] (₹ करोड़ में)	निवेश पर प्रतिफल (*प्रतिशत* में)
2016–17	48,961.13	–1,405.93	–2.87
2017–18	46,272.23	–4,292.21	–9.28
2018–19	53,968.58	–6,944.74	–12.87

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के निवेश पर प्रतिफल 2016–17 में (–)2.87 *प्रतिशत* से 2018–19 के दौरान (–)12.87 *प्रतिशत* के मध्य रहा। तीन विद्युत वितरण कंपनियों की आय में मुख्य रूप से उदय योजना के तहत प्राप्त अनुदान फलस्वरूप हुई वृद्धि के कारण 2016–17 के दौरान हानि अपेक्षाकृत कम दिखाई दे रही है। इसके अलावा, 2017–18 के दौरान म. प्र. शासन की निधि में कमी सभी तीन विद्युत वितरण कंपनियों और म.प्र.पा.ट्रा.कं.लि. के ऋण में कमी के कारण रही।

2.7.1.2 निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर वास्तविक प्रतिफल की दर

आठ सार्वजनिक उपक्रमों में शासन द्वारा महत्वपूर्ण निवेश के मद्देनजर, राज्य शासन के दृष्टिकोण से इस तरह के निवेश पर प्रतिफल अत्यावश्यक है। केवल निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल की पारंपरिक गणना निवेश पर प्रतिफल की पर्याप्तता का सही संकेतक नहीं हो सकता है क्योंकि ऐसी गणना धन के वर्तमान मूल्य की अनदेखी करती है। अतः, धन के वर्तमान मूल्य के आधार पर निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर की गणना भी की गयी है। म.प्र.रा.वि.मं. के विघटन (2000–01) के पश्चात् इन कंपनियों की बैलेंस शीट को अंतिम रूप देने के बाद से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के दौरान राज्य शासन के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना, वहाँ की गयी है जहां राज्य शासन द्वारा अंशपूंजी, दीर्घावधि ऋण और पूंजीगत अनुदान के रूप में धन का निवेश किया है।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य शासन के निवेश के वर्तमान मूल्य (पी.वी.) की गणना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई है:

- राज्य शासन द्वारा प्रदत्त दीर्घावधि ऋण और पूंजीगत अनुदान को निवेश के रूप में माना जाता है।
- उन मामलों में जहां उपक्रमों को दिए गए ब्याज मुक्त ऋण को बाद में अंशपूंजी में बदल दिया गया था, ऋण की राशि को ब्याज मुक्त ऋण की राशि से घटाकर उस वर्ष की अंशपूंजी में जोड़ दिया गया है।
- उदय योजना के तहत दिए गए अनुदान को निवेश के रूप में मान्य किया गया है।
- वर्तमान मूल्य की गणना के लिए छूट दर के रूप में संबंधित वित्तीय वर्ष[17] के लिए शासन के ऋणों की औसत ब्याज दर को अपनाया गया था क्योंकि वह इस वर्ष के लिए धन के निवेश के लिए शासन द्वारा वहन लागत का प्रतिनिधित्व करती है।

2016–17 से 2018–19 की अवधि के लिए दो सार्वजनिक उपक्रमों[18] ने न हानि और न लाभ के आधार पर अपने लेखे तैयार किए, दो उपक्रम[19] लगातार लाभ कमा रहे हैं, जबकि तीन उपक्रमों[20] को घाटा हुआ है (2016–17 में म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. को लाभ हुआ)। शेष चार सार्वजनिक उपक्रमों (एक परिसमापनाधीन) ने 2018–19 तक वाणिज्यिक परिचालन शुरू नहीं किया है।

---

16 संबंधित वर्षों के नवीनतम लेखों के अनुसार।

17 सरकारी ऋणों पर औसत ब्याज दर, संबन्धित वर्ष के भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के राज्य वित्त (मध्य प्रदेश शासन) पर प्रतिवेदन से लिया गया है, जहां पर ब्याज भुगतान की औसत दर = ब्याज भुगतान/[(विगत वर्ष की राजकीय देनदारियाँ + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देनदारियाँ)/2]*100।

18 म.प्र.पा.मै.कं.लि. और म.प्र.उ.वि.नि.लि.।

19 म.प्र.पा.जं.कं.लि. और म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि.।

20 म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.।

इन कंपनियों की स्थापना से लेकर 31 मार्च 2019 तक अंशपूंजी, ऋण और पूंजीगत अनुदान के रूप में ऊर्जा क्षेत्र के आठ उपक्रमों[21] में राज्य शासन के निवेश की स्थिति तथा 2000–01 से 31 मार्च 2019 तक राज्य शासन के निवेश के वर्तमान मूल्य की समेकित स्थिति **तालिका 2.8** में दर्शाई गई है:

तालिका 2.8: राज्य शासन द्वारा 2000–01 से 2018–19 तक किए गए निवेश एवं उसके वर्तमान मूल्य का वर्ष वार विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	राज्य शासन द्वारा वर्तमान वर्ष में निवेशित अंशपूंजी	राज्य शासन द्वारा वर्तमान वर्ष में निवेशित ऋण और पूंजीगत अनुदान	वर्ष के दौरान कुल निवेश	शासन के ऋणों पर औसत ब्याज दर (*प्रतिशत* में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	निवेशित राशि की लागत वसूलने के लिए वर्ष में अपेक्षित न्यूनतम प्रतिफल	वर्ष के दौरान कुल लाभ[22]
i	**ii**	**iii**	**iv**	**v=iii+iv**	**vi**	**vii=ii+v**	**viii={vii*(1 +vi)/100}**	**ix={vii*vi/ 100}**	**x**
2000–01	2544.08	–478.85	97.52	–381.33	9.94	2162.75	2377.73	214.98	–1374.03
2001–02	2377.73	0.00	191.68	191.68	9.19	2569.41	2805.54	236.13	–1477.23
2002–03	2805.54	–61.53	–1874.87	–1936.40	8.81	869.14	945.71	76.57	–1476.97
2003–04	945.71	0.25	0.00	0.25	9.41	945.96	1034.97	89.01	–157.50
2004–05	1034.97	0.00	682.04	682.04	8.96	1717.01	1870.86	153.84	148.36
2005–06	1870.86	3949.23	3763.30	7712.53	7.33	9583.39	10285.85	702.46	1241.50
2006–07	10285.85	162.75	198.01	360.76	7.86	10646.61	11483.43	836.82	554.84
2007–08	11483.43	774.11	–3739.92	–2965.81	7.72	8517.62	9175.18	657.56	–1729.70
2008–09	9175.18	2048.89	1139.66	3188.55	7.24	12363.73	13258.87	895.13	–3218.73
2009–10	13258.87	2659.40	1515.05	4174.45	6.94	17433.32	18643.19	1209.87	–3616.38
2010–11	18643.19	–114.24	1281.62	1167.38	7.07	19810.57	21211.17	1400.61	–2147.35
2011–12	21211.17	1017.28	5029.04	6046.32	6.91	27257.49	29140.99	1883.49	–2469.05
2012–13	29140.99	953.84	6613.06	7566.90	6.75	36707.89	39185.67	2477.78	–4280.84
2013–14	39185.67	893.44	3743.04	4636.48	6.69	43822.15	46753.85	2931.70	–6197.61
2014–15	46753.85	1204.35	9338.05	10542.40	6.73	57296.25	61152.29	3856.04	–6588.09
2015–16	61152.29	637.23	2325.81	2963.04	6.86	64115.33	68513.64	4398.31	–4994.09
2016–17	68513.64	196.93	3260.89	3457.82	6.72	71971.46	76807.94	4836.48	–5546.12
2017–18	76807.94	4913.94	–7599.35	–2685.41	6.67	74122.53	79066.51	4943.97	–4289.15
2018–19	79066.51	1754.90	692.02	2446.92	6.92	81513.42	87154.15	5640.73	–6941.75
योग		**20,511.92**	**26,656.65**	**47,168.57**					

राज्य शासन द्वारा अंशपूंजी (₹ 20,511.92 करोड़), ऋण और पूंजीगत अनुदान (₹ 26,656.64 करोड़) में किए गए निवेश के कारण आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य शासन के निवेश की राशि वर्ष 2000–01 में ₹ 2,544.08 करोड़ से बढ़कर 2018–19 के अंत में ₹ 49,712.64 करोड़ हो गयी।

31 मार्च 2019 को निवेश का वर्तमान मूल्य ₹ 87,154.15 करोड़ होता है।

[21] निवेश के पीवी की गणना उन आठ सार्वजनिक उपक्रमों के सबंध में की गई है, जहाँ के केवल अंशपूंजी, ऋण और अनुदान के रूप में म.प्र. शासन की निधि का उपयोग किया जाता है। शेष तीन उपक्रमों के संबंध में, जैसा कि कोई परिचालन आय नहीं है, उस पर विचार नहीं किया गया है।

[22] वर्ष के लिए कुल आय उन ऊर्जा क्षेत्र के उन सार्वजनिक उपक्रमों जहॉ राज्य शासन द्वारा निधि का निवेश किया गया, के संबंधित वर्ष के लिए शुद्ध आय (लाभ/हानि) के योग को दर्शाती है।

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2000–01 से 2018–19 के दौरान (वर्ष 2004–05 से 2006–07 छोड़कर) इन कंपनियों की कुल आय नकारात्मक रही। अतः, यह कंपनियाँ शासन की निधियों की लागत भी वसूल नहीं कर सकी। प्रतिवेदित वर्ष 2018–19 में इन कंपनियों ने सर्वोच्च ₹ 6,941.75 करोड़ की हानि वहन की।

इसके अलावा, शासन ने तीन विद्युत वितरण कंपनियों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण चुकाने के लिए 2016–17 में ₹ 7,568.00 करोड़, 2017–18 में ₹ 4,621.99 करोड़ और 2018–19 में ₹ 500.00 करोड उदय योजना के तहत अंशपूंजी/अनुदान के रूप में दिया है। इस अनुदान को राज्य शासन का निवेश मानते हुए निवेश पर प्रतिफल की गणना की गई है।

2.7.2 निवल मूल्य का क्षरण

निवल मूल्य का अर्थ है प्रदत्त पूंजी और मुक्त भंडार और अधिशेष के योग में से संचित हानि और आस्थगित राजस्व व्यय घटाने के बाद शेष राशि। वास्तव में यह स्वामियों के लिए किसी प्रतिष्ठान के मूल्य का एक पैमाना है। नकारात्मक निवल मूल्य बताता है कि संचित हानियों और आस्थगित राजस्व व्यय ने स्वामियों द्वारा किये गए पूरे निवेश को समाप्त कर दिया है।

31 मार्च 2019 को सात कार्यशील उपक्रमों में से पाँच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल संचित हानि ₹ 54,278.10 करोड़ थी। तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वर्ष 2018–19 में ₹ 7,158.48 करोड़ की हानि हुई और दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वर्ष 2018–19 में हानि नहीं हुई जबकि उनकी संचित हानि ₹ 3,217.12 करोड़ थी।

इस प्रतिवेदन में शामिल सात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से तीन की निवल मूल्य का उनकी संचित हानि के कारण पूरी तरह से क्षरण हो गया था और उनकी निवल मूल्य नकारात्मक थी। 31 मार्च 2019 को इन तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ₹ 17,715.31 करोड़ पूंजी निवेश के विरुद्ध इनकी निवल मूल्य (–) ₹ 33,345.67 करोड़ थी (***परिशिष्ट 2.1***)।

जिन तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पूंजी का क्षरण हो गया था, उन पर 31 मार्च 2019 को शासन का ₹ 25,726.88 करोड़ राशि का ऋण बकाया था।

इस प्रतिवेदन में शामिल नहीं किए गए चार सार्वजनिक उपक्रमों में से केवल एक सार्वजनिक उपक्रम यानि बा.थ.पॉ.क.लि. का निवल मूल्य समाप्त हो गया था।

तालिका 2.9 ऊर्जा क्षेत्र के जिन तीन सार्वजनिक उपक्रमों का निवल मूल्य 2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान समाप्त हो गया है, उनकी प्रदत्त पूंजी, संचित लाभ/ हानि और निवल मूल्य दर्शाती है:

तालिका 2.9: 2016–17 से 2018–19 मे हानि वहन करने वाली ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपक्रमों की संख्या	वर्ष के अंत में प्रदत्त पूंजी	वर्ष के अंत में संचित लाभ/ हानि	आस्थगित राजस्व व्यय	निवल मूल्य
2016–17	3	9,973.21	–37,131.92	–	–27,158.71
2017–18	3	14,040.00	–42,032.03	–	–27,992.03
2018–19	3	17,715.31	–51,060.98	–	–33,345.67

2.7.3 लाभांश भुगतान

राज्य शासन ने (जुलाई 2005) एक लाभांश नीति तैयार की थी जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लाभ कमाने वाले उपक्रमों को कर पश्चात लाभ पर न्यूनतम 20 *प्रतिशत* का लाभांश भुगतान करना आवश्यक है। उनकी नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के अनुसार, ऊर्जा क्षेत्र के 11 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, में से तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 216.80 करोड़ समग्र लाभ अर्जित किया लेकिन उनमें से किसी ने भी लाभांश की घोषणा नहीं की। सार्वजनिक उपक्रम, जिनमें मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस अवधि में अंशपूंजी निवेश किया गया था, से संबंधित लाभांश भुगतान का ब्यौरा **तालिका 2.10** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.10: 2016–17 से 2018–19 के दौरान लाभांश भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सरकारी उपक्रम जिनमें म.प्र.शासन द्वारा पूंजी निवेश की गयी		सरकारी उपक्रम जिन्होनें वर्ष के दौरान लाभ अर्जित किया		उपक्रम जिनहोने वर्ष के दौरान लाभांश घोषित/वितरित किया		लाभांश भुगतान अनुपात (*प्रतिशत*)
	उपक्रमों की संख्या	म.प्र.शा. द्वारा निवेशित पूंजी	उपक्रमों की संख्या	म.प्र.शासन द्वारा निवेशित पूंजी	उपक्रमों की संख्या	उपक्रमों द्वारा प्रदत्त/ आश्वासित लाभांश	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)=(vii/v)*100
2016–17	8	196.93	2	445.45	0	0	0
2017–18	8	4,913.94	3	2,655.70	0	0	0
2018–19	5	1,754.90	2	159.28	0	0	0

(***स्रोत:*** *उपक्रमों द्वारा प्रस्तुत लेखे और सूचना)*

2016–17 से 2018–19 के दौरान, लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों की संख्या दो और तीन के बीच थी, यद्यपि, जिसमें से किसी भी उपक्रम ने मध्य प्रदेश शासन को लाभांश भुगतान/घोषित नहीं किया। बल्कि, इनमें से किसी भी कंपनी ने शुरूआत से ही लाभांश भुगतान/घोषित नहीं किया।

2.7.4 अंशपूंजी पर प्रतिफल

पूंजी पर प्रतिफल[23] (आर.ओ.ई.) वित्तीय प्रदर्शन का एक पैमाना है जिससे यह आंकलन किया जाता है की प्रबंधन कितने प्रभावी ढंग से कंपनी की संपत्ति का इस्तेमाल मुनाफा कमाने के लिए कर रहा है और इसकी गणना शुद्ध आय (अर्थात कर पश्चात शुद्ध लाभ) को अंशधारकों की निधि से विभाजित करके की जाती है। इसे *प्रतिशत* के रूप में व्यक्त किया जाता है और किसी भी कंपनी के लिए गणना की जा सकती है यदि शुद्ध आय और अंशधारकों की निधि की संख्या सकारात्मक है।

कंपनी के अंशधारकों की निधि की गणना भुगतान की गई पूंजी और मुक्त भंडार के संचित घाटे और आस्थगित राजस्व व्यय को जोड़कर की जाती है और यह बताता है कि यदि सभी संपत्ति बेची गई और सभी ऋण चुका दिए गए तो कंपनी के हितधारकों के लिए कितना बचेगा। एक सकारात्मक अंशधारकों की निधि से पता चलता है कि कंपनी के पास अपनी देनदारियों को चुकाने के लिए पर्याप्त संपत्ति है, जबकि नकारात्मक अंशधारकों की निधि का मतलब है कि देनदारियां परिसंपत्तियों से अधिक हैं।

पूंजी पर प्रतिफल की गणना, इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किए गए ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों जिनमें राज्य शासन द्वारा धन का निवेश किया गया था, के संबंध में की गई है। 2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान अंशधारक निधि और पूंजी पर प्रतिफल का विवरण **तालिका 2.11** में दिया गया है:

तालिका 2.11: ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों की अंशधारक निधि और पूंजी पर प्रतिफल

	वर्ष	उपक्रमों की संख्या	वर्ष के लिए शुद्ध आय/कुल आय[24] (₹ करोड़ों में)	अंशधारक निधि (₹ करोड़ में)	पूंजी पर प्रतिफल (*प्रतिशत* में)
लाभ अर्जित करने वाले	2016–17	3	617.17	–908.18	–
	2017–18	2	65.21	6043.89	1.08
	2018–19	2	216.73	6,387.52	3.39
हानि वहन करने वाले	2016–17	2	–2,020.87	–20,863.33	–
	2017–18	3	–5,277.38	–27,413.62	–
	2018–19	2	–7,158.48	–33,345.67	–
न लाभ न हानि	2016–17	2	–	6,074.81	–
	2017–18	3	–	10,412.76	–
	2018–19	2	–	100.21	–
योग	**2016–17**	**7**	**–1,403.70**	**–15,696.70**	**–**
	2017–18	**7**	**–5,212.17**	**–10,956.97**	**–**
	2018–19	**7**	**–6,941.75**	**–26,857.94**	**–**

(***स्रोत:*** *उपक्रमों द्वारा प्रस्तुत लेखे और सूचना)*

[23] अंशपूंजी पर प्रतिफल = (कर और वरियता लाभांश पश्चात शुद्ध लाभ/अंशपूंजी + ऋण)*100, जहॉ अंशपूंजी = प्रदत्त पूँजी + मुक्त भंडार–संचित हानि–आस्थगित राजस्व व्यय।

[24] संबंधित वर्षों के नवीनतम लेखो के अनुसार।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, मार्च 2019 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के दौरान अंशधारक निधि और शुद्ध आय दोनों नकारात्मक थीं। घाटे में चल रहे म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. को शामिल करने के कारण लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों की अंशधारक निधि भी नकारात्मक दिखाई दे रही है। 2016–17 के दौरान, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने मुख्य रूप से उदय योजना के तहत प्राप्त अनुदान के कारण लाभ दर्ज किया। नकारात्मक अंशधारक निधि यह दर्शाती है कि ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों की देनदारियां परिसंपत्तियों से अधिक हो गई हैं और उपक्रमों द्वारा शेयरधारकों को देय प्रतिफल के बजाय, शेयरधारकों द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के कार्यशील सार्वजनिक उपक्रमों के लेनदारों को पैसा देय है।

2.7.5 नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (आर.ओ.सी.ई.) एक अनुपात है जो किसी कंपनी की दीर्घकालिक लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है जिसके साथ उसकी पूंजी कार्यरत है। आर.ओ.सी.ई. लंबी अवधि के ऋणदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय कसौटी है।

आर.ओ.सी.ई. की गणना एक कंपनी की ब्याज और कर पूर्व आय (ई.बी.आई.टी.) को नियोजित पूंजी[25] द्वारा विभाजित करके की जाती है। इस प्रतिवेदन में शामिल सात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 2016–17 से 2018–19 की अवधि के आर.ओ.सी.ई. का विवरण **तालिका 2.12** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.12: ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक उपकमों के नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

	वर्ष	उपक्रमों की संख्या	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)	आर.ओ.सी.ई. (*प्रतिशत* में)
लाभ अर्जित करने वाले	2016–17	3	2,442.92	11,667.34	20.94
	2017–18	2	3,873.51	20,084.62	19.29
	2018–19	2	1,812.80	21,359.28	8.49
हानि वहन करने वाले	2016–17	2	–961.51	2,578.35	–
	2017–18	3	888.64	2,955.20	30.07
	2018–19	2	–3,968.14	1,791.60	–
न लाभ न हानि	2016–17	2	196.11	6,577.97	2.98
	2017–18	3	303.93	10,738.84	2.83
	2018–19	2	154.88	119.20	129.93
योग	**2016–17**	**7**	**1,677.52**	**20,823.66**	**8.06**
	2017–18	**7**	**5,066.08**	**33,778.66**	**15.00**
	2018–19	**7**	**5,935.82**	**23,270.08**	**25.51**

*(**स्रोत**: उपक्रमों द्वारा प्रस्तुत लेखे और सूचना)*

2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नियोजित पूंजी पर प्रतिफल 8.06 *प्रतिशत* और 25.51 *प्रतिशत* के मध्य रहा। ईबीआईटी और नियोजित पूंजी मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण सकारात्मक दिखाई देते हैं कि सभी पावर सेक्टर उपक्रम भारी कर्ज से ग्रस्त हैं और वित्त लागत उनके खर्च का एक बड़ा हिस्सा है। नतीजतन, आर.ओ.सी.ई. सकारात्मक दिखाई देती है, हालांकि पिछली कंडिका में चर्चा के अनुसार ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम भारी घाटे में चल रहे हैं।

2.7.6 कंपनियों के दीर्घावधि ऋण का विश्लेषण

शासन, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थान से लिए गए ऋण की अदायगी की कंपनियों की क्षमता का आंकलन ब्याज व्याप्ति अनुपात और ऋण टर्नओवर अनुपात (डीटीआर) के माध्यम से किया गया है।

2.7.7 ब्याज व्याप्ति अनुपात

ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग किसी कंपनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता निर्धारित करने के लिए किया जाता है और इसकी गणना ब्याज और करों से पहले कंपनी की आय

[25] नियोजित पूंजी = प्रदत्त पूंजी + मुक्त भंडार और अधिशेष + दीर्घावधि ऋण – संचित हानि – आस्थगित राजस्व व्यय। आंकडें सार्वजनिक उपक्रमों के नवीनतम वर्ष के अंतिमीकृत लेखों के अनुसार हैं।

(ई.बी.आई.टी.) को उसी अवधि के ब्याज खर्चों से विभाजित करके की जाती है। जितना कम अनुपात, उतनी ही कंपनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की कम क्षमता। एक से कम ब्याज व्याप्ति अनुपात से संकेत मिलता है कि कंपनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर पा रही है। इस प्रतिवेदन में शामिल कंपनियां जिनके ऋण बकाया हैं उनके ब्याज व्याप्ति अनुपात का 2016–17 से 2018–19 की अवधि का विवरण **तालिका 2.13** में दिया गया है:

तालिका 2.13: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के ब्याज व्याप्ति अनुपात का विवरण

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ मे)	ब्याज और कर पूर्व आय (ई.बी.आई.टी) (₹ करोड़ मे)	ब्याज व्याप्ति अनुपात	सरकार, बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थानो के प्रति ऋण के दायित्व वाले उपक्रमों की संख्या	ब्याज व्याप्ति अनुपात 1 से अधिक वाली कंपनियों की संख्या	ब्याज व्याप्ति अनुपात 1 से कम वाली कंपनियों की संख्या
2016–17	3,441.12	1,577.81	0.46:1	7	3	4
2017–18	4,307.36	–468.30	–0.11:1	7	3	4
2018–19	4,748.77	–2,000.46	–0.42:1	6	3	3

*(**स्रोत**: उपक्रमों द्वारा प्रस्तुत लेखे और सूचना)*

यह देखा गया कि 2016–17 से 2018–19 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का समुचित ब्याज व्याप्ति अनुपात (–) 0.42:1 से 0.46:1 के मध्य रहा। उदय के तहत प्राप्त अनुदान के कारण वितरण कंपनियों द्वारा अर्जित आय के कारण वर्ष 2016–17 के दौरान ब्याज व्याप्ति अनुपात विपरीत दिखाई दिया। 2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान एक से अधिक ब्याज व्याप्ति अनुपात वाली कंपनियों की संख्या यथावत थी।

2.7.8 ऋण–टर्नओवर अनुपात

पिछले तीन वर्षों के दौरान, 11 सार्वजनिक उपक्रमों के कारोबार में 6.55 *प्रतिशत* की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई और ऋण की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि (–)0.31 *प्रतिशत* रही, जिसके कारण ऋण–टर्नओवर अनुपात 2016–17 में 0.78 से बढ़कर 2018–19 मे 0.65 हो गया, जैसा नीचे दी गई **तालिका 2.14** में दिया गया है:

तालिका 2.14: ऊर्जा क्षेत्र के उपकमों का ऋण–टर्नओवर अनुपात

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016–17	2017–18	2018–19
शासन व अन्य (बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाएं) से ऋण	50,609.58	44,345.07	50,136.35
टर्नओवर	64,162.93	66,043.29	77,617.28
ऋण–टर्नओवर अनुपात	0.78:1	0.67:1	0.65:1

*(**स्रोत**: उपक्रमों द्वारा प्रस्तुत लेखे और सूचना)*

2.8 उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के तहत सहायता

भारत सरकार (भा. स.) ने राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के परिचालन और वित्तीय बदलाव के लिए 20 नवंबर 2015 को उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय योजना) का शुभारंभ किया। उदय योजना के प्रावधानों के अनुसार, भाग लेने वाले राज्यों को विद्युत वितरण कंपनियों के परिचालन और वित्तीय परिवर्तनों के लिए निम्नलिखित उपाय करने थे:

2.8.1 परिचालन दक्षता में सुधार के लिए योजना

भाग लेने वाले राज्यों को परिचालन क्षमता में सुधार के लिए विभिन्न लक्षित कार्यों को करने की आवश्यकता थी, जैसे, फीडर और वितरण ट्रान्स्फ़ोर्मर (डी.टी.) का अनिवार्य मीटरीकरण, उपभोक्ता अनुक्रमण और वितरण हानियों की जी.आई.एस. मैपिंग, ट्रांसफार्मर या मीटरों का उन्नयन करना या बदलना, 200 यूनिट प्रति माह से अधिक उपभोग करने वाले सभी उपभोक्ताओं की स्मार्ट मीटरिंग, ऊर्जा दक्ष उपकरणों के माध्यम से डिमांड साइड मैनेजमेंट (डी.एस.एम.), ऊर्जा टैरिफ का तिमाही संशोधन, बिजली की चोरी को कम करने के लिए व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार (आई.ई.सी.) अभियान चलाना, उन क्षेत्रों में जहां समेकित तकनीकी व व्यावसायिक हानि कम हई है उन क्षेत्रों में आपूर्ति बढ़ाना

सुनिश्चित करना। इन लक्षित गतिविधियों के लिए निर्धारित समयसीमा का पालन भी किया जाना आवश्यक था, जिससे लक्षित लाभ अर्थात् फीडर और वितरण ट्रान्सफॉर्मर स्तर पर नुकसान का पता करने की क्षमता, हानि पहुंचाने वाले क्षेत्रों की पहचान, तकनीकी हानियों को कम करना और आउटेज को कम करना, बिजली की चोरी को कम करना और चोरी को कम करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाना, पीक लोड और ऊर्जा की खपत को कम करना आदि की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। परिचालन सुधारों के परिणामों का आंकलन संकेतकों के माध्यम से किया जाना था जैसे, ऊर्जा मंत्रालय और राज्यों द्वारा अंतिमीकृत हानि ट्राजेक्टरी के अनुसार 2019–20 में समेकित तकनीकी व व्यावसायिक हानियों को 15 *प्रतिशत* तक कम करना, 2019–20 तक, आपूर्ति की औसत लागत और औसत राजस्व के बीच अंतर को शून्य करना।

2.8.2 वित्तीय परिवर्तन के लिए योजना

भाग लेने वाले राज्यों को 2020–21 तक डिस्कॉमों के 75 *प्रतिशत* कर्ज टेकओवर करने थे, अर्थात 2016–17 में 21.80 *प्रतिशत* और 2017–18 से 2020–21 तक प्रत्येक वर्ष 13.30 *प्रतिशत* । वित्तीय परिवर्तनों की योजना में निम्न प्रावधान थे:

- राज्य, मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनियों को अनुदान/ऋण/अंशपूंजी प्रदान करने के लिए धन जुटाने के लिए गैर–एस.एल.आर. बॉन्ड जारी करेगा।
- ऋणों का टेकओवर मध्य प्रदेश शासन के गैर पूंजीगत ऋणों के बाद अधिक लागत वाले ऋणों के क्रम में होना चाहिए।
- 2016–17 में राज्य द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों को हस्तांतरित राशि, अंशपूंजी के रूप में होगी और शेष का हस्तांतरण अनुदान के रूप में होगा।

2.8.3 उदय योजना का कार्यान्वयन

उदय योजना के कार्यान्वयन की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

(अ) परिचालन मापदंडों की प्राप्ति

उदय योजना के तहत विभिन्न संचालन मानकों के बारे में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में राज्य की तीन डिस्कॉमों से संबंधित उपलब्धियों की तुलना **तालिका 2.15** में दी गयी है:

तालिका 2.15: वर्ष 2018–19 हेतु मापदंडवार परिचालन प्रदर्शन के लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियां

उदय योजना के मापदंड	समझौता ज्ञापन के अनुसार लक्षित अवधि	लक्ष्य	उपलब्धि
वित्तीय सुधार			
पूंजी/अनुदान में परिवर्तित कर विद्युत वितरण कंपनियों के ऋणों का मध्य प्रदेश शासन द्वारा टेकओवर ₹ करोड़ मे)	2018–19	4,622.00	500.00
समेकित तकनीकी व व्यावसायिक हानियों में कमी (*प्रतिशत* मे)	2018–19	17	30.16
ए.सी.एस. और ए.आर.आर. के अंतर को खत्म करना ₹ प्रति इकाई तक)	2018–19	0.03	2.68
टैरिफ़ संशोधन समय पर करना	2018–19	समय पर टैरिफ याचिका दायर की	वित्त वर्ष 18–19 की टैरिफ याचिका 03.05. 2018 को पुनरीक्षित
बिलिंग दक्षता (*प्रतिशत* में)	2018–19	83.00	72.04
संग्रहण दक्षता (*प्रतिशत* में)[26]	2018–19	100.00	100.00
परिचालन सुधार			
वितरण ट्रान्स्फ़ॉर्मर मीटरीकरण (शहरी) (संख्या में)	2018–19	84,115	73,652
वितरण ट्रान्स्फ़ॉर्मर मीटरीकरण (ग्रामीण) (संख्या में)	2018–19	4,47,873	2,03,908

[26] उपरोक्त के अनुसार, 'डिस्कॉम में राजस्व बिलिंग और संग्रह दक्षता' पर अनुपालन लेखापरीक्षा, जैसा कि इस प्रतिवेदन में शामिल है, लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गई जानकारी के आधार पर 2018–19 के दौरान तीन डिस्कॉम की सग्रंहण दक्षता 86.97 और 89.57 *प्रतिशत* के बीच थी।

फीडर मीटरीकरण (ग्रामीण) (संख्या में)	2018–19	11,854	13,968
ग्रामीण फीडर ऑडिट (संख्या में)	2018–19	11,618	12,316
500 के.डब्ल्यू.एच. से ऊपर स्मार्ट मीटरिंग (संख्या में)	2018–19	2,96,644	54,046
असंयोजित घरों का विद्युतीकरण (लाख मे)	2018–19	137.39	138.40
उजाला योजना के तहत एल.ई.डी. का वितरण (लाख मे)	2018–19	300.40	173.74
भौतिक फीडर विभक्तिकरण (संख्या में)	2018–19	6,862	6,946

*(**स्रोत**: तीन विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा प्रदत्त जानकारी)*

ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण ट्रांस्फ़ार्मर मीटरिंग और स्मार्ट मीटरिंग में राज्य ने खराब प्रदर्शन किया है। इसके अलावा, प्रगति के मौजूदा रुझान को देखते हुए, राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य 2019–20 तक समेकित तकनीकी व व्यावसायिक हानियों को 15 *प्रतिशत* तक कम कर पाना मुश्किल होगा।

2.8.4 वित्तीय सुधारों का कार्यान्वयन

मध्य प्रदेश शासन (म.प्र.शा.) ने उदय स्कीम का लाभ लेने के लिए ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार को अपनी 'सैद्धांतिक' सहमति (दिसंबर 2015) में दे दी थी। इसके बाद, ऊर्जा मंत्रालय, मध्य प्रदेश शासन, और तीन सहायक राज्य डिस्कॉम (यानी म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि./म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि./म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं. लि.) की ओर से म.प्र.पा.मै.कं.लि. के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.), (10 अगस्त 2016) हस्ताक्षरित किया गया। उदय योजना और त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार, 30 सितंबर 2015 को तीन राज्य डिस्कॉमों से संबंधित कुल बकाया ऋण (₹ 34,739 करोड़) में से, म.प्र.शा. को 75 *प्रतिशत* (₹ 26,054 करोड़) ऋण 30 सितंबर 2020 तक वहन करना था। यद्यपि, राज्य शासन ने अपनी प्रतिबद्धता पूर्ण रूप से आदरित नहीं की। उसने 2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान कुल ऋण ₹ 12,689.99 करोड़ (48.71 *प्रतिशत*) ही वहन किया, जैसा कि **तालिका 2.16** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.16: उदय योजना का कार्यान्वयन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अंशपूंजी निवेश		अनुदान		योग	
	लक्ष्य	उपलब्धि ₹ करोड़ में *(प्रतिशत)*	लक्ष्य	उपलब्धि ₹ करोड़ में *(प्रतिशत)*	लक्ष्य	उपलब्धि ₹ करोड़ में *(प्रतिशत)*
2016–17	7,568.00	3,557.00 (47.00)	–	4.011.00	7568.00	7,568.00 (100.00)
2017–18	–	4,010.99	4,622.00	611.00 (13.22)	4622.00	4,621.99 (100.00)
2018–19	–	–	4,622.00	50,000 (11.81)	4622.00	500.00 (10.81)
योग	**7,568.00**	**4,010.99 (100.00)**	**9,244.00**	**5,122.00 (55.41)**	**16812.00**	**12,479.18 (75.48)**

*(**स्रोत**: तीन विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा प्रदत्त जानकारी)*

शेष राशि ₹ 13,364.26 करोड़ को दो साल की अवधि अर्थात 2019–20 और 2020–21 में अनुदान में परिवर्तित किया जाना है। **तालिका 2.16** से स्पष्ट है, वर्ष 2018–19 के लिए अनुदान के रूप में निवेश के लक्ष्य पूरे नहीं किए जा सके।

2.9 ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों पर टिप्पणियाँ

ऊर्जा क्षेत्र के 11 उपक्रमो में से 10 उपक्रमों द्वारा, 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 की अवधि के दौरान, अपने 12 लेखापरीक्षित लेखे महालेखाकर को प्रेषित किये। इनमें से नौ लेखों को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। सांविधिक लेखा परीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा संचालित अनुपूरक लेखापरीक्षा संकेत करती है कि लेखों की गुणवत्ता में काफी सुधार करने की आवश्यकता है। 2016–17 से 2018–19 के लेखों के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के कुल धन राशि का विवरण **तालिका 2.17** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.17: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र सं	विवरण	2016–17		2017–18		2018–19	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1	लाभ में कमी	2	10,063.26	0	0	3	254.79
2	लाभ में वृद्धि	–	–	0	0	0	0
3	हानि में वृद्धि	1	162.63	1	21,727	1	14.88
4	हानि में कमी	–	–	–	–	1	258.15
5	महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट ना करना	1	7.98	–	–	4	786.75
6	वर्गिकरण की त्रुटियाँ	2	136.71	1	3,841.00	8	4,780.55

*(**स्रोत:** सरकारी कंपनियों के संबंध में संवैधानिक लेखापरीक्षकों/ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों से संकलित)*

1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 की अवधि के दौरान प्राप्त 12 लेखों में से, सांविधिक लेखा परीक्षकों ने सात[27] लेखों पर मर्यादित प्रमाण पत्र जारी किए थे। सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा लेखा मानकों का अनुपालन खराब होने के कारण सांविधिक लेखा परीक्षकों ने चार लेखों में लेखा मानकों के उल्लंघन के 19 मामलों का उल्लेख किया।

[27] ***परिशिष्ट 2.1*** की क्र. सं क 1, ग 1, ग 2 (वि.व. 2017–18 एवं 2018–19), ग 3, घ 2 वि.व. 2017–18 एवं 2018–19), पर विदित सार्वजनिक उपक्रमों के लेखे।

अध्याय–3

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (गैर–ऊर्जा क्षेत्र) के कार्यकलाप

3.1 प्रस्तावना

31 मार्च 2019 को, राज्य में 60 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम गैर–ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित थे। राज्य के ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 1925–26 तथा 2018–19 के मध्य गठित हुए एवं इनमें 57 सरकारी कंपनियां व तीन सांविधिक निगम अर्थात मध्य प्रदेश वित्त निगम (म.प्र.वि.नि.), मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कारपोरेशन (म.प्र.वे.लॉ.का.) और अकार्यशील सांविधिक निगम जैसे मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (म.प्र.रा.स.प.नि) है। 31 दिसम्बर 2019 तक नौ[1] सरकारी उपक्रमों ने वाणिज्यिक गतिविधियाँ प्रारंभ नहीं की थी या उनके प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए थे। 2018–19 के दौरान, 16[2] उपक्रम अकार्यशील थें। पाँच[3] कम्पनियां वर्ष के दौरान जोड़ी गई, सात[4] कम्पनियों का विलय मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम में किया गया एवं वर्ष 2018–19 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड का समापन किया गया।

वार्षिक लेखों की प्राप्ति की स्थिति के साथ इन 60 सार्वजनिक उपक्रमों की प्रकृति **तालिका 3.1** मे दर्शाई गई है:

तालिका 3.1: उपक्रमों की प्रकृति एवं व्याप्ति की जानकारी

उपक्रमों की प्रकृति	कुल संख्या	इस प्रतिवेदन में शामिल उपक्रमों की संख्या				इस प्रतिवेदन में शामिल नहीं किए गए उपक्रमों की संख्या
		वर्ष तक के लेखे			योग	
		2018–19	2017–18	2016–17		
सरकारी कंपनियां	57	10	15	04	29	28
सांविधिक निगम	03	02	0	0	02	01
कुल कंपनियां / निगम	**60**	**12**	**15**	**04**	**31**	**29**

राज्य के 60 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से, 44 उपक्रमों ने वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक के कम से कम एक वर्ष के लेखे प्रस्तुत किए। इन 44 उपक्रमों में, 31 उपक्रमों को इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है ***(परिशिष्ट 3.1)***, शेष 13 उपक्रम निष्क्रिय थे। इस प्रकार, 29 उपक्रमों को प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया गया है, अर्थात् 13 उपक्रम वे जिनके नवीनतम लेखें उपलब्ध थे परन्तु वे निष्क्रिय थे और 16 उपक्रम वे जो दो से 30 वर्षो तक निष्क्रिय है अथवा जिनके लेखें तीन या उससे अधिक वर्षो के लिए बकाया है।)***(कंडिका 1.1 और परिशिष्ट 3.2)***।

राज्य शासन समय–समय पर अंशपूंजी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के रूप में राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य शासन ने वे 44 उपक्रम[5] जिनके नवीनतम लेखें उपलब्ध है में, केवल 25 सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश किया। राज्य शासन द्वारा 19 कम्पनियों में कोई पूंजी निवेश नही किया गया, जो कि उपरोक्त राज्य उपक्रमों की संयुक्त उद्यम/सहायक कम्पनियां है। इन 19 संयुक्त उद्यमों/सहायक कम्पनियों में संबंधित सहायक साझेदार/धारक कम्पनियों द्वारा अंशपूजी का योगदान किया गया था।

3.1.1 राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान

इस प्रतिवेदन में शामिल 31 सार्वजनिक उपक्रमों के टर्नओवर ***(परिशिष्ट 3.1)*** और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) का अनुपात, राज्य की अर्थव्यवस्था में उपक्रमों की गतिविधियों की मात्रा को दर्शाता है। मार्च 2019 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए राज्य के उपक्रमों (गैर–ऊर्जा क्षेत्र) का टर्नओवर एवं मध्य प्रदेश की स.रा.घ.उ. का विवरण **तालिका 3.2** में दिया गया है:

[1] नौ उपक्रमों में से पॉच कम्पनिया ऐसी थी जिन्होने अपने प्रथम लेखें प्रस्तुत नहीं किए थे।
[2] इसमें 15 सरकारी कम्पनियॉ (11 निष्क्रिय और 04 परिसमापन के अधीन) और एक सांविधिक निगम (म.प्र.रा.स.प.नि.) शामिल है।
[3] (1) बी नेस्ट फाउंडेशन (2) सतना स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (3) सागर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (4) बुरहानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड और (5) रतलाम बस सर्विस लिमिटेड।
[4] छः ए.के.वी.एन. (रीवा, भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, जबलपुर और सागर) एवं आईआईडीसी ग्वालियर।
[5] परिशिष्ट 3.1 के 31 उपक्रम एवं परिशिष्ट 3.2 में सरल क्रमांक 1 से 13 तक एवं 15 से 23 तक के 13 उपक्रम।

तालिका 3.2: मध्य प्रदेश की स.रा.घ.उ. की तुलना में राज्य के उपक्रमों (गैर–ऊर्जा क्षेत्र) के टर्नओवर का विवरण

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19
कार्यशील उपक्रमों की कुल संख्या (इस प्रतिवेदन में शामिल)	**44**	**38**	**31**
उपक्रमों की संख्या जिन्होने अपने लेखे/जानकारी संबंधित वर्ष तक प्रस्तुत किए	**21**	**19**	**12**
उपक्रमों का टर्नओवर *(₹ करोड़ में)*	15,499.77	15,651.26	15,079.12
विगत वर्ष के टर्नओवर की तुलना में टर्नओवर में अंतर का *प्रतिशत*	-28.32	0.98	-3.66
मध्य प्रदेश का स.रा.घ.उ. *(₹ करोड़ में)*	6,39,219.67	7,07,046.99	8,09,327.00
विगत वर्ष के स.रा.घ.उ. की तुलना में स.रा.घ.उ. में अंतर का *प्रतिशत*	20.51	10.61	14.47
टर्नओवर का मध्य प्रदेश के स.रा.घ.उ. में *प्रतिशत*	2.42	2.21	1.86

*(**स्रोतः** कार्यशील उपक्रमों (गैर–ऊर्जा क्षेत्र) के टर्नओवर आंकडों के आधार पर और स.रा.घ.उ. के आंकडे म.प्र.शा. के आर्थिक समीक्षा 2018–19 के अनुसार संकलित)*

2016–19 की अवधि के दौरान टर्नओवर में कमी/वृद्धि (–) 28.32 *प्रतिशत* एवं 0.98 *प्रतिशत* के मध्य रही, जबकि इसी अवधि के दौरान राज्य की स.रा.घ.उ. में वृद्धि 10.61 *प्रतिशत* एवं 20.51 *प्रतिशत* के मध्य रही। राज्य के स.रा.घ.उ. में राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के कारोबार का *प्रतिशत* अंश वर्ष दर वर्ष घटता जा रहा है। स.रा.घ.उ. का पिछले तीन वर्षों की वार्षिक चक्रवृद्धि विकास[6] 8.18 *प्रतिशत* थी। वार्षिक चक्रवृद्धि विकास, विभिन्न समयावधियों में विकास दर को मापने की उपयोगी पद्धति है। पिछले तीन वर्षो के दौरान स.रा.घ.उ. के 8.18 *प्रतिशत* के वार्षिक चक्रवृद्धि विकास दर के विरूद्ध गैर–ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर द्वारा 0.91 *प्रतिशत* की नकारात्मक वार्षिक चक्रवृद्धि विकास दर दर्ज की गई। इसके परिणामस्वरूप स.रा.घ.उ. में इन उपक्रमों के टर्नओवर की हिस्सेदारी वर्ष 2016–17 के 2.42 *प्रतिशत* से घटकर वर्ष 2018–19 में 1.86 *प्रतिशत* हो गई।

3.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (गैर–ऊर्जा क्षेत्र) में निवेश

राज्य के 31 सार्वजनिक क्षेत्र[7] के उपक्रमों में 31 मार्च 2019 तक अंशपूंजी व दीर्घावधि ऋण में निवेश का विवरण ***परिशिष्ट 3.3*** में दिया गया है।

इस प्रतिवेदन में शामिल सार्वजनिक उपक्रम निम्नलिखित तीन श्रेणियों में आते है :–

1. **वे उपक्रम जो खुले बाजार की प्रतिस्पर्धा में नहीं है (एकाधिकार उपक्रम):**– मध्य प्रदेश में 31 शामिल उपक्रमों में से तीन उपक्रम[8] इस श्रेणी में आते है क्योंकि उनके परिचालन एकाधिकार/अल्पाधिकार प्रकृति के है, अर्थात उनके परिचालन में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है या बहुत कम प्रतिस्पर्धा हैं।
2. **सुनिश्चित आय वाले उपकमः**– इस श्रेणी में वे उपक्रम शामिल है जिनकी मुख्य आय, आय के सुनिश्चित स्रोतों से आती है जैसे कि सरकारी अनुदान/ सब्सिडी, सेंटेज, कमीशन, बैंक जमा पर ब्याज आदि। इस श्रेणी के अर्न्तगत 25 उपक्रम आते है।
3. **प्रतिस्पर्धात्मक श्रेणी के उपक्रमः**– इस श्रेणी में तीन उपक्रम[9] शामिल हैं जो कि बाजार की प्रतिस्पर्धा के लिए खुले हैं।

राज्य के इन उपक्रमों में 31 मार्च 2019 को क्षेत्रवार निवेश का सारांश **तालिका 3.3** में दिया गया है :

---

6 वार्षिक चक्रवृद्धि विकास दर [{(2018–19 का मूल्य/2016–17 का मूल्य)^(1/3 वर्ष)}-1]*100 ।

7 कुल 60 उपक्रम – 29 उपक्रम जिनके लेखे तीन वर्ष से ज्यादा बकाया थे अथवा अप्रचलित/परिसमापन के अधीन थे अथवा प्रथम लेखे प्राप्त नही हुए या देय नही थे।

8 म.प्र.रा.व.नि.लि, म.प्र.ज.नि. मर्यादित और म.प्र.रा.ख.नि.लि.।

9 म.प्र.रा.प.वि.नि.लि., म.प्र. होटल का. लि. और म.प्र.वि.नि.।

तालिका 3.3: राज्य के उपक्रमों (गैर–ऊर्जा क्षेत्र) में क्षेत्रवार निवेश

क्षेत्र	उपकमों की संख्या	निवेश (₹ करोड़ में)								
		अंशपूंजी				दीर्घावधि ऋण				योग
		म.प्र.स.	भा.स.	अन्य[10]	योग	म.प्र.स.	भा.स.	अन्य[11]	योग	
एकाधिकार क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	03	140.13	1.39	0.00	**144.52**	0.00	0	0.00	**0**	**141.52**
सुनिश्चित आय वाले उपक्रमों की संख्या	25	71.75	1.87	1,220.45	**1,294.07**	2,019.11	0	1,609.42	**3,628.53**	**4,922.60**
प्रतिस्पर्धात्मक श्रेणी के उपक्रमो की संख्या	03	497.67	0.00	24.00	**524.67**	0.00	0	499.69	**499.69**	**1,021.36**
योग (अ)	31	**709.55**	**3.26**	**1,244.45**	**1,957.26**	**2,019.11**	**0**	**2,109.11**	**4,128.22**	**6,085.48**
उपक्रम जो इस प्रतिवेदन में शामिल नहीं हैं	29	396.72	42.53	114.36	**582.61**	837.56	0	609.30	**1,446.86**	**2,000.47**
योग (ब)	29	**396.72**	**42.53**	**114.36**	**553.61**	**837.56**	**0**	**609.30**	**1,446.86**	**2,000.47**
योग (अ+ब)	60	**1,106.27**	**45.79**	**1,358.81**	**2,510.87**	**2,856.67**	**0**	**2,718.41**	**5,575.08**	**8,085.95**

*(**स्रोत**: सार्वजनिक उपक्रमों के वार्षिक लेखों और प्रस्तुत की गई जानकारी के आधार पर संकलित)*

31 मार्च 2019 को, इस प्रतिवेदन में शामिल 31 उपक्रमों में कुल निवेश (अंशपूंजी एवं दीर्घावधि ऋण) का अंकित मूल्य[12] ₹ 6,085.48 करोड़ था। निवेश में 32.16 *प्रतिशत* अंशपूंजी एवं 67.84 *प्रतिशत* दीर्घावधि ऋण सम्मिलित थे। राज्य शासन द्वारा दिये गये दीर्घावधि ऋण, कुल दीर्घावधि ऋण के 48.91 *प्रतिशत* (₹ 2,019.11 करोड़) जबकि अन्य वित्तीय संस्थाओं जैसे हुडको, सिडबी का दीर्घावधि ऋण 51.09 *प्रतिशत* (₹ 2,109.11 करोड़) था।

निवेश 2016–17 के ₹ 5,217.35 करोड़ से 16.64 *प्रतिशत* बढ़कर 2018–19 में ₹ 6,085.48 करोड़ हो गया। 2016–17 से 2018–19 के दौरान निवेश में बढोत्तरी, पूंजी और ऋण में क्रमशः ₹ 590.20 करोड़ और ₹ 277.93 करोड़ की बढोत्तरी के कारण हुई।

3.3 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (गैर–ऊर्जा क्षेत्र) का विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2018–19 के दौरान राज्य के उपक्रमों में कोई विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण नहीं किया गया।

3.4 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (गैर–ऊर्जा क्षेत्र) को बजटीय सहायता

मध्य प्रदेश शासन द्वारा वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में राज्य के उपक्रमों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। मार्च 2019 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के लिए, राज्य के उपक्रमों के संबंध में अंशपूंजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, अपलिखित ऋण एवं वर्षों के दौरान अंशपूंजी में परिवर्तित किए गए ऋण के बजटीय बहिर्गमन का विवरण **तालिका 3.4** में दर्शित है:

तलिका 3.4: राज्य के उपक्रमों को बजटीय सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रमांक संख्या	विवरण[13]	2016–17		2017–18		2018–19	
		सरकारी उपक्रमों की संख्या	राशि	सरकारी उपक्रमों की संख्या	राशि	सरकारी उपक्रमों की संख्या	राशि
(अ)	अंश पूंजी बहिर्गमन	4	110.58	1	25.00	1	109.00
(ब)	प्रदत्त ऋण	3	310.47	3	273.50	3	500.44
(स)	प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी	17	1,831.26	19	1,306.72	13	1,195.80
	कुल निगमन (अ+ब+स)	21	2,252.31	21	1,605.22	14	1,805.24
(द)	बकाया प्रत्याभूति	5	1,737.68	6	313.17	3[14]	2,739.68

*(**स्रोत**: सार्वजनिक उपक्रमों के वार्षिक लेखों और प्रस्तुत की गई जानकारी के आधार पर संकलित)*

---

10 अन्य में स्वामित्व वाली कम्पनियॉं, वित्तीय संस्थान, बैंक आदि शामिल।

11 उपरोक्त फुटनोट 10 के समान।

12 अंशधारक द्वारा अंशपूंजी के लिए भुगतान किया गया वास्तविक लागत मूल्य।

13 राशि केवल राज्य बजट से बहिर्गमन को दर्शाती है।

14 म.प्र.वि.नि. (₹ 1,250.00 करोड), म.प्र.पु.हा.अ.नि. (₹ 507.18 करोड़) और म.प्र.औ.वि.नि. (₹ 982.50 करोड़)।

राज्य शासन द्वारा दी गई अनुदान/सब्सिडी प्राथमिक रूप से औद्योगिक बुनियादी ढांचा, निवेश को बढ़ावा देने एवं स्मार्ट शहरो के विकास के लिये थे।

मध्य प्रदेश शासन, बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता लेने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मध्य प्रदेश शासन गारण्टी नियम (म.प्र.शा.गा.नि.), 2009 के तहत गारण्टी प्रदान करती है। शासन ने म.प्र.शा.गा.नि. के प्रावधानो के तहत बिना किसी अपवाद के बैंको/वित्तीय संस्थानों से उपक्रमों द्वारा लिए गए ऋण के मामले में प्रतिवर्ष आधा *प्रतिशत* से एक *प्रतिशत* की दर से गारण्टी कमीशन वसूलने का निर्णय (फरवरी 2011) किया गया। वर्ष 2018–19 में बकाया गारण्टी प्रतिबद्धताएं ₹ 2,739.68 करोड़ थी। वर्ष 2018–19 के दौरान उपक्रमों (गैर–ऊर्जा क्षेत्र) द्वारा गारण्टी कमीशन का कोई भी भुगतान नहीं किया गया था।

3.5 वित्त लेखों के साथ मिलान

अंशपूंजी, ऋण एवं बकाया गारण्टियों के संबंध में राज्य उपक्रमों के अभिलेखों के आंकड़े, मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखों से मिलान होने चाहिए। आंकडों का मिलान न होने की स्थिति में संबंधित उपक्रमों एवं वित्त विभाग को अंतर का मिलान करना चाहिए। इस संबंध में 31 मार्च 2019 की स्थिति **तालिका 3.5** में दी गई है:

तलिका 3.5: वित्त लेखों की तुलना में राज्य के सरकारी उपक्रमों के लेखों के अनुसार अंशपूंजी, ऋण और गारण्टी

(₹ करोड़ में)

बकाया राशि का मद	उपक्रमों की संख्या	वित्त लेखों के अनुसार राशि	राज्य के सरकारी उपक्रमों के लेखो के अनुसार राशि	अंतर
(अ)	(ब)	(स)	(द)	(इ) =(स)- (द)
अंशपूंजी	19	1,205.23	859.85	345.38
ऋण	06	2,195.60	2,265.69	70.09
गारण्टी	03	1,270.58	2,739.68	1,469.10

*(**स्रोत**: सरकारी उपक्रमों से प्राप्त जानकारी और वित्त लेखों के आधार पर संकलित)*

लेखापरीक्षा ने पाया कि 60 उपक्रमों में से 20 उपक्रमों के संबंध में इस प्रकार का अन्तर है जो, ***परिशिष्ट 3.4*** में दिया गया है। आंकडो में अन्तर विगत कई वर्षो से है। मिलान में अन्तर के मुद्दे को उपक्रमों एवं विभागों के साथ समय–समय पर उठाया जाता रहा है। अंशपूंजी/ऋण/गारण्टी में मुख्य रूप से अन्तर मध्य प्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवल्पमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (₹ 982.50 करोड़ गारण्टी के रूप में), मध्य प्रदेश अर्बन डेवल्पमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (₹ 448 करोड़ अंशपूंजी के रूप में), मध्य प्रदेश वित्त निगम (₹ 487.01 करोड़ गारण्टी के रूप में) और म.प्र. पोलिस हाउसिंग एवं इन्फास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (₹ 107.86 करोड़ ऋण के रूप में) के शेषों में पाया गया। राज्य शासन एवं संबंधित उपक्रमों को समयबद्ध तरीके से अंतरो का मिलान करना चाहिए।

3.6 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (गैर–ऊर्जा क्षेत्र) द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण

3.6.1 राज्य के उपक्रमों द्वारा लेखे तैयार करने में समयबद्धता

वर्ष 2018–19 के लिए सभी कार्यशील उपक्रमों द्वारा 30 सितम्बर 2019 तक लेखे प्रस्तुत किये जाने थे। यद्यपि, 60 सरकारी उपक्रमों में से, केवल 44 उपक्रमों (दोनो सांविधिक निगमों सहित) से उनके नवीनतम लेखे अपेक्षित थे। इन 44 उपक्रमों में से 31 उपक्रमों ने 39 अध्ययतन लेखें (वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक के किसी एक वर्ष के लिए) प्रस्तुत किए। इनमें से, केवल 15 उपक्रमों ने वर्ष 2018–19 के लेखें सीएजी की लेखापरीक्षा के लिए 31 दिसम्बर 2019[15] अथवा उससे पूर्व प्रस्तुत किए और पाँच उपक्रमों ने उनके प्रथम लेखें प्रस्तुत नही किए, जबकि 29 उपक्रमों के लेखें बकाया थे।

31 दिसम्बर 2019 को राज्य उपक्रमों (गैर–ऊर्जा क्षेत्र) के लेखों के बकाया का विवरण **तालिका 3.6** में दिया गया है:

[15] वर्ष 2016–17, 2017–18 और 2018–19 के लिए 31 दिसम्बर 2019 तक प्राप्त लेखे मान्य किए गए है।

तालिका 3.6: कार्यशील उपक्रमों द्वारा लेखें प्रस्तुत करने की स्थिति

विवरण	सरकारी कम्पनियाँ / सांविधिक निगम		
	2016–17	2017–18	2018–19
उपक्रमों की कुल संख्या	44	47	60
कार्यशील उपक्रमों की संख्या जिन्हें लेखे प्रस्तुत करने अपेक्षित है	44	47	44
वर्तमान वर्ष में प्रस्तुत किए गए लेखो की संख्या	40	41	39
उपक्रमों की संख्या जिनके लेखे अद्यतन है (2018–19)	21	20	15
वर्तमान वर्ष में पूर्व के वर्षो के अंतिमिकृत किए गए लेखों की संख्या	19	21	24
बकाया लेखो के उपक्रमों की संख्या	23	27	29
बकाया लेखो की संख्या	48	52	55
बकाया की सीमा	1 से 13 वर्ष	1 से 14 वर्ष	1 से 15 वर्ष

*(**स्रोत** : संबंधित वर्ष के 31 दिसम्बर तक उपक्रमों द्वारा अंतिमिकृत किए लेखो से)*

अत्यधिक बकाया लेखों वाले सरकारी उपक्रम निम्नलिखित हैं:

- म. प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (2003–04 से)
- म. प्र. पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (2010–11 से)
- म. प्र. राज्य सेतु निर्माण लिमिटेड़ (1989–90 से)

प्रशासनिक विभागों के पास इन संस्थाओ की गतिविधियों की देखरेख करने और इन उपक्रमों द्वारा निर्धारित अवधि में लेखो को अंतिम रूप दिया जाना व अंगीकृत किया जाना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है। संबंधित विभागों को लेखों के बकाया के संबंध में नियमित रूप से सूचित किया गया था।

म. प्र. शासन द्वारा 29 कार्यशील राज्य उपक्रमों में से 12 उपक्रमों को, जिनके लेखों को 31 दिसम्बर 2019 तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया था, ₹ 2,179.76 करोड़ (अंशपूंजी: ₹ 134.03 करोड़, ऋण: ₹ 575.24 करोड़, अनुदान: ₹ 450.34 करोड़ एवं सब्सिडी: ₹ 1,020.15 करोड़) प्रदान किए गए, जिन वर्षो के लेखे बकाया थे उन वर्षो के दौरान राज्य शासन द्वारा, किए गए निवेश का उपक्रमवार ब्यौरा ***परिशिष्ट 3.5*** में दर्शित है।

लेखों के अंतिमीकरण एवं उनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में शेष 36 उपक्रमों में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निवेश एवं व्यय सही रूप से लेखांकित किए गए एवं निधि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए वे राज्य शासन द्वारा प्रदान किए गए थे।

3.6.2 निष्क्रिय उपक्रमों द्वारा लेखे तैयार करने में समयबद्धता

यहाँ, 16 अकार्यशील/निष्क्रिय उपक्रम है और उनमें से नौ उपक्रमों ने लेखापरीक्षा हेतु नवीनतम लेखे प्रस्तुत किए। जिसकी स्थिति **तालिका 3.7** में दी गई है।

तालिका 3.7: निष्क्रिय उपक्रमों के सन्दर्भ में लेखाओं की स्थिति

क्र. स.	उपक्रम का नाम	अंतिम वर्ष जब तक कि लेखे अतिमिकृत हुए	अवधि जिसके लिए लेखे बकाया है
1.	म.प्र. राज्य सेतु निर्माण निगम लिमिटेड	1989–90	1990–91 से 2018–19
2.	एम.पी. ए.एम.आर.एल. (सेमरिया) कोल कंपनी लिमिटेड	2018–19	–
3.	एम.पी. ए.एम.आर.एल. (मोरगा) कोल कंपनी लिमिटेड	2018–19	–
4.	एम.पी. ए.एम.आर.एल. (बिछारपुर) कोल कंपनी लिमिटेड	2018–19	–
5.	एम.पी. ए.एम.आर.एल. (मरकी बरका) कोल कंपनी लिमिटेड	2018–19	–
6.	एम.पी. जेपी कोल लिमिटेड	2018–19	–
7.	एम.पी. मोनेट माइनिंग कंपनी लिमिटेड	2018–19	–
8.	एम.पी. जेपी कोल फील्ड लिमिटेड	2018–19	–
9.	एम.पी. जेपी मिनरल्स लिमिटेड	2018–19	–
10.	म.प्र. सैनिक कोल माईनिंग प्रा. लिमिटेड	2018–19	–
11.	म.प्र. एवं महाराष्ट्र मिनरल्स एवं कैमिकल्स लिमिटेड	2001–02	2002–03 से 2018–19
12.	म.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम	2007–08	2008–09 से 2018–19
13.	म.प्र. पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड	2005–06	2006–07 से 2018–19
14.	म.प्र. फिल्म विकास निगम लिमिटेड	2009–10	2010–11 से 2018–19
15.	ऑप्टेल टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड	2009–10	2010–11 से 2018–19
16.	म.प्र. विद्युत यंत्र लिमिटेड	परिसमापन के अधीन	

*(**स्रोत**: कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा– द्वितीय) भोपाल, मध्य प्रदेश द्वारा संकलित)*

3.6.3 उपक्रमों (गैर–ऊर्जा क्षेत्र) द्वारा लेखों का अंतिमीकरण न किए जाने के प्रभाव

लेखों के अंतिमीकरण में विलम्ब संबंधित विधानों के प्रावधानों के उल्लंघन के साथ–साथ गबन एवं लोक धन में रिसाव के जोखिम के रूप में भी परिणत हो सकता है। उपर्युक्त लेखों के बकाया की स्थिति को देखते हुए उपक्रमों (गैर–ऊर्जा क्षेत्र) की 2018–19 में अर्जित लाभ व वहन की गई हानि को सम्मिलित करते हुए लाभप्रदता व राज्य की जी.डी.पी. में उनके वास्तविक योगदान का पता नही लगाया जा सका और राजकोष में उनका योगदान राज्य विधानसभा को भी प्रतिवेदित नही किया गया।

इसलिए यह अनुशंसा की जाती है कि प्रशासनिक विभागों द्वारा लेखों के बकाया को कम करने हेतु कड़ाई से निगरानी एवं आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। शासन को उपक्रमों को लेखे तैयार करने में आने वाली दिक्कतों का संज्ञान लेना चाहिए एवं बकाया को समयबद्ध रूप से कम करने हेतु उचित कदम उठाने चाहिए।

3.7 सांविधिक निगमों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

तीन सांविधिक निगमों में से दो ने उनके वर्ष 2018–19 के लेखे 31 दिसम्बर 2019 तक अग्रेषित किये। सांविधिक निगमो के लेखों पर सीएजी के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं। सांविधिक निगमो की वार्षिक लेखो की स्थिति एवं उनके एसएआर के विधानसभा पटल पर रखे जाने की स्थिति **तालिका 3.8** में वर्णित है।

तालिका 3.8: सांविधिक निगमों के एस.ए.आर. विधानसभा पटल पर रखे जाने की स्थिति

क्र. स.	निगम का नाम	लेखों का वर्ष	एसएआर की प्रस्तुति का माह
1	मध्य प्रदेश राज्य वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स निगम	2016–17	विधानसभा में दिनांक 20.12.2019 को रखे गए
		2017–18 और 2018–19	अंतिमीकरण शेष
2	मध्य प्रदेश वित्त निगम	2016–17	विधानसभा में अभी नही रखे गए
		2017–18 और 2018–19	अंतिमीकरण शेष
3	मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	2007–08	कोई जानकारी प्रस्तुत नही की
		2008–09 से आगे	अंतिमीकरण शेष

*(**स्रोत**: विधानसभा द्वारा एवं मध्य प्रदेश विधानसभा की वैबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर संकलित)*

3.8 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (गैर–ऊर्जा क्षेत्र) का प्रदर्शन

इस प्रतिवेदन में शामिल 31 राज्य उपक्रमों की 31 दिसम्बर 2019 तक उनके नवीनतम अंतिमीकृत लेखों[16] के अनुसार वित्तीय स्थिति और कार्य परिणाम ***परिशिष्ट 3.1*** में वर्णित है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से राज्य शासन द्वारा इन उपक्रमों में किए गए निवेश पर उचित प्रतिफल प्रदान करना अपेक्षित है। इन उपक्रमों में राज्य शासन व अन्यों का अंशपूंजी ₹ 1,957.26 करोड़ व दीर्घावधि ऋण ₹ 4,128.22 करोड़ को शामिल करते हुए कुल निवेश ₹ 6,085.48 करोड़ था। इसमें से मध्य प्रदेश शासन का अंशपूंजी ₹ 709.55 करोड़ व दीर्घावधि ऋण ₹ 2,019.11 करोड़ को शामिल करते हुए 16 उपक्रमों में कुल निवेश ₹ 2,728.66 करोड़ है।

इस प्रतिवेदन में शामिल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, गैर–ऊर्जा क्षेत्र, में 2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश शासन का वर्षवार निवेश का विवरण नीचे दिया गया है :

[16] वर्ष 2016–17 से 2018–19 के नवीनतम अंतिमीकृत लेखे।

चार्ट 3.1: मध्य प्रदेश सरकार का उपक्रमों में कुल निवेश

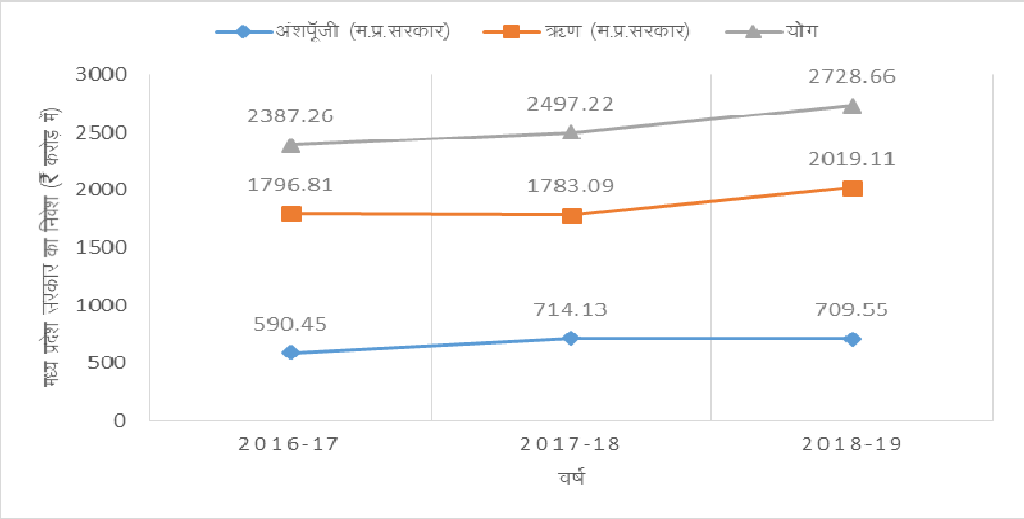

किसी कम्पनी की लाभप्रदता का आंकलन पारंपरिक रूप से निवेश पर प्रतिफल (आर.ओ.आई.), अंशपूंजी पर प्रतिफल (आर.ओ.ई.) और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (आर.ओ.सी.ई.) के माध्यम से किया जाता है। निवेश पर प्रतिफल, एक निश्चित वर्ष हुए लाभ अथवा हानि को अंशपूंजी एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में संबंधित निवेश को मापता है एवं इसे कुल निवेश पर लाभ को *प्रतिशत* के रूप में व्यक्त करता है। अंशपूंजी पर प्रतिफल, प्रदर्शन का एक माप है जिसकी गणना कर पश्चात् शुद्ध लाभ को अंशधारकों की निधि से विभाजित करके की जाती है। नियोजित पूंजी पर प्रतिफल, एक वित्तीय अनुपात है जो कि कम्पनी की लाभप्रदता एवं उस दक्षता जिससे उसकी पूंजी का उपयोग किया गया है, को मापता है तथा जिसकी गणना कम्पनी के ब्याज एवं करो से पूर्व के लाभ को नियोजित पूंजी द्वारा विभाजित करके की जाती है।

3.8.1 निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर

निवेश पर प्रतिफल लाभ अथवा हानि का कुल निवेश से *प्रतिशत* है। इस प्रतिवेदन में शामिल 31 उपक्रमों के नवीनतम अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार 15 उपक्रमों ने ₹ 428.67 करोड़ का लाभ अर्जित किया एवं नौ उपक्रमों ने ₹ 100.97 करोड़ की हानि वहन की जिसका विवरण ***परिशिष्ट 3.1*** में दिया गया है। लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियो की संख्या 2017–18 में 18 की तुलना में 2018–19 में 15 थी। अर्जित लाभ वर्ष 2017–18 में ₹ 330.40 करोड़ से थोड़ा घटकर ₹ 327.70 करोड़ रह गया। वर्ष 2018–19 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों में मुख्यतः मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लाजिस्टिक कारपोरेशन (₹ 156.52 करोड़) एवं मध्यप्रदेश स्टेट मांइनिग कारपोरेशन लिमिटेड (₹ 107.47 करोड़) थे।

वर्ष 2016–19 के तीन वर्ष की अवधि के दौरान लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों की संख्या **तालिका 3.9** में दी गयी है।

तालिका 3.9: लाभ अर्जित/हानि वहन करने वाले उपक्रम (गैर–ऊर्जा क्षेत्र)

वित्त वर्ष	उपक्रमों की कुल संख्या (गैर–ऊर्जा क्षेत्र)	उपक्रमों की संख्या जिन्होने वर्ष के दौरान लाभ अर्जित किया	उपक्रमों की संख्या जिन्होने वर्ष के दौरान हानि वहन की	न लाभ / न हानि वहन करने वाले उपक्रमों की संख्या
2016–17	44	25	04	15
2017–18	38	18	08	12
2018–19	31	15	09	07

*(**स्रोतः** सरकारी उपक्रमो के अद्यतन अंतिमीकृत वार्षिक लेखों के आधार पर संकलित)*

3.8.2 निवेश की एतिहासिक लागत के आधार पर वास्तविक प्रतिफल की दर

इस प्रतिवेदन में शामिल 31 उपक्रमों में से, राज्य सरकार द्वारा अंशपूंजी, कर मुक्त ऋण और सब्सिडी/अनुदान के रूप में 16 राज्य उपक्रमों में निवेश किया गया। इन सार्वजनिक उपक्रमों की

लाभप्रदता का आकलन करने के लिए निवेश की तुलना में अर्जित राशि का विश्लेषण किया गया। राज्य उपक्रमों (गैर–ऊर्जा क्षेत्र) के निवेश पर वास्तविक प्रतिफल (आरओआई) की गणना कुल निवेश (राज्य, केन्द्र सरकार और अन्य के निवेश सहित) पर की गई। डीमर्जर के कारण गठित उपक्रमों के मामले में, अंशपूंजी और ऋण में प्रारंभिक निवेश का मूल्य उनके निगमन की तारीख का मूल्य मान्य किया गया है। इसके अलावा, उत्तराधिकारी उपक्रमों के बीच परिसम्पत्तियों और देनदारियों के अपव्यय के परिणामस्वरूप एक पुनगर्ठन/डीमर्जर समायोजन रिजर्व (अधिशेष/घाटा) हुआ, जिसे राज्य सरकार का निवेश माना है।

31 मार्च 2019 को, इन 16 उपक्रमों में ऐतिहासिक लागत के आधार पर कुल निवेश ₹ 2728.66 करोड़ रहा। 2016–17 से 2018–19 तक की अवधि की ऐतिहासिक लागत के आधार पर क्षेत्रवार आरओई **तालिका 3.10** में दिया गया है।

तालिका 3.10: निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य सरकार द्वारा अंशपूंजी एवं दीर्घकालिन ऋण में किया गया निवेश	केन्द्र सरकार द्वारा अंशपूंजी एवं दीर्घकालिन ऋण में किया गया निवेश	अन्य द्वारा अंशपूंजी एवं दीर्घकालिन ऋण में किया गया निवेश	अंशपूंजी एवं दीर्घकालिन ऋण में किया गया कुल निवेश	वर्ष के लिए कुल अर्जित लाभ/हानि	वास्तविक दर पर प्रतिफल (*प्रतिशत* में)
एकाधिकार क्षेत्र के उपक्रम						
2016–17	95.13	1.39	0.00	96.52	156.48	162.12
2017–18	140.13	1.39	0.00	141.52	154.74	109.34
2018–19	140.13	1.39	0.00	141.52	196.00	138.50
सुनिश्चित आय वाले उपक्रम						
2016–17	2243.26	12.55	1318.60	3574.41	178.34	4.99
2017–18	1859.42	1.87	1933.38	3794.67	180.71	4.76
2018–19	2090.86	1.87	2829.87	4922.60	178.81	3.63
प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र के उपक्रम						
2016–17	384.44	0.00	1149.88	1534.32	12.66	0.83
2017–18	497.67	0.00	953.55	1451.22	5.05	0.35
2018–19	497.67	0.00	523.69	1021.36	–47.11	–4.61
महायोग						
2016–17	**2722.83**	**13.94**	**2468.48**	**5205.25**	**347.48**	**6.68**
2017–18	**2497.22**	**3.26**	**2886.93**	**5387.41**	**340.50**	**6.32**
2018–19	**2728.66**	**3.26**	**3353.56**	**6085.48**	**327.70**	**5.38**

*(**स्रोत**: लेखे एवं उपक्रमों द्वारा प्रदत्त जानकारी)*

3.8.3 निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर वास्तविक प्रतिफल

राज्य के उन 16 उपक्रमों (इस प्रतिवेदन में शामिल) जिनमें राज्य शासन द्वारा निधि का निवेश किया गया था, के लाभप्रदता के आंकलन के लिये आमदनी की तुलना में निवेश का एक विश्लेषण किया गया है। प्रतिफल की परम्परागत गणना केवल ऐतिहासिक लागत के आधार पर होने के कारण निवेश पर प्रतिफल की पर्याप्तता का सही सूचक नही है क्योकि इस प्रकार की गणना निधि के वर्तमान मूल्य की उपेक्षा करती है। इसलिए, धन के वर्तमान मूल्य को ध्यान में रखते हुए निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की भी गणना की गई है। जहां राज्य शासन द्वारा अंशपूंजी, ब्याजमुक्त/अनादृत ऋण और पुंजीगत अनुदान के रूप में इन कंपनियों में निधियों का निवेश किया गया, वहाँ राज्य शासन के निवेश वर्तमान मूल्य की गणना 31 मार्च 2019 के अंत तक की गई। इस अवधि में 2013–14 से 2018–19 के मध्य इन उपक्रमों का निवेश पर प्रतिफल सकारात्मक रहा। अतः इन वर्षों में निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की गणना वर्तमान मूल्य के आधार पर करके दर्शायी गई है ।

राज्य शासन के इन उपक्रमों में निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना निम्नलिखित धारणाओं पर की गई है:–

- ऋण को राज्य शासन द्वारा किए गए निधि का निवेश माना गया है। हालांकि, उपक्रमों द्वारा ऋणो के पुनर्भुगतान के मामले में, वर्तमान मूल्य की गणना उक्त अवधि में ऋणो के घटे हुए

शेषों पर की गई है। अनुदान/सब्सिडी के रूप में दी गई निधि, पुंजीगत अनुदान को छोडकर, को निवेश नही माना गया है क्योकि वह निवेश मानने योग्य नही है।

- राज्य शासन की निधि की वर्तमान मूल्य की गणना करने के उद्देश्य से संबंधित वित्तीय वर्ष[17] के लिए सरकारी उधारियों पर ब्याज की औसत दर को छूट दर के रूप में अपनाया गया है क्योकि यह वर्ष के लिए निवेश की गई निधि पर शासन द्वारा वहन की गई लागत को दर्शाती है एवं इस प्रकार शासन द्वारा किये गए निवेश पर न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में अपनाई जा सकती है।

उपक्रमवार निवेश ***परिशिष्ट 3.6*** में दर्शाया गया है। आगे, इसी अवधि के लिए इन उपक्रमों से संबंधित राज्य शासन के निवेश के शुद्व वर्तमान मूल्य की समेकित स्थिति **तालिका 3.11** में दी गई है।

तालिका 3.11: राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2000–01 से 2018–19 की अवधि में किए गए निवेश एवं उसके वर्तमान मूल्य का वर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरंभ मे कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित अंशपूंजी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित ब्याज मुक्त/न चुकाए ऋण और पूंजीगत अनुदान[18]	वर्ष के दौरान कुल निवेश	सरकारी ऋणों पर औसत ब्याज दर (*प्रतिशत* मे)	वर्ष के अंत मे कुल निवेश	वर्ष के अंत मे कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	निवेश की वार्षिक लागत वसूल करने हेतु न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	वर्ष की कुल आय[19]
i	**ii**	**iii**	**iv**	**v=iii+iv**	**vi**	**vii=ii+v**	**viii={vii*(1+vi)/100}**	**ix={vii*vi)/100}**	**x**
2000–01	224.62	4.00	–16.13	–12.13	9.94	212.49	233.61	21.12	6.13
2001–02	233.61	–4.10	–25.13	–29.23	9.19	204.38	223.16	18.78	19.01
2002–03	223.16	17.42	16.46	33.88	8.81	257.05	279.69	22.65	9.22
2003–04	279.69	1.79	–47.40	–45.61	9.41	234.08	256.11	22.03	0.70
2004–05	256.11	12.30	–	12.30	8.96	268.41	292.46	24.05	33.78
2005–06	292.46	11.89	58.57	70.46	7.33	362.92	389.52	26.60	40.73
2006–07	389.52	174.38	0.38	174.76	7.86	564.28	608.63	44.35	93.50
2007–08	608.63	65.00	–58.50	6.50	7.72	615.13	662.62	47.49	91.17
2008–09	662.62	16.20	–	16.20	7.24	678.82	727.96	49.15	67.60
2009–10	727.96	6.00	15.69	21.69	6.94	749.65	801.68	52.03	124.97
2010–11	801.68	26.38	–2.10	24.28	7.07	825.96	884.36	58.40	141.55
2011–12	884.36	10.00	9.45	19.45	6.91	903.81	966.26	62.45	156.03
2012–13	966.26	–15.38	72.89	57.51	6.75	1,023.77	1,092.87	69.10	221.73
2013–14	1,092.87	30.00	90.43	120.43	6.69	1,213.30	1,294.47	81.17	287.49
2014–15	1,294.47	94.28	136.32	230.60	6.73	1,525.07	1,627.71	102.64	324.23
2015–16	1,627.71	41.72	73.76	115.48	6.86	1,743.19	1,862.77	119.58	366.79
2016–17	1,862.77	–50.73	1,349.49	1,298.76	6.72	3,161.53	3,373.99	212.46	343.39
2017–18	3,373.99	160.00	–2.73	157.27	6.67	3,531.26	3,766.79	235.53	287.96
2018–19	3,766.79	109.00	392.30	501.30	6.92	4,268.09	4,563.44	295.35	327.70
योग		**710.15**	**2,063,75**	**2,773.90**					

राज्य शासन द्वारा इन उपक्रमों में किया गया निवेश वर्ष 2000–01 के ₹ 224.62 करोड़ से बढ़कर 2018–19 के अन्त में ₹ 2,998.52 करोड़ हो गया क्योंकि राज्य शासन ने अंशपूंजी (₹ 710.15 करोड़) और ऋण/पूंजीगत अनुदान (₹ 2,063.75 करोड़) के रूप में 2000–01 से 2018–19 की अवधि में पुर्ननिवेश किया। 31 मार्च 2019 तक राज्य शासन द्वारा निवेशित की गई निधि का वर्तमान मूल्य ₹ 4,563.44 करोड़ था। वर्ष 2000–01 से 2003–04 के दौरान, इन उपक्रमों में कुछ लाभ कमाया,

[17] सरकारी ऋणों पर औसत ब्याज दर, संबन्धित वर्ष के भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के राज्य वित्त (मध्य प्रदेश सरकार) पर प्रतिवेदन से लिया गया है, जहां पर ब्याज भुगतान की औसत दर = ब्याज भुगतान/ [(विगत वर्ष की राजकीय देनदारियाँ + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देनदारियाँ)/2]*100।

[18] इस कालम में दर्शाए नकारात्मक ऋण आंकड़े संबन्धित वर्ष में शासकीय उपक्रमों द्वारा राज्य सरकार को चुकाए गए ऋणों को इंगित करते है।

[19] वर्ष की कुल आय उन 16 शासकीय उपक्रमों (गैर–ऊर्जा क्षेत्र) जिनमें राज्य सरकार द्वारा धन निवेश किया गया है कि शुद्ध आय (लाभ/हानि) का योग दर्शाता है। जिन वर्षो में किसी उपक्रम के वार्षिक लेखे बकाया थे उस वर्ष हेतु संबन्धित उपक्रम की शुद्ध आय (लाभ/हानि) अध्यतन लेखा परीक्षित लेखों से ली गयी है।

यद्यपि, कुल आय इन उपक्रमों में निवेशित निधियों की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल से कम रही। वर्ष 2004–05 के बाद, इन उपक्रमों ने निवेशित निधियों की लागत को वसूल करने के लिए पर्याप्त लाभ अर्जित करना शुरू कर दिया क्योंकि इस अवधि के दौरान 10 उपक्रमों[20] ने पर्याप्त लाभ कमाया।

3.8.4 निवल मूल्य का क्षरण

निवल मूल्य से आशय है प्रदत्त पूंजी और मुक्त कोष व आधिक्य का योग जिसमें से संचित हानि और आस्थगित राजस्व व्यय घटा दिया गया। वास्तव में यह किसी इकाई के स्वामी के लिए उस इकाई का मूल्य मापने की एक माप है। एक नकारात्मक शुद्ध मूल्य इंगित करता है कि मालिकों द्वारा किया गया पूरा निवेश संचित घाटे और आस्थगित राजस्व व्यय से समाप्त हो चुका है।

31 मार्च 2019 को छः उपक्रम[21] ऐसे थे, जिनकी संचित हानि ₹ 22.71 करोड़ थी। इन छः उपक्रमों में से, वर्ष 2018–19[22] के दौरान चार उपक्रमों ने ₹ 12.44 करोड़ की हानि वहन की और दो उपक्रमों को वर्ष 2018–19 में हानि नहीं हुई जबकि इनकी संचित हानि ₹ 4.91 करोड़ थी।

31 शामिल उपक्रमों मे से मात्र एक उपक्रम अर्थात म.प्र. प्लास्टिक सिटी डेव्लपमेन्ट कारपोरेशन ग्वालियर लिमिटेड का निवल मूल्य पूरी तरह समाप्त हो गया था। 31 मार्च 2019 को इस उपक्रम में निवेशित अंशपूंजी ₹ 2.27 करोड़ के विरूद्ध निवल मूल्य ₹ (-) 0.55 करोड़ था (***परिशिष्ट 3.1***)।

3.8.5 लाभांश का भुगतान

राज्य शासन ने लाभांश नीति (जुलाई 2005) तैयार की थी, जिसके तहत सभी लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों को कर के बाद लाभ का 20 *प्रतिशत* न्यूनतम प्रतिफल भुगतान करना था।

इस प्रतिवेदन में शामिल 31 उपक्रमों में से, 16 उपक्रमों जिनमें राज्य शासन द्वारा अवधि (2016–17 से 2018–19) के दौरान अंशपूंजी का निवेश किया था, का लाभांश के भुगतान को **तालिका 3.12** में दर्शाया गया है:–

तालिका 3.12: 16 उपक्रमों द्वारा लाभांश के भुगतान का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपक्रम जिनमें म. प्र. सरकार ने पूंजी निवेश किया		उपक्रम जिन्होने वर्ष के दौरान लाभ अर्जित किया		उपक्रम जिन्होने वर्ष के दौरान लाभांश घोषित/प्रदान किया		लाभांश भुगतान अनुपात (*प्रतिशत*)
	उपक्रमों की संख्या	म.प्र. सरकार द्वारा पूंजी निवेश	उपक्रमों की संख्या	लाभ अर्जित करने वाले उपक्रम जहाँ म.प्र. सरकार ने पूंजी का निवेश किया	उपक्रमों की संख्या	उपक्रमों द्वारा घोषित लांभाश/भुगतान	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5*100
2016–17	17	600.13	14	337.69	4	43.38	12.85
2017–18	17	714.13	12	374.70	6	45.63	12.18
2018–19	16	709.55	11	423.78	7	46.62	11.00

वर्ष 2016–17 से 2018–19 के दौरान, जिन्होने लाभ अर्जित किया, ऐसे उपक्रमों की संख्या 11 और 14 उपक्रमों के मध्य थी। इस अवधि के दौरान, वे उपक्रम जिन्होने राज्य शासन को लाभांश की घोषणा/भुगतान किया की संख्या चार और सात उपक्रमों के मध्य थी।

वर्ष 2016–17 से 2018–19 के दौरान लाभांश भुगतान अनुपात 11.00 *प्रतिशत* से 12.85 *प्रतिशत* के मध्य था।

---

20 म.प्र.रा.व.वि.नि, म.प्र.रा.ख.नि.लि, म.प्र. एग्रो. इण्ड. वि.नि.लि, म.प्र. पब्लिक हेल्थ सर्विस कारपो. लि., म.प्र.ल.उ.नि., म.प्र.स.वि.नि., म.प्र.एस.ई.डी.सी., म.प्र.वे,लॉ,का,लि, एम.पी.आई.डी.सी. और म.प्र.रा.प.वि.नि.लि.।

21 म.प्र. अर्बन डेव्लपमेन्ट कारपो., म.प्र. प्लास्टिक सिटी कारपो. लि., पीथमपुर ऑटो क्लस्टर लि., जबलपुर स्मार्ट सिटी, इन्दौर स्मार्ट सिटी और म.प्र. होटल कारपो. लि.।

22 म.प्र. अर्बन डेव्लपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2018–19 के वार्षिक लेखे प्राप्त नही हुए इसलिए वर्ष 2017–18 के वार्षिक लेखो की जानकारी ली गई हैं।

वर्ष 2018–19 के दौरान लाभांश की घोषणा/भुगतान करने वाले सात उपक्रमों में से दो[23] उपक्रमों ने निर्धारित सीमा से कम लाभांश की घोषणा की और पॉच[24] उपक्रमों ने लाभांश नीति के अनुसार लाभांश की घोषणा की।

3.8.6 अंशपूंजी पर प्रतिफल

अंशपूंजी पर प्रतिफल (आर.ओ.ई.) वित्तीय प्रर्दशन को मापने की एक इकाई है जिससे यह आंकलन किया जा सकता है कि प्रंबधन लाभ कमाने के लिए अंशधारकों की निधि का उपयोग कितने प्रभावी ढ़ग से कर रहा है। इसकी गणना शुद्ध आय (अर्थात् कर के पश्चात शुद्ध लाभ) को अंशधारकों की निधि से विभाजित करके की जाती है। इसे *प्रतिशत* में व्यक्त किया जाता है और इसकी गणना किसी भी कम्पनी के लिए की जा सकती है यदि शुद्ध आय और अंशधारक निधि दोनो सकारात्मक संख्याए हों।

किसी कम्पनी के अंशधारको के निधि की गणना प्रदत्त पूंजी और संचित हानि व आस्थगित राजस्व व्यय के बाद शेष मुक्त कोष को जोड़कर की जाती है और यह बताता है कि यदि सभी सम्पत्तियॉ बेच दी जाये एवं सभी ऋणों का भुगतान कर दिया जाये तो कम्पनी के हितधारको के लिए कितना शेष बचेगा। एक सकारात्मक अंशधारक निधि से पता चलता है कि कम्पनी के पास अपनी देनदारियों को चुकाने के लिए पर्याप्त सम्पत्तियॉ है जबकि नकारात्मक अंशधारक निधि का अर्थ है कि देनदारियां सम्पत्तियों से अधिक है।

मध्य प्रदेश के 31 उपक्रमों (इस प्रतिवेदन में शामिल) के सन्दर्भ में, जहॉ राज्य सरकार द्वारा निधि का निवेश किया गया है, 2016–17 से 2018–19 की तीन वर्षो की अवधि के दौरान अंशधारको की निधि और शुद्ध आय दोनों सकारात्मक थे, जैसा कि **तालिका 3.13** में दिया गया है।

तालिका 3.13: क्षेत्रवार अंशपूंजी पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष	उपक्रमों की संख्या	शुद्ध लाभ/हानि	अंशधारक निधि	आर.ओ.ई. (*प्रतिशत* में)
	1	2	3	4	5=(3/4)*100
अर्जित लाभ	2016–17	24	350.95	2453.89	14.30
	2017–18	18	380.01	1908.61	19.91
	2018–19	15	428.67	4075.86	10.51
वहन हानि	2016–17	5	–3.28	–73.47	4.46
	2017–18	8	–49.61	666.21	–7.45
	2018–19	9	–100.95	1624.74	–6.21
न लाभ/न हानि	2016–17	15	0	115.28	0.00
	2017–18	12	0	655.72	0.00
	2018–19	7	0	706.72	0.00
योग	**2016–17**	**44**	**347.67**	**2495.70**	**13.93**
	2017–18	**38**	**330.4**	**3230.54**	**10.23**
	2018–19	**31**	**327.72**	**6407.32**	**5.11**

*(**स्रोतः** लेखे एवं उपक्रमों द्वारा प्रदत्त जानकारी)*

यह देखा जा सकता है कि लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों की आर.ओ.ई. 10.51 *प्रतिशत* (2018–19) से 19.91 *प्रतिशत* (2017–18) के मध्य रही। 2018–19 में अंशधारक निधि 113 *प्रतिशत* तक बढ़ी जिसके कारण आर.ओ.ई. कम हुई।

3.8.7 नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (आर.ओ.सी.ई.) एक लाभप्रदता का पैमाना है जो कम्पनी की लाभप्रदता एवं दक्षता जिसके साथ उसकी पूंजी उपयोग किया गया है को मापता है। आर.ओ.सी.ई. दीर्घकालिक ऋणदाताओं के लिए महत्वपूर्ण निर्णय का पैमाना है। आरओसीई का महत्व तब स्पष्ट हो जाता है जब

[23] म.प्र. वेयरहाउसिग कारपो. और म.प्र.रा.व.वि.नि.लि.।

[24] म.प्र.रा.ख.नि.लि, म.प्र.एग्रो.इण्ड.वि.नि.लि, संत रविदास म.प्र.ह.शि.वि.नि.लि., म.प्र. पब्लिक हेल्थ सर्विस कारपो. लि. और म.प्र.ल.उ.नि.।

इसे आरओई के साथ रखकर देखा जाता है, जो उस दक्षता को मापता है जिसके साथ किसी कम्पनी की सम्पत्ति का उपयोग उसके अंशधारको के लिए मुनाफा कमाने के लिए किया जाता हैं। आर.ओ.सी.ई. की गणना ब्याज और कर पूर्व कुल आय (ई.बी.आई.टी.) को नियोजित पूंजी से विभाजित कर की जाती है।

वर्ष 2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान इस प्रतिवेदन में शामिल 31 उपक्रमों के आर.ओ.सी.ई. का विवरण **तालिका 3.14** में दिया गया है :

तालिका 3.14: इस प्रतिवेदन में शामिल उपकमों के नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष	उपक्रमों की संख्या	ब्याज व कर पूर्व आय	नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (*प्रतिशत* में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6=(4/5)*100**
अर्जित लाभ	2016–17	24	890.66	5646.26	15.77
	2017–18	23	513.20	4926.09	10.42
	2018–19	19	1884.22	8272.38	22.78
वहन हानि	2016–17	5	10.64	88.83	11.98
	2017–18	5	–9.81	277.35	–3.54
	2018–19	5	–8.73	852.71	–1.02
न लाभ/ न हानि	2016–17	15	0	224.54	0.00
	2017–18	10	0	506.21	0.00
	2018–19	7	0	516.82	0.00
योग	**2016–17**	**44**	**592.83**	**5959.63**	**9.95**
	2017–18	**38**	**503.39**	**5709.65**	**8.82**
	2018–19	**31**	**1875.49**	**9641.91**	**19.45**

*(**स्रोत**: लेखे एवं उपक्रमों द्वारा प्रदत्त जानकारी)*

वर्ष 2016–17 से वर्ष 2018–19 की अवधि के दौरान उपक्रमों की आर.ओ.सी.ई. 8.82 *प्रतिशत* और 19.45 *प्रतिशत* के मध्य थी।

3.8.8 उपक्रमों के दीर्घावधि ऋण का विश्लेषण

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के वर्ष 2016–17 से 2018–19 के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण, शासन, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं के ऋणों का भुगतान करने की कम्पनी की क्षमता का आंकलन करने के लिए, किया गया। इसका मूल्यांकन ब्याज व्याप्ति अनुपात एवं ऋण टर्नओवर अनुपात से किया जाता है।

3.8.9 ब्याज व्याप्ति अनुपात

ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग किसी कम्पनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है एवं इसकी गणना कम्पनी की ब्याज एवं करों से पूर्व की आय (ई.बी.आई.टी.) को उसी अवधि के ब्याज खर्चो से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, उपक्रम की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से कम का ब्याज व्याप्ति अनुपात बताता है कि कम्पनी ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नही कर रही है। वर्ष 2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान उपक्रमों, जिनका ऋण बकाया है और इस प्रतिवेदन में शामिल है, के सकारात्मक एवं नकारात्मक ब्याज व्याप्ति अनुपात का विवरण **तालिका 3.15** में दिया गया है:

तालिका 3.15: उपक्रमों, जिनकी ऋण की देयता है, का ब्याज व्याप्ति अनुपात

वर्ष	ब्याज एवं करों पूर्व आय (ई.बी.आई.टी.) (₹ करोड़ में)	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज व्याप्ति अनुपात	शासकीय उपक्रमों की संख्या जिन पर ऋणों का दायित्व है	शासकीय उपक्रमों की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक है	शासकीय उपक्रमों की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम है
2016–17	16.06	122.70	0.13:1	15	12	3[25]
2017–18	106.71	84.32	1.27:1	15	11	4[26]
2018–19	21.53	78.19	0.27:1	11	0	11

*(**स्रोत**: लेखे एवं उपक्रमों द्वारा प्रदत्त जानकारी)*

वर्ष 2018–19 के दौरान राज्य के सभी 11 उपक्रमों, जिनमें ऋण की देयता थी, का ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था जो यह दर्शाता है कि ये उपक्रम इस अवधि के दौरान अपने ब्याज भुगतान हेतु पर्याप्त राजस्व अर्जित नही कर पा रहे थे। म. प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन को राज्य सरकार से ब्याज मुक्त दीर्घावधि ऋण प्राप्त हुआ।

3.8.10 ऋण टर्नओवर अनुपात

मार्च 2019 को समाप्त तीन वर्षों के दौरान, इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए 31 उपक्रमों का ऋण टर्नओवर अनुपात 0.23:1 से 0.27:1 के मध्य था। और पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक गैर–ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर में नकरात्मक 0.91 *प्रतिशत* वार्षिक चक्रवृद्धि विकास दर दर्ज की गई, जो **तालिका 3.16** में दी गई है।

तालिका 3.16: उपक्रमों के ऋण टर्नओवर अनुपात का विवरण

विवरण	2016–17	2017–18	2018–19
सरकार/बैंक एवं वित्तीय संस्थान से ऋण	3850.29	3543.18	4128.22
टर्नओवर	15499.77	15651.26	15079.12
ऋण टर्नओवर अनुपात का विवरण	0.25:1	0.23:1	0.27:1

*(**स्रोत**: लेखे एवं उपक्रमों द्वारा प्रदत्त जानकारी)*

3.9 सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों (गैर–ऊर्जा क्षेत्र) का समापन

31 मार्च 2019 को राज्य के 16 उपक्रम अकार्यशील थे, जिनमें कुल निवेश ₹ 706.63 करोड़ था। इनमें मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (₹ 683.31 करोड़) एवं आप्टेल टेलीकम्यूनिकेशन लिमिटेड़ (₹ 17.12 करोड़) में 31 मार्च 2019 को सर्वाधिक निवेश था। 31 मार्च 2019 को समाप्त विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के अन्त में अकार्यशील उपक्रमों की संख्या **तालिका 3.17** में नीचे दी गई है।

तालिका: 3.17 राज्य के अकार्यशील उपक्रम

विवरण	2016–17	2017–18	2018–19
अकार्यशील सरकारी उमक्रमों की संख्या	17	16	16
उपरोक्त में से, परिसमापनाधीन सरकारी उमक्रमों की संख्या	4	4	4

*(**स्रोत**: संबन्धित वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पी.एस.यू.), म.प्र. शासन में शामिल जानकारी से संकलित व परिशिष्ट 3.2 में दिये गये)*

इन 12 अकार्यशील उपक्रमों जिनके 29 वर्षों[27] तक के लेखे बकाया है, के समापन के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार को उचित निर्णय ले लेना चाहिए। राज्य के एक उपक्रम अर्थात् म.प्र. राज्य वस्त्रोद्योग निगम, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार की ₹ 6.86 करोड़ की अंशपूंजी और ₹ 86.71 करोड़ का ऋण था, को वर्ष 2018–19 के दौरान विघटित कर दिया गया है।

3.10 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (गैर–ऊर्जा क्षेत्र) के लेखो पर टिप्पणियाँ

वह 44 उपक्रम जिनके नवीनतम लेखे उपलब्ध थे, 31 उपक्रमों ने कुल 39 लेखापरीक्षित लेखें, 01 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 की अवधि के दौरान महालेखाकार को अग्रेषित किए। इनमें से, 29 लेखें अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु चयनित किए गए। सांविधिक लेखापरीक्षको के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

[25] म.प्र.औ.के.वि.नि.लि. (इन्दौर), म.प्र.औ.के.वि.नि.लि. (रीवा) और म.प्र.ज.नि. मर्यादित।
[26] म.प्र.औ.के.वि.नि.लि. (इन्दौर), म.प्र. प्लास्टिक सिटी (ग्वालियर), म.प्र.स्टेट सिविल सप्लाईज कारपो. लि. और म.प्र.वि.नि.।
[27] परिशिष्ट 3.2 की कम्पनियां क्रमांक संख्या III अ 14 से III अ 24 और III ब 25 ।

एवं सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा इंगित करती है कि लेखों की गुणवत्ता में काफी हद तक सुधार की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की टिप्पणियों के एकीकृत मौद्रिक मूल्य का विवरण **तालिका 3.18** में दिया गया है:–

तलिका 3.18: राज्य के उपक्रमों (गैर–ऊर्जा क्षेत्र) पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2016–17		2017–18		2018–19	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	11	446.68	02	0.27	6	26.99
2.	लाभ में बढ़त	–	–	–	–	5	2.02
3.	हानि में बढ़त	3	–1.52	02	0.74	–	–
4.	हानि में कमी	–	–	01	0.12	01	0.12
5.	महत्वपूर्ण तथ्य को प्रकट न करना	3	1.87	01	107.02	5	6.28
6.	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	6	36.11	07	521.14	17	590.58

*(**स्रोत**: शासकीय कंपनियों के विषय में सांविधिक लेखापरीक्षक/सीएजी की टिप्पणियों से संकलित)*

वर्ष 2017–18 के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षको ने 17 लेखों पर मर्यादित प्रमाण पत्र जारी किये। उपक्रमों द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन खराब रहा क्योंकि सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 11 लेखों में लेखांकन मानकों के गैर अनुपालना के 23 मामले इंगित किए।

राज्य में तीन सांविधिक निगम है अर्थात 1. मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (म.प्र.रा.स.प.नि.), 2. मध्य प्रदेश वित्त निगम (म.प्र.वि.नि.), 3. मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लाजिस्टिक कारपोरेशन (म.प्र.वें.ला.का.)। सी.ए.जी. मात्र एक निगम अर्थात म.प्र.रा.स.प.नि., जो अकार्यशील हैं के सन्दर्भ में एकल लेखापरीक्षक है। शेष दोनो कार्यशील सांविधिक निगमों द्वारा, उनके वर्ष 2018–19 के लेखे अग्रेषित किए गए। दोनो लेखो का चयन अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु किया गया।

सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की पूरक लेखापरीक्षा टिप्पणियों के एकीकृत मौद्रिक मूल्य का विवरण **तालिका 3.19** में दिया गया है।

तालिका 3.19: सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2016–17		2017–18		2018–19	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	2	7.04	–	–	–	–
2.	लाभ में बढ़त	–	–	–	–	1	1.06
3.	हानि में बढ़त	–	–	1	17.51	–	–
4.	हानि में कमी	–	–	–	–	–	–
5.	महत्वपूर्ण तथ्य को प्रकट न करना	–	–	–	–	1	0.08
6.	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	–	–	1	103.31	1	109.80

*(**स्रोत**: सांविधिक निगमों के विषय में सांविधिक लेखापरीक्षक/सीएजी की टिप्पणियों से संकलित)*

अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

4.1 मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि का आवंटन/ हस्तांतरण

4.1.1 प्रस्तावना

मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड[1] (कंपनी), राज्य में निवेश को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए एकल खिड़की सचिवालय के रूप में नामित (2004) किया गया है। कंपनी मध्य प्रदेश सरकार की औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है। इसके पाँच क्षेत्रीय कार्यालय (क्षे. का.) इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा और ग्वालियर में हैं, जिन्हे औद्योगिक क्षेत्रों (आईए)/ विकास केंद्रों (जीसी)/ विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड)/ औद्योगिक पार्कों (आईपी) के विकास के साथ–साथ अपेक्षित औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, पानी की आपूर्ति, विद्युतीकरण आदि के विकास के माध्यम से राज्य में उद्योगों और औद्योगीकरण को बढ़ावा देने, प्रोत्साहित करने और विकसित करने का काम सौंपा गया है।

4.1.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

कंपनी की गतिविधियों का अनुपालन लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के उद्देश्य से किया गया था कि क्या भूमि आवंटन/ हस्तांतरण प्रक्रिया पारदर्शी थी; लागू नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के अनुसार भूमि प्रीमियम, लीज रेंट और विकास शुल्क लागू किए गए थे या नहीं और क्या वहाँ एक उचित निगरानी तंत्र था।

4.1.3 लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत

लेखापरीक्षा के लिए अपनाए गए मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से लिए गए हैं:

- मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि और औद्योगिक भवन प्रबंधन नियम, 2015 (नियम);
- औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2014 और दिसंबर 2018 का संशोधन; एवं
- हस्तांतरण, अधिग्रहण, आवंटन और लीज प्रीमियम के निर्धारण, लीज रेंट, विकास शुल्क, वार्षिक रखरखाव शुल्क आदि के लिए मध्य प्रदेश सरकार और निदेशक मंडल के निर्णय, आदेश और नीतियां।

4.1.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

कंपनी की लेखापरीक्षा जून–अगस्त 2019 के दौरान किया गया था और 2016–17 से 2018–19 के तीन साल की अवधि के दौरान कंपनी के भूमि आवंटन और हस्तांतरण को समाविष्ट किया गया था। लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय और साथ ही इसके तीन क्षे. का.[2] (ग्वालियर, भोपाल और इंदौर) में प्रासंगिक अभिलेखों की जांच शामिल थी। सबसे अधिक आवंटन करने वाले तीन औद्योगिक क्षेत्रों[3] का संयुक्त भौतिक निरीक्षण विभागीय अधिकारियों के साथ किया गया था।

2016–17 से 2018–19 की अवधि से संबंधित लेखापरीक्षा जांच के लिए भूमि आवंटन, स्थानांतरण, इकाइयों के उत्पादन और शुरू होने के लिए चयनित नमूने के कुल मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

---

1 पूर्व में मध्य प्रदेश व्यापार और निवेश सुविधा निगम लिमिटेड (म. प्र. ट्राइफेक) के रूप में जाना जाता था।
2 रैंडम सैंपलिंग के आधार पर, इंटर एक्टिव डेटा एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस (आई.डी.ई.ए.) सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है।
3 मालनपुर (क्षे. का., ग्वालियर), बगरोदा (क्षे. का., भोपाल) और पीथमपुर तृतीय (क्षे. का., इंदौर)।

तालिका 4.1.1: लेखापरीक्षा जांच के लिए मामलों का चयन

विवरण	क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर	क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल	क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर	संपूर्ण
भूमि आवंटन के मामले	48	558	235	841
समीक्षा के लिए चुने गए	16	31	85	138
उत्पादन शुरू करने हेतु देय इकाइयाँ	22	21	95	138
समीक्षा के लिए चुने गए	6	6	29	41
भूमि हस्तांतरण के मामले	40	65	89	194
समीक्षा के लिए चुने गए	11	18	23	52

4.1.5 लेखापरीक्षा परिणाम

भूमि आवंटन और हस्तांतरण समय–समय पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी नियमानुसार[4] किया जाना था। भूमि आवंटन और प्रासंगिक समयसीमा के लिए प्रक्रिया नीचे दी गई है:

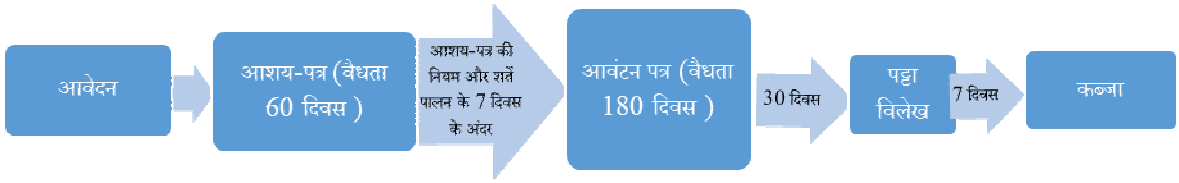

इस संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा निम्नलिखित कंडिकाओं में की गई है।

4.1.5.1 अत्यधिक प्रदूषणकारी और खतरनाक श्रेणी के उद्योगों को भूमि का आवंटन

नियमों की धारा 4(vi) के अनुसार विनिर्माण कीटनाशक, कार्बन ब्लैक और अन्य जैसे (नियमों के परिशिष्ट अ) की अत्यधिक प्रदूषणकारी और खतरनाक श्रेणी के उद्योगों हेतु भूमि को केवल उन औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित किया जाना था, जहां अलग क्षेत्र से एक ऐसे उद्योगों के लिए निर्धारित किया गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ऐसे उद्योगों के लिए कोई अलग क्षेत्र नहीं बनाया गया था और औद्योगिक क्षेत्रों में निम्नलिखित अत्यधिक प्रदूषणकारी और खतरनाक उद्योग इकाइयों को भूमि आवंटित की गई थी:

तालिका 4.1.2: अत्यधिक प्रदूषण और खतरनाक श्रेणी के उद्योगों की भूमि आवंटन का विवरण

सरल क्र.	इकाई का नाम	उद्योग की प्रकृति	आवंटन का महीना	क्षेत्रीय कार्यालय
1	मै. वंदना प्लास्टिक	टायर प्रसंस्करण तेल (कार्बन ब्लैक के रूप में इसके उपोत्पाद के साथ)	जून 2016	इंदौर
2	मै. कुश एग्रो क्रॉप साइंस	कीटनाशकों	मई 2017	

सरकार द्वारा उत्तर (जून 2020) में कहा गया कि ये इकाइयां नियमों के परिशिष्ट अ में शामिल नहीं हैं।

उत्तर सही नहीं है, क्योंकि कीटनाशक और ब्लैक कार्बन नियम 4(1)(vi) परिशिष्ट अ के क्र. 2(iii) और 3(ii) में शामिल हैं।

4.1.5.2 इकाई द्वारा प्रतिबंधित गतिविधि को जारी रखना

नियमों की धारा 4(1) के अनुसार, प्रतिबंधित गतिविधियाँ करने वाले उद्योग, जिसमें सीमेंट कंक्रीट मिक्सचर प्लांट शामिल हैं, औद्योगिक क्षेत्र में भूमि के आवंटन के लिए पात्र नहीं हैं।

[4] भूमि आवंटन नियम, 2015 (अप्रैल 2015 से लागू)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी ने स्टोन कटिंग और पॉलिशिंग इकाई की स्थापना हेतु मैसर्स प्रेम स्टोन इंडस्ट्रीज को भूमि (सितंबर 2007) आवंटित की। किन्तु, आवंटी द्वारा सीमेंट कंक्रीट मिक्सचर प्लांट शुरू किया गया और जून 2017 तक संचालित किया, जब आवंटी ने दूसरे आवंटियों को इसके हस्तांतरण के लिए अनुरोध किया। उल्लंघन (मई 2012) से अवगत होने के बावजूद, कंपनी ने आवंटन को रद्द नहीं किया। नई आवंटी द्वारा भी आवंटन रद्द होने तक उसी संयंत्र का संचालन जारी रखा गया।

कंपनी ने उत्तर दिया (जून 2020) कि सीमेंट कंक्रीट मिक्सचर प्लांट के संचालन के कारण जून 2019 में नए आवंटी को आवंटन रद्द कर दिया गया था।

निषिद्ध गतिविधि को सूचित करने की पर्याप्त अवधि के बाद आवंटन का रद्द करना कंपनी के कमजोर निगरानी तंत्र को दर्शाता है।

4.1.5.3 नियमों के उल्लंघन करते हुए अतिरिक्त भूमि का आवंटन

नियमों की धारा 6 के अनुसार, कवर्ड क्षेत्र न तो प्लॉट क्षेत्र के 40 *प्रतिशत* से कम होना चाहिए और न ही 60 *प्रतिशत* से अधिक होना चाहिए। भूमि की कुल पात्रता उसी अनुसार कंपनी को तय करना होगा। इसके अलावा, नियमों की धारा 4(viii) के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की आईटी निवेश नीति[5] के प्रावधानों के तहत आने वाली इकाइयों को भूमि आवंटित की जा सकती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निम्नलिखित प्रकरणों में भूमि आवंटन नियमानुसार नहीं थे।

तालिका 4.1.3: अतिरिक्त रियायती भूमि के आवंटन का विवरण

इकाई का नाम	इकाई द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अनुसार कवर क्षेत्र (वर्ग मीटर)	नियमों के अनुसार भूमि की अधिकतम पात्रता (वर्ग मीटर)	आवंटित भूमि (वर्ग मीटर)	अतिरिक्त आवंटन (वर्ग मीटर)	आवंटन की तारीख
मेसर्स अजंता फार्मा	13,049	32,623.00[6]	1,91,982.00	1,59,359.00	सितंबर 2018
मैसर्स प्रताप टेक्नोक्रेट	आईटी निवेश नीति 2016 के अनुसार आवंटन लागू नहीं था	9,388.70[7]	41,132.84	31,744.10	सितंबर 2018

- मेसर्स अजंता फार्मा के मामले में, कंपनी की नियमानुसार आवंटित भूमि का आकलन करने में विफलता के कारण भूमि का 1,59,359 वर्गमीटर से अधिक आवंटन हुआ और इसके परिणामस्वरूप आवंटी को ₹ 8.96 करोड़[8] लाभ हुआ।
- मेसर्स प्रताप टेक्नोक्रेट के मामले में, पॉलिसी में उल्लिखित पात्रता मानदंड से विचलन में, इकाई को अतिरिक्त 7.88 एकड़ (31,744.10 वर्गमीटर) आवंटित करने के साथ 10.16 एकड़ (41,132.84 वर्गमीटर) भूमि के पूरे क्षेत्र पर अनुचित छूट दी जिससे कि इकाई को ₹ 37.51 लाख का अतिरिक्त लाभ हुआ; एवं

---

5 आईटी, आईटीईएस और इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण नीति 2016 के प्रावधान के अनुसार, ईएसडीएम सेक्टर की एक इकाई रियायती दर पर भूमि के आवंटन के लिए पात्र होगी। आवंटित किया जाने वाला अधिकतम क्षेत्र कोर ऑपरेशन (मुख्य आर्थिक गतिविधि) में कार्यरत प्रत्येक 50 लोगों के लिए एक एकड़ भूमि के आधार पर आ जाएगा और सुरक्षा सेवाओं, बागवानी, ड्राइवरों आदि जैसे समर्थन सेवाओं में कार्यरत लोग शामिल नहीं किए जाएगें। आवंटित भूमि की लागत पर 75 *प्रतिशत* की छूट की अनुमति दी जानी थी।

6 अधिकतम पात्र भूमि = 13,049 वर्गमीटर * 100/40 = 32,623 वर्गमीटर।

7 इकाई ने अपने आवेदन में 316 व्यक्तियों (200 अकुशल श्रमिकों सहित) के लिए रोजगार का प्रस्ताव दिया। इस प्रकार, इकाई 2.32 एकड़ (एक एकड़ * 116 कर्मचारी / 50 कर्मचारी) के लिए पात्र थी; 2.32 एकड़ = 9,388.70वर्ग मीटर।

8 पात्र क्षेत्र के लिए प्रीमियम (छूट) 32,623 वर्ग मीटर, ₹ 2.40 करोड़ अतिरिक्त क्षेत्र 1,59,359 वर्ग मीटर हेतु प्रीमियम (बिना छूट) ₹ 30.60 करोड़ = ₹ 33.00 करोड़ – लागू प्रीमियम ₹ 24.04 करोड़ = ₹ 8.96 करोड़।

- उपरोक्त के अलावा, कंपनी ने नियमों के अनुसार पात्रता का आकलन किए बिना मैसर्स वंडर सीमेंट को 2,85,000 वर्गमीटर भूमि आवंटित की। चूंकि इकाई ने आवंटन नियमों की धारा 6 के अनुसार निर्मित किए जाने वाले प्रस्तावित आच्छादित क्षेत्र को जमा नहीं किया है, इसलिए आवंटित की जाने वाली भूमि की मात्रा और आवंटित की गई अतिरिक्त भूमि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

सरकार की प्रतिक्रिया (जून 2020) इस प्रकार है :

- पूंजी निवेश और प्रस्तावित रोजगार को आकर्षित करने के लिए मेसर्स अजंता फार्मा के मामले में, प्रबंध निदेशक, एम.पी. ट्राइफेक की मंजूरी के साथ भूमि आवंटित की गई थी;
- मेसर्स प्रताप टेक्नोक्रेट्स लिमिटेड के मामले में, भूमि का आवंटन 28 जनवरी 2017 को दिए गए मध्य प्रदेश सरकार पत्र के अनुसार किया गया था, जहाँ आईटी निवेश 2016 में प्रदान की गई भूमि के मूल्य में 75 *प्रतिशत* की रियायत प्रदान करने के निर्देश जारी किए गए थे ; एवं
- मेसर्स वंडर सीमेंट के मामले में, विभाग के पत्र दिनांक 26 अगस्त 2016 द्वारा अनुमोदित आवंटन के अनुसार भूमि आवंटित की गई थी। इसके अतिरिक्त, आवंटन नियमों की धारा 12(i) के अनुसार, सरकार को भूमि आवंटित करने का अधिकार है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योकिः

- मेसर्स अजंता फार्मा के मामले में, प्रबंध निदेशक, एम.पी. ट्राइफेक को प्रस्तुत किए गए लेख में अतिरिक्त आवंटन के तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है, जैसा कि एमडी को प्रस्तुत अन्य मामलों में किया जा रहा है;
- मैसर्स प्रताप टेक्नोक्रेट्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, उत्तर गलत है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने पत्र में संधर्भित आईटी निवेश नीति मे लेख है कि एक एकड़ में आवंटित की जाने वाली सब्सिडी वाली भूमि का क्षेत्र बनाई गई प्रत्येक 50 नौकरियों के लिए स्पष्ट रूप से है। यद्यपि 75 *प्रतिशत* की रियायत पर विचार किया जाता है, लेकिन आईटी नीति के अनुसार सब्सिडी वाली भूमि की मात्रा का निर्धारित नहीं किया गया है; तथा
- मेसर्स वंडर सीमेंट के मामले में, विभाग की स्वीकृति दिनांक 26 अगस्त 2016 मे स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि भूमि आवंटन नियमावली 2015 के प्रावधानों के अनुसार आवंटित की जानी थी, जिसे आक्छादित क्षेत्र के प्रकटीकरण की आवश्यकता है, जिसका अनुपालन नहीं किया गया है।

इस प्रकार, निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए, कंपनी ने इन मामलों में अतिरिक्त भूमि आवंटित की थी।

4.1.5.4 आवंटित मामलों में इकाइयों द्वारा उत्पादन शुरू नहीं करना

नियमों की धारा 15(i) के अनुसार औद्योगिक इकाइयों को एक निर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्पादन शुरू करना होता है[9], जिसमे विफल होने पर, उन्हें इसके कारणों को बताते हुए समय सीमा को बढ़ानें के लिए आवेदन देना होगा। पहले वर्ष के लिए विस्तार बिना किसी दंड के दिया जाएगा, लेकिन प्रस्ताव का 50 *प्रतिशत* निवेश करने की शर्त के साथ। हालांकि, अगले विस्तार के लिए प्रीमियम का 10 *प्रतिशत* जुर्माना देना होगा। इसके अलावा, पट्टाविलेख के धारा 11 (अ) के अनुसार, यदि कोई पट्टेदार आवंटन की तारीख से तीन साल के भीतर न्यूनतम निश्चित निवेश (25 *प्रतिशत*) करने में विफल रहता है, तो रियायत की राशि 12 *प्रतिशत* ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

लेखापरीक्षा जांच में निम्नलिखित तथ्य सामने आएः

[9] अधिपत्य के दो साल के भीतर माइक्रो और एसएसआई द्वारा, तीन साल में मध्यम उद्योग द्वारा और चार साल के भीतर वृहद् इकाइयां द्वारा।

- 138 चयनित मामलों में से, 22 इकाइयां निर्धारित अवधि के दौरान उत्पादन शुरू करने में विफल रही और बिना किसी विस्तार आवेदन दिए जमीन पर कब्जा जारी रखा गया। कंपनी परिकल्पित परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति[10] से अनभिज्ञ थी और उसके द्वारा नियमानुसार कोई आगामी कार्रवाई शुरू नहीं की ***(परिशिष्ट 4.1.1)***।

- 2016–17 से पूर्व आवंटित प्रकरण किन्तु लेखापरीक्षा अवधि के दौरान उत्पादन शुरू करने वाले 41 चयनित मामलों में से, 21 इकाइयों[11] ने अभी तक उत्पादन शुरू नहीं किया था और विस्तार के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था जिनमें कंपनी द्वारा आगे की कार्रवाई अभिलेखों पर नहीं पाई गई ***(परिशिष्ट 4.1.2)***।

कंपनी द्वारा उत्पादन/ गतिविधि शुरू करने की प्रगति के निगरानी हेतु नियमित निरीक्षण नहीं किया है और देरी/ उत्पादन शुरू न होने के लिए पट्टेदार इकाइयों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

सरकार द्वारा उत्तर (जून 2020) में कहा गया कि गतिविधियों को शुरू न करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। 14 इकाइयों (क्षे. का., इंदौर) ने अपना उत्पादन शुरू कर दिया है, एक इकाई (क्षे. का., इंदौर) ने परीक्षण उत्पादन शुरू कर दिया है और छह (क्षे. का. भोपाल की तीन इकाइयाँ और क्षे. का. इंदौर की तीन इकाइयाँ) इकाइयों ने उत्पादन शुरू नहीं किया है, उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। आगे कहा गया कि उन इकाइयों को नोटिस जारी किए जाएंगे जो कार्यान्वयन चरण में हैं।

4.1.5.5 भूमि हस्तांतरण के मामलों में त्रुटियाँ

कंपनी द्वारा भूमि के नवीन आवंटन करने के अलावा, नियमानुसार भूमि के हस्तांतरण की भी अनुमति दी जाती है, लेखापरीक्षा ने 52 भूमि हस्तांतरण मामलों की जांच की और विचलन/ गैर–अनुपालन के निम्नलिखित प्रकरण पाए गए:

- कंपनी द्वारा पांच मामलों[12] में भूमि के हस्तांतरण नियमों की धारा 18(ब)(i)[13] में आवंटियों द्वारा आवश्यक न्यूनतम निवेश सुनिश्चित किए बिना स्वीकृत किए गए;

- कंपनी द्वारा चार मामलों[14] मे नियमों का धारा 42 (ii)[15] का उल्लंघन करते हुए मूल पट्टा विलेख को रद्द (व्यापार/ संचालन की गैर–शुरूआत)होने पर, नवीन भूमि आवंटन के स्थान पर भूमि के हस्तांतरण की अनुमति दी गई। (***परिशिष्ट 4.1.3*** में विवरण के अनुसार);

- कंपनी ने धारा 18(क)(5)[16] का पालन नहीं किया और इस तरह तीन मामलों[17] में नए आवंटियों से विकास शुल्क वसूलने में विफल रही, जहां पुराने आवंटियों ने भुगतान नहीं किया था। परिणामस्वरूप आवंटियों को अनुचित लाभ हुआ और सरकारी खजाने में ₹ 3.30 करोड़ हानि हुई; तथा

---

10 साइट, बिजली कनेक्शन और उत्पादन शुरू करने की स्थिति में कार्यान्वयन, वित्तीय व्यवस्था, संयंत्र और मशीनरी की वास्तविक अनुसूची।

11 क्षे. का. भोपाल की तीन इकाइयां, और क्षे. का इंदौर की 18 इकाइयां।

12 मैसर्स एयरन एग्रो सेल्स प्राइवेट, मैसर्स प्रेम स्टोन इंडस्ट्रीज, मैसर्स रतन बेसिक ड्रग्स, मैसर्स आईएफबी इंडस्ट्रीज और मैसर्स डेकोर एक्सोक्सिल्स प्राइवेट लिमिटेड।

13 अन्य पार्टियों को भूमि के हस्तांतरण की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब हस्तांतरणकर्ता इकाई ने फिक्स्ड कैपिटल में प्रस्तावित निवेश (भूमि आवंटन के लिए आवेदन के अनुसार) का न्यूनतम 25 *प्रतिशत* निवेश किया हो।

14 मैसर्स रतन बेसिक ड्रग्स, मैसर्स अल–सुभआरम्भ बिल्डकॉन एंड सर्विसेज लिमिटेड, मैसर्स आईएफबी इंडस्ट्रीज और मैसर्स डेकोर एक्सोक्सिल्स प्राइवेट लिमिटेड (नवंबर 2004 में डेकोर द्वारा टेकओवर करने से पहले, मेसर्स प्रोग्रेसिव एक्स ट्रैक्ट्स एंड एक्सपोर्ट प्राइवेट सीमित)।

15 यदि पट्टा विलेख रद्द हो जाती है, तो पट्टेदार भूमि पर स्थापित मशीनरी, भवन आदि को बेच सकता है और पट्टा विलेख के रद्द होने से तीन महीने के भीतर अन्य पक्ष के पक्ष में भूमि को हस्तांतरित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

16 यदि आवंटन के समय मूल आवंटी ने विकास शुल्क का भुगतान नहीं किया है, तो उसे हस्तांतरण के समय नई इकाई (ट्रांसफर) से एकत्र किया जाएगा।

17 मैसर्स अमन सेठी/ बी.आर. ओवरसीस, मैसर्स डिकोर एकजोलिस/बद्री कोटसीन और मैसर्स एक्सिलेंट पेकेजिंग/ नोबल कोरुगेटर।

- आवधिक निरीक्षणों के अभाव में, कंपनी उन आवंटियों की पहचान करने में विफल रही जो निर्धारित समय के भीतर आवंटित भूमि पर न्यूनतम निर्माण पूरा नहीं कर सके और फलस्वरूप नियमों की धारा 15(vi)[18] के तहत दंड नहीं वसूल सकी।

सरकार ने उत्तर दिया (जून 2020) जो इस प्रकार है:

- चूंकि इकाइयों ने पहले ही ऑपरेशन/ उत्पादन शुरू कर दिया था, इसलिए निवेश का प्रमाण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी;
- उचित प्राधिकारी (म. प्र. ट्राइफेक) के अनुमोदन के अनुसार स्थानांतरण की अनुमति दी गई थी;
- 8 मई 2018 के मध्य प्रदेश सरकार के आदेश अनुसार विकास शुल्क नहीं वसूला गया[19]; तथा
- आवश्यकतानुसार निरीक्षण किए गए।

निम्नलिखित के दृष्टिगत उत्तर स्वीकार्य नहीं है:

- क्षेत्र में औद्योगिकीकरण/ रोजगार सृजन सुनिश्चित करने के लिए रियायती दरों पर भूमि आवंटित की गई थी। इसलिए कंपनी को नियमित अंतराल पर निवेश के निरंतरता (व्यापार/ निवेशों की कीमत/ वार्षिक लेखापरीक्षा की गई बैलेंसशीट के अनुसार) और विशेष रूप से स्थानांतरण की अनुमति देने से पहले न्यूनतम निवेश की शर्त का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रमाण प्राप्त करना चाहिए;
- उन इकाइयों को भूमि का हस्तांतरण की अनुमति देना, जो बकाया भुगतान में चूक गए थे, या निर्धारित समय के भीतर परिचालन शुरू नहीं किया था, नियमों के प्रावधानों के खिलाफ था;
- उक्त आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विकास शुल्क उन हस्तांतरण मामलों में देय नहीं होगा जहां भूमि का उपयोग औद्योगिकीकरण के लिए किया गया था। चूंकि इन इकाइयों ने उत्पादन शुरू नहीं किया था या लंबे समय से उत्पादन बंद कर दिया था, वे इस अपवाद के तहत नहीं आते है; तथा
- आवश्यकता के अनुसार निरीक्षण करना स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि निर्धारित अवधि के भीतर उत्पादन शुरू करने में विफलता के मामलों की पहचान करने के लिए कोई व्यवस्थित निगरानी प्रणाली नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप नियमों का पालन नहीं किया गया।

आवंटियों द्वारा आवंटन के नियमों/ नियमों और शर्तों के अनुपालन की निगरानी के लिए प्रभावी प्रणाली निगरानी के अभाव में, कंपनी उन आवंटियों के मामले में अपेक्षित कार्रवाई करने में असमर्थ थी जो निर्धारित अवधि के भीतर संचालन शुरू करने में विफल रहे।

---

[18] आवंटन इकाई उत्पादन शुरू होने की तारीख से तीन/ पांच साल (आवंटन नियम 2015) के भीतर भूमि के उपयोग के लिए आवंटित भूमि पर न्यूनतम निर्माण पूरा करेगी। अन्यथा, अनुपयोगी भूमि को आवंटियों से वापस ले लिया जाएगा और अप्रयुक्त भूमि का प्रीमियम वापस नहीं किया जाएगा और उसी भूमि को मौजूदा दरों पर प्रीमियम वसूलने वाले नए आवंटियों को आवंटित किया जाएगा। ऐसे मामलों में जहां नई इकाइयों को भूमि आवंटित करना संभव नहीं है, प्रचलित वार्षिक लीज किराए के 15 गुना के बराबर पट्टे का आवंटन आवंटी से लिया जाएगा।

[19] 8 मई 2018 के आदेश के अनुसार, विकास शुल्क भूमि हस्तांतरण के मामलों में देय नहीं होगा जहां भूमि पहले से ही औद्योगीकरण के लिए उपयोग में थी।

4.1.5.6 राज्य सरकार के निर्देशानुसार भूमि प्रीमियम दरों का पुनरीक्षण नहीं करना

नियमों की धारा 9 (v) में उल्लेखित है कि भूमि की दरें औद्योगिक क्षेत्र के कलेक्टर के दिशानिर्देशों के अनुसार तय की जाएं और संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदित होंगी। इसके अलावा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्देशित (जनवरी 2016)[20] किया गया कि यदि दरें, धारा 9 (v) (निर्धारित छूट के बाद) के अनुसार कम की गई दरें उस क्षेत्र/ आस–पास के क्षेत्रों में प्रचलित भूमि प्रीमियम दर से कम हैं, तो ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय कार्यालयों को अपने संबंधित औद्योगिक क्षेत्रों में दरों को मौजूदा दरों तक बढ़ाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि संशोधित नियमों के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर और भोपाल में 10 औद्योगिक क्षेत्र[21] की भूमि प्रीमियम दरें प्रचलित भूमि प्रीमियम से कम थीं। हालांकि, उन्होंने प्रचलित प्रीमियम दरों में वृद्धि नहीं की। नतीजतन, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में ₹ 1.43 करोड़[22] और क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर, में ₹ 22.99 करोड़[23] की कम वसूली हुई (विवरण ***परिशिष्ट 4.1.4 और 4.1.5*** में दिया गया है)। जबकि, क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर में, भूमि प्रीमियम दरें[24] आवंटन के लिए मध्य प्रदेश सरकार के आदेशों के अनुसार वृद्धि की गई अर्थात जहाँ दरें प्रचलित दरों से कम थी और संचालक मण्डल अनुमोदन प्राप्त किया गया।

सरकार ने उत्तर दिया (जून 2020) कि संचालक मण्डल की मंजूरी के बाद भूमि प्रीमियम की दरें तय की गई थीं और निर्धारित की गई दरें तर्कसंगत और नियमों के अनुसार थीं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दरें, जहाँ भी आवश्यकता अनुसार न बढ़ी हो, वहाँ कंपनी को वित्तीय नुकसान होता है।

4.1.5.7 वार्षिक रखरखाव प्रभार (एएमसी) का गैर–संशोधन

नियमों की धारा 9 (iv) के अनुसार, क्षेत्रीय कार्यालय कुल आवंटित योग्य भूमि द्वारा कुल/सम्पूर्ण रखरखाव लागत को आनुपातिक रूप से विभाजित करके वार्षिक रखरखाव प्रभार (एएमसी) का आकलन/ गणना करेगा और एएमसी प्रति वर्ग मीटर की निर्धारित दर/ वर्कआउट करेगा और लागत को, संबंधित इकाई को आवंटित भूमि के आधार पर वसूल करेगा। 2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान एएमसी प्रति वर्ग मीटर का शुल्क नीचे दिया गया है:

तालिका 4.1.4 : 2016–17 से 2018–19 के लिए वार्षिक रखरखाव प्रभार

(₹ प्रति वर्ग मीटर)

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	2016–17		2017–18		2018–19	
	एसएसआई / मध्यम	वृहद	एसएसआई / मध्यम	वृहद	एसएसआई / मध्यम	वृहद
क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर	6.00 से 30.00	8.00 से 30.00	6.00 से 30.00	7.00 से 30.00	5.00 से 30.00	7.00 से 30.00
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	6.46	8.61	6.46	8.61	6.00	8.00
क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00

सरकार द्वारा उत्तर दिया गया (जून 2020) कि कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 2016–17 से 2018–19 के लिए एएमसी की दरें निर्धारित किए गए थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि एएमसी की दरों को संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया था, गणना की विधि रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं थी। इसलिए, लागत वसूल करने के लिए एएमसी शुल्क की शुद्धता/ पर्याप्तता को लेखापरीक्षा में निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

---

20 म. प्र. ट्राइफेक (फरवरी 2016) द्वारा दोहराया गया।

21 मंडीदीप, बगरोदा, अचारपुरा और कीरतपुर (क्षे. का., भोपाल), पीतमपुर I और II, पीतमपुर तृतीय, एसईजेड, मेघनगर और निमरानी (क्षे. का., इंदौर)।

22 भूमि आवंटन (37 चयनित मामलों में से 30 मामले) और स्थानांतरण मामले (सभी 18 चयनित मामलों में)।

23 भूमि आवंटन (85 चयनित मामलों में से 40 मामले) और स्थानांतरण मामले (23 चयनित मामले)।

24 आवंटन के उन स्लैब/ आकार के लिए, जहां छूट की नई दूरबीन विधि के तहत प्रचलित प्रीमियम की तुलना में दरें कम थीं।

4.1.5.8 औद्योगिक इकाइयों से बकाया राशि का गैर–वसूली

नियमों की धारा 9(ii) और (iv) के अनुसार, कंपनी को वार्षिक लीज रेंट के साथ–साथ एएमसी की मौजूदा दरों के अनुसार समय–समय पर वसूल करना होता है। विलंब के मामले में, धारा 10(iii) के अनुसार राशि को प्रतिवर्ष 10 *प्रतिशत* ब्याज के साथ वसूल किया जाना थी। इसके अलावा, पट्टा विलेख के सामान्य नियम और शर्तों के अनुसार, लीज रेंट और मेंटेनेंस चार्ज, या उसके किसी भी हिस्से के लिए, जो बनने के बाद से छह कैलेंडर महीनों के लिए अदेय रहता है, और पट्टेदाता द्वारा दिए गए नोटिस के 60 दिनों के भीतर पट्टेदार उल्लंघन के लिए उपाय बनाने में विफल रहता है या दिवालिया हो जाता या उद्योग की संरचना के लिए इन लेनदारों के साथ एक समझौता करता है, तो पट्टे को रद्द माना जाएगा।

चयनित 190 मामलों (138 आवंटन मामलों और 52 स्थानांतरण मामलों) में से, लेखापरीक्षा में देखा गया कि, 75 इकाइयों से लीज रेंट, एएमसी, ब्याज आदि के लिए ₹ 2.31 करोड़[25] राशि बकाया (जून 2019) थी। इनमे से पांच इकाइयों[26] से वसूली के लिए ₹ 1.60 करोड़ रुपये बकाया थे।

सरकार ने उत्तर दिया (जून 2020) कि कंपनी की स्थापना औद्योगिक बुनियादी ढांचा प्रदान करने और राज्य में उद्योगपतियों को रियायती जमीन देने के उद्देश्य से की गई थी, न कि आवंटियों के दोषों के आधार पर आवंटन रद्द करने के उद्देश्य से। इसके अलावा, बकाया की वसूली एक सतत प्रक्रिया है और वसूली के लिए नोटिस जारी किए जाते हैं।

निष्कर्ष

जैसा कि पूर्वगामी कण्डिकाओं में सामने आया है, कंपनी ने आवंटियों द्वारा परिचालन शुरू करने की निगरानी करने, उचित भूमि प्रीमियम दर, वार्षिक रखरखाव शुल्क आदि को अंतिम रूप देने के संदर्भ में कई मामलों में औद्योगिक इकाइयों को भूमि के आवंटन/ हस्तांतरण के लिए नियमों का अनुपालन नहीं किया है, जो संभावित रूप से राज्य में औद्योगीकरण और रोजगार सृजन के उद्देश्य उपलब्धि को प्रभावित कर सकता है।

अनुशंसा

कंपनी द्वारा भूमि आवंटन नियमों, आवंटन आदेशों, आवंटियों द्वारा पट्टा विलेख में व्यवसाय शुरू करने और बकाया राशि का समय पर भुगतान करने हेतु, दी गई नियमों और शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि राज्य में औद्योगिकीकरण और रोजगार सृजन के परिकल्पित उद्देश्य को समयबद्ध तरीके से प्राप्त किया जा सके।

---

[25] इसमें, पिछले दो वर्षों से ₹ 1.85 करोड़ बकाया है और पिछले एक साल से ₹ 0.46 करोड़ बकाया है।

[26] क्षे. का. भोपाल की एक इकाई, (अप्रैल 2018 से ₹ 0.81 करोड़), क्षे. का. ग्वालियर की एक इकाई, (मार्च 2017 के बाद से ₹ 0.43 करोड़) और क्षे. का. इंदौर की तीन इकाइयाँ (अप्रैल 2018 से वार्डों पर ₹ 0.36 करोड़) क्षे. का. ग्वालियर की एक इकाई, ने गतिविधियां शुरू नहीं की हैं और आवंटित भूखंड सितंबर 2019 में ऑडिट द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किए गए थे।

4.2 मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, भोपाल द्वारा व्यवसायिक वृक्षारोपण के नवम–चरण का कार्यान्वयन

4.2.1 प्रस्तावना

मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, भोपाल (कंपनी) को उच्चतर आर्थिक मूल्य वाली, तेजी से बढ़ने वाली और विभिन्न व्यावसायिक एवं औद्योगिक उपयोग में सक्षम प्रजातियों को सागौन, बांस और मिश्रित विविध प्रजातियों को बढ़ाने हेतु परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से लागू करके वानिकी उत्पादन में तेजी लाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार (म. प्र. स.) के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में (जुलाई 1975) निगमित किया गया था।

4.2.2 कंपनी द्वारा व्यवसायिक रोपण का नवम–चरण

कंपनी द्वारा योजना प्रतिवेदन तैयार किया जाता है, जो विस्तृत लक्ष्य, तकनीकी मापदंडों, निगरानी और मूल्यांकन, परियोजना लागत, उपज और राजस्व, वित्तीय विश्लेषण आदि युक्त पांच वर्षों की अवधि के लिए वृक्षारोपण का एक चरण–वार कार्यक्रम है। चरण में लिए कार्य को आगे मंडल[27] स्तर पर प्रत्येक कूप[28] के लिए मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) द्वारा अनुमोदित वार्षिक सूक्ष्म योजनाओं[29] में विभाजित किया गया है।

कंपनी ने आठ चरणों को कार्यान्वित कर चुकी है और वर्तमान में नवम–चरण (2015–16 से 2019–20) का कार्यान्वयन जारी था। नवम–चरण के लिए परियोजना प्रतिवेदन की तैयारी सितंबर 2013 में शुरू की गई थी और दिसंबर 2014 में संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया था। परियोजना के नवम–चरण के निम्नलिखित उद्देश्य थे:

अ) वन आवरण के संवर्धन द्वारा क्षेत्र की पारिस्थितिक स्थिति में सुधार;

ब) व्यावसायिक, औद्योगिक और घरेलू जैसे विविध उपयोग के लिए गुणवत्तापूर्णवनोपज उत्पादन के लिए कम मूल्यवान/ पतित/ खराब साइट गुणवत्ता वाले वनों को उच्च मूल्य वाले मानव निर्मित वनों में परिवर्तन;

स) क्षेत्र की जैव विविधता में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना;

द) गहन प्रबंधन प्रथाओं को अपनाकर न्यूनतम संभव समय और अवधि में अधिकतम उत्पादन और वित्तीय प्रतिफल प्राप्त करना; और

ड़) सतत् रोजगार पैदा करके स्थानीय लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार।

नवम–चरण के लिए वर्ष 2015–16 से 2023–24 के लिए वर्षवार बजट ₹ 439.90 करोड़ था और 2015–16 से 2019–20 के दौरान वास्तविक व्यय ₹ 278.11 करोड़ था।

4.2.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

कंपनी की गतिविधियों की अनुपालन लेखापरीक्षा निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ की गई थी :

- रोपणी रखरखाव सहित वृक्षारोपण की पूर्वगतिविधियाँ[30], निर्धारित योजना, मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया; तथा
- वृक्षारोपण और इसका रखरखाव, निर्धारित योजना, मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया।

---

27 कंपनी के 11 मंडल हैं।

28 कूप वार्षिक रूप से कटाई और बाद में रोपण के लिए पहचाने गए कंपार्टमेंट का एक छोटा सा विभाजन है।

29 सूक्ष्म योजना, एक योजना है जिसमें एक कूप के बुनियादी विवरण, क्षेत्र का विवरण, रोपण में अपनाऐ जाने वाली प्रक्रियाओं का तकनीकी विवरण और गतिविधि–वार अनुमानित लागत तथा शामिल होते हैं।

30 वृक्षारोपण पूर्व गतिविधियों में क्षेत्र का चयन, वृक्षारोपण स्टॉक, क्षेत्र की तैयारी, आदि शामिल हैं।

4.2.4 लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत

लेखापरीक्षा के लिए अपनाए गए मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से लिए गए हैं:

- राज्य वन नीति और वन संरक्षण अधिनियम 1980;
- पर्यावरण और वन मंत्रालय (प.व.म.), भारत सरकार (भा.स.)/ वन विभाग, राज्य सरकार/ क्षतिपूरक वनीकरण प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सी.ए.एम.पी.ए.)/ वित्त आयोग, आदि द्वारा जारी नीति, नियम, निर्णय, दिशानिर्देश;
- वृक्षारोपण गतिविधियों से संबंधित कंपनी की निदेशक मण्डल बैठक के विभिन्न एजेंडा और कार्यवृत; एवं
- वृक्षारोपण, वृक्षारोपण के रख–रखाव के लिए नवम–चरण (परियोजना प्रतिवेदन) और दस वर्षों की कार्य योजना में निर्धारित मानदंड, मंडलों की वार्षिक सूक्ष्म योजनाएँ।

4.2.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा, अगस्त 2019 से नवंबर 2019 तक आयोजित की गयी, जिसमें व्यावसायिक रोपण के नवम–चरण से संबंधित तीन साल की अवधि 2016–17 से 2018–19 के अभिलेख शामिल थे। कंपनी के कुल भूमि आधार (***परिशिष्ट 4.2.1***) के 78.06 *प्रतिशत* (3.06 लाख हेक्टेयर) को आच्छादन करने वाले अभिलेख की विस्तृत जांच के लिए कंपनी के प्रधान कार्यालय और कुल 11 मंडलों मे से आठ[31] का चयन[32] किया गया। अगस्त 2019 में प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें कंपनी के प्रबंध निदेशक के साथ लेखापरीक्षा उद्देश्यों, मानदंडों, दायरे और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई थी। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए प्रधान सचिव, वन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार और कंपनी के प्रबंध निदेशक के साथ जुलाई 2020 में निकास सम्मेलन आयोजित किया गया था और उनकी प्रतिक्रिया/ उत्तरों पर समुचित विचार किया गया था।

4.2.6 लेखापरीक्षा परिणाम

कंपनी की गतिविधियों को मुख्य रूप से पाँच चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात क्षेत्र का चयन, रोपणी में रोपण स्टॉक को बढ़ाना और बनाए रखना, क्षेत्र की तैयारी, रोपण और वृक्षारोपण का रखरखाव। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षो पर नीचे चर्चा की गई हैं।

4.2.6.1 वृक्षारोपणों में वृद्धि का स्वरूप

कंपनी ने वर्षा आधारित सागौन के लिए वृक्षारोपण के तीसरे वर्ष में 180 सेमी ऊंचाई और 8 सेमी गोलाई के साथ 80 *प्रतिशत* जीवितता दर के विकास मानक (अक्टूबर 2003) तय किए हैं।

चयनित मंडलों में 2018 (रोपण के तीसरे वर्ष में) वृक्षारोपण की वृद्धि, गोलाई और जीवितता, मानदंडों के अनुसार थी और ऊंचाई नीचे दर्शाए गए विवरण अनुसार थी:

---

[31] विदिशा–रायसेन, सीहोर, खंडवा, छिंदवाड़ा, बरघाट–सिवनी, लामता–बालाघाट, कुंडम–जबलपुर और मोहगांव–मंडला।

[32] रैंडम सैंपलिंग के आधार पर, इंटर एक्टिव डेटा एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस (आई.डी.ई.ए.) सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है।

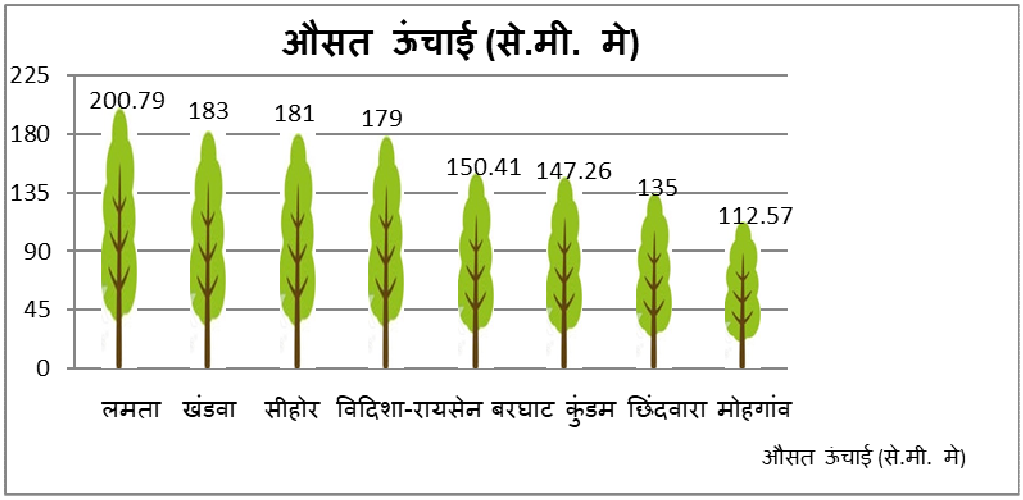

तीन मंडलों में वृद्धि ने लक्ष्यों को पार कर लिया, जबकि एक मंडल ने लगभग हासिल किया और चार मंडलों ने विकास लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया। अपर्याप्त वृद्धि, प्राकृतिक प्रतिकूल स्थलीय और मौसमी परिस्थितियों के अलावा, मुख्य रूप से विभिन्न नियंत्रणीय कारकों के फलस्वरूप थी।

4.2.6.2 विवादित/अतिक्रमित वन भूमि

भूमि हस्तांतरण नीति (मई 2003) के कंडिका 3.3 के अनुसार, वन विभाग द्वारा किसी भी विवादित भूमि को कंपनी को हस्तांतरित नहीं किया जाना था।

2016–19 की अवधि के दौरान, विभाग ने कंपनी को आठ मंडलों में 19,417.27 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित की, जिसमें 1047.51 हेक्टेयर विवादित/ अतिक्रमित भूमि शामिल थी [350.77 हेक्टेयर (0.11 *प्रतिशत*)) भूमि कंपनी द्वारा बाद में अतिक्रमण मुक्त की गई] (***परिशिष्ट 4.2.2***)। 31 मार्च 2019 को, कंपनी के पास अपनी कुल भूमि में से 10883.18 हेक्टेयर (2.79 *प्रतिशत*) अतिक्रमित भूमि थी। चूँकि कंपनी द्वारा वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए अतिक्रमित भूमि को भी अपनी योजना में शामिल किया जाता है, इसके परिणामस्वरूप वह वृक्षारोपण क्षेत्रों के संदर्भ में लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहती है।

इसके अलावा, विभाग द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण के बाद ही कंपनी को भूमि हस्तांतरित की गई। इस कारण, यह कंपनी और विभाग दोनों की जिम्मेदारी थी कि वे भूमि, जो अतिक्रमित/ विवादित नहीं थी, की पहचान कर ही हस्तांतरण करें ।

सरकार द्वारा लेख किया (जुलाई 2020) गया कि भूमि हस्तांतरण की नीति, कंपनी के कब्जे में भूमि के हस्तांतरण को हनी कॉमिंग से बचने और प्रशासनिक नियंत्रण को सुविधाजनक बनाने पर जोर देती है और अतिक्रमण के छोटे पैच के आधार पर हस्तांतरण को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। उनके अनुसार 'विवादित भूमि' शब्द का उपयोग केवल राजस्व विभाग और वन विभाग के बीच विवाद के लिए किया जाता है तथा अतिक्रमण को विवादित भूमि नहीं कहा जा सकता है।

सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी को हस्तांतरित कुल भूमि का 5.39 *प्रतिशत* अतिक्रमित था और यह योजनाओं में शामिल किए जाने के कारण लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है।

4.2.6.3 जीपीएस रीडिंग के साथ लैंटाना उन्मूलन के लिए मानचित्र तैयार करना

कंपनी के निर्देशों (सितंबर 2015) के अनुसार, रोपण क्षेत्र में लैंटाना उन्मूलन का प्रस्ताव ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) के माध्यम से सर्वेक्षण कर बनाये गये जीपीएस निर्देशांकयुक्त मानचित्र के आधार पर बनाना था, जिससे की सटीक स्थान, उचित निगरानी सुनिश्चित करने के साथ, अतिरिक्त खर्च से और लैंटाना के गैर–उन्मूलन के जोखिम से बचा जा सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चार मण्डलों (कुंडम (2016–17 में), बरघाट (2016–17 और 2017–18 में), विदिशा–रायसेन (2018–19, परन्तु 2016–17 और 2017–18 में कोई ज़रूरत नहीं) और लामता

(2016 –17, 2017–18 और 2018–19 में) ने रोपण वर्ष 2016–19 के लिए जीपीएस सर्वे किए गए मानचित्र और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट (पीडीए) के साथ प्रस्ताव तैयार नहीं किये, जो इस प्रणाली के अनुसार उचित निगरानी और नियंत्रण के मूल उद्देश्य को विफल होने के कारक है।

सरकार ने (जुलाई 2020) तीन मंडलों[33] के संबंध में लेखापरीक्षा अवलोकन स्वीकार किया और कहा कि एक मण्डल (विदिशा–रायसेन) द्वारा 2018–19 के दौरान जीपीएस मानचित्र का उपयोग किया गया था। सरकार ने आगे कहा कि कंपनी को इस उद्देश्य के लिए खरीदे गए पीडीए का उपयोग करने का निर्देश दिया था।

विदिशा–रायसेन मण्डल के संबंध में लेखापरीक्षा को प्रस्तुत दस्तावेज, हालांकि, सरकार के उत्तर का समर्थन नहीं करते हैं।

4.2.6.4 मंडलों द्वारा उर्वरकों का उपयोग

'वृक्षारोपण के रख–रखाव' के बारे में परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका 1.11[34], 5.6.1.4[35] और 5.6.1.5[36] के अनुसार, मण्डलों द्वारा हर साल प्रत्येक रोपण स्थल के लिए मिट्टी के नमूने को राज्य वन अनुसंधान संस्थान (रा.व.अ.स.), जबलपुर भेजकर मृदा परीक्षण कराना था और रा.व.अ.स. द्वारा अनुशंसित पोषक तत्वों का प्रयोग किया जाना था। संबंधित पौधरोपण स्थल की सूक्ष्म योजनाओं में पोषक तत्वों की खुराक/ पौधे के नाम, आवेदन की विधि आदि के विवरण का उल्लेख किया जाना था।

लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि तीन मंडलों (खंडवा और सीहोर में 2017–18 और 2018–19 के दौरान और कुंडम मे 2016–17 और 2018–19 के दौरान) ने मृदा परीक्षण वार्षिक रूप से नहीं किया। अन्य पांच मंडलों (विदिशा–रायसेन, लामता, बरघाट, मोहगांव और छिंदवाड़ा) द्वारा वार्षिक मृदा–परीक्षण करने पर, यूरिया (नाइट्रोजन) और पोटाश (एमओपी) को अनुशंसित किया गया। हालांकि, मृदा परीक्षण परिणामों की सिफारिशों की अनदेखी करते हुए, कंपनी ने सभी मंडलों को वृक्षारोपण के पहले और दूसरे वर्ष के दौरान केवल डाई अमोनिया फॉस्फेट (डीएपी)[37] के उपयोग के लिए निर्देश (मई 2002/ जुलाई 2016) जारी किए।

लेखापरीक्षा में पाया गया है कि मंडलों ने उर्वरकों को एक तदर्थ आधार पर प्रयोग किया था, जैसे दो मंडलों[38] ने यूरिया और पोटाश केवल 2016 में दिया जबकि पांच[39] मंडलों ने सम्पूर्ण लेखापरीक्षा कवरेज अवधि के दौरान यूरिया और पोटाश का प्रयोग नहीं किया।

सरकार ने कहा (जुलाई 2020) कि मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरक उपलब्ध कराने के मुद्दे पर 2016 के दौरान प्रधान कार्यालय में चर्चा की गई थी और प्रचलित प्रथा के अनुसार केवल डीएपी उपयोग करने का निर्णय लिया गया था। आगे यह कहा गया है कि, रा.व.अ.स. की सिफारिशें आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं थीं क्योंकि लागत, राजस्व में संभावित वृद्धि से अधिक थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी के निदेशक मंडल ने रा.व.अ.स. की सिफारिशों पर उर्वरकों को प्रयोग कराने और डीएपी को चार साल के लिए प्रयोग करने का निर्णय, नवम–चरण में प्रयोग होने वाले निम्न उपजाऊ क्षेत्र पर विचार कर के लिया था। इसके अलावा, वैज्ञानिक मृदापरीक्षण के आधार पर उर्वरकों के उपयोग की लागत में वृद्धि की वृक्षारोपण के उचित विकास से प्राप्त उच्च उत्पादन द्वारा क्षतिपूर्ति की जा सकती है जैसा कि तुलनात्मक अध्ययन में कंपनी द्वारा देखा गया है।

---

33 कुंडम, बरघाट और लामता।
34 प्रत्येक साइट में मिट्टी के प्रकार के लिए मृदा परीक्षण रा.व.अ.स. द्वारा किया जाएगा।
35 मृदा विश्लेषण के आधार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और रा.व.अ.स. की सिफारिश के अनुसार पोषक तत्वों को लागू किया जाएगा।
36 जैसा कि सभी वृक्षारोपण स्थलों के पोषक तत्वों की आवश्यकता समान नहीं हो सकती है, मात्रा और परिमाप साइट से साइट पर भिन्न हो सकती है।
37 90 *प्रतिशत* रोपण के आधार पर पहले वर्ष के लिए 30 ग्राम डीएपी प्रति पौधे और द्वितीय वर्ष के लिए 40 ग्राम डीएपी।
38 लामता और बरघाट।
39 मोहगांव, छिंदवाड़ा, विदिशा–रायसेन, सीहोर और खंडवा।

इस प्रकार, इष्टतम विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का शोध/प्रयोग नहीं किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप वृक्षारोपणों का कम विकास हुआ है (वृक्षारोपण में वृद्धि का स्वरूप पर टिप्पणी) जिसके कारण सागौन वृक्षारोपण से अनुमानित उत्पादन से कम हुआ।

4.2.6.5 मंडलों की कार्य योजना की मंजूरी में देरी

पर्यावरण एवं वन मण्डल (प.व.म.), भारत सरकार (भा.स.) द्वारा प्रकाशित वर्किंग प्लान कोड, 2004 के अनुसार, प्रत्येक वन का प्रबंधन/उत्पादन प.व.म., भा.स. द्वारा विधिवत् अनुमोदित कार्य योजना[40] के अनुसार किया जाता है। चूंकि अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार कटाई गतिविधि की जाती है, इसलिए चल रही कार्य योजना की समाप्ति से पहले इसकी तैयारी/ अनुमोदन में किसी भी तरह की देरी, कटाई और परिवहन की प्रक्रिया और क्षेत्र में बाद में रोपण में देरी करती है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कार्य योजना की तैयारी/ अनुमोदन में देरी हुई जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

- चार मंडलों में (कुंडम, बरघाट, लामता और मोहगांव) 2017–18 से संबंधित कार्ययोजना 31 मार्च 2018 को समाप्त हो गई और 2018–19 से संबंधित कार्ययोजना को 10 से 12 महीने तक की देरी[41] के साथ केवल सितंबर 2018 (जब कटाई शुरू होनी थी) के बाद प.व.म. द्वारा अनुमोदित किया गया था; एवं
- छिंदवाड़ा मंडल में, अंतिम कार्य योजना 31 मार्च 2019 तक मान्य थी और उत्तरवर्ती कार्य योजना को अक्टूबर 2020 तक अनुमोदित नहीं किया गया था।

उपर्युक्त विलंब के कारण, इन चार मंडलों में 2018–19 (कटाई अवधि सितंबर 2018 से जुलाई 2019 तक) के दौरान 619 हेक्टेयर[42] में कटाई को अंजाम नहीं दिया जा सका, जो 2019–20 के दौरान वृक्षारोपण और भविष्य के उत्पादन को एक वर्ष तक प्रभावित करता है।

कंपनी ने उत्तर दिया (जुलाई 2020) कि कार्य योजना एक विस्तृत वैज्ञानिक रिपोर्ट है, जिसकी तैयारी के लिए 2 से 3 साल के समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें वन भूमि की उपलब्धता, वन सर्वेक्षण, स्टॉक मैपिंग, नक्शों की तैयारी आदि सुनिश्चित करना शामिल है और मण्डलों को कर्मचारियों और संसाधनों की कमी की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आगे लेख किया गया कि अगले वर्ष में कटाई में कमी को पूरा किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी ने वर्तमान योजना की समाप्ति के केवल 19 महीने (अगस्त 2016) पहले योजना शुरू करने के लिए मंडलों को निर्देशित किया था और कार्ययोजना की अंतिम प्रतिवेदन की समीक्षा में लगभग 9–10 महीने लगे और वन विभाग, म.प्र.शा. को योजना भेजने में 4.5 महीने लगे।

4.2.6.6 वार्षिक लक्ष्यों का निर्धारण

परियोजना प्रतिवेदन में कंपनी के प्रत्येक मंडल के लिए 2015–20 की अवधि के लिए वृक्षारोपण के वर्षवार लक्ष्य प्रस्तावित किए गए थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया है कि कंपनी द्वारा पांच साल की अवधि के लिए 2015–20 मे कुल वार्षिक निर्धारित लक्ष्य[43], परियोजना प्रतिवेदन में परिकल्पित लक्ष्यों की तुलना में 19.01 *प्रतिशत* कम था। नवम–चरण (***परिशिष्ट 4.2.3***) के तहत निर्धारित लक्ष्यों में से वास्तविक रोपण 20.03 *प्रतिशत* (42105.53 हेक्टेयर से 34026.46 हेक्टेयर) कम रहा। अल्प निर्धारण के मुख्य कारण इस प्रकार थे (विवरण ***परिशिष्ट 4.2.4*** में दिए गए हैं):

---

40 दस वर्षों की अवधि के लिए कार्य योजना को प.व.म., भा.स. की मंजूरी के साथ मंडलों द्वारा तैयार/ कार्यान्वित किया जाता है।

41 पिछली कार्ययोजना की समाप्ति मार्च 2018 में से नई कार्ययोजना क्रमशः 10 महीने (30 जनवरी 2019), 12 महीने (6 मार्च 2019), 10 महीने (30 जनवरी 2019) और 10 महीने (30 जनवरी 2019) अवधि का विलंब था।

42 कुंडम (93 हेक्टेयर), बरघाट (103 हेक्टेयर), लामता (405 हेक्टेयर) और मोहगांव (18 हेक्टेयर)।

43 प्रतिवेदन में सभी मण्डलों के संबंध में लक्ष्य और उपलब्धि को सम्मिलित किया गया है।

- उपयुक्त रोपण योग्य क्षेत्र की अनुपलब्धता, अदालती मामलों, विभिन्न समूहों द्वारा कटाई का विरोध, विभाग द्वारा अतिक्रमित भूमि के हस्तांतरण के कारण विभिन्न कूपों में रोपण योग्य क्षेत्र की अनुपलब्धता;
- नियोजन चरण में गलत/ गैर–रोपणीय कूप/ अतिक्रमित भूमि का समावेश; एवं
- बाँस, खमेर, आंवला के लिए लक्ष्यों को शामिल न करना।

कंपनी और सरकार ने कहा (सितंबर 2019 और जुलाई 2020) कि परियोजना प्रतिवेदन में तय लक्ष्य पांच साल के लिए थे जो पिछले अनुभव पर आधारित थे और वार्षिक लक्ष्य कार्य योजना के आधार पर तय किए गए थे। इसके अलावा, रोपण क्षेत्र की गैर–उपलब्धता, परियोजना प्रतिवेदन में अतिक्रमित/ विवादित भूमि के हस्तांतरण और समावेश, विभिन्न समूहों द्वारा कटाई कां विरोध और प्रत्येक कूप में विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के शामिल होने के कारण थी, जिससे सकल और शुद्ध रोपण क्षेत्र में अंतर पैदा हुआ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका 4.2 के अनुसार, उपचार के नक्शे तैयार करने के बाद वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त क्षेत्र की वास्तविक उपलब्धता निर्धारित की जानी थी और समग्र अनुमानित लक्ष्यों में बदलाव किए बिना, मंडलवार अनुमानित लक्ष्यों को बदला जा सकता था। लेकिन परियोजना प्रतिवेदन में परिकल्पित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसका पूरी तरह से अनुपालन नहीं किया गया था।

4.2.6.7 परियोजना प्रतिवेदन में अनुमोदित प्रजातियों का गैर–रोपण

परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार, लागत लाभ अनुपात (सी.बी.आर) और रिटर्न की आंतरिक दर (आई.आर.आर.) के आधार पर पांच प्रजातियां (व्यवसायिक वर्षा आधारित सागौन, व्यवसायिक वर्षा आधारित बांस, व्यवसायिक वर्षा आधारित खमेर, उच्च इनपुट ऑवला और उच्च इनपुट सागौन) वृक्षारोपण के लिए व्यवहार्य पाए गए और पांच साल की अवधि (2015–20) के दौरान उनके रोपण के लिए लक्ष्य तय किए गए (***परिशिष्ट 4.2.5***)।

हालांकि, कंपनी द्वारा, मंडलों के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए, परियोजना प्रतिवेदन में जैव–विविधता के संबंध में उद्देश्य की अनदेखी की। कंपनी द्वारा बांस रोपण के लिए कम लक्ष्य तय किए और हाई इनपुट आंवला और व्यवसायिक वर्षा आधारित खमेर (***परिशिष्ट 4.2.6***) के रोपण की योजना नहीं बनाई।

कंपनी ने कहा (सितंबर 2019) कि हालांकि नवम–चरण में वृक्षारोपण के लिए आंवला, बांस और खमेर की योजना बनाई गई थी, लेकिन 2010 और 2011 में अपर्याप्त उत्पादन के कारण इन्हें नहीं लगाया गया था।

सरकार ने कहा (जुलाई 2020) कि रोपण कार्ययोजना में रोपण के लिए पहचाने गए कूपों के क्षेत्र सर्वेक्षण के अनुसार किया गया था और बांस, खमेर और आंवला के साथ पिछले असफल अनुभव के आधार पर, ये लगाए नहीं गए थे। आगे कहा गया किसी बी.आर. और आई.आर.आर. केवल 35 वर्षों के लिए लागू होते हैं और अलग–अलग प्रजातियों के लिए परिपक्वता अवधि भिन्न होती है और इसलिए इनकी तुलना नहीं की जा सकती; यदि परियोजना प्रतिवेदन में लक्ष्य यथार्थवादी नहीं हैं, तो कंपनी द्वारा इनकी समीक्षा की जा सकती है और उपयुक्त रूप से संशोधित की जा सकती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। कंपनी को बांस, खमेर और आंवला वृक्षारोपण से उत्पादन के बारे में अपने पिछले अनुभव के आधार पर यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए थे, और सीबीआर और आईआरआर की पुर्नगणना कर परियोजना प्रतिवेदन, जिसे दिसंबर 2014 में तैयार किया गया था, में शामिल करना चाहिए था।

4.2.6.8 पॉली–पॉट्स विधि के माध्यम से वृक्षारोपण

परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका 5.5.5 के अनुसार, रूट–शूट द्वारा सागौन के रोपण के विकास और जीवितता के एक तुलनात्मक अध्ययन के लिए, प्रत्येक कूप के 10 *प्रतिशत* क्षेत्र को पॉली–पॉट विधि और शेष 90 *प्रतिशत* को रूट–शूट के माध्यम से लगाया जाना था, क्योंकि रूट–शूट की तुलना में पॉली–पोट्स की लागत अधिक हैं।

लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान चयनित मंडलों में लगाए गए वृक्षारोपण के स्वरूप की लेखापरीक्षा समीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

- वृक्षारोपण के संबंध में परियोजना प्रतिवेदन के अनुपालन में मंडलों के बीच कोई समरूपता नहीं थी, जैसा नीचे दर्शाया है:

साल	प्रावधान के अनुसार पॉली–पॉट वृक्षारोपण (मंडलों की संख्या)	प्रावधान से अधिक पॉली–पॉट पौधारोपण (मंडलों की संख्या)	कोई पॉली–पॉट वृक्षारोपण नहीं किया गया (मंडलों की संख्या नहीं)
2016–17	3 (एक आंशिक)	0	5
2017–18	1	3 (100 *प्रतिशत* वृक्षारोपण)	4
2018–19	1	3 (90 *प्रतिशत* वृक्षारोपण)	4

- छिंदवाड़ा मंडल में वृद्धि का कोई तुलनात्मक विश्लेषण नहीं किया गया था जहाँ पॉली–पॉट्स रोपण किया गया था; और

- रूटशूट रोपण की तुलना में, तीन मण्डलों[44] में 2017–18 और 2018–19 में 10 *प्रतिशत* से अधिक पॉली–पॉट रोपण के कारण ₹ 23.97 करोड़[45] का अधिक व्यय हुआ (***परिशिष्ट 4.2.7***) ।

तुलनात्मक अध्ययन के अभाव में भविष्य में रोपण के लिए गैर–सूचित निर्णय लिया जाएगा और भविष्य के रोपण से विकास और उत्पादन को प्रभावित करेगा।

उत्तर में, कंपनी (सितंबर 2019) और सरकार ने कहा (जुलाई 2020) कि :

- तीन मंडलों में पॉली–पॉट रोपण के प्रावधानों के अनुसार नहीं किया गया था क्योंकि मिट्टी इसके लिए उपयुक्त नहीं थी और इसे आंशिक रूप से एक मण्डल में किया गया था जहां मिट्टी को निम्निकत पाया गया था, क्योंकि पॉली–पॉट, रूटशूट की तुलना में तीन गुना अधिक लागत में लगता है।

- कम उपजाउ क्षमता और अत्यधिक जैविक दबाव होने के कारण तीन मंडलों में 2006 से अधिक पाली–पॉट वृक्षारोपण किया गया था और 2017 में वृक्षारोपण सी.ए.एम.पी.ए. से प्राप्त अनुदान से किया गया था; इस प्रकार कोई अतिरिक्त व्यय नहीं हुआ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी परियोजना प्रतिवेदन को एक समान आधार पर लागू करने में विफल रही और पाली–पॉट विधि का उपयोग करके 10 *प्रतिशत* क्षेत्र के रोपण के परिणाम को ज्ञात नही कर सकी । यह इंगित करता है कि परियोजना प्रतिवेदन के प्रावधान सामान्य प्रकृति के हैं और उन परिस्थितियों, जहां पॉली–पॉट वृक्षारोपण लागू किया जाना है, से संबंधित बुनियादी मुद्दों पर विचार नहीं करतें हैं।

निष्कर्ष

कंपनी निम्न रोपण लक्ष्य निर्धारित करने एव परियोजना प्रतिवेदन में उल्लिखित विभिन्न प्रावधानों के गैर–पालन के कारण परिकल्पित वृक्षारोपण नहीं कर सकीं। परियोजना प्रतिवेदन में निर्दिष्ट प्रजातियों का गैर–रोपण और पौधों की वृद्धि और जीवितता का अध्ययन करने के लिए निर्दिष्ट *प्रतिशत* में पॉली–पॉट रूटशूट रोपण के निर्देशों का पालन नहीं किया गया था।

---

44 विदिशा–रायसेन, सीहोर और खंडवा।

45 ₹ 21.37 प्रति पाली–पॉट का अंतर डेटा के अभाव में, अतिरिक्त व्यय की गणना में पॉली–पॉट रोपण की अधिक पैदावार के कारण प्राप्यप्राप्तउच्च राजस्व को ध्यान में नहीं रखा गया है।

अनुशंसाएं

- परियोजना प्रतिवेदन में सामान्य दिशा–निर्देश जारी करने के बजाय, प्रत्येक मण्डल से संबंधित कारकों पर विचार करके अधिक यथार्थवादी तरीके से तैयार किया जाना चाहिए।
- कंपनी कार्य योजना बनाने की गतिविधियों को पर्याप्त अग्रिम रूप से प्रारंभ करें ताकि नई कार्य योजना का मौजूदा कार्य योजना की समाप्ति से पहले अनुमोदन हो सके।

4.3 भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना का कार्यान्वयन

4.3.1 प्रस्तावना

पर्यटन मंत्रालय (एमओटी), भारत सरकार ने, वर्ष 2014–15 में, भारत में थीम आधारित पर्यटन सर्किट[46] के एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना (योजना) शुरू की, ताकि पर्यटन क्षेत्र को रोजगार सृजन के प्रमुख इंजन के रूप में तथा आर्थिक विकास के साथ–साथ विभिन्न क्षेत्रों के साथ तालमेल बनाने हेतु एक प्रेरक शक्ति के रूप में स्थापित किया जा सके, जिससे पर्यटन को इस संबंध में अपनी क्षमताओं का अहसास हो सके।

योजना का उद्देश्य नियोजित रूप से और प्राथमिकता के आधार पर संभावित पर्यटक सर्किटों को विकसित करना, देश की विरासत और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देना तथा स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से रोजगार का सृजन करना था। योजना की अवधि, 14वें वित्त आयोग की अवधि (अप्रैल 2015 से मार्च 2020) थी।

केंद्रीय क्षेत्र की योजना होने के कारण से यह योजना शत *प्रतिशत* केंद्र द्वारा वित्त पोषित थी तथा भारत सरकार ने राज्य में चार सर्किटों[47] के विकास के लिए ₹ 359.75 करोड़ केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) स्वीकृत (दिसंबर 2015 से सितंबर 2017) की। योजना के उचित क्रियान्वयन हेतु नियोजन और योजना के तहत बनाई जाने वाली मार्गस्त सुविधाओं को पट्टे पर देने की प्रक्रिया संबंधी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड (बोर्ड) की थी। योजना का निष्पादन यथा सुविधाओं के निर्माण, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना इत्यादि की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) की थी।

योजना के तहत विकसित किए जाने वाले चार सर्किटों के गंतव्यों को दर्शाने वाला मानचित्र नीचे दिया गया है:

चित्र 4.3.1: मध्य प्रदेश में स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकसित किए गए सर्किट

4.3.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गयी थी कि कम्पनी और बोर्ड द्वारा निम्न के संबंध में, योजना के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया अथवा नहीं:

- योजना का नियोजन और कार्यान्वयन; तथा

[46] एक सर्किट का मतलब दूरियों पर स्थित कम से कम तीन अलग–अलग प्रमुख पर्यटन स्थलों (निश्चित प्रवेश और निकास बिंदुओं के साथ) को जोड़ना है, जिससे पर्यटकों को पास के अन्य समान स्थानों का दौरा करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके।

[47] वन्यजीव सर्किट (₹ 92.22 करोड़), बौद्ध सर्किट (₹ 74.94 करोड़), हेरिटेज सर्किट (₹ 92.97 करोड़) और इको सर्किट (₹ 99.62 करोड़)।

- भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुदान और उससे सृजित संपत्ति का उपयोग परिकल्पित उद्देश्यों के लिए किया गया।

4.3.3 लेखापरीक्षा मानदण्ड के स्रोत

लेखापरीक्षा के लिए अपनाए गए मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से लिए गए हैं:

- स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत दिए गए दिशानिर्देश, एमओटी द्वारा सर्किट के विकास के लिए दी गयी स्वीकृतियों में समाहित नियम और शर्तें;
- एमओटी द्वारा अनुमोदित सर्किट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर);
- कम्पनी तथा बोर्ड के निदेशक मंडलों और राज्य स्तरीय निगरानी समिति (एसएलएमसी) की बैठकों के एजेंडा और कार्यवृत, विभिन्न स्तरों पर वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन;
- स्वीकृति आदेशों और कार्य आदेशों के अनुसार कार्यों को पूरा करने के लिए नियत समय सीमा;
- योजना के कार्यान्वयन के संबंध में भारत सरकार/मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश, परिपत्र और निर्देश; तथा
- मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग (म.प्र.लो.नि.वि.) द्वारा जारी किए गए कार्य मैनुअल, निर्देश, परिपत्र, दरों की अनुसूची (एस.ओ.आर.)।

4.3.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा का आयोजन, वर्ष 2016–17 से 2019–20 को सम्मिलित करते हुए, तीन वर्षों के लिए, नवम्बर 2019 से जनवरी 2020 तक किया गया। प्रवेश सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2019 में किया गया तथा कम्पनी के प्रबंध निदेशक और पर्यटन विभाग (विभाग) के उप सचिव के साथ, अगस्त 2020 में, निकास सम्मलेन आयोजित किया गया। योजना के तहत, राज्य के लिए नियोजित और स्वीकृत चार सर्किटों में से, वन्यजीव सर्किट और हेरिटेज सर्किट जिनकी कुल स्वीकृत परियोजना लागत ₹ 191.99 करोड़ थी (वन्यजीव सर्किट हेतु ₹ 92.22 करोड़ और हेरिटेज सर्किट हेतु ₹ 99.77 करोड़, जो चारों सर्किट की कुल स्वीकृत परियोजना लागत का 53.37 *प्रतिशत* थी), को 31 मार्च 2019 तक उनके कार्यों की प्रगति[48] के आधार पर लेखापरीक्षा के लिए चुना गया।

कम्पनी ने, उपरोक्त दो सर्किटों के विकास के लिए ₹ 125.95 करोड़ मूल्य के कुल 120 कार्य आदेश (वन्यजीव सर्किट के अर्न्तगत ₹ 58.23 करोड़ के 76 कार्य आदेश और हेरिटेज सर्किट के अर्न्तगत ₹ 67.72 करोड़ के 44 कार्य आदेश) जारी किए। इनमें से, ₹ एक करोड़ और अधिक मूल्य के कुल 32 कार्य आदेश, जिनका कुल मूल्य ₹ 100.19 करोड़ था (वन्यजीव सर्किट के ₹ 41.28 करोड़ के 12 कार्य आदेश और हेरिटेज सर्किट के ₹ 58.91 करोड के 20 कार्य आदेश), को विस्तृत जॉच के लिए चयनित किया गया (***परिशिष्ट 4.3.1***)। लेखापरीक्षा के लिए चयनित किये गए वन्यजीव और हेरिटेज सर्किट के कार्य आदेशों का मूल्य, इन सर्किटों के लिए दिए गए कार्य आदेशों के कुल मूल्य के क्रमशः 71 *प्रतिशत* और 87 *प्रतिशत* के बराबर था।

4.3.5 लेखापरीक्षा परिणाम

4.3.5.1 अनुमोदित घटकों के अनुसार योजना का कार्यान्वयन

भारत सरकार द्वारा योजना हेतु दिए गए अनुमोदन/स्वीकृति के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, एमओटी को इस तथ्य का एक वचनपत्र प्रस्तुत किया जाना था कि परियोजना के अंतर्गत बनाई जाने वाली सभी सुविधाओं को समायोजित करने के लिए राज्य सरकार के पास, समस्त भारों से मुक्त पर्याप्त भूमि उपलब्ध थी तथा वह उसके कब्जे में थी। इसके अलावा, स्वीकृति आदेश के धारा 9 के अनुसार, परियोजना को शुरू करने से पहले मध्य प्रदेश सरकार को प्रचलित नियमों और विनियमों के अनुसार पर्यावरण, वन और प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित सभी आवश्यक स्वीकृति लेना भी आवश्यक था।

---

[48] वन्यजीव सर्किट (80.00 *प्रतिशत*), हेरिटेज सर्किट (71.36 *प्रतिशत*), बौद्ध सर्किट (63.89 *प्रतिशत*) तथा इको सर्किट (55.36 *प्रतिशत*)।

हालाँकि, मध्य प्रदेश सरकार ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में उपरोक्त पहलुओं पर विचार नहीं किया। बजाय इसके, मध्य प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार को इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत किया (अक्टूबर 2015) और योजना की राशि जारी करने का अनुरोध (नवंबर 2015) किया। भारत सरकार द्वारा स्वीकृति आदेश के अनुसार राशि[49] जारी की गयी (दिसंबर 2015)।

31 मार्च 2020 तक, वन्यजीव और हेरिटेज सर्किट के अंतर्गत पूर्ण किये गए कार्यों की स्थिति **तालिका 4.3.1** में दी गई है।

तालिका 4.3.1: 31 मार्च 2020 तक, वन्यजीव और हेरिटेज सर्किट के अंतर्गत पूर्ण किये गए कार्यों की स्थिति

सर्किट का नाम	मध्य प्रदेश सरकार द्वारा डीपीआर जमा करने की तिथि	भारत सरकार द्वारा डीपीआर के अनुमोदन की तिथि	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)	स्वीकृति आदेश के अनुसार नियत पूर्णता तिथि	व्यय (₹ करोड़ में)	वास्तविक भौतिक प्रगति (*प्रतिशत* में)	सर्किट के घटकों के भौतिक पूर्णता की स्थिति
वन्यजीव	06.10.2015	07.12.2015	92.22	06.06.2018	81.84 (88.74 *प्रतिशत*)	99.75	कुल घटक –127 नहीं लिया गया[50]–5 पूरा हुआ – 120 पूरा नहीं हुआ – 2
हेरिटेज	08.09.2016	19.09.2016	99.77	18.03.2019	74.39 (74.56 *प्रतिशत*)	96.47	कुल घटक – 220 नहीं लिया गया[51]– 27 पूरा हुआ – 167 पूरा नहीं हुआ – 26

अ– वन्यजीव सर्किट:

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मध्य प्रदेश सरकार ने, पन्ना नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क के बफर जोन में कराये जाने वाले कार्यों के स्वीकृत घटकों[52] (₹ 3.15 करोड़ लागत के) को पूरा करने हेतु, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) हेतु 'अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी)' प्राप्त करने से सम्बंधित पहलू को डीपीआर में शामिल नहीं किया। भारत सरकार के अवलोकन के पश्चात, मध्य प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव (पर्यटन) द्वारा, राष्ट्रीय उद्यानों के बफर जोन में कार्यों के निष्पादन के लिए, एनटीसीए से आवश्यक अनुमतियाँ प्रदान करने के लिए अनुरोध (सितंबर 2015) किया गया। हालांकि, लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध किए गए दस्तावेजो में, एनटीसीए द्वारा इस हेतु अनुमति दिए जाने अथवा न दिए जाने से सम्बंधित कोई भी दस्तावेज नहीं पाया गया। योजना को मूल अनुमोदन प्रदान किये जाने वाले महीने से 30 महीने की अवधि के बीत जाने के बाद, कम्पनी/मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध पर, एमओटी ने इन घटकों हेतु स्वीकृत राशि को, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में अतिरिक्त कार्य कराये जाने हेतु तथा जबलपुर में पर्यटक सुविधा केंद्र (टीएफसी) का निर्माण कराये जाने हेतु, स्थानांतरित (जुलाई 2018) कर दिया। इस प्रकार, पन्ना नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क हेतु स्वीकृत किये गए कार्यों को स्थगित करना पड़ा तथा टीएफसी जबलपुर और बांधवगढ नेशनल पार्क में स्थानातंरित किये गए कार्य के घटकों को, वन्यजीव सर्किट की समाप्ति की निधार्रित अवधि से क्रमशः एक वर्ष एवं दो वर्ष की देरी से पूरा (जुलाई 2019 और जून 2020) किया गया।

---

49 काम शुरू करने के लिए पहली किस्त के रूप में, कुल सीएफए का 20 *प्रतिशत*।

50 हटा दिए गए, पुनार्विनियोजित किये गए तथा नहीं लिए गए।

51 हटा दिए गए, पुनार्विनियोजित किये गए तथा नहीं लिए गए।

52 पन्ना नेशनल पार्क में कैनोपी वॉक और कैंपिंग साइट का काम और पेंच नेशनल पार्क में कैनोपी वॉक और मचान का कार्य।

ब– हेरिटेज सर्किट:

1. कम्पनी, जगह न मिलने के कारण[53] तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई)[54] / वन विभाग[55] (***परिशिष्ट 4.3.2*** और ***4.3.3***) से निर्माण की अनुमति नहीं प्राप्त कर पाने के कारण ₹ 21.56 करोड़ मूल्य के 15 घटकों[56] को लागू नहीं कर सकी, जिसका मुख्य कारण इन आवश्यक पहलुओं को परियोजना डीपीआर में शामिल नही किया जाना था। जिसके परिणामस्वरूप, एमओटी ने संशोधित स्वीकृति आदेश जारी कर (मार्च 2019) कार्य के तीन घटको[57] को हटा दिया, जिससे प्राप्त होने वाले सीएफए की राशि ₹ 6.80 करोड़ से (₹ 99.77 करोड़ से ₹ 92.97 करोड़) कम प्राप्त हुई। इसके अलावा, तीन[58] अन्य घटकों को भी एमओटी द्वारा हटा दिया गया तथा इन कार्यों हेतु स्वीकृत ₹ 2.00 करोड़ के सी.एफ.ए. को कुटनी बांध के पथरिया किले में किये जाने वाले अतिरिक्त कार्यों हेतु तथा ओरछा में सौर रोशनी के कार्य हेतु पुनार्विनियोजित किया गया। अत:, सी.एफ.ए. के पुनर्विनियोजन में हुई देरी के मुख्य कारण से, उक्त कार्य आज तक (मार्च 2020) अपूर्ण रहे।

इसी तरह, नौं[59] स्वीकृत घटकों के मामले में, मध्य प्रदेश सरकार, एएसआई से, समय पर, अनुमति प्राप्त नहीं कर सकी। इसलिए, मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव के आधार पर, एमओटी ने ₹ 2.08 करोड़ का सीएफए कम कर दिया (मार्च 2019) और इन कार्यों हेतु स्वीकृत इस सीएफए को, पूर्व अनुमोदित अन्य छह[60] घटकों हेतु पुनार्विनियोजित कर दिया, जिनमें से दो[61] घटकों का कार्य, मुख्यत: सीएफए के पुनर्विनियोजन में हुई देरी के कारण से पूरा होना बाकी (मार्च 2020) है।

2. मध्य प्रदेश सरकार, भीमबेटका में ₹ 3.00 करोड़ मूल्य के चार स्वीकृत घटकों[62] का कार्य कराने हेतु, राज्य प्राधिकरणों से समय पर भूमि का अधिग्रहण[63] करने में विफल रही। इस कारण से, एमओटी द्वारा कार्य के इन घटकों को हटा (जनवरी 2020) दिया गया जिससे ₹ 3.00 करोड का सीएफए प्राप्त नहीं किया जा सका।

विभाग ने कहा (अगस्त 2020) कि कार्यों को करने हेतु, संबंधित विभागों से भूमि की उपलब्धता की अनुमति तथा सैद्धांतिक एनओसी[64] प्राप्त करने के बाद ही, कार्यों के इन घटकों को संबंधित डीपीआर में शामिल किया गया था। हालांकि, बाद में कार्य के निष्पादन के समय, वास्तविक स्थिति के आधार पर, संबंधित विभागों द्वारा अंतिम अनुमति नहीं दी गई। कम्पनी द्वारा यह स्पष्ट किया गया (अगस्त 2020) कि एनटीसीए को इस सम्बन्ध में केवल सूचना देने के लिए पत्र लिखा गया था, न कि अनुमति प्राप्त करने के लिए।

---

53 एक घटक–संगीत तानसेन संग्रहालय।

54 तेरह घटक – ककन मठ में विकास, खजुराहो में येलो बिल्डिंग में पर्यटक सुविधा केंद्र और पर्यटक सूचना केंद्र, खजुराहो में स्थित विभिन्न स्मारक पर रोशनी, चंदेरी में विभिन्न स्मारकों में रोशनी, ग्वालियर फोर्ट का विकास, बटेश्वर मंदिर परिसर का विकास, पढावली का विकास, मितावली का विकास, हेरिटेज गेट (गुदरी दरवाजा) के आसपास का विकास, खजुराहो, धुबेला में स्थित विभिन्न स्मारकों के पास सार्वजनिक सुविधाओं का विकास, रीवा ताल का विकास और मांडू में स्थित विभिन्न स्मारकों के आसपास विकास।

55 एक घटक – रानेह फॉल।

56 ककन मठ में विकास, खजुराहो में येलो बिल्डिंग में पर्यटक सुविधा केंद्र और पर्यटक सूचना केंद्र, खजुराहो में स्थित विभिन्न स्मारक पर रोशनी, रानेह फॉल, चंदेरी में विभिन्न स्मारकों में रोशनी, ग्वालियर फोर्ट का विकास, बटेश्वर मंदिर परिसर का विकास, पढावली का विकास, मितावली का विकास, हेरिटेज गेट (गुदरी दरवाजा) के आसपास का विकास, खजुराहो, धुबेला में स्थित विभिन्न स्मारकों के पास सार्वजनिक सुविधाओं का विकास, रीवा ताल का विकास और मांडू में स्थित विभिन्न स्मारकों के आसपास विकास।

57 संगीत का तानसेन संग्रहालय, ककन मठ में विकास और और खजुराहो में येलो बिल्डिंग में पर्यटक सुविधा केंद्र और पर्यटक सूचना केंद्र।

58 खजुराहो में विभिन्न स्मारकों पर रोशनी, रनेह फॉल का विकास और चंदेरी में विभिन्न स्मारकों में रोशनी।

59 ग्वालियर किले का विकास, बटेश्वर मंदिर परिसर का विकास, पधावली का विकास, मितावली का विकास, हेरिटेज गेट (गुदरी दरवाजा) के आसपास का विकास, धुबेला में स्थित विभिन्न स्मारकों के पास सार्वजनिक सुविधाओं का विकास, रीवा ताल में विकास और विभिन्न स्मारकों के आसपास विकास।

60 बैजा ताल के आसपास का विकास, इटैलियन गार्डन के आसपास का विकास, लक्ष्मी बाई स्मारक के आसपास का विकास, ओरछा में अन्य काम, कुटनी बांध पर स्थित पथरिया किला, और बादल महल में सौर प्रकाश तथा फोकस लाइट।

61 बैजा ताल और ओरछा में अन्य कार्य।

62 रॉक आर्ट संग्रहालय, व्याख्या केंद्र, स्मारिका दुकान, सार्वजनिक जन सुविधाओं के निर्माण तथा अन्य कार्य।

63 कम्पनी द्वारा 0.405 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण करने हेतु वन विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था (अगस्त 2017), जिसके लिए वन विभाग ने कम्पनी को ऑनलाइन पोर्टल पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया (मार्च 2019)। कम्पनी ने जमीन की अनुमति के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करने के बजाय, आवश्यक कार्रवाई किये जाने हेतु इस मामले को कलेक्टर, रायसेन के समक्ष प्रस्तुत किया (अगस्त 2019)। हालांकि, बाद में यह पता चला कि यह एक राजस्व भूमि थी और इसे, कम्पनी द्वारा समय पर अधिग्रहण नहीं किया जा सका।

64 बाद में अंतिम अनुमोदन प्राप्त कर लिए जाने की शर्त पर संबंधित विभाग से भूमि और अनापत्ति प्रमाण पत्र की उपलब्धता का प्रावधिक अनुमोदन।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यों को डीपीआर में शामिल करने से पहले ही, इनके लिए उपयुक्त प्राधिकारियों[65] से स्पष्ट अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए थी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने अंतिम एनओसी/आवश्यक अनुमतियों की प्राप्ति सुनिश्चित किए बिना ही, निधियों को संवितरित किये जाने हेतु, एमओटी को इस आशय का वचन पत्र दे दिया। इसके अलावा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एनटीसीए को, कार्यो के लिए एनओसी प्राप्त करने हेतु ही पत्र लिखा गया था, न कि केवल सूचना देने के लिए।

4.3.5.2 निविदा जारी करने और कार्यो को सौपनें में देरी

स्वीकृति आदेशों के धारा 6 के अनुसार, वन्यजीव सर्किट और हेरिटेज सर्किट के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के घटकों को, इन सर्किटों की स्वीकृति तिथि से 30 महीने के भीतर, यथा क्रमशः जून 2018 और मार्च 2019 तक पूरा किया जाना था। हालाँकि, इन कार्यो को करने हेतु, निविदाये आमंत्रित करने और कार्य आदेशों को जारी करने में काफी देरी हुई जिसे **तालिका 4.3.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.3.2: स्वीकृति आदेशों के विरुद्ध निविदाओं को आमंत्रित करने, कार्य आदेशों को जारी करने तथा कार्यो को पूर्ण करने में हुई देरी

विलंब सीमा (दिनों में)	निविदा की कार्रवाई में हुई देरी के मामलों की संख्या			कार्यो को सौपने मे हुई देरी के मामलों की संख्या			काम पूरा होने में हुई देरी के मामलों की संख्या		
	वन्यजीव सर्किट	हेरिटेज सर्किट	योग	वन्यजीव सर्किट	हेरिटेज सर्किट	योग	वन्यजीव सर्किट	हेरिटेज सर्किट	योग
बिना देरी के	0	1	**1**	0	0	**0**	3	14	**17**
> 0 – 30	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
> 30 – 90	6	8	**14**	0	0	**0**	1	0	**1**
> 90 – 180	1	1	**2**	1	2	**3**	1	1	**2**
> 180 – 365	2	2	**4**	6	6	**12**	2	1	**3**
> 365 – 730	1	5	**6**	3	9	**12**	5	4	**9**
> 730	2	3	**5**	2	3	**5**	0	0	**0**
योग	**12**	**20**	**32**	**12**	**20**	**32**	**12**	**20**	**32**

* हेरिटेज सर्किट के अर्न्तगत जारी किये गए, एक कार्य आदेश के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों को, हेरिटेज सर्किट की निधार्रित पूर्णता तिथि (मार्च 2019) की समाप्ति से 410 दिन बीतने के बाद (मई 2020) भी पूर्ण नही नही किया जा सका।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि, लेखापरीक्षा जांच हेतु चयनित 32 कार्य आदेशों में से 31 कार्य आदेशों[66] में, स्वीकृति दिनांक से 35 दिनों से 1,164 दिनों तक की देरी के साथ निविदाएं मंगाई गईं। सभी 31 कार्य आदेशों को, भारत सरकार द्वारा योजना की अनुमोदन की तिथि से 171 दिनों से 1,187 दिनों तक की देरी के साथ ठेकेदारों को जारी किये गए (**तालिका 4.3.2** और ***परिशिष्ट 4.3.4***)। यह दर्शाता है कि स्वीकृति आदेशों को समय पर निष्पादित कराने हेतु कम्पनी ने पर्याप्त तैयारियाँ नहीं की थी।

निविदा दस्तावेज की कंडिका 23.1 के अनुसार, स्वीकृति पत्र (एलओए) जारी होने के 15 दिनों के अन्दर ही, सफल निविदाकार द्वारा निष्पादन सुरक्षा निधि जमा करना और अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करना आवश्यक था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 29 कार्य आदेशों[67] में, सफल निविदाकारों द्वारा निष्पादन सुरक्षा निधि जमा करने और अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करने में तीन दिनों से 227 दिनों[68] तक की देरी की गयी (***परिशिष्ट 4.3.4***)। जिसके कारण, इन कार्य आदेशों के तहत निष्पादित किए जाने वाले कार्यो को पूरा करने में देरी हुई। परिणामस्वरूप, 14 कार्य आदेशों के तहत किये जाने वाले कार्य, वन्यजीव और हेरिटेज सर्किट की निर्धारित पूर्णता तिथि से 34 दिनों से 610 दिनों तक की देरी से पूरे हुए और एक कार्य आदेश के तहत किये जाने वाले कार्य अभी तक पूर्ण नही (मई 2020) हुए। शेष 17 कार्य आदेशों के अर्न्तगत सौपे गए कार्य समय से पूर्ण हुए।

---

65 वन्यजीव सर्किट के मामले में एनटीसीए और हेरिटेज सर्किट के मामले में एएसआई।
66 वन्यजीव सर्किट के तहत 12 कार्य आदेश और हेरिटेज सर्किट के तहत 19 कार्य आदेश।
67 वन्यजीव सर्किट के तहत 11 कार्य आदेश और हेरिटेज सर्किट के तहत 18 कार्य आदेश।
68 वन्यजीव सर्किट – 3 दिन से 167 दिन और हेरिटेज सर्किट – 3 दिन से 227 दिन।

सरकार ने कहा (अगस्त 2020) कि भूमि अधिग्रहण को अंतिम रूप देने में हुई देरी, विभिन्न एजेंसियों से अपेक्षित अनुमति प्राप्त प्राप्त नहीं कर पाने, साईट पर कब्जा नही मिल पाने, कार्य के डिजाइन और ड्राइंग में देरी इत्यादि कारणों से निविदाओं को जारी करने, निष्पादन सुरक्षा निधि जमा करने और कार्यो को सौपने आदि में देरी हुई थी।

4.3.5.3 कार्य आदेशों का निष्पादन

कार्य आदेशों की शर्तों के अनुसार, सौपे गए कार्यों को ठेकेदारों द्वारा निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरा करना आवश्यक था। 10 कार्य आदेशों के संबंध में, कुछ कारणों से, जिनके लिए मुख्यतः कम्पनी जिम्मेदार थी, जैसे एनओसी की अनुपलब्धता, कार्य के घटको के लिए निर्माण हेतु वन विभाग/एएसआई/राजस्व विभाग इत्यादि से प्राप्त होने वाली राजस्व भूमि को अंतिम रूप न दे पाने तथा अन्य गैर–समकालिक गतिविधियॉ जैसे कि आर्किटेक्ट द्वारा कार्यो की डिजाइन और ड्रांइग को अंतिम रूप न दे पाने, एएसआई द्वारा आलेख और नक्शों के अनुमोदन में देरी, इत्यादि के कारण ठेकेदार द्वारा कार्य 23 दिनों से 420 दिनों तक की देरी से शुरू किये गए (***परिशिष्ट 4.3.5***)। जिसके परिणामस्वरूप, उपरोक्त कार्य आदेशों के तहत किये जाने वाले कार्य, कार्य आदेशों में प्रदत्त कार्यों की निर्धारित पूर्णता तिथि से 56 दिनों से लेकर 851 दिनों तक की देरी से पूर्ण हुए, जिस कारण पर्यटको को उन्नत सुविधाए उपलब्ध कराने में देरी हुई।

समस्त 32 नमूना कार्य आदेशों के सम्पादन की लेखापरीक्षा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित कमियॉ सामने आईं:

- **मुकुंदपुर चिड़ियाघर के पास कैफेटेरिया, पार्किंग, कंपाउंड वॉल आदि का निर्माण (वन्यजीव सर्किट)**: संशोधित निविदा दस्तावेजों की अधिसूचना (जनवरी 2014) के बाद, उक्त कार्य के निष्पादन हेतु निविदा आमंत्रित (फरवरी 2016) की गई। हालांकि, कम्पनी ने ठेकेदार का चयन, किसी कारण के बिना ही, पूर्व–संशोधित निविदा दस्तावेजों में ठेकेदार के चयन के लिए दिए गए पात्रता मानदंड के आधार पर कर लिया। इस प्रकार, कम्पनी ने निविदाकारों का चयन करने में संशोधित निविदा दस्तावेजों[69] के धारा 14 और ***परिशिष्ट 4.3.1*** में दिए गए निविदाकारों की योग्यता का निर्धारण करने सम्बन्धी भौतिक और वित्तीय पूर्व–योग्यता मापदंडों का पालन नहीं किया। ठेकेदार द्वारा यह कार्य, भागीदार की स्वास्थ्य समस्या, भागीदार की मृत्यु, वन से सम्बंधित मुद्दों और अतिरिक्त कार्यों के आवंटन आदि कारण बताते हुए, कार्य पूर्ण करने की निधार्रित तिथि से 424 दिनों की देरी के साथ पूरा किया गया।

- वन्यजीव एवं हेरिटेज सर्किट के अंतर्गत चयनित किये गए 12 नमूना कार्य आदेशों (***परिशिष्ट 4.3.6***) के अर्न्तगत कम्पनी ने, म.प्र.लो.नि.वि. के मैनुअल की कंडिका 2.075[70] का उल्लघंन करते हुए, नए घटको के ₹ 12.60 करोड़ मूल्य के कार्य, नयी निविदाये आमंत्रित करने के बजाए मौजूदा ठेकेदारों को ही समान दर/नियम और शर्तो पर आंवटित कर दिए।

मध्य प्रदेश सरकार ने अपने उत्तर में कहा (अगस्त 2020) कि:

- मुकुंदपुर चिड़ियाघर के पास कैफेटेरिया, पार्किंग, कंपाउंड वॉल आदि के निर्माण से सम्बंधित कार्यों की निविदाओं का मूल्यांकन फॉर्म–ए में दिए गए पूर्व–निर्धारित मानदंडों के अनुसार ही किया गया था; तथा
- यद्यपि, अतिरिक्त कार्यों के घटक भिन्न थे परन्तु, उनकी प्रकृति मूल कार्य के समान थी, इस कारण उन्हें मौजूदा ठेकेदारों को आवंटित किया गया, ताकि समय पर कार्य पूरा हो सके।

---

69 परिशिष्ट 2.10 के तहत एम.पी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा अधिसूचित संशोधित निविदा दस्तावेज जो कि 01 जनवरी 2014 से प्रभावी थे।

70 मध्य प्रदेश कार्य विभाग के वर्क मैन्युअल की कंडिका 2.075 में प्रावधान है कि ₹ 15,000 से अधिक मूल्य के सभी प्रस्तावित कार्यों के लिए निविदाएं अनिवार्य रूप से आमंत्रित की जाये। इसलिए, कम्पनी को योजना के कार्यों के विभिन्न घटकों को क्रियान्वित करने के लिए निविदाएं आमंत्रित करना आवश्यक था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि:

- निविदा दस्तावेजों की अधिसूचना जारी (जनवरी 2014) होने के काफी समय बाद कम्पनी द्वारा, मुकुंदपुर चिड़ियाघर (वाइल्डलाइफ सर्किट) के पास कैफेटेरिया, पार्किंग, कंपाउंड वॉल आदि के निर्माण कार्य के लिए निविदा आमंत्रित (फरवरी 2016) की गयी थी। इस प्रकार, संशोधित निविदा दस्तावेज की अधिसूचना में दिए गए नए योग्यता मापदंडो का पालन किया जाना चाहिए था; तथा
- यह लागत विश्लेषण किये बिना कि वह कम्पनी के लिए फायदेमंद है अथवा नहीं, समान प्रकृति के कार्यों को भी मौजूदा ठेकेदारों को नहीं सौपा जा सकता। इसके अलावा, कम्पनी द्वारा, कार्यों को समय पर पूरा करने के उद्देश्य को भी हासिल नहीं किया जा सका, क्योंकि संदर्भित 12 कार्यों में से 10 को पूरा करने में 28 दिनों से 969 दिनों तक की देरी हुई।

4.3.5.4 कार्यों को पूरा करने में देरी

निविदा दस्तावेज की शर्तों के अनुसार, सौपे गए कार्यों को ठेकेदार द्वारा, निर्धारित समय अवधि (बारिश के मौसम सहित) में पूरा करना आवश्यक था। हालाँकि, 32 में से 10 कार्य आदेशों के मामले में, विद्युत लाइनों को शिफ्ट न किये जाने, वन विभाग द्वारा सामग्री की आवाजाही पर प्रतिबंध, भागीदार की मृत्यु, भारी वर्षा, काम की मात्रा में वृद्धि आदि कारकों के कारण से, 119 दिनों से 969 दिनों तक की देरी के साथ काम पूरा किया गया।

सात कार्य आदेशों के मामले में, कम्पनी द्वारा, ठेकेदारों पर ₹ 70.54 लाख का जुर्माना लगाए बिना ही, विभिन्न आधारों पर समय बढ़ाने की अनुमति दी गयी। इन आधारों पर ठेकेदारों को दिया गया समय विस्तार उचित नहीं था, क्योंकि अनुबंधों की शर्तों के अनुसार यह फोर्स मैज्योर की श्रेणी में नहीं आता था। तीन कार्य आदेशों के अंतर्गत ठेकेदारों द्वारा काम पूरा करने में हुई देरी के लिए, कम्पनी ने ₹ 53.36 लाख का जुर्माना भी अब तक (अक्टूबर 2020) नहीं लगाया (***परिशिष्ट 4.3.7***)।

मध्य प्रदेश सरकार ने कहा (अगस्त 2020) कि कम्पनी ने उचित आधारों पर बिना जुर्माना लगाए, ठेकेदारों को समय विस्तार दिया था, क्योंकि भारी बारिश, भागीदार की मृत्यु आदि के कारण से कार्य वास्तव में प्रभावित हुए थे, हालांकि, मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि कुछ मामलों में जुर्माने की राशि, यदि कोई है, तो ठेकेदार के अंतिम बिलों से वसूल कर ली जाएगी।

4.3.5.5 वन विभाग के माध्यम से निष्पादित कराये गए कार्यों की कम्पनी द्वारा निगरानी

चूंकि वन्यजीव सर्किट के कुछ कार्य वन क्षेत्रों में किए जाने थे, इसलिए कम्पनी ने वन विभाग से प्राप्त (मई 2016 से फरवरी 2017 तक) प्रस्तावों के अनुसार, इन कार्यों के निष्पादन कराये जाने संबंधित कार्यों कराये जाने को राष्ट्रीय उद्यान प्राधिकरणों (वन विभाग) को सौंपने का निर्णय लिया। इस सन्दर्भ में कम्पनी, स्वीकृति आदेश और संवितरण आदेश के अनुसार योजना को कार्यान्वित करने वाली एजेंसी होने के नाते, वन विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्यों की निगरानी, कार्यों को समय पर निष्पादित कराने और वन विभाग द्वारा कराये जाने वाले इन कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति के मासिक प्रतिवेदन की प्राप्ति को सुनिश्चित करने आदि के लिए जिम्मेदार थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कम्पनी ने वन विभाग के माध्यम से निष्पादित किए जाने वाले कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित नहीं किया। कम्पनी द्वारा पार्क अधिकारियों को, पांच राष्ट्रीय उद्यानों को कार्यों के सात[71] घटकों का आवंटन किया गया और उनके निष्पादन के लिए उन्हें ₹ 3.24 करोड़ संवितरित (मई 2016 से दिसंबर 2016) किए। पार्क अधिकारियों द्वारा अनेक कारणों का हवाला देते हुए जैसे निर्माण हेतु भूमि को अंतिम रूप नहीं दे पाने, वन विभाग द्वारा कार्य के अनुमान में संशोधन तथा वास्तुकार द्वारा ड्राइंग आदि प्रस्तुत करने में देरी

[71] मुकुंदपुर नेशनल पार्क – कैनोपी वॉक का कार्य, कान्हा नेशनल पार्क – मचान और फारेस्ट वॉकिंग ट्रेल्स, पेंच टाइगर रिजर्व – नेचर ट्रेल्स, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व – मचान और संकेतक के कार्य, संजय राष्ट्रीय उद्यान – कैनोपी वॉक का कार्य।

आदि कारणों से, कार्यों[72] को उनकी निर्धारित पूर्णता तिथि से 10 महीने से 20 महीने तक की देरी (अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 तक) के साथ पूरा किया (जून 2018)।

अतः निगरानी तंत्र की अनुपस्थिति के कारण कम्पनी, वन विभाग को सौंपे गए कार्यों की वित्तीय और भौतिक प्रगति पर निगरानी करने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप कार्यों के पूर्ण होने में देरी हुई अथवा पूर्ण नहीं हुए।

मध्य प्रदेश सरकार ने अपने उत्तर में कहा (अगस्त 2020):

- कम्पनी द्वारा, विभिन्न स्तरों पर पार्क अधिकारियों के साथ बैठकें करके, संबंधित पार्क प्राधिकरणों से कार्यों की प्रगति और उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) प्राप्त करने का प्रयास किया गया तथा अब पार्क अधिकारियों को जारी की गई संपूर्ण योजना निधि के लिए यूसी प्राप्त कर लिए गए हैं; तथा
- भूमि के अंतिम रूप देने में देरी, राइट ऑफ़ वे न मिलने के कारण ड्राइंग में बदलाव तथा कार्य निष्पादन के लिए कुशल एजेंसी की अनुपलब्धता आदि कारणों से कार्यों में देरी हुई।

4.3.5.6 निर्मित की गई संपत्तियों को सौंपना

हेरिटेज सर्किट के स्वीकृति आदेश की कंडिका 8 में यह प्रावधान था कि मध्य प्रदेश सरकार/कम्पनी, निर्मित सुविधाओं के रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस आशय का एक वचन पत्र दिया गया था कि भारत सरकार से प्राप्त सीएफए से निर्मित सुविधाओं/परिसंपत्तियों का संचालन एवं रखरखाव, उन सुविधाओं/परिसंपत्तियों के स्थान/प्रकृति के अनुसार, कम्पनी द्वारा, राष्ट्रीय उद्यान प्राधिकरण द्वारा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा अथवा सार्वजनिक–निजी –भागीदारी (पी.पी.पी.) मोड द्वारा कराया जाएगा। इसके अलावा, मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को यह आश्वासन भी दिया कि वह निर्मित परिसंपत्तियों के संचालन और रखरखाव के लिए आवश्यक व्यवस्था/अनुबंध करेगी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

i. मार्गस्त सुविधाओं (डब्ल्यू.एस.ए.) को पट्टे पर देने के मामलों को छोड़कर, वन विभाग, एएसआई या किसी अन्य एजेंसी को सौंपी गई निर्मित संपत्तियों के संचालन एवं रखरखाव से सम्बंधित कोई समझौता/व्यवस्था सबंधी कोई दस्तावेज, रिकॉर्ड में नहीं पाया गया।

ii. बोर्ड ने तीन स्थानों[73] पर डब्ल्यू.एस.ए. की निविदा जारी करने में या उन्हें सौंपने में चार महीने से लेकर 21 महीने तक की देरी की, जिसके परिणामस्वरूप पर्यटकों को समय पर सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाया।

मध्य प्रदेश सरकार ने कहा (अगस्त 2020) कि निर्मित संपत्तियों के रखरखाव के लिए किसी भी एजेंसी के साथ अनुबंध नहीं किया गया। बाबजूद इसके, इन सुविधाओं का संचालन और रखरखाव कम्पनी/वन विभाग/ए.एस.आई. द्वारा किया जा रहा है क्योंकि यह भी सरकारी एजेंसियां हैं। इसके अलावा, डब्ल्यू.एस.ए. को पट्टे पर दिए जाने में हुई देरी प्रक्रियात्मक और अपरिहार्य थी।

कम्पनी और बोर्ड के बीच उचित समन्वय की आवश्यकता है, ताकि बोर्ड द्वारा, डब्ल्यू.एस.ए. को पट्टे पर दिए जाने हेतु निविदा संबंधी कार्य पर्याप्त समय पूर्व ही शुरू किया जा सके और डब्ल्यू.एस.ए. को निर्मित किये जाने तथा उन्हें पट्टे पर दिए जाने के बीच की अवधि को कम किया जा सके।

---

[72] मुकुंदपुर नेशनल पार्क – कैनोपी वॉक (अगस्त 2019), कान्हा नेशनल पार्क – मचान और फारेस्ट वॉकिंग ट्रेल्स (सितंबर 2019), पेंच टाइगर रिजर्व – नेचर ट्रेल्स (नवंबर 2019), बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व – मचान और संकेतक (फरवरी 2020) और संजय राष्ट्रीय उद्यान – कैनोपी वॉक (अप्रैल 2019)।

[73] करहैया, ओबेदुल्लागंज और रोहनिया में निर्मित की गयी मार्गस्त सुविधाएं।

4.3.5.7 सीएफए का उपयोग करने में योजना के दिशानिर्देशों का पालन न किया जाना तथा गलत उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना

योजना दिशानिर्देशों (दिसंबर 2015 में जारी और जुलाई 2018 में संशोधित) की कंडिका 5.1 के अनुसार, योजना के तहत कार्यों के निष्पादन के लिए, भारत सरकार द्वारा कम्पनी को, पांच किश्तों[74] में निधियों का संवितरण किया जाना था। अगली किश्त का संवितरण प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार के समक्ष, पछली किस्त में प्राप्त सीएफए के न्यूनतम 75 *प्रतिशत* राशि के उपयोग कर लिए जाने सम्बन्धी उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) प्रस्तुत किया जाना था। कम्पनी ने वन्यजीव सर्किट के तहत स्वीकृत सीएफए की राशि ₹ 92.22 करोड़ के विरूद्ध ₹ 78.78 करोड़ तथा हेरिटेज सर्किट के तहत स्वीकृत सीएफए की राशि ₹ 92.97 करोड़ के विरूद्ध ₹ 85.33 करोड़ की राशि प्राप्त की (जून 2020)।

कम्पनी द्वारा भारत सरकार से प्राप्त किये गए सीएफए और उनके विरुद्ध प्रस्तुत किए गए प्रमाणपत्रों की जांच करने पर निम्नलिखित विसंगतियां सामने आईं:

1. बांधवगढ़ नेशनल पार्क में वन सूचना केंद्र (एफआईसी) और सौर प्रकाश प्रणाली के कार्यों के संबंध में, कम्पनी ने ₹ 35.73 लाख के गलत/ अधिक यूसी प्रस्तुत किये (दिसंबर 2016)। वास्तव में, यूसी प्रस्तुत करने की तारीख के बाद कार्यों को शुरू किया गया (अक्टूबर 2017 और मार्च 2019) तथा यूसी जमा करने के समय तक इन कार्यों पर किये गए वास्तविक व्यय 'निरंक' थे। इन गलत/ अधिक यूसी को जमा करने संबंधी कोई भी कारण रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं थे।

मध्य प्रदेश सरकार ने कहा (अगस्त 2020) कि अक्टूबर 2017 से पहले से जारी एक अन्य कार्य आदेश में से, एफआईसी के कार्य हेतु ₹ 15.46 लाख का उपयोग (दिसंबर 2016) किया गया था तथा बांधवगढ़ नेशनल पार्क द्वारा प्रस्तुत (नवंबर 2016) यूसी के अनुसार, इसके द्वारा ₹ 33.73 लाख सौर प्रकाश पर खर्च किए गए थे।

उत्तर सही नहीं है क्योंकि वास्तव में ₹ 15.46 लाख का उपयोग व्हाइट टाइगर फॉरेस्ट लॉज, बांधवगढ़ में किया गया था, जो कि कम्पनी का एक वाणिज्यिक होटल है, एफआईसी नहीं। इसके अलावा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान द्वारा प्रस्तुत (नवंबर 2016) यूसी के अनुसार ₹ 33.73 लाख का उपयोग सोलर पंप और बोरिंग के लिए किया गया था न कि सौर प्रकाश के लिए।

2. योजना की कंडिका 4.4 में यह प्रावधान था कि इस योजना के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों का, भारत सरकार की अन्य योजनाओं के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों के साथ कोई दोहराव/ओवरलैप नहीं होगा। कम्पनी ने, उपरोक्त का उल्लंघन करते हुए, वन्यजीव सर्किट की डीपीआर में स्लीमनाबाद डब्लूएसए[75] के कार्य को शामिल किया, जिसे भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित 'मेगा सर्किट, जबलपुर' नाम की एक अन्य योजना के तहत विकसित किया जा रहा था, और उस योजना के अंतर्गत उसका प्लिन्थ लेवल तक का कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका था। कम्पनी ने, वन्यजीव सर्किट के सीएफए से इस काम पर ₹ 74.94 लाख का अतिरिक्त व्यय किया।

मध्य प्रदेश सरकार ने कहा (अगस्त 2020) कि भारत सरकार द्वारा मेगा सर्किट, जबलपुर योजना को वापस लिए जाने के कारण से स्लीमनाबाद डब्लूएसए का काम अधूरा था। चूंकि वन्यजीव सर्किट की मंजूरी के समय इस डब्लूएसए को निर्मित किये जाने के लिए सटीक स्थान का चयन नहीं किया गया था, इसलिए इसके स्थान की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए, आंशिक रूप से पूर्ण किए गए डब्ल्यूएसए को पूर्ण करवाकर इसके अधिकतम उपयोग किये जाने हेतु, इस डब्लूएसए को वन्यजीव सर्किट के तहत पूरा करने हेतु इसकी पहचान की गई थी।

---

[74] पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पाँचवीं किश्त के रूप में स्वीकृत सीएफए का क्रमशः 20 *प्रतिशत*, 30 *प्रतिशत*, 30 *प्रतिशत*, 15 *प्रतिशत* और 5 *प्रतिशत* के बराबर।

[75] कार्य आदेश नवंबर 2014 में जारी किया गया था, परन्तु केंद्र सरकार से धन प्राप्त नहीं होने के कारण इसे रोक दिया गया (अप्रैल 2015)। कार्य को रोके जाने के समय, कार्य की वित्तीय प्रगति ₹ 13.28 लाख की थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आंशिक रूप से पूर्ण किए गए डब्ल्यूएसए की पहचान इसे वन्यजीव सर्किट के तहत पूर्ण कराये जाने के बाद भी, मेगा सर्किट, जबलपुर योजना के तहत इस डब्ल्यूएसए में पहले से ही पूर्ण किए गए कार्य के मूल्य को, स्वीकृत सीएफए से कम नहीं किया गया।

3. योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार सीएफए के अंतर्गत प्राप्त राशि का उपयोग, किसी मौजूदा बुनियादी ढाँचे/कम्पनी के स्वामित्व वाली/कम्पनी द्वारा व्यावसायिक रूप से संचालित संपत्तियों आदि में नहीं किया जा सकता था। हालांकि, कम्पनी ने सीएफए के अंतर्गत प्राप्त राशि से अपनी स्वयं की वाणिज्यिक इकाइयों में नौ कार्यों को कराने हेतु, जो डीपीआर में भी शामिल नहीं थे, ₹ 11.46 करोड़ का आवंटन किया, तथा इस पर ₹ 4.07 करोड़ का व्यय (***परिशिष्ट 4.3.8***) किया गया, इस प्रकार, इस योजना के अंतर्गत प्राप्त निधि को अपवर्तित किया गया। इसके लिए कम्पनी द्वारा भारत सरकार से अनुमोदन भी प्राप्त नहीं किया गया।

सरकार ने कहा (अगस्त 2020) कि योजना दिशानिर्देशों के अंतर्गत, कम्पनी के मौजूदा बुनियादी ढाँचे में कार्यों को कराने हेतु स्पष्ट रूप से मना/वर्जित नहीं किया गया है। निष्पादित किये गए कार्य, पर्यटकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक थे और सीएफए की स्वीकृत राशि के भीतर थे। विभाग ने अपने उत्तर में (अगस्त 2020) स्पष्ट किया कि डीपीआर में केवल, कराये जाने वाले कार्यों के घटकों और स्थानों की मंजूरी दी गई थी, न कि उन घटकों को निष्पादित किये जाने वाली सटीक जगहों/जमीनों की।

उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि कार्यों के इन घटकों और उक्त कार्यों के निष्पादन को डीपीआर में शामिल नहीं किया गया था और इन्हें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था, बल्कि इन कार्यों का निष्पादन करने हेतु योजना के अंतर्गत अन्य स्वीकृत घटकों हेतु प्राप्त राशि को अपवर्तित किया गया था।

4. हेरिटेज सर्किट के स्वीकृति आदेश की कंडिका 8 के अनुसार, निर्मित सुविधाओं के रखरखाव और प्रबंधन के लिए मध्य प्रदेश सरकार/कम्पनी जिम्मेदार थी। उक्त कंडिका का उल्लंघन करते हुए कम्पनी ने, हेरिटेज सर्किट के लिए प्राप्त सीएफए से मांडू में ध्वनि एवं प्रकाश शो के निर्माण (₹ 4.62 करोड़) और पॉच वर्षो तक इसके संचालन और रखरखाव (₹ 1.00 करोड़[76]) का कार्य, मेसर्स ट्राईकलर इंडिया शॉस्पीएल प्रायवेट लिमिटेड, नोएडा[77] को दिया जबकि, मांडू में ध्वनि एवं प्रकाश शो, के काम के लिए कुल ₹ 4.50 करोड़ की ही प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्राप्त थी। ₹ 1.12 करोड़ की अधिक राशि के लिए, भारत सरकार से अनुमोदन भी प्राप्त नहीं किया गया। इसके अलावा, कम्पनी, उक्त कार्य आदेश के विरुद्ध ₹ 5.17 करोड़ का व्यय कर चुकी थी।

हालांकि, कम्पनी ने इसके संचालन और रखरखाव हेतु राज्य के बजट से धन की मांग की (दिसंबर 2019) परन्तु वह अभी तक (अगस्त 2020) प्राप्त नहीं हुआ है।

5. कम्पनी ने संजय टाइगर रिजर्व में, वन विभाग के माध्यम से, पार्किंग और एफआईसी के कार्यों को निष्पादित कराने के लिए ₹ 26.19 लाख[78] संवितरित किये (मई 2016)। हालांकि, 10 महीने बीत जाने के बाद, कम्पनी ने कार्य का निष्पादन अपने हाथ में ले लिया (मार्च 2017) और उस के लिए कार्य आदेश जारी किया। इस प्रकार, वन विभाग को संवितरित धनराशि अनुपयोगी रही तथा संवितरित किये जाने के बाद से दो वर्ष बीत जाने के बाद जुलाई 2018 में, वन विभाग द्वारा इसे कम्पनी को वापस कर दिया गया। वन्यजीव सर्किट के उक्त दोनों कार्यों को, कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि (06 जून 2018) से, सात महीने की देरी के साथ पूर्ण (जनवरी 2019) किया गया।

सरकार ने कहा (अगस्त 2020) कि संजय नेशनल पार्क में पार्किंग और एफआईसी के कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं।

---

[76] मांडू में ध्वनि एवं प्रकाश शो का कार्य 10 फरवरी 2019 को पूरा कर लिया गया तथा इसके संचालन और रखरखाव का काम ठेकेदार द्वारा शुरू कर दिया गया, जिसका भुगतान लंबित है।

[77] जिसे ध्वनि एवं प्रकाश शो के निर्माण का कार्य भी दिया गया था।

[78] वन सूचना केंद्र हेतु ₹ 21.20 लाख और पार्किंग क्षेत्र के विकास हेतु ₹ 4.99 लाख।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह कार्य सात महीने की देरी से पूर्ण किये गए।

4.3.5.8 स्वदेश दर्शन योजना की निगरानी

भारत सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन योजना की निगरानीः योजना के दिशानिर्देशों की कंडिका 6 ''निगरानी'' के अनुसार, भारत सरकार द्वारा, कम्पनी/बोर्ड से प्राप्त मासिक निगरानी प्रतिवेदनो के आधार पर, वन्यजीव सर्किट और हेरिटेज सर्किट के अंतर्गत कराये गए कार्यों की प्रगति की निगरानी की गई। इसके अलावा, एमओटी, मिशन निदेशालय और केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा नियमित निगरानी बैठकें भी आयोजित की गयी। प्रगति पर विचार करने के बाद, एमओटी द्वारा संबंधित सीएफए का पुनः विनियोजन/कटौती की गयी तथा कार्यों के विभिन्न घटकों को पुनः विनियोजन/हटाया गया।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन योजना की निगरानीः वन्यजीव और हेरिटेज सर्किट के तहत कार्यों की प्रगति की निगरानी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित राज्य स्तरीय निगरानी समिति (एसएलएमसी) द्वारा की गई। इसके अलावा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, कम्पनी/बोर्ड से मासिक निगरानी प्रतिवेदन प्राप्त किये गए तथा कार्यों की योजना और निगरानी के लिए परियोजना सलाहकार भी नियुक्त किए गए।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कार्य की प्रगति की निगरानी के लिए राज्य और केंद्र स्तर पर नियमित बैठकें की गईं।

निष्कर्ष

स्वीकृति आदेश के अनुसार, इस योजना को, 14वें वित्त आयोग के समयांतराल में, अर्थात मार्च 2020 तक पूरा किया जाना था। दोनों सर्किटों में कार्यों के मुख्य भागों को पूरा कर लिया गया है और सर्किट प्रारंभ हो गए है तथा कुछ स्थानों पर कुछ अल्प कार्यों के जारी रहने के साथ ही यह पर्यटकों के लिए खुले हैं। निविदाओं को जारी करने और कार्यो को सौपे जाने में कुछ परिहार्य विलम्ब हुए, जिस कारण कार्य पूर्णता की निर्धारित समय सीमा आगे बढ़ गयी।

4.4 मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में ट्रांसफार्मरों के क्रय, मरम्मत एवं रख–रखाव

4.4.1 प्रस्तावना

मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (कंपनी) का समामेलन (नवम्बर 2001) पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल (म.प्र.रा.वि.म.) के विघटन पर कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार (म.प्र.स.) के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में किया गया था जिसका उद्देश्य राज्य में ऊर्जा का कुशल, पर्याप्त एवं उचित रूप से समन्वित पारेषण प्रणाली का विकास व संधारण करना है। कंपनी ऊर्जा विभाग (विभाग), मध्य प्रदेश शासन के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है जिसका नेतृत्व प्रमुख सचिव, ऊर्जा द्वारा किया जाता है।

4.4.2 कंपनी के कार्यकलापों में ट्रांसफ़ॉर्मरों की भूमिका

ट्रांसफार्मर एक स्थिर उपकरण है जो पारेषण तंत्र (ईएचवी सब–स्टेशनों पर) में वोल्टेज को बढ़ाने या कम करने के लिए स्थापित किया जाता है। ऊर्जा सामन्यतः अपेक्षाकृत कम वोल्टेज पर उत्पन्न की जाती है एवं पारेषण हानि को कम करने के लिए, इसे भार प्रेषण केंद्रों तक पारेषित करने हेतु ऊर्जा ट्रांसफॉर्मर के माध्यम से 132 केवी, 220 केवी एवं 400 केवी के उच्च वोल्टेज तक ले जाया जाता है। भार प्रेषण केंद्रों पर, वितरण सेवा प्रदाताओं को विद्युत आपूर्ति हेतु इसे 132 केवी, 66 केवी व 33 केवी तक कम किया जाता है। पारेषण तंत्र में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऊर्जा ट्रांसफार्मर मुख्य रूप से 40 मेगा वोल्ट एम्पीयर (एमवीए), 63 एमवीए, 100 एमवीए, 160 एमवीए व 315 एमवीए क्षमता के होते हैं। पारेषण प्रक्रिया का एक सचित्र प्रतिरूप नीचे दिया गया है:

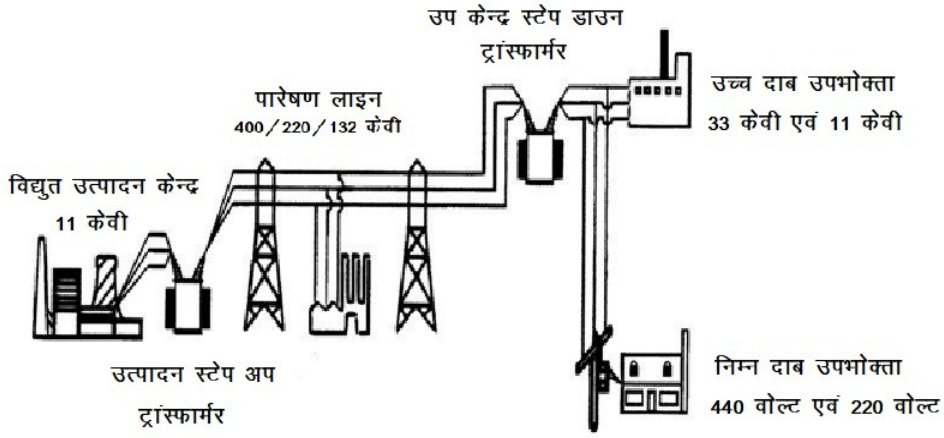

31 मार्च 2019 को सब–स्टेशनों की स्थिति, कंपनी के विभिन्न सब–स्टेशनों पर स्थापित ट्रांसफार्मरों (जिनकी क्षमता 40 एमवीए से 315 एमवीए के मध्य होती है) और ट्रांस्फ़ार्मेशन क्षमता की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका 4.4.1: सब–स्टेशनों, ट्रांसफार्मरों एवं ट्रान्स्फ़ार्मेशन क्षमता की स्थिति का विवरण

क्र.स.	विवरण	स्थिति
1	सब–स्टेशनों की संख्या	366
2	ट्रांसफार्मरों की संख्या	887
3	ट्रांस्फ़ार्मेसन क्षमता (एमवीए में)	60,731

*(**स्रोत**: कंपनी द्वारा प्रदान की गई सूचना)*

4.4.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

कम्पनी की लेखापरीक्षा यह आकलन करने के दृष्टिकोण से की गयी थी कि:

- क्या ट्रांसफ़ॉर्मरों का क्रय समय पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार पारदर्शी और समयबद्ध रूप से किया गया था; और
- क्या ट्रांसफ़ॉर्मरों की मरम्मत कुशलतापूर्वक निष्पादित की गयी थी।

4.4.4 लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत

लेखापरीक्षा के लिए अपनाए गए मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से लिए गए हैं:

- मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (म.प्र.वि.नि.आ.), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (कें.वि.प्रा.) एवं केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (कें.वि.नि.आ.) के मानदंड व मानक;
- कंपनी की क्रय एवं भण्डार नियमावली/ प्रक्रिया तथा ट्रांसफ़ॉर्मरों की आपूर्ति तथा मरम्मत व रख–रखाव के निविदाओं की नियम व शर्तें;
- कंपनी द्वारा तैयार दीर्घकालिक एवं वार्षिक योजनाएं; और
- निदेशक मण्डल की बैठकों के एजेंडा और कार्यवृत।

4.4.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

वर्ष 2016–17 से वर्ष 2018–19 तक तीन वर्ष की अवधि को आच्छादित करते हुए, अक्टूबर 2019 से दिसंबर 2019 तक लेखापरीक्षा की गयी थी। अभिलेखों की जांच के लिए कंपनी मुख्यालय एवं बारह मे से सात परीक्षण एवं संचार वृत्तों[79] को चुना[80] गया था।

परीक्षण एवं संचार (टीएंडसी) वृत्तों तथा अतिरिक्त उच्चदाब–निर्माण (ईएचटी–कंस्ट्रक्शन) वृत्तों के स्थान नीचे दिए गए मानचित्र में दिए गए हैं:

चित्र 4.4.1: मध्य प्रदेश में टी एंड सी तथा ईएचटी–कंस्ट्रक्शन वृत्तों को प्रदर्शित करने वाला मानचित्र

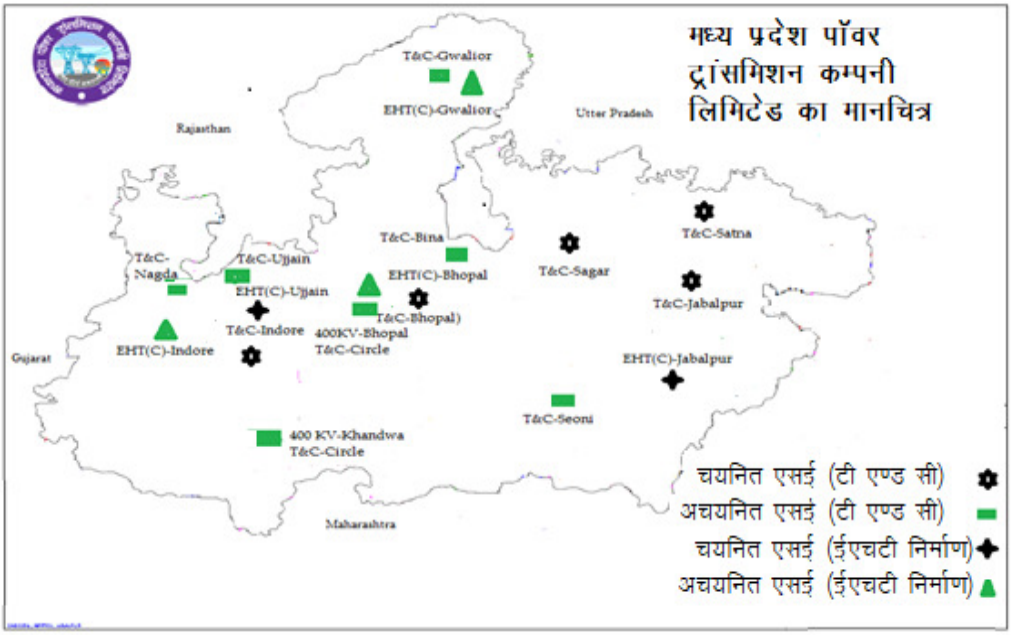

वर्ष 2016–17 से वर्ष 2018–19 की अवधि में ट्रांसफार्मरों का क्रय एवं मरम्मत का विवरण **तालिका 4.4.2** में दिया गया है:

---

[79] 12 परीक्षण एवं संचार (टी एंड सी) वृत्तों में से, पांच वृत्तों को लेखापरीक्षा हेतु चुना गया था। पांच ईएचटी–कंस्ट्रक्शन (ईएचटी–कंस्ट्रक्शन) वृत्तों में से, दो वृत्तों का चयन किया गया।

[80] रैंडम सैंपलिंग के आधार पर, इंटर एक्टिव डेटा एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस (आई.डी.ई.ए.) सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है।

तालिका 4.4.2: ट्रांसफ़ॉर्मरों के क्रय तथा सब–स्टेशनों की मरम्मत एवं रख–रखाव पर वर्ष वार किए गए व्यय का विवरण

(₹ करोड़ मे)

वर्ष	स्वयं क्रय किये				टर्नकी आधार पर क्रय				सब–स्टेशनों की मरम्मत एवं रख–रखाव पर व्यय (ट्रांसफ़ॉर्मरों को सम्मिलित करके)
	अनुबंधों की संख्या	क्रय किये गए ट्रांसफ़ॉर्मरों की संख्या	अगस्त 2020 तक आपूर्ति किये गए/ प्रारंभ हो चुके ट्रांसफ़ॉर्मरों की संख्या	व्यय	अनुबंधों की संख्या	क्रय किये गए ट्रांसफ़ॉर्मरों की संख्या	अगस्त 2020 तक आपूर्ति किये गए/ प्रारंभ हो चुके ट्रांसफ़ॉर्मरों की संख्या	व्यय	
2016–17	8	64	64/50	211.00	9	31	31/31	124.95	52.83
2017–18	4	41	41/41	100.30	3[81]	0	0	0	51.98
2018–19	7	50	42/26	141.02	9	17	17/12	54.10	50.23
योग	**19**	**155**	**147/117**	**452.32**	**21**	**48**	**48/43**	**179.05**	**155.04**

*(**स्रोत**: कंपनी द्वारा प्रदान की गई सूचना)*

वर्ष 2016–17 से वर्ष 2018–19 की अवधि में कंपनी द्वारा स्वयं क्रय किये ट्रांसफ़ॉर्मरों के सभी 19 अनुबंधों, 21 टर्नकी अनुबंधों (21 टर्नकी अनुबंधों में से केवल 18 अनुबंधों में ट्रांसफ़ॉर्मरों की आपूर्ति हुई, जिनकी जांच की गयी), जिनमें ट्रांसफार्मर की आपूर्ति हुई तथा क्षतिग्रस्त ट्रांसफ़ॉर्मरों की मरम्मत के सभी तीन अनुबंधों की जांच लेखापरीक्षा द्वारा की गयी।

4.4.6 लेखापरीक्षा परिणाम

कंपनी के पास ट्रांसफॉर्मरों के क्रय हेतु न तो कोई क्रय नियमावली है और न ही कोई क्रय योजना[82] है। ट्रांसफॉर्मरों के क्रय हेतु, क्षेत्र–इकाइयों द्वारा टुकड़ों में मांगें की जाती है जिनका कंपनी की योजना एवं रूपांकन शाखा द्वारा वित्तीय एवं तकनीकी पुनरीक्षण किया जाता है। वित्तीय एवं तकनीकी पुनरीक्षण पश्चात्, क्रय शाखा द्वारा तदर्थ रूप से निविदा के आदेश दिए जाते है। वित्तीय एवं तकनीकी योग्य कर्ता हेतु तैयार किये तुलनात्मक पत्रक के आधार पर खरीद आदेश सबसे कम बोली वाले (एल–1) निविदा कर्ता को दिया जाता है। ज्यादा मात्रा की आपूर्ति हेतु, कंपनी ने योग्य बोलीदाताओं के मध्य एल–1 की दर पर प्रति–प्रस्ताव देते हुए निविदा मात्रा को वितरित किया जाता है। ट्रांसफॉर्मरों के क्रय में हुई अनिमितताओं पर आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गयी है।

4.4.6.1 स्वप्रयोग हेतु ट्रांसफ़ॉर्मरों के क्रय में कमियां

वर्ष 2016–17 से 2018–19 की अवधि में, कंपनी ने ₹ 452.32 करोड़ की कुल लागत पर स्वप्रयोग के लिए 155 ट्रांसफ़ॉर्मरों के क्रय हेतु (कंपनी द्वारा विभागीय रूप से निर्मित सब–स्टेशनों में प्रयोग अथवा क्षमता वृद्धि हेतु) 19 अनुबंध किये। लेखापरीक्षा ने सभी अनुबंधों की जांच की एवं निम्नलिखित कमियाँ पायीं:

1. एक प्रकरण में, कंपनी ने 160 एमवीए क्षमता के ट्रांसफार्मर उन दरों पर क्रय किये (जनवरी 2017) जो कि समान क्षमता के ट्रांसफ़ॉर्मरों के पिछले क्रय (दिसंबर 2016) से अधिक थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.25 करोड[83] का अतिरिक्त व्यय हुआ।

2. शेष 18 अनुबंधों में, या तो कंपनी ने उस वर्ष में उसी क्षमता के ट्रांसफ़ॉर्मरों हेतु निविदा आमंत्रित नहीं की या निविदाओं की भिन्न–भिन्न विशिष्टियों के कारण दरें तुलनीय नहीं थी।

सरकार ने अपने उत्तर (सितंबर 2020) में कहा कि आपूर्ति के विशिष्टियों में अंतर था क्योंकि पिछली निविदाओं के अंतर्गत आपूर्ति किए गए ट्रांसफार्मर बिना तेल के एवं बाद की निविदाओं के अंतर्गत आपूर्ति किए गए ट्रांसफार्मर तेल युक्त थे।

---

81 तीन टर्नकी अनुबंधों में टर्नकी ठेकेदारों ने किसी भी ट्रांसफार्मर की आपूर्ति नहीं की।

82 जैसा कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पीएसयू) 2016–17 में बताया गया है, कंपनी म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा जारी (जुलाई 2005) पूंजीगत व्ययों के दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवश्यक पूंजीगत व्यय योजना तैयार नहीं कर रही थी।

83 पंद्रह ट्रांसफॉर्मर के लिए, अंतर 0.15 करोड़ * 15 = ₹ 2.25 करोड़ (निविदा संख्या टी आर–07/2016 में ₹ 3.43 करोड़ के सापेक्ष, निविदा संख्या टी आर–108/2016 में प्रति ट्रांसफार्मर एक्स–वर्क्स मूल्य ₹ 3.58 करोड़ (₹ 0.37 करोड़ के तेल एवं पुर्जो के मूल्य को छोड़कर)।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अतिरिक्त व्यय की गणना के लिए लेखापरीक्षा द्वारा ट्रांसफार्मर तेल की लागत पहले ही घटाई जा चुकी है।

3. दो प्रकरणों में, कंपनी ने एल–2 निविदाकर्ता से क्रय करते समय क्रय दरों को (बिना किसी कारण का उल्लेख किये) एल–1 निविदाकर्ता की दरों तक सीमित करने में असफल रही। परिणामस्वरुप, कंपनी को ₹ 1.05 करोड़ का परिहार्य व्यय करना पड़ा जिसका वर्णन नीचे दिया गया है;

अ) कंपनी ने कुल 11 नग 160 एमवीए के ट्रांसफार्मर खरीदने के लिए निविदा (टी. आर. –42/2017) मंगाई (नवंबर 2017)। मै. बी एच ई एल और मै. बी बी एल क्रमशः एल–1 (₹ 4.31 करोड़) और एल–2 (₹ 4.37 करोड़) बोलीदाताओं के रूप में उभरे, जिनमें प्रति ट्रांसफार्मर ₹ 0.06 करोड़ का अंतर था। आपूर्तिकर्ताओं में से किसी के साथ किसी भी अप्रत्याशित जोखिम के खिलाफ खुद को सुरक्षित करने के अपने प्रयास में, कंपनी ने इन दो आपूर्तिकर्ताओं के बीच ऑर्डर (सात नग एल–1 और चार नग एल–2 बोलीदाता को) विभाजित करने का फैसला किया। यद्यपि, एल–2 बोलीदाता को आदेश (फरवरी 2018) देते हुए, कंपनी ने अपने प्रस्ताव को एल–1 दरों तक सीमित नहीं रखा। इसके अलावा, दो और ट्रांसफॉर्मर के लिए ऑर्डर (जनवरी 2019) एल–2 बोलीदाता पर उस फर्म द्वारा प्रस्तावित मूल दरों (एल–2) पर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप एल–2 फर्म से छः ट्रांसफार्मर की खरीद पर ₹ 0.36 करोड़ की अतिरिक्त राशि व्यय की।

ब) इसी प्रकार, कंपनी ने चार नग 315 एमवीए ट्रांसफार्मर की खरीद के लिए निविदा (टी. आर. –68/2018) जारी की (अक्टूबर 2018)। मै. टी. एंड आर. और मै. बी एच ई एल क्रमशः एल–1 (₹ 9.19 करोड़) और एल–2 (₹ 9.42 करोड़) बोलीदाताओं के रूप में उभरे, जिनमें ₹ 0.23 करोड़ का अंतर था। एल–2 बोलीदाता को आदेश (जनवरी 2019) देते हुए, उसने अपने प्रस्ताव को एल–1 दरों तक सीमित नहीं रखा और इसके अतिरिक्त, एक और ट्रांसफार्मर के लिए ऑर्डर मूल रूप से प्रस्तावित (एल–2) दरों पर एल–2 बोलीदाता को दिया गया (जुलाई 2019)। इसके परिणामस्वरूप एल–2 फर्म से तीन ट्रांसफॉर्मर की खरीद पर ₹ 0.69 करोड़ की अतिरिक्त राशि व्यय की।

सरकार ने अपने उत्तर (सितंबर 2020) में कहा कि प्रति–प्रस्ताव की दरों की गणना एल–1 व एल–2 बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत भार हानियों एवं तेल के मूल्य को देखते हुए की गयी थी। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने तुलना के लिए फ्री ऑन रेल डेस्टिनेशन (एफ.ओ.आर.डी.) मूल्य के स्थान पर एक्स–वर्क्स मूल्य को गणना में लिया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सरकार के दावे के विपरीत लेखापरीक्षा ने पहले ही तुलना के लिए एक्स–वर्क्स दरों को न लेकर एफ.ओ.आर.डी. दरों को लिया है। जो बोलीदाता तकनीकी मानकों को पूरा करते हैं, केवल उन्ही बोलीदाताओं की वित्तीय बोली पर विचार किया जाता है। अतः, एल–1 बोलीदाता का निर्णय करने के लिए, भार हानियों का मूल्य (काल्पनिक लागत, जिसके लिए फर्मों को कोई भुगतान नहीं किया जाता है), कीमत में अंतर का आधार नहीं होना चाहिये। यहाँ तक कि एफओआरडी दरों के प्रकरणों में, भी एल–2 बोलीदाता को प्रस्तावित दरें एल–1 बोलीदाता द्वारा विदित दरों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4. एक प्रकरण में, 'मूल्य गिरावट'[84] एवं '50 *प्रतिशत* मात्रा में कमी' की धारा को अनुबंध में सम्मिलित न करने के कारण (जैसा कि अन्य प्रदेशों की पारेषण कंपनियों द्वारा किया जा रहा है) कंपनी घटी कीमतों (बाद की निविदाओं में उसी उत्पाद का कम भाव प्राप्त होने पर) का लाभ नहीं उठा सकी एवं ₹ 1.20 करोड़[85] का अतिरिक्त व्यय हुआ।

---

[84] मूल्य गिरावट वाक्य निर्दिष्ट करता है कि 'यदि विशिष्टियों के अंतर्गत आदेशित किए गए उपकरणों का मूल्य निर्धारित/ संविदात्मक सुपुर्दगी अवधि में एवं नई निविदा के अन्तिमीकरण तक अनापूर्तित रहता है तथा नई निविदा में उपकरण का मूल्य गिर जाता है तब ठेकेदार उपकरण का मूल्य नई निविदा मूल्य के स्तर तक घटाएगा एवं यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो बिना किसी पूर्वाग्रह के पिछली अनापूर्तित मात्रा को निरस्त कर दिया जाएगा'।

[85] 160 एमवीए के 15 ट्रांसफॉर्मरों के क्रय हेतु निविदा संख्या केएफडब्लू/एमपीपीटीसीएल/टीआर–108, जिसमें, 20 माह की आपूर्ति सारणी (आपूर्ति आदेश की तिथि से 6 माह पश्चात से प्रारंभ होकर एवं प्रति माह एक ट्रांसफार्मर की दर से 20 वें माह तक पूर्ण हुई) के साथ माह सितम्बर 2018 तक पूर्ण होना था, एक्स–वर्क्स दर ₹ 3.58 करोड़ प्रति ट्रांसफार्मर (₹ 0.37 करोड़ मूल्य के तेल एवं पुर्जों की लागत को छोड़कर), एल–1 थी। निविदा संख्या टीआर–07/2016 में 160 एमवीए के तीन ट्रांसफॉर्मरों के क्रय हेतु एल–1, एक्स–वर्क्स दरें, नवम्बर 2017 तक आपूर्ति पूर्ण करने की सुपुर्दगी सारणी के साथ ₹ 3.43 करोड़ प्रति ट्रांसफार्मर थी (तीन प्रारंभिक एवं दो अतिरिक्त). ₹ 1.20 करोड़= (₹ 3.58 करोड़ –₹ 3.43 करोड़) * 8 ट्रांसफार्मर (प्रारंभिक निविदा का 50 *प्रतिशत*)।

सरकार ने अपने उत्तर (सितंबर 2020) में कहा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात्, शेष मात्रा के लिए मूल्य में गिरावट हेतु आवश्यक प्रावधान को अब निविदा बोली प्रपत्रों में शामिल किया गया है।

सरकार ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया एवं आवश्यक प्रावधान निविदा बोली प्रपत्र में सम्मिलित किया।

4.4.6.2 टर्नकी अनुबंध (टीकेसी) द्वारा ट्रांसफार्मरों के क्रय में कमियां

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) द्वारा अधिसूचित (जनवरी 2002) पारेषण प्रणाली में सर्वोत्तम प्रथाओं (बी.पी.आई.टी.एस.) की कंडिका 5(i) के अनुसार, टर्नकी अनुबंधों की दशा में सब–स्टेशनो के टर्नकी निष्पादन हेतु ट्रांसफ़ॉर्मरों/रिएक्टरों को छोड़कर आदेश दिया जा सकता है, जिन्हें कंपनी द्वारा अलग से क्रय किया जाए एवं टर्नकी ठेकेदार द्वारा स्थापित किया जाए।

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2016–17 से वर्ष 2018–19 की अवधि में, 18[86] टर्नकी अनुबंधों द्वारा क्रय किए गए 48 ट्रांसफ़ॉर्मरों, जो 132 केवी, 220 केवी तथा 400 केवी सब–स्टेशनों के निर्माण कार्य के लिए थे, की जांच की एवं निम्नलिखित कमियाँ पायीः

- कम्पनी ने पारेषण प्रणाली में सर्वोत्तम प्रथाओं (बीपीआईटीएस) की उपरोक्त विदित अनुशंसाओं की अनदेखी करते हुए 12 टर्नकी अनुबंध (2016–17 में आठ और 2018–19 में चार) किये, जिनमे ट्रांसफार्मरों के क्रय/आपूर्ति का उत्तरदायित्व भी सम्मिलित था यद्यदि कंपनी ने सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन किया होता, तो ₹ 58.51 करोड़ बचाए जा सकते थे, क्योंकि इसी अवधि के दौरान कंपनी द्वारा स्व–क्रय किये गए समान क्षमता के ट्रांसफार्मर की लागत की तुलना में पांच टर्नकी ठेकेदारों को 48 ट्रांसफार्मरों (2016–17 में 31 ट्रांसफार्मर और 2018–19 में 17 ट्रांसफार्मर) के लिए उच्च मूल्य (11.39 *प्रतिशत* से 84.34 *प्रतिशत*) का भुगतान करना पड़ा, जैसा कि ***परिशिष्ट 4.4.1*** में विस्तृत है।

- वर्ष 2016–17 की अवधि में एक टर्नकी अनुबंध के प्रकरण में, कंपनी द्वारा 12 ट्रांसफ़ॉर्मरों (160 एमवीए के तीन ट्रांसफार्मर और 50 एमवीए के नौ ट्रांसफार्मर) हेतु जारी क्रय आदेशों (मार्च 2016 से जून 2016) की दरें पूर्व में क्रय उसी क्षमता के ट्रांसफ़ॉर्मरों की तुलना में ₹ 5.60 करोड़ अधिक पाई गयी, जैसा कि ***परिशिष्ट 4.4.2*** में वर्णन है। यद्यपि, कंपनी ने पूर्व में प्राप्त कम दरें पाने के लिए टर्नकी ठेकेदारों के साथ मोल–भाव करने का कोई प्रयास नहीं किया एवं टर्नकी अनुबंध को ऊँची दरों पर अंतिम रूप दे दिया गया।

सरकार द्वारा उत्तर (सितंबर 2020) में कहा गया कि टर्नकी अनुबंधों में, निविदा में दिए गए मूल्यांकन मापदण्डों के अनुसार पूर्ण पैकेज हेतु मूल्यों की तुलना की जाती है एवं तदनुसार निर्णय लिए जाते है। ट्रांसफार्मर या किसी अन्य उपकरण व सामग्री की कीमतों के आधार पर मोल–भाव नहीं किया जाता है तथा यह व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।

उत्तर त्रुटिपूर्ण है क्योंकि लेखापरीक्षा ने अंकित किया है कि अनुबंधों को तैयार करते समय बीपीटीआईएस के प्रावधानों का पालन नहीं हुआ, जिसके कारण कंपनी ने टर्नकी ठेकेदारों से 48 ट्रांसफ़ॉर्मरों के क्रय हेतु, अधिक मूल्य का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त, सीवीसी के दिशानिर्देश भी कंपनी के वित्तीय हित में एल–1 बोलीदाता के साथ मोल–भाव करने की अनुमति देते हैं।

[86] लेखापरीक्षा अवधि में ट्रांसफ़ॉर्मरों के क्रय हेतु निष्पादित कुल 21 अनुबंधों में से, वास्तव में तीन अनुबंधों के सापेक्ष कोई क्रय नहीं किया गया था।

4.4.6.3 क्रय अनुबंधों का अमितव्ययी निष्पादन

कंपनी परियोजना लागत[87] का 70 *प्रतिशत* वित्तीय संस्थानों[88] (एफआई) से ऋण के रूप में प्राप्त करती है अत:, वित्तीय लागत को न्यूनतम रखने के लिए एक कुशल निधि प्रबंधन का होना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा ने ट्रांसफार्मर के क्रय में निम्नलिखित कमियों को देखा, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी पर परिहार्य वित्तीय बोझ पड़ा:

- निर्माण स्थल की तैयारी सुनिश्चित किए बिना 60 ट्रांसफार्मरों[89] की आपूर्ति प्राप्त की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप उनकी स्थापना में 3 से 28 माह की देरी हुई (***परिशिष्ट 4.4.3 एवं परिशिष्ट 4.4.4*** में दिए विवरणानुसार)। इन ट्रांसफ़ॉर्मरों की आपूर्ति के उपरान्त आपूर्तिकर्ताओं को तत्काल भुगतान अवमुक्त कर दिया गया था जिसके परिणामस्वरुप कम्पनी द्वारा वित्तीय संस्थाओं को ₹ 9.60 करोड़[90] का ब्याज भुगतान का परिहार्य व्यय करना पड़ा, इसके अतिरिक्त ₹ 296.51 करोड़ की राशि के कोष अवरुद्ध हो गए क्योंकि यदि आपूर्ति को निर्माण गतिविधि के साथ समक्रमिक किया गया होता तो कम से कम भुगतान को स्थगित किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त, इन विलम्बों के कारण ट्रांसफार्मर की पर्याप्त गारंटी अवधि (निर्माता द्वारा ट्रांसफार्मर में 60 माह की गारंटी अवधि होती है) स्थापना से पहले ही समाप्त हो गई:

तालिका 4.4.3: निष्क्रिय ट्रांसफ़ॉर्मरों का विवरण

(₹ करोड़ मे)

क्र.स.	वर्ष	निष्क्रिय पड़े ट्रांसफार्मर की संख्या	निष्क्रिय अवधि (महीने मे)	एफ.ओ.आर.डी. मूल्य	ब्याज मे हानि
स्वयं क्रय किये प्रकरण					
1	2016–17	18	3–15	82.77	4.14
2	2017–18	6	3–7	18.64	0.67
3	2018–19	4	3–5	9.24	0.24
टर्नकी आधार पर क्रय					
1	2016–17	18	3–28	135.33	3.87
2	2017–18	–	–	–	–
3	2018–19	05	3–8	50.53	0.68
योग		**51**	**3–28**	**296.51**	**9.60**

- लेखापरीक्षा ने पाया कि विभिन्न परियोजनाओं [(क्रैडिटनस्टाल्ट फर विडेरुफुफौ बैंकिंग ग्रुप (केएफडब्लू), एशियाई विकास बैंक (एडीबी), जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए)] की निविदा आमंत्रण सूचना में असमायोजित मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज लगाने की प्रावधान सम्मिलित नहीं किया गया था। कंपनी ने 14 ट्रांसफार्मर आपूर्ति अनुबंधों में (19 स्व–क्रय अनुबंधों में से), ₹ 17.83 करोड़ का ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम (एमए) के रूप में अवमुक्त किया था। चूँकि, कंपनी ने आपूर्तिकर्ता फर्मों को ब्याज वहनीय कोषों को ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम के

---

87 एशियाई विकास बैंक (एडीबी) एवं जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जे.आई.सी.ए.) द्वारा पोषित परियोजनाओं के प्रकरण में।

88 क्रैडिटनस्टाल्ट फर विडेरुफुफौ (क्रेडिट इंस्टीट्यूट फॉर रिकंस्ट्रक्शन) बैंकिंग ग्रुप/एशियाई विकास बैंक/ग्रामीण विद्युतीकरण निगम/पॉवर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड से ब्याज की प्रचलित दरों (11.50 *प्रतिशत* से लेकर 12 *प्रतिशत* तक) पर।

89 स्वक्रय अनुबंधों में 19 स्व–क्रय अनुबंधों में से 8 अनुबंधों में ₹ 110.65 करोड़ मूल्य के 28 ट्रांसफार्मर एवं 21 टर्नकी अनुबंधों में से 11 प्रकरणों में ₹ 185.86 करोड़ मूल्य के 32 ट्रांसफार्मर।

90 गणना (अ) के लिए ₹ 110.65 करोड़, 11.50 *प्रतिशत*/ 12 *प्रतिशत* की दर से एवं (ब) ₹185.86 करोड़,12 *प्रतिशत* की दर से, जो कि निर्माण हेतु दो माह की समय–सीमा अनुमत करने के पश्चात, जुलाई 2020 तक ट्रांसफार्मरों के मूल्य के 70 *प्रतिशत* के लिए सबसे नीची दर थी, की गयी।

रूप में वितरित किया था, अतः यह मानते हुए कि अवमुक्त करने की तिथि से एक वर्ष[91] में पूर्ण अग्रिम वसूल कर लिया गया होता, कम्पनी को ₹ 1.44 करोड़[92] के ब्याज की हानि उठानी पड़ी;

- वर्ष 2018–19 तक की अवधि तक स्थापित 887 ट्रांसफ़ॉर्मरों में से आठ ट्रांसफ़ॉर्मरों में भार 2.50 से 24.06 *प्रतिशत* के मध्य रहा (जैसा की ***परिशिष्ट 4.4.5*** में विस्तृत वर्णन है), जो इंगित करता है कि कंपनी ने परियोजना प्रारंभ करने से पूर्व उपयोगकर्ता इकाइयों अर्थात विद्युत वितरण कंपनियों से पुष्टि किये बिना, वास्तविक भार वृद्धि का आकलन करने में त्रुटि की है। अतः इस प्रकार इन सब–स्टेशनो पर स्थापित अल्प उपयोग किये गए ट्रांसफ़ॉर्मरों में किया गया ₹ 28.28 करोड़ का निवेश अवरुद्ध रहा।

- कंपनी द्वारा कुछ लघु निर्माण कार्यों को पूर्ण न करने के कारण, सुवासरा के 220 केवी सब–स्टेशन पर स्थापित ₹ 18.34 करोड़ मूल्य के तीन ट्रांसफार्मरों को उनकी स्थापना (दिसम्बर 2018) के एक वर्ष पश्चात् भी वाणिज्यिक उपयोग में नहीं लाया जा सका। इससे परिणाम स्वरुप कोष अवरुद्ध हुए।

सरकार ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार (सितंबर 2020) किया एवं लेख किया कि कोषों की निष्क्रियता से बचने के लिए स्थल पर सामग्री की वास्तविक आवश्यकता के समय आपूर्ति प्राप्त की जानी चाहिए। यह भी लेख किया कि निर्माण गतिविधि को उपकरण/सामग्री की आपूर्ति के साथ समक्रमिक करने का प्रयास किया जा रहा है। आगे लेख किया कि:

- जेआईसीए–द्वितीय परियोजनाओं के अंतर्गत कुछ निविदा सूचना आमंत्रणों/ निविदाओं में ब्याज मुक्त मोबिलाईजेशन की शर्तें शामिल थीं;

- सब–स्टेशन के क्षमता आवश्यकताओं के भार की गणना सामान्यतः पांच साल के समय अवधि की परिकल्पना करते हुए पूर्वानुमान के आधार पर की गयी थी। इसलिए, यह सदैव एक अनिश्चितता के अधीन होती हैं; और

- सुवासरा सब–स्टेशन के ट्रांसफार्मर 50 एमवीए क्षमता के ट्रांसफार्मर के चार्ज होने में विलम्ब के कारण ऊर्जित नहीं हो सके।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि:

- मोबिलाईजेशन अग्रिम अवमुक्त करने की शर्त सभी निविदाओं/निविदा आमंत्रण सूचनाओं में समान नहीं थी। इसके अतिरिक्त, मोबिलाईजेशन अग्रिम की वसूली/समायोजन के नियमों एवं शर्तों का अधिकांश किसी भी अनुबंध में उल्लेख नहीं था। निर्दिष्ट पुनर्प्राप्ति अवधि की अनुपस्थिति में, मोबिलाईजेशन अग्रिम के रूप में प्रदत्त भारी भुगतान राशि 20 महीने तक की उच्च अवधि के लिए अप्राप्य रही;

- लेखापरीक्षा ने पूर्व में भी दो सब–स्टेशनों अर्थात ग्वालियर–द्वितीय एवं सिरमौर के संबंध में टिप्पणी की थी (नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016–17 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर संख्या 2.1.25) कि कंपनी भार की आवश्यकता का उचित रूप से आकलन करने में विफल रही जिसके कारण सब–स्टेशन अपनी स्थापित क्षमता के मात्र 25 *प्रतिशत* पर भारित हैं, फिर भी प्रबंधन ने भार की आवश्यकता का आकलन करने के लिए उचित कदम नहीं उठाए हैं; और

- सुवासरा सब–स्टेशन के प्रकरण में, सरकार का उत्तर लेखापरीक्षा तर्क की पुष्टि करता है कि 160 एमवीए के दो ट्रांसफार्मर अभी भी (सितंबर 2020 तक) लघु सिविल निर्माण कार्यों के पूरा न होने के कारण निष्क्रिय पड़े हुए थे।

---

[91] ट्रांसफार्मर की आपूर्ति, फर्म को जारी किए गए एलओआई की तिथि से तीन से छह माह पश्चात प्रारंभ होती है तथा फर्मों ने आपूर्ति के सापेक्ष दो माह में अपने बिल प्रस्तुत किये। इस प्रकार से, ब्याज मुक्त मोबिलाईजेशन अग्रिम की राशि कम से कम आठ माह से एक वर्ष पश्चात वसूल की जा सकती थी।

[92] मोबिलाईजेशन अग्रिम की धनराशि ₹ 17.83 करोड़, ₹ 17.83 करोड़ का 70 *प्रतिशत* = ₹ 12.48 करोड़, 11.50 *प्रतिशत* की दर से ₹ 12.48 करोड़ पर एक वर्ष का ब्याज= ₹ 1.44 करोड़।

4.4.6.4 क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों की मरम्मत न होना

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (कें.वि.प्र.) एवं केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (कें.वि.नि.आ.) द्वारा ट्रांसफार्मर हेतु, जो कि सब–स्टेशन में सबसे मूल्यवान उपकरण हैं, निम्नलिखित मानदंडों को निर्दिष्ट किया है:

- ट्रांसफार्मर से सब–स्टेशन के सम्पूर्ण जीवनकाल तक सेवा करना अपेक्षित है, जिसे 35 वर्ष माना गया है; और
- चूँकि ट्रांसफार्मर का पुराना होना सामान्यतः इसके क्षति होने का मुख्य कारण[93] नहीं होता है, इसलिए ट्रांसफार्मर को अनुपयोगी घोषित करने से पूर्व, तकनीकी एवं वित्तीय विशेषज्ञों के साथ–साथ ट्रांसफार्मर की मरम्मत करने वाली फर्म द्वारा एक विस्तृत परीक्षण किया जाना चाहिए, ताकि क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर की मरम्मत की लागत मितव्ययी होगी या नहीं, का आंकलन कर निर्णय लिया जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि

- कंपनी के पास मरम्मत एवं रख–रखाव (आर एंड एम योजना) की कोई योजना नहीं थी;
- ट्रांसफार्मर के उपयोगी जीवनकाल हेतु केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (कें.वि.प्र.) एवं केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (कें.वि.नि.आ.) द्वारा निर्धारित 35 वर्षों के मानदंड के उल्लंघन में, कंपनी ने सेवाकाल जीवन के लिए 25 वर्षों का मानदंड निर्धारित किया है; और
- अधिकांश प्रकरणों में, सर्वेक्षण समिति[94] के अधिकारियों ने क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों को मरम्मत करने की लागत का आकलन किए बिना, ट्रांसफार्मर के सेवाकाल अवधि को ध्यान में रखते हुए, अमितव्ययी घोषित किया। वर्ष 2016–17 से वर्ष 2018–19 की अवधि में, 11 क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों में से, विभिन्न क्षमताओं के नौ ट्रांसफार्मरों को मरम्मत की लागत का आकलन किए बिना, सर्वेक्षण समिति द्वारा ट्रांसफार्मर को मरम्मत के लिए अमितव्ययी घोषित कर दिया गया था, जैसा कि ***परिशिष्ट 4.4.6*** में वर्णित है, जो कि वित्तीय औचित्य और कें.वि.प्र/ कें.वि.नि.आ. मानकों के विरुद्ध है।

सरकार ने लेख (सितंबर 2020) किया कि मरम्मत एवं रख–रखाव कोष उपलब्ध था। इसके अतिरिक्त, कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अनुसार, ग्यारह क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों में से, केवल दो ट्रांसफार्मर मरम्मत योग्यता के आकलन के आधार पर मरम्मत के लिए अमितव्ययी घोषित किए गए थे एवं अन्य नहीं।

उत्तर लेखापरीक्षा तर्क की पुष्टि करता है, क्योंकि सरकार ने मात्र दो ट्रांसफार्मरों की मरम्मत योग्यता के मूल्यांकन हेतु साक्ष्य प्रस्तुत किये है, जबकि यथार्थ में नौं ट्रांसफार्मर प्रतिस्थापित किये गए थे। यह सिद्ध करता है कि कंपनी मरम्मत/प्रतिस्थापना हेतु निर्णय में सर्वोतम प्रथाओं का पालन नहीं कर रही है। सरकार द्वारा दिया गया उत्तर, मरम्मत एवं रख–रखाव की योजना के सम्बन्ध में मूक है। उत्तर प्रदेश की विद्युत कंपनियां ऐसी प्रणाली का अनुसरण करता है जिसमे यदि ट्रांसफार्मर के मरम्मत की लागत, समान क्षमता के नए ट्रांसफार्मर के लागत का 40 *प्रतिशत* से अधिक नहीं है, तो ट्रांसफार्मर को मरम्मत को योग्य माना जाता है। कम्पनी द्वारा समरूप/समान तर्ज पर कुछ मापदंडों को अपनाया जा सकता है।

4.4.6.5 ट्रांसफार्मर की मरम्मत पर परिहार्य व्यय

कंपनी क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर की मरम्मत हेतु, सामान्यतः मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) को मरम्मत हेतु अपनी दरों के प्रस्ताव हेतु आमंत्रित करती है। मरम्मत का मितव्ययी आंकलन करने के पश्चात, कंपनी क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर की मरम्मत हेतु मूल उपकरण निर्माताओं को कार्य आदेश जारी करती है। वर्ष 2016–17 से वर्ष 2018–19 की अवधि में, ट्रांसफार्मर की मरम्मत हेतु कंपनी द्वारा मूल उपकरण निर्माताओं के साथ मात्र तीन अनुबंधों को निष्पादित किया गया है।

---

93 ट्रांसफार्मर फेल होने में बुशिंग, इन्सुलेशन व ओएलटीसी का फेल होना मुख्य योगदान है।

94 अधीक्षण अभियंता (परिक्षण एवं संचार), कार्यपालक अभियंता (परिक्षण एवं संचार) तथा संबंधित क्षेत्र के क्षेत्रीय लेखा अधिकारी को सम्मिलित करते हुए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एक 400 केवी ट्रांसफार्मर जून 2015 में क्षतिग्रस्त/ट्रिप हो गया था। विस्तृत जांच (सितंबर 2015) मे इंगित हुआ कि ट्रांसफार्मर के 'आर' फेज़ की वाइन्डिंग में ग्राउंडिंग की त्रुटी थी जिसकी मरम्मत के लिए मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) ने (अक्टूबर 2015) ₹ 2.56 करोड़ की दर का प्रस्ताव दिया था। परंतु, कंपनी ने मूल उपकरण निर्माता को लेख किया कि सभी तीनों वाइन्डिंग अर्थात आर, वाई एवं बी फेज़ के प्रतिस्थापन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करे, एवं अभिलेखों पर किसी कारण को अंकित किये बिना, कंपनी ने ट्रांसफार्मर की मरम्मत के लिए मूल उपकरण निर्माता को ₹ 4.59 करोड़ का कार्यादेश (जून 2016) दिया, एवं कार्य जून 2017 में पूर्ण किया गया। इस प्रकार ट्रांसफार्मर के 'वाई' और 'बी' फेज़ों की अनपेक्षित मरम्मत, जो कंपनी एवं मूल उपकरण निर्माता के अधिकारियों के साथ हुई बैठक की क्षणिकाओं के अनुसार क्षतिग्रस्त नहीं हुए थे, पर कंपनी ने ₹ 2.03 करोड़ (₹ 4.59 करोड़ – ₹ 2.56 करोड़) का परिहार्य व्यय किया।

सरकार ने उत्तर (सितंबर 2020) दिया कि क्षति हुआ ट्रांसफार्मर पहले ही 10 वर्षों तक सेवा दे चुका था जिसकी अवधि में अन्य फेजों के कागज़ इन्सुलेशन भी क्षय हो गए होंगे। इसलिए, अन्य वाइनडिंग के क्षति होने की प्रत्याशा में सभी तीन फेजों की मरम्मत करवाना मितव्ययी समझा गया।

उत्तर उचित नहीं है क्योंकि कंपनी के अधिकारियों एवं मूल निर्माताओं द्वारा परीक्षण के समय, केवल 'आर' फेज़ की वाइन्डिंग क्षतिपूर्ण पायी गई थी। 'वाई' एवं 'बी' फेजों की वाइन्डिंग के क्षय की प्रत्याशा केवल प्रकल्पित प्रतीत होती है।

निष्कर्ष

कंपनी के पास ट्रांसफॉर्मरों के क्रय हेतु न तो कोई सामग्री क्रय नियमावली है और कंपनी न ही कोई क्रय योजना तैयार करती है। ट्रांसफॉर्मरों के क्रय हेतु, क्षेत्र–इकाइयों द्वारा टुकडों में मांगें की जाती है जिनका योजना एवं रूपांकन शाखा द्वारा वित्तीय एवं तकनीकी पुनरीक्षण कर खुली निविदा के तहत क्रय किया जाता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी ने न तो वार्षिक आधार पर एवं न ही दीर्घकालिक पारेषण प्रणाली योजना के आधार पर ट्रांसफ़ॉर्मरों के क्रय की आवश्यकता का आकलन किया एवं व्यवस्थित क्रय का लाभ प्राप्त करने में विफल रही। कंपनी ने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की अनुसंशाओं के उल्लंघन में टर्नकी ठेकेदारों से ऊँची दरों पर ट्रांसफ़ॉर्मरों का क्रय किया। इसके अतिरिक्त, मरम्मत एवं रख–रखाव प्लान के अभाव मे, कंपनी ने क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर की मरम्मत या बदलने के लिए कोई लागत लाभ विश्लेषण नहीं किया और उन्हें सेवा जीवन के आधार पर मरम्मत के लिए अमितव्ययी घोषित कर दिया, जो स्थापित मानदंडों के विपरीत है।

अनुशंसाएं

- **कंपनी को चालू एवं साथ ही क्षमता वृद्धि कार्यों के आधार पर अपनी वार्षिक आवश्यकता का आकलन कर तदनुसार वार्षिक क्रय योजना तैयार करनी चाहिए।**
- **सेवा काल खत्म होने से पूर्व ही, क्षतिग्रस्त ट्रान्स्फॉर्मर को अमितव्ययी घोषित करने की जगह कम्पनी को मरम्मत और रखरखाव प्लान तैयार करना चाहिए जिससे कि कुशल मरम्मत या बदलाव का निर्णय लिया जा सके और संचालन मितव्ययी हो सके।**
- **कंपनी को मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के प्रावधानों/ केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के विनियमों/ मध्य प्रदेश सरकार के आदेशों एवं प्रावधानों का, विशेष रूप से टर्नकी ठेकेदारों से ट्रांसफार्मर का क्रय और मरम्मत/ बदलाव के संबंध में, पालन करना चाहिए।**

4.5 वितरण कंपनियों में राजस्व बिलिंग तथा संग्रहण दक्षता

4.5.1 प्रस्तावना

पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल (म.प्र.रा.वि.म.) के विघटन के परिणामस्वरूप तीन विद्युत वितरण कंपनियों (कंपनी) अर्थात मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि.)[95], मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि.)[96], तथा मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि.)[97] को ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण मे निगमित[98] किया गया। वितरण कंपनियों का उद्देश्य कृषि, घरेलू तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं को विश्वसनीय तथा गुणवत्ता युक्त विद्युत उपलब्ध कराना है।

4.5.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

वितरण कंपनियों की अनुपालन लेखापरीक्षा यह निर्धारण करने के उद्देश्य से की गयी थी कि क्या ऊर्जा की खपत के लिए बिलिंग एवं राजस्व का संग्रहण, विद्युत आपूर्ति संहिता और शुल्क आदेशों के प्रावधानों के अनुसार की गयी थी।

4.5.3 लेखापरीक्षा मानदण्डों के स्रोत

लेखापरीक्षा के लिए अपनाए गए मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से लिए गए हैं:

- विद्युत अधिनियम 2003 तथा मध्य प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता 2013 (आपूर्ति संहिता);
- मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (म.प्र.वि.नि.आ.) द्वारा समय समय पर जारी खुदरा आपूर्ति टैरिफ आदेश (टैरिफ आदेश);
- वितरण कंपनियों के निदेशक मण्डल की बैठकों की एजेंडा और कार्यवृत;
- विभाग, म.प्र. शासन और म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा समय समय पर जारी आदेश/ नियमावली/ परिपत्र/ निर्देश।

4.5.4 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

2016–17 से 2018–19 तक की त्रैवार्षिक समायावधि की लेखापरीक्षा को जून 2019 से नवंबर 2019 तक संचालित किया गया। लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली अंतर्गत अभिलेखों की जाँच के लिए प्रत्येक वितरण कंपनी[99] के निगमित कार्यालय तथा पाँच क्षेत्रीय इकाइयों (संचालन एवं संधारण वृत्त कार्यालयों) का रैंडम सैपलिंग आधार पर चयन किया गया जो कि **तालिका 4.5.1** में विस्तृत है।

तालिका 4.5.1: प्रत्येक वितरण कंपनी में चयनित क्षेत्रीय इकाइयों का विवरण

क्र.सं.	म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि.	म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि.	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि.
1	अधि. अभि. (सं./सं.), होशंगाबाद	अधि. अभि. (सं./सं.), सतना	अधि. अभि. (सं./सं.), इंदौर
2	अधि. अभि. (सं./सं.), श्योपुर	अधि. अभि. (सं./सं.), छिन्दवाडा	अधि. अभि. (सं./सं.), मंदसौर
3	अधि. अभि. (सं./सं.), बेतूल	अधि. अभि. (सं./सं.), छतरपुर	अधि. अभि. (सं./सं.), खरगोन
4	अधि. अभि. (सं./सं.), ग्वालियर	अधि. अभि. (सं./सं.), रीवा	अधि. अभि. (सं./सं.), बरवानी
5	अधि. अभि. (सं./सं.), राजगढ	अधि. अभि. (सं./सं.), कटनी	अधि. अभि. (सं./सं.), शाजापुर

[95] म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि. (निगमित कार्यालय भोपाल) भोपाल, होशंगाबाद, हरदा, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, बेतुल, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरेना, श्योपुर, गुना, अशोकनगर तथा शिवपुरी जिलों में सेवाएँ प्रदान करता है।

[96] म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि.(निगमित कार्यालय जबलपुर) जबलपुर, सिवनी, नरसिंहपुर, मंडला, उमरिया, बालाघाट, डिंडोरी, कटनी, छिन्दवाडा, सागर, दमोह, टीकमगढ़, निवारी, छतरपुर, पन्ना, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, रीवा तथा सतना जिलों में सेवाएँ प्रदान करता है।

[97] म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि.(निगमित कार्यालय इंदौर) इंदौर, बुरहानपुर, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, देवास, धार, झाबुआ, उज्जैन, बरवानी, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, आगर, तथा रतलाम जिलों में सेवाएँ प्रदान करता है।

[98] म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि. तथा म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि. को मई 2002 तथा म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि. को जुलाई 2002 को मध्य प्रदेश विधयुत प्रबंधन कंपनी कि 100 *प्रतिशत* सहायक के रूप में निगमित किया गया।

[99] प्रत्येक वितरण कंपनी के क्षेत्राधिकार में कुल 15 वृत्त कार्यालय थे।

आगे, 2016–19 की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष के मार्च महीने के बिलिंग डेटा के अभिलेख को विस्तृत जांच के लिए चुना गया था।

तीन वितरण कंपनियों की 15 चयनित क्षेत्र इकाइयों[100] में कुल 2,666 एचटी उपभोक्ताओं में से 356 मामलों[101] से संबंधित अभिलेख का चयन[102] विस्तृत जांच के लिए किया गया।

प्रवेश सम्मेलन म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि., म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि. और म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि. के मुख्य महाप्रबंधक/मुख्य वित्तीय अधिकारी के साथ क्रमशः दिनांक 3 जून 2019, 15 जुलाई 2019 और 22 जुलाई 2019 को आयोजित किया गया था। अनेक अनुरोधों के बावजूद, वितरण कंपनियों के प्रबंध निदेशक और विभाग के साथ निकास बैठक अगस्त 2020 तक आयोजित नहीं किया जा सका।

4.5.5 वितरण कंपनियों में वितरण संरचना

31 मार्च 2019 की स्थिति में, तीनों वितरण कंपनियों के सभी श्रेणियों (एलटीः घरेलू, वाणिज्यिक, कृषि संयोजन व अन्य तथा एचटी उपभोक्ता) में कुल 1,55,80,051 उपभोक्ताओं को 2,62,76,148 किलोवाट (केव्ही)[103] भार संयोजित था।

आपूर्ति संहिता तथा समय समय पर जारी टैरिफ आदेशों के प्रावधानानुसार, वितरण कंपनियाँ समान प्राप्यक दर वाले उपभोक्ताओं के अतिरिक्त अन्यों के मासिक बिलों को जारी करती है। म.प्र.वि.नि.आ. टैरिफ आदेश का निर्धारण करते समय, प्रत्येक वितरण कंपनी हेतु वितरण हानियों के लिए लक्ष्यों को तय करता है तथा लक्षित स्तर से अधिक हानि को वितरण कंपनी को स्वंय वहन करना पड़ता है।

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिरता मुख्य रूप से वितरण हानियों को कम करने तथा बिलिंग और संग्रहण की दक्षता को अधिकतम करने पर निर्भर करती है। विद्युत वितरण तंत्र तथा बिलिंग/संग्रहण दक्षता में वितरण हानियों[104] की घटनाओं को **चार्ट 4.5.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.5.1: विद्युत वितरण तंत्र तथा हानियों को दर्शाती हुई रूपरेखा

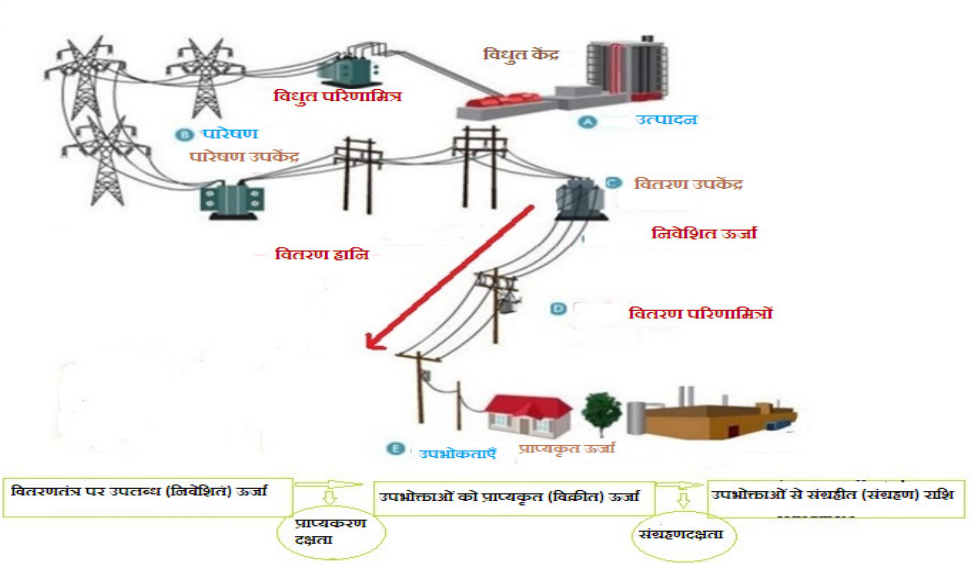

---

100 रैंडम सैंपलिंग के आधार पर, इंटर एक्टिव डेटा एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस (आई.डी.ई.ए.) सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है।

101 म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि.–116, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि.–108 तथा म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि.–132 ।

102 मूल्यांकृत प्रतिदर्श के आधार पर उपभोक्ताओं का चयन।

103 म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि.– 80,19,631 केवी संयोजित भार के साथ कुल 43,88,117 उपभोक्ता (मार्च 2019) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि.– 74,24,455 केवी संयोजित भार के साथ कुल 58,38,755 उपभोक्ता (मार्च 2019) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि.– 1,08,32,062 केवी संयोजित भार के साथ कुल 53,53,179 उपभोक्ता (मार्च 2019)।

104 वितरण कंपनी को प्राप्त ऊर्जा तथा वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ता को बिल की गई ऊर्जा का अंतर ही वितरण हानि है।

अतः वितरण कंपनियों के लिए आवश्यक है कि वितरण कंपनियों को प्रदान की गई इकाइयों तथा उपभोक्ताओं को बिलिंग की गयी इकाइयों के अंतर को कम करे, जिससे वितरण हानियों को न्यूनतम करके बिलिंग दक्षता[105] में सुधार किया जा सके। आगे, बिलिंग की गयी इकाइयों के विरुद्ध देयकों के संग्रहण तंत्र का सुदृढ़करण करके संग्रहण दक्षता[106] में सुधार करना वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिरता के लिए वांछनीय है।

प्रदत्त इकाइयों के परिपेक्ष में पिछले तीन वर्षों (2016–17, 2017–18, तथा 2018–19) में बिलिंग दक्षता तथा संग्रहण दक्षता की स्थिति नीचे दर्शाई गयी है:

चार्ट 4.5.2: वितरण कंपनियों में निवेशित इकाइयों के *प्रतिशत* के रूप में बिलिंग दक्षता व संग्रहण दक्षता

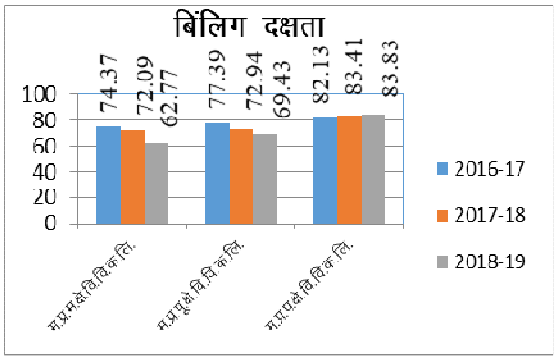

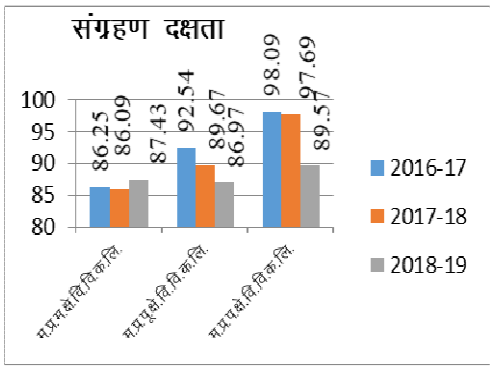

जैसा कि उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि 2016–17 से 2018–19 की समायावधि में, केवल म.प्र.प. क्षे.वि.वि.क.लि. में 82.13 से 83.83 *प्रतिशत* का बिलिंग दक्षता मे सुधार हुआ जबकि म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि. तथा म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि. में बिलिंग दक्षता में क्रमशः 7.96 *प्रतिशत* व 11.60 *प्रतिशत* की कमी आयी। इसी प्रकार, केवल म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि. में 86.25 से 87.43 *प्रतिशत* का संग्रहण दक्षता मे सुधार हुआ जबकि म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि. तथा म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि. में संग्रहण दक्षता में क्रमशः 8.52 *प्रतिशत* व 5.57 *प्रतिशत* की कमी आयी। यद्यपि, सम्पूर्ण लेखापरीक्षा अवधि के दौरान तीनों वितरण कंपनियाँ म.प्र. वि.नि.आ. द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति मे निरंतर असफल रहीं, जैसा कि **तालिका 4.5.2** में वर्णित है। (विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 4.5.1*** में)

तालिका 4.5.2: म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के विरूद्ध बिलिंग दक्षता, वितरण घाटे और अतिरिक्त नुकसान का विवरण

डिस्कॉम का नाम	वित्तीय वर्ष	निवेशित ऊर्जा (एमयू में)	विक्रय ऊर्जा (एमयू में)	बिलिंग दक्षता (*प्रतिशत*)	वितरण कंपनी को हुई हानि (*प्रतिशत*)	म.प्र.रा.वि.नि.आ. द्वारा निर्धारित लक्ष्य (*प्रतिशत*)	म.प्र.रा.वि.नि.आ. द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक (*प्रतिशत*)	हानि (एमयू में)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि.	2016–17	19268.2	14328.82	74.37	25.63	19	6.63	1277.48
	2017–18	21235.65	15308.23	72.09	27.91	18	9.91	2104.45
	2018–19	23928.64	15020.57	62.77	37.23	17	20.23	4840.76
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि.	2016–17	17326.78	13409.47	77.39	22.61	18	4.61	798.76
	2017–18	19333	14102	72.94	27.06	17	10.06	1944.90
	2018–19	21142.90	14680.33	69.43	30.57	16	14.57	3080.52
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि.	2016–17	21387.4	17565.2	82.13	17.87	16	1.87	399.94
	2017–18	22323.96	18621.22	83.41	16.59	15.5	1.09	243.33
	2018–19	24572.40	20598.63	83.83	16.17	15	1.17	287.50

*(**स्रोतः** आर–15 और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षा द्वारा तैयार किए गए विवरण)*

[105] बिलिंग दक्षता से आशय कुल प्रदत्त/आपूर्ति की गई ऊर्जा इकाइयों के विरुद्ध उपभोक्ताओं को बेची गई/ बिल की गयी इकाइयों के अनुपात से है।

[106] संग्रहण दक्षता से आशय कुल बिलिंग राजस्व के विरुद्ध संग्रहीत राजस्व से है।

4.5.6 लेखापरीक्षा परिणाम

4.5.6.1 बिलिंग दक्षता का अनुचित प्रस्तुतिकरण

विभाग द्वारा निर्धारित (मई 2013) क्रियाविधि के अनुसार, बिलिंग दक्षता की गणना हेतु उपभोक्ता को कुल विक्रीत/ बिलिंग की गयी विद्युत को निवेशित इकाइयों से भागित करना चाहिए। आगे, स्थापित प्रथानुसार, विक्रय इकाई उपलब्ध/ क्रय इकाइयों से अधिक नहीं हो सकती।

वितरण कंपनियो के निगम कार्यालय और चयनित क्षेत्र इकाइयों द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ो की लेखापरीक्षा समीक्षा से पता चलता है कि विभाग के आदेशों के उल्लंघन में, वितरण कंपनियो ने अतिरिक्त इकाइयों, जो उपभोक्ता से बिलिंग नहीं किए गए थे, को शामिल करते हुए बिलिंग दक्षता में (2016–17 से 2018–19 के दौरान) 0.01 *प्रतिशत* से 10.49 *प्रतिशत* की वृद्धि की, जैसा कि **तालिका 4.5.3** में विस्तृत है।

तालिका 4.5.3: अधिक प्रतिवेदनीकृत दर्शाई गयी बिलिंग दक्षता का विवरण

वितरण कंपनी	अधिक प्रतिवेदनीकृत बिलिंग दक्षता (*प्रतिशत* में)		
	2016–17	2017–18	2018–19
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि.	10.49	9.57	लागू नहीं
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि.	0.19	0.08	0.03
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि.	लागू नहीं	0.01	0.07

*(**स्रोत**: वितरण कंपनियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा तैयार गणना)*

म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि., म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि. और म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि. द्वारा अपने वार्षिक वित्तीय विवरण (***परिशिष्ट 4.5.2***) में दर्शायी गई बिलिंग दक्षता की समीक्षा करने पर पाया गया कि:

- विभाग के आदेशों के उल्लंघन में, 2016–17 और 2017–18 के दौरान म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि. ने विक्रय ऊर्जा में क्रमशः 2019.67 एम.यू. और 2031.82 एम.यू. की अतिरिक्त इकाइयाँ शामिल की (जो उपभोक्ताओं को बिलिंग नहीं करायी गई थी) जिससे बिलिंग दक्षता में क्रमशः 10.49 *प्रतिशत* और 9.57 *प्रतिशत* का सुधार दर्शाया गया।
- चयनित 15 क्षेत्र इकाइयों में से म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि. की एक इकाई[107] तथा म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि. की एक इकाई[108] बिलिंग दक्षता को विक्रय के प्रतिस्थापित चलन[109] के विरुद्ध कृषक उपभोक्ताओं के मामलों में निर्धारित उपभोक्त[110] तथा मानकीय इकाइयों[111] को अभिलेखन के विरुद्ध तैयार करने के कारण बिलिंग दक्षता को 100 *प्रतिशत* से अधिक दर पर दर्शाया गया। परिणामस्वरूप, वर्ष 2016–17 से 2018–19 में, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि. तथा म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि. द्वारा बिलिंग दक्षता को क्रमशः 0.19 *प्रतिशत* तथा 0.07 *प्रतिशत* तक बढ़ा कर दर्शाया गया।

सरकार ने अपने उत्तर में लेख किया (सितंबर 2020) कि:

- म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि. के मामले में, म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा अनुमत इकाइयों की तुलना में फ्लैट रेट उपभोक्ताओं/कृषि पंपों की वास्तविक खपत बहुत अधिक थी। इसलिए, लेखों में अतिरिक्त इकाइयों का समायोजन किया गया था। हालाँकि, 2018–19 से ऐसा कोई समायोजन नहीं किया गया था; तथा

---

107 क्षेत्र इकाई छिन्दवाडा (म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि.)।

108 क्षेत्र इकाई मंदसौर (म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि.)।

109 विक्रय के प्रस्थापित चलन के अनुसार विक्रीत इकाइयां विक्रय हेतु खरीदी गयी इकाइयों से अधिक नहीं हो सकती।

110 आंकलित खपत के विरूद्ध बिलिंग से आशय विगत तीन माह की औसत उपभोग या आंकलित खपत के अनुसार बिल की गणना करने से है।

111 मानकीय इकाई वह इकाई है जो कृषक उपभोक्ताओं को समान दर वाली प्राप्यकरण के मामलों में विद्युत लेखाकरण हेतु म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा निर्धारित किया जाता है उदाहरणतः वर्ष 2018–19 के लिए 1590 इकाई प्रति अश्व शक्ति प्रति वर्ष।

- म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि. और म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि. के मामले में, वितरण कंपनियों के प्रत्येक क्षेत्र में सिंचाई पंपों की खपत पानी की उपलब्धता के आधार पर भिन्न होती है। म.प्र.रा.वि.नि.आ. द्वारा निर्धारित मानक इकाइयां, वितरण कंपनियों के विभिन्न जिलों और साथ ही पूरे म.प्र. राज्य में खपत औसत इकाइयों पर आधारित हैं। खपत में भिन्नता के कारण, विक्रय इकाइयों को प्रदत्त इकाइयों से अधिक दर्ज किया जा सकता है ताकि अन्य जिलों की मानक बिलिंग इकाइयों के नुकसान को वहन किया जा सके। संदर्भित जिलों में बढ़ी हुई बिलिंग दोषपूर्ण मीटर के कारण आरोपित आंकलित खपत के कारण नहीं थी ।

सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि

- 2016–17 और 2017–18 के दौरान म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि. द्वारा दर्ज की गई अतिरिक्त इकाइयाँ टैरिफ आदेशों के अनुरूप नहीं थीं; तथा
- एक क्षेत्र इकाई के नुकसान को अन्य क्षेत्र इकाइयों की उच्च विक्रय इकाइयों और बढ़ी बिलिंग के साथ समायोजित नहीं किया जाना चाहिए।

4.5.6.2 मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित बिलिंग दक्षता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफलता

जैसा कि ऊपर **तालिका 4.5.2** में दर्शाया गया है, सभी वितरण कंपनियों द्वारा मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से अधिक वितरण हानि दर्ज की गयी। चयनित 15 क्षेत्र इकाइयों में से, तीन[112] क्षेत्र इकाइयों ने लक्ष्य स्तर हासिल किए, जबकि 12 क्षेत्र इकाइयां म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा निर्धारित लक्ष्य स्तरों तक वितरण घाटे को कम करने में विफल रहीं (***परिशिष्ट 4.5.3***)। बारह[113] क्षेत्र इकाइयों (वितरण कंपनियों–वार) में हानि का कुल संक्षिप्त विवरण **तालिका 4.5.4** में विस्तृत है:

तालिका 4.5.4: 12 इकाइयों द्वारा म.प्र.रा.वि.नि.आ. द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से अधिक के वितरण हानि का विवरण

वितरण कंपनी	वित्तीय वर्ष	निवेशित ऊर्जा (एमयू में)	विक्रय ऊर्जा (एमयू में)	बिलिंग दक्षता (*प्रतिशत*)	वितरण कंपनी को हुई हानि (*प्रतिशत*)	म.प्र.रा.वि.नि. आ. द्वारा निर्धारित लक्ष्य (*प्रतिशत*)	म.प्र.रा.वि.नि. आ. द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक (*प्रतिशत*)	हानि (एमयू में)	औसत बिलिंग दर[114] के आधार पर हुई हानि इकाइयों का मूल्य (₹ करोड़ में)
म.प्र.म.क्षे. वि.वि.क. लि.	2016–17	6048.87	3842.31	63.52	36.48	19.00	17.48	1057.32	689.86
	2017–18	6733.65	4085.35	60.67	39.33	18.00	21.33	1436.24	1031.98
	2018–19	7414.19	4699.56	63.39	36.61	17.00	19.61	1454.30	1025.92
	उप–समूह योग							3947.87	2749.76
म.प्र.पू.क्षे. वि.वि.क. लि.	2016–17	5540.94	4118.63	74.33	25.67	18.00	7.67	424.94	236.28
	2017–18	6620.55	4417.22	66.72	33.28	17.00	16.28	1077.84	673.09
	2018–19	7260.00	4491.09	61.86	38.14	16.00	22.14	1607.31	1074.38
	उप–समूह योग							3110.09	1983.85
म.प्र.प.क्षे. वि.वि.क. लि.	2016–17	3819.23	2871.73	75.19	24.81	16	8.81	336.42	195.71
	2017–18	3943.56	3030.53	76.85	23.15	15.5	7.65	301.84	192.02
	2018–19	4346.03	3315.44	76.29	23.71	15	8.71	378.89	240.21
	उप–समूह योग							1017.15	627.94
	योग							8075.11	5361.55

*(**स्रोत**: प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी)*

[112] मंदसौर, इंदौर (म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि.) और छिन्दवाडा (म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि.)।

[113] म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि.: होशंगाबाद, बेतुल, ग्वालियर, श्योपुर, तथा राजगढ़; म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि.: सतना, रीवा, कटनी, तथा छतरपुर; एवं म.प्र.प. क्षे.वि.वि.क.लि.: शाजापुर, बरवानी, एवं खरगोन।

[114] औसत प्राप्यकरण दर से आशय उपभोक्ताओं से की गयी कुल मांग को कुल बिक्रीत इकाइयों से भाग देने से है।

अतः 2016–17 से 2018–19 की अवधि में, म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा तय लक्ष्यों के अनुपालन में वितरण कंपनियाँ हानियों को नियंत्रित करने में विफल रही, परिणामस्वरूप 12 चयनित क्षेत्र इकाइयों को ₹ 5,361.55 करोड़ (म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि. ₹ 2,749.76 करोड़, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि. ₹ 1983.85 करोड़ तथा म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि. ₹ 627.94 करोड़) की हानि उठानी पड़ी (***परिशिष्ट 4.5.3***), जिसे टैरिफ के माध्यम से वसूल नहीं किया जा सकता था और इसे वितरण कंपनियों द्वारा वहन किया गया।

शासन ने लेख (सितंबर 2020) किया कि मीटराइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स (डीटीआर)[115], ऑटोमैटिक रीडिंग मीटर और कैपेसिटर बैंकों[116] की स्थापना के माध्यम से नुकसान को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि. के मामले में, 2018–19 के दौरान वितरण घाटे की स्थिति में सुधार हुआ है। म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि. और म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि. के संबंध में, यह लेख किया गया है कि मीटरीकरण में कमी का मुख्य कारण बजट की कमी थी।

जैसा कि उत्तर में लेख है कि वितरण कंपनियों द्वारा प्रयासों के बावजूद, मार्च 2019 तक, ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के 14.27 *प्रतिशत* और कृषि डीटीआर के 80.86 *प्रतिशत* अभी भी बिना मीटरीकरण के थे। इसके अलावा मार्च 2019 तक, 29.34 *प्रतिशत* सब–स्टेशनों पर सीबी स्थापित नहीं किए गए थे। म.प्र. वि.नि.आ और उदय योजना द्वारा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिए जाने के बावजूद, ग्रामीण क्षेत्र में मीटरीकरण की स्थिति और सीबी की स्थापना स्वयं व्याख्यात्मक है कि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए वितरण कम्पनियों द्वारा उठाए गए कदम अपर्याप्त थे।

परिणामस्वरुप, 2016–17 से 2018–19 के दौरान कोई भी वितरण कम्पनी, वितरण घाटे को म.प्र.वि.नि. आ. द्वारा निर्धारित लक्ष्यों तक कम नहीं कर सकी।

4.5.6.3 आधारभूत संरचना में कमियाँ

वितरण हानियों को कम करने हेतु पर्याप्त एवं कार्यक्षम आधारभूत संरचना उदाहरणतः 100 *प्रतिशत* मीटरीकरण, स्मार्ट मीटरीकरण करना, तथा निवेशित इकाइयों तथा बिलिंग की गयी इकाइयों के अभिलेखन हेतु सीबी की स्थापना होनी चाहिए। लेखापरीक्षा ने डीटीआर मीटरीकरण, स्मार्ट मीटरों तथा कैपेसिटर बैंकों के सम्बन्ध में निम्न कमियाँ पायीः

- **मीटरीकरण करने मे कमीः** म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा जारी दिशानिर्देशों (2016) अनुसार वितरण ट्रांसफार्मरों (डीटीआर) का 100 *प्रतिशत* मीटरीकरण होना था, इसके बावजूद 31 मार्च 2019 की स्थिति में चयनित क्षेत्र इकाइयों में, 78.13 *प्रतिशत*[117] डीटीआर मीटरीकृत नहीं किए गए तथा मीटरीकृत डीटीआर में लगे हुए 57.31 *प्रतिशत*[118] मीटर दोषपूर्ण थे या मीटर रीडिंग नहीं ली जा रही थी (विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 4.5.4*** में दिया गया है);

- **ए.एम.आर आधारित मीटरों की रीडिंगः** स्वचालित मीटर पठन (एएमआर) आधारित मीटर रीडिंग बिलिंग दक्षता को बढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि ये प्रावधिक बिलिंग को रोकता है। यद्यपि, एएमआर आधारित मीटरों या बिना मॉड़म[119] के मीटरों के अभाव के कारण 36.09 *प्रतिशत* बड़े एलटी उपभोक्ताओं[120] (***परिशिष्ट 4.5.5***) की एएमआर आधारित बिलिंग (मार्च 2019) नहीं की गयी।

---

115 वास्तविक उपभोक्त एवं प्राप्यकृत इकाइयों को अभिलेखित करने के लिए वितरण परिणामित्रों को मीटरीकृत किया जाना वांछनीय है जिससे चोरी संभावित क्षेत्रों को पहचाना जा सके (एक दिये गए डीटीआर से उपभोक्ताओं के एक समूह को प्रदान की गयी समग्र आपूर्ति)।

116 कैपेसिटर बैंक, सब–स्टेशन पर स्थापित किया जाने वाला वो यंत्र है, जिससे ऊर्जा बचाई जा सके और वितरण घाटा कम किया जाए।

117 2,77,249 डीटीआर में से 2,16,620 डीटीआर।

118 60,629 मीटरीकृत डीटीआर में से 34,749 डीटीआर।

119 एक यंत्र जो की उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर से पाठन कर दूरस्थ सर्वर से संचार सुगम बनाता है जिसके बिना एएमआर का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता।

120 10 केवी या उससे अधिक भार वाले कुल 37,937 एलटी उपभोक्ताओं मे से 13,693 ।

- **कैपेसिटर बैंकों (सीबी):** विद्युत बचाने तथा वितरण हानियों को कम करने के लिए ये उपकरण सब–स्टेशनों में स्थापित किए जाते हैं। 15 चयनित क्षेत्र इकाइयों के कुल 1394 सब–स्टेशनों में से 409 सब–स्टेशनों में सीबी स्थापित नहीं किए गए ***(परिशिष्ट 4.5.6)***। यदि ये सीबी अधिस्थापित कर दिये जाते तो एक वर्ष[121] में वितरण कंपनियाँ 2323.94 एमयू[122] विद्युत की बचत कर सकती थीं।

सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2020) कि कार्य योजना तैयार की जा रही है और डीटीआर मीटरीकरण, एएमआर मीटर और कैपेसिटर बैंकों के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

सरकार का उत्तर स्वीकार नहीं है क्यूंकि वितरण कम्पनी द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयास इसकी पर्याप्तता को साबित नहीं करते हैं और 80.86 *प्रतिशत* कृषि डी.टी.आर. अभी भी बिना मीटर के (मार्च 2019) थे। वितरण कम्पनियाँ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए म.प्र.वि.नि.आ. के समक्ष कोई प्रभावी योजना प्रस्तुत नहीं (मार्च 2019) कर सकीं।

4.5.6.4 प्रावधिक बिलिंग के अत्यधिक प्रकरण

आपूर्ति संहिता की धारा 8.35 (बी)[123] और 8.21[124] के अनुसार, दोषपूर्ण मीटर होने की स्थिति में, प्रावधिक बिलिंग अधिकतम एक माह के लिए ही की जा सकता है।

मार्च 2019 की स्थिति में, वितरण कंपनियों के अमीटरीकृत तथा मीटरीकृत (प्रावधिक और वास्तविक दोनों) उपभोग की बिलिंग की संकलित स्थिति को निम्न **चार्ट 4.5.3** में दर्शाया गया है:

चार्ट 4.5.3: बिना मीटर की खपत के बिल किए जा रहे कुल उपभोक्ताओं को दर्शाता चार्ट

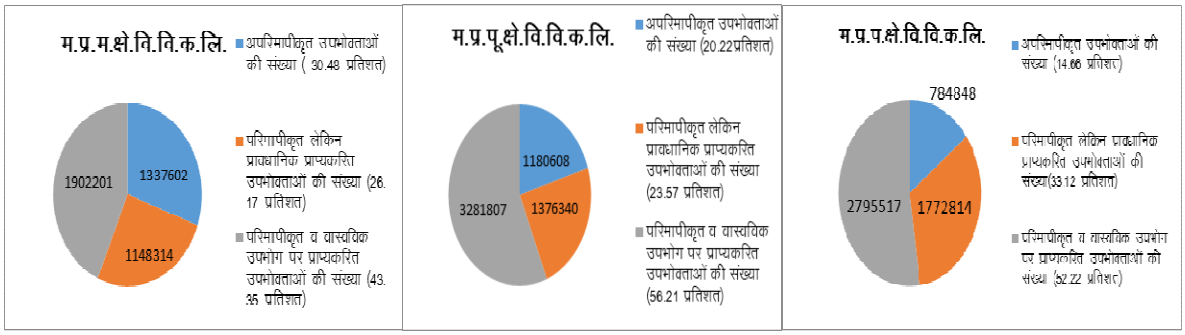

चयनित 15 क्षेत्र इकाइयों के बिलिंग आंकड़ों तथा राजस्व विवरण (आर–15) का विश्लेषण करने से इंगित होता है कि मार्च 2019 के अंत में मीटरीकृत उपभोक्ताओं के विरुद्ध प्रावधिक बिलिंग का *प्रतिशत* न केवल उच्च था, बल्कि 2016–17 की तुलना में बढ़ा, जैसा नीचे **तालिका 4.5.5** और ***परिशिष्ट 4.5.7*** में विस्तृत है।

---

121 वर्ष 2018–19 के लिए गणित हानि।

122 613.50 एमविएआर (613500 केवीएआर) (***परिशिष्ट 4.5.6*** की कुल क्षमता) * 3.788 एमयू (क्योंकि सीबी की एक एमवीएआर एक वर्ष में औसत रूपसे 3.788 एमयू बचाती है) = 2323.94 एमयू ।

123 किसी अवधि में जहां मुख्य मापक दोषपूर्ण हो, जांच मापक स्थापित न हो या वो भी दोषपूर्ण हो, तब आपूर्तित विद्युत की मात्र का निर्धारण मापक वाचन चक्र के पिछले तीन माह के औसत उपभोग के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

124 दोषपूर्ण मापकों को शहरी क्षेत्रों में 15 दिवस के अंदर व ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिवस के अंदर परिवर्तित किया जाएगा।

तालिका 4.5.5: वर्ष 2016–17 से 2018–19 की अवधि में, चयनित इकाइयों में प्रावधिक बिलिंग की संकलित स्थिति का विवरण

वितरण कंपनी	2016–17			2017–18			2018–19		
	मीटरीकृत उपभोक्ताओं की कुल संख्या	प्रावधिक बिलिंग	*प्रतिशत*	मीटरीकृत उपभोक्ताओं की कुल संख्या	प्रावधिक बिलिंग	*प्रतिशत*	मीटरीकृत उपभोक्ताओं की कुल संख्या	प्रावधिक बिलिंग	*प्रतिशत*
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि.	833680	115085	13.80	877159	490654	55.94	954338	440416	46.15
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि.	1309839	367154	28.03	1413879	389385	27.54	1495363	607919	40.65
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि.	1449217	80485	5.55	1537098	63833	4.15	1635660	484362	29.61

*(**स्रोत**: आर–15 तथा प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी)*

लेखापरीक्षा ने पाया कि वितरण कंपनियों द्वारा निम्न मामलों में प्रावधिक बिलिंग की गई जिससे बिलिंग दक्षता का यथार्थ रूप में निर्धारण नहीं किया जा सका:

- **अदोषपूर्ण मीटरीकृत उपभोक्ताओं की प्रावधिक बिलिंग**: यद्यपि प्रावधिक बिलिंग को केवल दोषपूर्ण मीटर के मामले में लागू करना था लेकिन लेखापरीक्षा अवधि में, वितरण कंपनियों द्वारा 21.46 *प्रतिशत*[125] मीटरीकृत उपभोक्ताओं का बिलिंग प्रावधिक आधार पर की गयी जबकि कार्यशील मीटर स्थापित थे।

सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2020) कि ऐसा उपभोक्ता के बिलिंग, जिनके मीटर रीडिंग संदिग्ध/असंतोषजनक पाए जाते हैं, खपत आंकलन के अनुसार किये जाते है। यद्यपि, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि. के मामले में, सरकार ने स्वीकार किया कि कर्मचारियों की कमी के कारण विद्युत चोरी पर अंकुश लगाना उनके लिए संभव नहीं है।

- **मीटरीकृत उपभोग उपलब्ध होने पर प्रावधिक बिलिंग**: आगे, वितरण कंपनियों की क्षेत्र इकाइयों द्वारा विद्युत लोकपाल[126] के उद्घोषण के उल्लंघन में ऐसे उपभोक्ता के बिलों, जिनके मीटरीकृत उपभोग बिलिंग हेतु उपलब्ध थे, में 2016–17, 2017–18 तथा 2018–19 में निर्धारण इकाई के रूप में क्रमशः 45.30 एमयू (62,222 उपभोक्ताओं के लिए), 49.61 एमयू (48,459 उपभोक्ताओं के लिए) तथा 24.97 एमयू (29,573 उपभोक्ताओं के लिए) अतिरिक्त आंकलित खपत जोडी गयी (जैसा ***परिशिष्ट 4.5.9*** में दर्शाया गया है)।

सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2020) कि ऐसे उपभोक्ताओं की जिनकी मीटर रीडिंग संदिग्ध/असंतोषजनक पाई जाती हैं, उनकी बिलिंग आंकलित खपत के अनुसार की जाती है।

उपरोक्त उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि आपूर्ति संहिता के अनुसार केवल दोषपूर्ण मीटर के मामले में, प्रावधिक बिलिंग का प्रावधान है न कि संदिग्ध/असंतोषजनक पाए गए मीटर में। इन मामलों में, मीटर खपत उपलब्ध होने के बावजूद, अतिरिक्त इकाइयाँ (आंकलित खपत) भी वसूल की गई थीं। इसके अलावा, आंकलित इकाइयों को संदेह के आधार पर वसूल नहीं किया जाना चाहिए।

दोषपूर्ण मीटरों का प्रतिस्थापन: चयनित 15 क्षेत्र इकाइयों में से 12 क्षेत्र इकाइयों[127] में, वितरण

---

125 म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि. के कुल 9,54,338 मीटरीकृत उपभोक्ताओं में से 3,27,729, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि. के कुल 14,95,363 मीटरीकृत उपभोक्ताओं में से 2,72,797, तथा म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि. के कुल 16,35,660 मीटरीकृत उपभोक्ताओं में से 2,76,112 उपभोक्ता।

126 एक प्रकरण (एल0026212 दिनांक मई 2013 तथा डबल्यू0357416 दिनांक फरवरी 2017) का निर्णय देते हुए विद्युत लोकपाल ने अधिघोषण किया कि आपूर्ति संहिता की धारा 8.35 के अनुसार निर्धारित इकाइयां वहाँ वसूली जाएंगी जहां उपभोक्ता का परिमापक रुका हुआ हो/दोषपूर्ण हो तथा कोई भी निर्धारण की हुई इकाई नहीं वसूली जाएगी जब मीटर उपभोग बिलिंग हेतु उपलब्ध हो।

127 म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि. मे होशंगाबाद, बेतुल, ग्वालियर, शेओपुर और राजगढ़। म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि. मे सतना, रीवा, कटनी, छतरपुर और छिंदवारा। म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि. मे मंदसौर और खरगोन। म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि. की तीन क्षेत्रीय इकाई (शाजापुर, बरवारणी और इंदौर शहर) मे दोषपूर्ण मीटर का प्रतिस्थापन 65.6 से 85.74 *प्रतिशत* रहा, जोकि संतोषजनक माना गया।

कंपनियों ने आपूर्ति कोड अनुसार दोषपूर्ण मीटरों के प्रतिस्थापन[128] से संबन्धित प्रावधानों का पालन नहीं किया। सभी तीनों वितरण कंपनियों में 2016–17 से 2018–19 के दौरान दोषपूर्ण मीटरों का प्रतिस्थापन 4,532 (6.70 *प्रतिशत*) से 12,780 (68.02 *प्रतिशत*) के मध्य रहा (***परिशिष्ट 4.5.8***)। जिसके कारण 2018–19 में, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि., म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि. तथा म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि. मे क्रमशः 1,12,687 (11.81 *प्रतिशत*), 3,35,122 (22.41 *प्रतिशत*), 2,08,250 (12.73 *प्रतिशत*) मीटर दोषपूर्ण थे।

• **निरंतर प्रावधिक बिलिंगः** आपूर्ति संहिता के प्रावधान अनुसार मीटर दोषपूर्ण होने पर प्रावधिक बिलिंग अधिकतम एक माह के लिए लागू होगा लेकिन तीन वर्षों में 14.58 *प्रतिशत*[129] परिमापीकृत उपभोक्ताओं की बिलिंग प्रावधिक आधार पर की जा रही थी (जैसा ***परिशिष्ट 4.5.10*** में दर्शाया गया है)। दोषपूर्ण मीटरों तथा मीटर रीडिंग न होने, के कारण प्रावधिक बिलिंग जारी रखी गयी।

शासन ने (सितंबर 2020) कहा कि दोषपूर्ण मीटरों को बदलना निरंतर प्रक्रिया है और क्षेत्र में दोषपूर्ण मीटरों को बदलने के लिए जोरदार प्रयास किए जा रहे हैं।

सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दोषपूर्ण मीटरों के प्रतिस्थापन करने से कोई सुधार नहीं दिखा। चयनित 12 क्षेत्र इकाइयों में दोषपूर्ण मीटरों का प्रतिस्थापन 2018–19 के दौरान 8.20 *प्रतिशत* से 55.13 *प्रतिशत* के बीच 2016–17 के 7.53 *प्रतिशत* से 65.55 *प्रतिशत* के बीच रहा। इसके अलावा, चयनित क्षेत्र इकाइयों में कुल 56,89,566 उपभोक्ताओं में से 40,85,361 उपभोक्ता मीटरयुक्त थें (मार्च 2019) और 8,76,638 मीटरयुक्त उपभोक्ताओं (21.46 *प्रतिशत*) को प्रावधिक रूप से बिल किया गया था, बावजूद इसके कि उनके मीटर खराब नहीं थे।

4.5.6.5 कृषि पंपों पर मीटरों के स्थापित न होने के कारण हुई राजस्व हानि

क्षेत्र इकाइयों द्वारा सिंचाई पंपों का संयोजन कृषि वर्ग (वर्ग–5) में जारी किया जाता है। मार्च 2019 के अंत तक, 15 चयनित क्षेत्र इकाइयों में कुल 56,89,566 उपभोक्ताओं में से केवल 10,71,679 (18.80 *प्रतिशत*) उपभोक्ता[130] सिंचाई पंपों की श्रेणी में शामिल थे। इन कुल कृषि उपभोक्ताओं मे से, केवल 2,387 (0.22 *प्रतिशत*) कृषि उपभोक्ता मीटरीकृत किए गए।

कृषि पंपों के उपभोक्ताओं द्वारा बिजली उपभोग के संबंध में, म.प्र.वि.नि.आ. ने वर्ष 2018–19 के टैरिफ आदेश द्वारा म.प्र.शासन से रियायत के दावे हेतु ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों दोनों में संयोजनों हेतु 1,590 इकाइयां/एचपी/प्रति वर्ष को निर्धारित इकाइयों के रूप में अनुमोदित किया था। आगे, म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा निर्देशित किया गया था कि विद्युत लेखापरीक्षा तथा लेखांकन उद्देश्य हेतु वास्तविक उपभोग को ही लिया जाएगा और साथ ही सभी संयोजनों के 100 *प्रतिशत* मीटरीकरण करने पर ज़ोर दिया था।

हालांकि, वर्ष 2018–19 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) के लिए, वितरण कंपनियों ने लेख किया कि कृषि पंपों के उपभोक्ताओं का वास्तविक उपभोग म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा तय निर्धारित इकाइयों से अधिक था तथा अनुरोध किया गया कि निर्धारित इकाइयों को ग्रामीण क्षेत्र संयोजनों के लिए 1,680/एचपी/प्रतिवर्ष तथा शहरी क्षेत्र संयोजनों के लिए 1,740 इकाई/एचपी/प्रति वर्ष निर्धारित किया ज़ाये। म.प्र.वि.नि.आ. ने वितरण कंपनियों के दावे को वास्तविक उपभोग के आधार पर नहीं पाया। कृषि डीटीआर पर मीटर स्थापित न होने के कारण, वितरण कंपनियाँ उपभोग के वास्तविक स्वरूप को

---

[128] म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि., म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि. तथा म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि. मे दोषपूर्ण मीटर का प्रतिस्थापन क्रमशः 6.7 *प्रतिशत* से 68.02 *प्रतिशत*, 11.28 *प्रतिशत* से 39.13 *प्रतिशत* और 7.53 *प्रतिशत* से 88.92 *प्रतिशत* रहा।

[129] म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि. में कुल 4,40,416 में से 1,16,210, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि. में कुल 6,07,919 एलटी मीटरीकृत उपभोक्ताओं में से 1,04,384 तथा म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि. में कुल 4,84,362 एलटी मीटरीकृत उपभोक्ताओं में से 2,902 (केवल शहरी क्षेत्र के आंकड़े उप्लब्ध हो सके) प्रावधानिक रूप से प्राप्यकृत किए गए।

[130] कुल कृषि उपभोक्ता/ कुल उपभोक्ताः म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि.– 2,97,609/15,37,958; म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि.– 4,11,090/21,49,106; तथा म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि.–3,62,980/20,02,502।

प्रस्तुत न कर सकीं। चूंकि वितरण कंपनियाँ अपने दावे के समर्थन मे विश्वसनीय समर्थित आंकड़े प्रस्तुत न कर सकी, म.प्र.वि.नि.आ. ने वितरण कंपनियों द्वारा प्रस्तावित निर्धारण इकाइयों पर विचार नहीं किया।

सरकार ने उत्तर (सितंबर 2020) दिया कि बजट की भारी कमी के कारण 100 *प्रतिशत* मीटर की स्थापना नहीं की सकी और कृषि पंप उपभोक्ताओं की बिलिंग फ्लैट दर पर की जाती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि म.प्र.वि.नि.आ. के निर्देशों (2016) के आधार पर वितरण कंपनियों की यह जिम्मेदारी है कि 100 *प्रतिशत* मीटरीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विस्तृत योजना तैयार करें और आवश्यक बजट की व्यवस्था करें। आगे, कृषि पंप उपभोक्ताओं की बिलिंग फ्लैट दर पर की जाती है, लेकिन म.प्र.वि.नि.आ. ने टैरिफ आदेश में मानक इकाइयों (जिसके आधार पर टैरिफ रियायत का दावा सरकार से किया जाता है) के निर्धारण के लिए मीटर डाटा मांगा था और परिणामस्वरूप, वितरण कंपनियों द्वारा अपेक्षित मीटर डाटा प्रस्तुत न करने के कारण म.प्र.वि.नि.आ. ने प्रस्तावित मानदंड इकाइयों को निर्धारित नहीं किया।

4.5.6.6 प्रवर्तन गतिविधियों में कमियाँ

विद्युत की चोरी की रोकथाम का उद्देश्य हानि में कमी तथा बिलिंग दक्षता में सुधार करना होता है। वितरण कंपनियों द्वारा अपने क्षेत्र इकाइयों मे छापे की कार्यवाही हेतु लक्ष्य निर्धारित किये जाते हें एवं आपूर्ति संहिता 2013 के भाग 10 की धारा 2.2[131] के प्रावधानानुसार, चोरी के प्रकरणों का निर्धारण किया जाता है ।

लेखापरीक्षा ने प्रवर्तन कार्यवाही तथा चोरी के प्रकरणों के निर्धारण की समीक्षा की और निम्न कमियाँ पायीः

- म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि. और म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि. ने क्षेत्र इकाइयों द्वारा किए जाने वाले छापे के लक्ष्यों को निर्धारित किया। इन दोनों वितरण कंपनियाँ की क्षेत्र इकाइयों को तय किए गए लक्ष्यों अनुसार छापे की गतिविधियाँ की जानी थी। हालाँकि, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि. ने अपनी क्षेत्र इकाइयों के लिए छापे के लक्ष्यों को तय नहीं किया और क्षेत्र इकाइयों द्वारा छापे रैंडम आधार पर आयोजित किए गए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि दो वितरण कंपनियाँ अर्थात म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि. और म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि. की क्षेत्र इकाइयाँ छापेमारी के लिए तय लक्ष्यों को हासिल करने में लगातार विफल रहे। 2016–17 से 2018–19 के दौरान लक्ष्यों के विरुद्ध अनुपालन 34.75 *प्रतिशत* और 68.66 *प्रतिशत* के बीच रहा। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि क्षेत्र इकाइयों द्वारा की गई जाँच मे अनियमितता औसतन 19.24 से 40.13 *प्रतिशत* मामलों की सीमा में थी (***परिशिष्ट 4.5.11***)। छापेमारी के दौरान उल्लेखनीय अनियमितताओं का अवलोकन होने के बावजूद, क्षेत्र इकाइयों ने छापे की जाँच के लिए निर्धारित लक्ष्यों को हासिल नहीं किया। यह छापे की गतिविधियों पर वितरण कंपनियाँ के लापरवाह व्यवहार की ओर भी संकेत करता है ।

सरकार ने उत्तर (सितंबर 2020) दिया कि म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि. के संबंध में, जनशक्ति की कमी और मैनुअल कार्य प्रवाह के कारण लक्ष्य हासिल नहीं किये जा सके। म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि. ने लेख किया कि जाँच किए गए संयोजनों की वास्तविक संख्या लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई संख्याओं से अधिक थी क्योंकि क्षेत्र इकाइयों ने उन मामलों की रिपोर्ट नहीं की जहाँ कोई अनियमितता नहीं पाई गई थी। म.प्र. प.क्षे.वि.वि.क.लि. में लक्ष्यों के गैर निर्धारण के संबंध में यह लेख किया गया गया कि छापे के लिए किसी

[131] आपूर्ति संहिता की धारा 10 के वाक्य 2.2 के अनुसार जब विद्युत की चोरी पायी जाती है, अधिकृत अधिकारी विद्युत उपभोग का निर्धारण विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अनुसार, उस समस्त अवधि के लिए, जहां तक विद्युत चोरी पायी गयी है या जांच की तिथि से पूर्व के 12(बारह) माह की अवधि, जो भी कम हो, निर्धारण आदेश में लागू टैरिफ के अनुसार स्थायी शुल्क, विद्युत शुल्क तथा अन्य लागू शुल्क शामिल होगा।

भी मनमाने लक्ष्यों का निर्धारण व्यावहारिक नहीं लगता है और इक्षित परिणामों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि क्षेत्र कर्मचारी छापे की संख्या बढ़ाने के लिए अनुचित जांच का सहारा ले सकते है।

उत्तर इंगित करता है कि वितरण कम्पनियाँ छापे का संचालन करने में एक समान प्रथा का पालन नहीं कर रही थी, जो चोरी को रोकने हेतु निगरानी का एक प्रमुख उपकरण है। म.क्षे.प.क्षे.वि.वि.क.लि. में छापे का कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं करने के मामले मे, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि. ने बिजली की चोरी रोकने हेतु प्रवर्तन गतिविधियों के लिए कोई वैकल्पिक योजना तैयार नहीं की। इसके अलावा, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि. के संबंध में उत्तर सही नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने लक्ष्य के विरुद्ध की गई वास्तविक जाँच की संख्या, निर्धारित करने मे उन मामलों (जहां कोई अनियमितता नहीं पाई गई थी) को भी शामिल किया गया था।

- कृषि पंप संयोजनों की चोरी के प्रकरणों[132] के संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि आपूर्ति संहिता 2013 के भाग 10 की धारा 2.2 के विरुद्ध, वितरण कंपनियों ने चोरी की अवधि की गणना आपूर्ति संहिता में प्रावधानित 12 माह के स्थान पर एक फसल मौसम (जो कि सामान्यतः एक से पाँच माह होता है) मान कर की है। मूल्यांकन के इस गलत आधार के कारण ₹ 6.97 करोड़ की अल्प बिलिंग हुई (***परिशिष्ट 4.5.12***) तथा वितरण कंपनियों को हानि वहन करनी पड़ी।

सरकार ने अपने उत्तर (सितंबर 2020) दिया कि प्राधिकृत अधिकारी को चोरी की अवधि निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है और कृषि पंप संयोजनों के मामले में, चोरी की अवधि फसल अवधि और आस–पास के किसानों से पूछताछ के आधार पर निर्धारित की जाती है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कृषि पंप संयोजन के मामले में आपूर्ति संहिता 2013 के अनुसार फसल अवधि को चोरी की अवधि के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, आपूर्ति संहिता 2013 के प्रावधानों के अनुसार, प्राधिकृत अधिकारी पूरी अवधि के लिए ऊर्जा की खपत का आंकलन करेगा, जिसके दौरान बिजली की चोरी का पता चला था या निरीक्षण की तारीख के 12 (बारह) महीने पहले की अवधि के लिए, जो भी हो कम हो। इसलिए, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा चोरी अवधि की ऊर्जा खपत का आंकलन साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए, न कि विवेकाधीन।

आगे, लोक अदालत के माध्यम से निपटान तथा विद्युत की चोरी के मामलों के निर्धारण के संबंध में नए संयोजन उन्ही आवेदक को जारी किए जाने चाहिए जिनके पास एक भी संयोजन न हो। लेखापरीक्षा ने 15 चयनित क्षेत्र इकाइयों में वर्ष 2016–17 से 2018–19 की अवधि में निपटाए कुल 33119 मामलों (घरेलू, गैर–घरेलू, तथा कृषि पंप संयोजनों) को जांचा और पाया कि क्षेत्र इकाई द्वारा मामले निपटाते समय लोक अदालत की शर्तों का उल्लंघन किया गया और कोई भी नया संयोजन जारी नहीं किया गया। क्षेत्र इकाइयों द्वारा लेख किया गया कि उपभोक्ताओं से प्राप्त राशि की वसूली उनकी प्राथमिकता थी और उपभोक्ताओं के अनुरोध पर संयोजन अवमुक्त किए जाते हैं। अतः संयोजन जारी न करने के कारण, 15 चयनित क्षेत्र इकाइयों में वितरण कंपनियों को ₹ 8.00 करोड़ (न्यूनतम शुल्क मानते हुए) की हानि उठानी पड़ी (***परिशिष्ट 4.5.13***)।

उत्तर त्रुटिपूर्ण हैं क्योंकि संयोजनों को, लोक अदालत में निपटारे की शर्तों के आधार पर, जारी किए जाना था जोकि विद्युत चोरी को भी कम कर सकता था।

सरकार ने उत्तर (सितंबर 2020) दिया कि जहां स्थायी संयोजन जारी करना संभव हैं वहां उपभोक्ताओं को नए संयोजन दिए जाते है।

---

[132] 2016–19 की अवधि में 15 चयनित क्षेत्र इकाइयों में निपटाए गए कुल 99838 चोरी के प्रकरणों में से 1537 कृषि पंप संयोजनों की नमूना जांच की गयी।

उत्तर गलत है क्योंकि निर्धारित राशि की रियायत, नए संयोजन जारी करने की शर्त के अधीन थी इसके अतिरिक्त सरकार ने उन उपभोक्ताओं के विवरण प्रस्तुत नहीं किए थे जहां स्थायी संयोजन संभव नहीं थे।

4.5.6.7 उच्च–दाब उपभोक्ताओं के बिलिंग में कमियाँ

आपूर्ति संहिता व म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा समय समय पर जारी टैरिफ आदेशों के प्रावधानानुसार एचटी उपभोक्ताओं के बिलिंग होता है।

वितरण कंपनियों की 15 चयनित क्षेत्र इकाइयों में कुल 2666 एचटी उपभोक्ताओं में से 356 एचटी उपभोक्ताओं[133] की बिलिंग नस्ति की समीक्षा की गयी एवं 94 एचटी उपभोक्ताओं के बिलिंग में निम्न कमियाँ पायी गईं:

- एचटी उपभोक्ताओं हेतु ग्रामीण क्षेत्र की छूट[134] के संबंध में म.प्र.वि.नि.आ. के आदेशों तथा विद्युत लोकपाल के निर्णयों के विरुद्ध 43 एचटी योग्य उपभोक्ताओं को ग्रामीण क्षेत्रों[135] में छूट नहीं दी गयी जिससे वर्ष 2016–17 से 2018–19 में इन एचटी उपभोक्ताओं का बिलिंग ₹ 12.30 करोड़ अधिक किया गया (***परिशिष्ट 4.5.14***)।

सरकार (सितंबर 2020) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि. के 4 एचटी उपभोक्ताओं के मामले में लेखापरीक्षा अवलोकन से सहमत हुई। शेष 39 मामलों के लिए उत्तर (सितंबर 2020) दिया कि इन उपभोक्ताओं को शहरी/औद्योगिक फीडर के माध्यम से 24 घंटे निर्बाध आपूर्ति की जा रही है। यह भी स्पष्ट किया कि म.प्र.वि.नि.आ. ने (नवंबर 2018) विद्युत लोकपालों को निर्देशित किया कि ग्रामीण क्षेत्र में 24 घंटे निर्बाध आपूर्ति प्राप्त करने वाले उपभोक्ता को यह रियायत प्रदान करने के मुद्दे की पुनः निरीक्षण करें।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी/औद्योगिक फीडर के माध्यम से 24 घंटे निर्बाध आपूर्ति पाने वाले उपभोक्ताओं को रियायत प्रदान न करने का कारण विद्युत लोकपालों द्वारा भी विभिन्न मामलों[136] में स्वीकार नहीं किया गया है।

- पांच क्षेत्र इकाइयों के 10 एचटी उपभोक्ताओं को म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा जारी टैरिफ आदेशों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए गलत टैरिफ श्रेणी लागू की गई। परिणामस्वरूप, इन एचटी उपभोक्ताओं को ₹ 3.61 करोड़ का कम बिलिंग दिया गया (***परिशिष्ट 4.5.15***)।

यद्यपि, सरकार ने 10 एचटी उपभोक्ताओं के मामले में लेखापरीक्षा अवलोकन मे सहमति व्यक्त की लेकिन 10 एचटी उपभोक्ता मे 9 के विरुद्ध वसूली[137] अभी भी लंबित (सितंबर 2020) थी।

---

133 म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि.– 116, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि.–108 तथा म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि.–132 ।

134 म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा जारी सूचिदर आदेशों के प्रावधानानुसार एचवी–3 (औद्योगिक व गैर औद्योगिक उपभोक्ताओं) जो आपूर्ति प्राधान्यक ग्रामीण क्षेत्र से आपूर्ति प्राप्त करते हैं, को 5 *प्रतिशत* छूट स्थायी शुल्क पर तथा न्यूनतम उपभोग (विद्युत इकाइयों) में 20 *प्रतिशत* की कमी मान्य है।

135 विज्ञप्ति क्र. 2010/एफ13/05/13/2006 दिनांक 25 मार्च 2006 के द्वारा राज्य शासन ने ग्रामीण क्षेत्रों को उद्घोषित किया है। मा. म.प्र. वि.नि.आ. द्वारा भी सभी सूचिदर आदेशों में ग्रामीण क्षेत्रों की पहचान करने के लिए उपरोक्त विज्ञप्ति मे दी गयी ग्रामीण क्षेत्रों की परिभाषा को ही अपनाया।

136 प्रकरण क्र. एल 00–33–66, एल 00–46–17 और एल 00–22–17।

137 उपभोक्ता मेसर्स एकलव्य अवधिया विधालय (क्र.स. 1) के मामले में पूर्ण वसूली की गई है और उपभोक्ता मेसर्स जवाहर नवोदय विद्यालय (क्र.स. 3) के मामले में आंशिक वसूली की गई है। एक उपभोक्ता यानी मैसर्स डब्ल्यूसीएल ने उच्च न्यायालय, जबलपुर में म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क. लि. द्वारा प्रदत्त टैरिफ की वसूली और परिवर्तन के नोटिस के खिलाफ (फरवरी 2020) अदालत में मामला दायर किया है, यह मामला अभी भी उप–न्यायिक है (सितंबर 2020) (परिशिष्ट 4.5.15)।

- मध्य प्रदेश आपूर्ति संहिता, 2013 के भाग 4.43[138] के उल्लंघन में, 29 एचटी उपभोक्ताओं (पांच क्षेत्र इकाइयों[139] में) को स्थायी संयोजन प्रदान किए गए जो अस्थायी संयोजन के पात्र थे। चूंकि स्थायी संयोजन में ऊर्जा शुल्क की दरें अस्थायी संयोजन की तुलना में कम हैं, इस कारण वितरण कंपनियों को ₹ 22.64 करोड़ का राजस्व हानि उठानी पड़ी (***परिशिष्ट 4.5.16***)।

सरकार ने 29 एचटी उपभोक्ताओं में से 15 एचटी उपभोक्ताओं के मामले में सहमति (सितंबर 2020) व्यक्त की। इसके अलावा, निर्माण कार्यों से संबन्धित संयोजनों के पाँच एचटी उपभोक्ताओं के मामले में, सरकार ने उत्तर दिया कि स्थायी संयोजन उपभोक्ताओं को उनके आवेदन या आपूर्ति संहिता के अनुसार पाँच वर्षों की अधिकतम अवधि के लिए अस्थायी आपूर्ति की शर्तों के आधार पर विचार किया गया था। सरकार ने कहा कि सौर जनरेटर के नौ एचटी अस्थायी उपभोक्ताओं के मामले में न्यूनतम खपत की शर्त लागू नहीं होगी। माह के दौरान आपूर्ति के प्रत्येक अवसर पर दर्ज की गई मांग के आधार पर बिलिंग की जाती है।

सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा लिखित याचिका (12/2015) का फैसला यह स्पष्ट करता है कि संयोजन अवधि के लिए निर्माण उद्देश्य अस्थायी है और निर्माण उद्देश्यों के लिए स्थायी संयोजन का दिया जाना आपूर्ति संहिता के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। सौर जनरेटर के 9 एचटी अस्थायी उपभोक्ताओं के मामले में, सरकार द्वारा उद्धृत मासिक मांग के अनुसार उच्चतम मासिक मांग पर बिलिंग महीने के दौरान दर्ज की गई ऊर्जा के आधार पर न्यूनतम खपत और अस्थायी वर्ग[140] में बिलिंग की स्थिति उपभोक्ताओं को निर्धारित शुल्क की बिलिंग के लिए गलत है।

मध्य प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता, 2013 की धारा 3.4[141] के उल्लंघन में, 12 एचटी उपभोक्ताओं में सात क्षेत्र इकाइयों को 33 केवी आपूर्ति वोल्टेज के लिए 100 केवीए के न्यूनतम आवश्यक भार से कम भार वाले अनुबंध की अनुमति दी गई थी। न्यूनतम आवश्यक भार तक अनुबंधित भार में वृद्धि नहीं करने के कारण, अप्रैल 2016 से मार्च 2019 के दौरान लघु निर्धारित शुल्क लगाने के कारण इन उपभोक्ताओं को ₹ 0.45 करोड़ कम बिलिंग की गयी थी (***परिशिष्ट 4.5.17***)।

म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि.[142] के एक मामले में सरकार, लेखापरीक्षा अवलोकन के साथ सहमत (सितंबर 2020) हुई। इसके अलावा म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि. और म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि. के मामले में उत्तर दिया कि आपूर्ति संहिता, 2013 और विद्युत अधिनियम, 2003 से पहले 33 केवीए वोल्टेज मे 100 केवीए से नीचे भार पर उपभोक्ताओं को संयोजन दिया गया और इसके प्रावधानों को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है।

म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि. और म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि. के बारे में सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि म.प्र. म.क्षे.वि.वि.क.लि. के समान मामले में लेखापरीक्षा अवलोकन स्वीकार किया है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा

---

138 कोई भी व्यक्ति जो प्रकृति में अस्थायी है, एक वर्ष/ दो वर्ष से कम की अवधि के लिए बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता है, अस्थायी बिजली की आपूर्ति के लिए आवेदन कर सकता है। अस्थायी कनेक्शन की अवधि भवनों/ बिजली संयंत्रों के निर्माण और उद्योगों की स्थापना के उद्देश्य से पाँच साल तक बढ़ाई जा सकती है।

139 बैतूल (तीन कनेक्शन), राजगढ़ (15 कनेक्शन), छिंदवाड़ा (एक कनेक्शन), बड़वानी (एक कनेक्शन) और मंदसौर (नेा कनेक्शन)।

140 टैरिफ के प्रावधान 1.17 (ग) के अनुसार, अस्थायी कनेक्शन के मामले में स्थायी शुल्क के लिए बिलिंग की मांग, उपभोक्ता द्वारा अपेक्षित मांग या कनेक्शन के महीने से शुरू होने वाली आपूर्ति की अवधि के दौरान उच्चतम मासिक अधिकतम मांग जो भी अधिक हो होगी।

141 आपूर्ति संहिता की धारा 3.4 प्रदान करती है कि एक उपभोक्ता की न्यूनतम अनुबंध मांग 33 केवी के आपूर्ति वोल्टेज पर 100 केवीए होनी चाहिए, बशर्ते कि लाइसेंसधारक संतुष्ट हो कि ऊपर दिए गए मानदंडों में विचलन के लिए पर्याप्त आधार हैं और ऐसा विचलन तकनीकी रूप से व्यवहार्य है, तो यह अनुदान दे सकता है लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों सहित।

142 मेसर्स द्वारका इन्सुलेशन के मामले में, (*परिशिष्ट 4.5.17* की क्र. सं. 1 पर), की वसूली ₹ 6.88 लाख का बना था। मेसर्स राज इंडस्ट्रीज (*परिशिष्ट 4.5.17* के क्र. सं. 2 पर) के मामले में, 33 केवीए में लोड में विचलन के लिए एमपीईआरसी से आवश्यक अनुमोदन पहले ही 2008 में लिया जा चुका था।

ने आपूर्ति संहिता, 2013 की अधिसूचना की तिथि के बाद लघु बिलिंग कि गणना की है न की पूर्वव्यापी प्रभाव से।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आपूर्ति कोड और टैरिफ आदेशों के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण 15 क्षेत्र इकाइयों में 356 चयनित एचटी उपभोक्ताओं में से, 51 एचटी उपभोक्ताओं की ₹ 26.70 करोड़[143] की कम बिलिंग की गई थी और 43 एचटी उपभोक्ताओं को ₹ 12.30 करोड़ का अधिक बिल दिया गया था।

4.5.6.8 राजस्व बकाए का संचयन

वितरण कंपनियों की क्षेत्र इकाइयों का दायित्व है कि उपभोक्ताओं से राजस्व बिलों का संग्रहण करे। वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक है कि राजस्व बकाए को कम करे तथा संग्रहण क्षमता में वृद्धि करे। चयनित 15 क्षेत्र इकाइयों के विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के बकाए की स्थिति **तालिका 4.5.6** और ***परिशिष्ट 4.5.18*** में संक्षेपित की गयी है:

तालिका 4.5.6: चयनित क्षेत्र इकाइयों में राजस्व संग्रहण बकाया का विवरण

(₹ करोड़ में)

वितरण कंपनी का नाम	चयनित क्षेत्र इकाइयों की संख्या	मार्च 2017	मार्च 2018	मार्च 2019
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि.	5	1287.76	1749.74	1269.30
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि.	5	612.97	901.06	704.15
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि.	5	621.49	588.44	646.51
कुल	**15**	**2522.22**	**3239.24**	**2619.96**

*(**स्रोत**: आर–15 विवरण)*

उपरोक्त तालिका प्रदर्शित करती है कि 2016–17 से 2017–18 में, सभी वर्ग के उपभोक्ताओं[144] के बकाए मे वृद्धि हुई है। हालांकि मध्य प्रदेश शासन की संबल योजना के अंतर्गत मुख्य मंत्री बकाया बिल माफी योजना को लागू (2018) किए जाने उपरांत 2017–18 (मुख्यतः घरेलू श्रेणी) की तुलना में, 2018–19 में बकाए की राशि मे कमी आई।

- **चूककर्ता उपभोक्ता के संयोजनों का विछेदन:** आपूर्ति संहिता की धारा 9.14[145] के विपरीत वितरण कम्पनियाँ चूककर्ता उपभोक्ताओं के संयोजनों को विच्छेदित करने में विफल रही जिससे ऐसे प्रकरणों में बकाया संचयन मे वृद्धि होती गयी। चयनित क्षेत्र इकाइयों मे बकाये के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 31 मार्च 2019 तक ₹ 504.03 करोड़[146] ऐसे 7,62,198 उपभोक्ताओं से देय थे जो एक वर्ष से अधिक समय से बकाया थे लेकिन जिनका संयोजन विच्छेदित नहीं किया गया (***परिशिष्ट 4.5.19*** के विवरणानुसार)। बकाए की अवधि 12 से 36 माह के मध्य रही।
- **शासकीय विभागों से बकाए का संग्रहण न होना:** विभिन्न शासकीय विभागों (केंद्र व राज्य) से देय बकाया राशि के संग्रहण हेतु, वितरण कंपनियाँ प्रभावी कार्यवाही करने में विफल रही जो कि मार्च 2017 में ₹ 77.09 करोड़ से वृद्धि कर मार्च 2019 मे ₹ 147.95 करोड़ पहुँच गया;

---

143 ₹ 3.61 करोड़ +₹ 22.64 करोड़ +₹ 0.45 करोड़ =₹ 26.70 करोड़।

144 घरेलू, गैर घरेलू, लोक जल संस्थान, एलटी उद्योग, सिंचाई पंप, आँय कृषि तथा एचटी उपभोक्ता।

145 आपूर्ति संहिता की धारा 9.14 दर्शाती है कि उपभोक्ता का संयोजन मासिक बिलों में दी गयी देय तिथि के पश्चात 15 दिवस का नोटिस देकर विच्छेदन किया जा सकेगा यदि उपभोक्ता देय तिथि तक किसी प्राप्यक का पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ रहता है।

146 म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि. में 3,58,620 उपभोक्ताओं से ₹ 244.45 करोड़ बकाया, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि. में 3,41,309 उपभोक्ताओं से ₹ 211.36 करोड़ बकाया तथा म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि. में 62,269 उपभोक्ताओं से ₹ 48.22 करोड़ बकाया।

- **आरआरसी पर कार्यवाही न करना:** उपभोक्ता के स्थायी विच्छेदन (पीडी) के अंतिमिकरण के बाद सभी देयकों को प्राथमिकता देते हुए पीडी होने के 6 माह के अंदर वसूली न होने पर राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (आरआरसी) जारी किया जाना चाहिए। मार्च 2019 तक चयनित 15 क्षेत्र इकाइयों में पीडी होने के पश्चात्, 5,75,167 उपभोक्ताओं से ₹ 208.77 करोड़ बकाया थे (***परिशिष्ट 4.5.20***)। इन बकाया में से ₹ 106.55 करोड़ ऐसे 2,48,724 उपभोक्ताओं से लंबित थे जो 3 वर्षो पहले ही पीडी हो चुके थे लेकिन उस समय (नवंबर 2019) तक बकाया संग्रहीत नहीं किया जा सका था। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि 2,48,724 स्थायी विच्छेदित उपभोक्ताओं में से 40,205 उपभोक्ताओं के प्रकरणों में ₹ 26.10 करोड़ की आरआरसी बकाया के संग्रहण हेतु जारी की गई थी। मार्च 2019 तक, शेष 2,08,519 मामलों में ₹ 80.45 करोड़ हेतु अग्रिम कार्यवाही जैसे कि आरआरसी जारी करना अभी तक लंबित था। इस प्रकार पीडी प्रकरणों मे बकाए के संचयन हुए एवं संग्रहण दक्षता पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

- **अस्थाई संयोजन:** आपूर्ति संहिता की धारा 4.47 तथा 4.50[147] के अनुसार, वितरण कंपनियों को अस्थाई संयोजनों से अग्रिम राशि प्राप्त करनी होती है तथा ऐसे संयोजनों के मासिक बिलों पर निगरानी रखनी चाहिए जिससे बकाए का संचय न हो सके। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित 15 क्षेत्र इकाइयों मे अस्थाई संयोजनों के पीडी होने के बाद भी ₹ 20.87 करोड़ की विशाल राशि बकाया रही (***परिशिष्ट 4.5.21***)।

अतः चूककर्ता उपभोक्ताओं के संयोजनों को विच्छेदित करने में अनियमितताओं, शासकीय विभागों को प्रोत्साहित करने मे असफलता, तथा ऊपर चर्चा किए गए अस्थाई संयोजनों और स्थायी विच्छेदित उपभोक्ताओं से बकाया संग्रहण में असावधानी के कारण, 15 चयनित क्षेत्र इकाइयों (सभी तीनों वितरण कंपनियों की) में नवम्बर 2019 तक कुल ₹ 2,619.96 करोड़ की राशि बकाया रही।

सरकार ने उत्तर (सितंबर 2020) दिया कि चूककर्ता उपभोक्ताओं और सरकारी विभागों के विरुद्ध बकाया राशि की वसूली के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। आरआरसी के संबंध में भी वसूली हेतु प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन आरआरसी में 100 *प्रतिशत* की वसूली संभव नहीं है। इसके अलावा, स्थायी रूप से विच्छेदित किऐ गए अस्थायी संयोजनों के विरुद्ध बकाया के मामले में, बकाया राशि वसूलने के प्रयास किए जा रहे हैं और वसूली न होने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यूंकि म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि. और म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि. के मामले में, संग्रह दक्षता 2016–17 की तुलना में 2018–19 में कम हुई, जिससे यह इंगित होता है कि बकाए की वसूली के लिए किए गए प्रयास अपर्याप्त थे। हालांकि, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि. के मामले में, संग्रह दक्षता में 2016–17 के मुकाबले 2018–19 में 1.18 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई थी।

4.5.6.9 संबल योजना अंतर्गत उपभोक्ताओं के बकाए का अनुचित अपलेखन

विद्युत अधिनियम, 2003 के भाग 138 (मीटर व अनुज्ञाप्ति के कार्यों में व्यवधान) के अनुसार, कोई भी विद्युत धारा(ओं) या अन्य कार्य जिसे विच्छेदित (बकाए के कारण) किया गया हो, को अनधिकृत रूप से पुनः संयोजित करता है, वह अधिकतम 3 वर्ष का कारावास या ₹ 10 हज़ार तक की शस्ति या दोनों दंड के भागी होंगे। यह शास्ति या शमन शुल्क ऐसे प्रकरणों में सिविल दायित्व के रूप में निर्धारित होगा।

[147] अस्थाई संयोजन के मामलों में, अनुज्ञाप्ति (वितरण कंपनियाँ) 90 दिवस के अनुमानित उपभोग के विरुद्ध अग्रिम विधयुत शुल्क का प्राप्यक जारी कर सकती है तथा जोकि वास्तविक उपभोग के शुल्कों से कम नहीं होगा।

आगे, मध्य प्रदेश शासन द्वारा वितरण कंपनियों को निर्देशित (अगस्त 2018 में) किया कि (संबल योजनान्तर्गत[148]) भाग 135 व 138 के अधीन लंबित सभी मुकदमों को वापस लिया जाये तथा ऐसे मामलों के सभी सिविल दायित्वों को समाप्त किया जाए। सिविल दायित्वों के बकाए को मध्य प्रदेश शासन तथा वितरण कंपनियों द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन करना था।

क्षेत्र इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि 15 चयनित क्षेत्र इकाइयों में से छः[149] क्षेत्र इकाइयों मे कृषि पंप संयोजनों के संबंध में विद्युत अधिनियम, 2003 के भाग 138 के अंतर्गत प्रकरण निर्धारित करते समय क्षेत्र इकाइयों ने गलत रूप से नियमित विद्युत बकायों ₹ 3.40 करोड़ (***परिशिष्ट 4.5.22***) को भी सिविल दायित्व (शास्ति व शमन शुल्क) में शामिल कर धारा 138 अंतर्गत निर्धारण किया और योजना के नियम एवं शर्तों के उल्लंघन में बकायों मे रियायत (अगस्त/सितंबर 2018) दी गई।

सरकार ने उत्तर (सितंबर 2020) दिया कि म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि. ने भाग 138 के तहत मामलों को फिर से जांचने के लिए निर्देश जारी किए हैं। म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि. ने लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए मामलों को आंशिक रूप से फिर से जांच किए हैं और संशोधित दावा मध्य प्रदेश सरकार में लंबित थे। म.प्र.म.क्षे.वि. वि.क.लि. ने आश्वासन दिया कि किसानों से बकाया वसूलने की कार्यवाही की जाएगी।

हालांकि, सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन की पुष्टि की परंतु वसूली अभी भी (सितंबर 2020) लंबित थी। उत्तर म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि. और म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि. में जिम्मेदारी तय करने हेतु की गई कार्रवाई के संबंध में मौन है।

निष्कर्ष

जैसा कि उपरोक्त कंडिकाओ से स्पष्ट है कि वितरण कंपनियों ने विक्रय की अतिरिक्त इकाइयों को दर्ज करके गलत बिलिंग दक्षता प्रस्तुत की है। उन्होंने आपूर्ति संहिता और टैरिफ आदेशों के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बड़े पैमाने पर प्रावधिक बिलिंग का सहारा लिया, जिससे वितरण कंपनियों की बिलिंग दक्षता का यथार्थवादी प्रस्तुतीकरण प्रभावित हुआ। उपरोक्त सभी वितरण कंपनियों के वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालते है।

---

148 जून 2018 में राज्य शासन ने संबल योजना घोषित की जिसमें दो योजनाओं उदाहरणतः सरल बिजली स्कीम (₹ 200 के समान प्राप्यक) जोकि पंजीकृत श्रमिक/ कर्मकार के लिए थी व मुख्यमंत्री बकाया बिल माफी योजना जो बीपीएल व पंजीकृत श्रमिक/ कर्मकार (जून 2018 की स्थिति मे बकाए का निपटारा करने के लिए)। आगे, शासन ने ये भी निर्णय लिया कि पंजीकृत श्रमिक/ बीपीएल व कृषि पंप संयोजनों के विरुद्ध तय प्रकरणों में धारा 135 व 138 की कार्यवाही समाप्त की जाए।

149 होशंगाबाद, राजगढ़, सतना, रीवा, छिन्दवाडा तथा मंदसौर।

अनुशंसाएं

- वितरण कंपनियों को म.प्र.वि.नि.आ. के निर्देशों, टैरिफ आदेशों व आपूर्ति संहिता के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए और उच्च बिलिंग दक्षता प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं की सही बिलिंग और राजस्व का संग्रह सुनिश्चित करना चाहिए।
- वितरण कंपनियों को चूककर्ता उपभोक्ताओं का विच्छेदन करके, शासकीय विभागों एवं चूककर्ता उपभोक्ताओं से निरंतर संपर्क स्थापित रखने, स्थायी विच्छेदित उपभोक्ताओं और अस्थाई कनैक्शन से बकाया संग्रहीत करने की, उचित कार्यवाही करनी चाहिए।

बि. कु. मु.

भोपाल
दिनांक : 28 जून 2021

(बिजित कुमार मुखर्जी)
महालेखाकार
(लेखापरीक्षा–द्वितीय)
मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 30 जून 2021

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट–1.1 (अ)
(कंडिका 1.1 में संदर्भित)
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विवरण

			कंपनियों के नाम	वर्ष जिसके लेखे प्राप्त हुए
	अ	**नवीनतम लेखों के साथ कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम**		
		सरकारी कंपनियाँ		
इस प्रतिवेदन में शामिल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	ऊर्जा	1	मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पा.ज.कं.लि.)	2018–19
		2	मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पी.टी.सी.सी.एल.)	2018–19
		3	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि.)	2018–19
		4	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि.)	2018–19
		5	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि.)	2018–19
		6	मध्य प्रदेश ऊर्जाविकास निगम लिमिटेड (म.प्र.ऊ.वि.नि.लि.)	2017–18
		7	एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पी.एम.सी.एल.)	2018–19
	गैर–ऊर्जा	8	मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड (म.प्र.एस.ए.आई.डी.सी.एल)	2017–18
		9	मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (म.प्र.रा.व.वि.नि.लि.)	2017–18
		10	द प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड (पी.आई.सी.एल)	2017–18
		11	एमपी अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (म.प्र.यू.डी.सी.एल)	2017–18
		12	मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (म.प्र.एस.ई.डी.सी.एल)	2017–18
		13	एमपी औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (म.प्र.औ.वि.नि.लि.)	2016–17
		14	मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (म.प्र.रा.प.वि.नि.लि.)	2016–17
		15	मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (म.प्र.प.हे.कॉ.लि.)	2018–19
		16	संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2017–18
		17	मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (म.प्र.रा.ना.आ.नि.लि.)	2016–17
		18	उज्जैन स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यू.एस.सी.डी.सी.एल.)	2018–19
		19	भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बी.एस.सी.डी.सी.एल.)	2017–18
		20	ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जी.एस.सी.डी.सी.एल.)	2018–19
		21	जबलपुर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जे.एस.सी.डी.सी.एल.)	2018–19
		22	इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आई.एस.सी.डी.सी.एल.)	2018–19
		23	मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड (म.प्र.ल.उ.नि.लि.)	2016–17
		24	डीएमआईसी पीथमपुर जलप्रबंधन लिमिटेड (डीएमआईसी पी.ज.प्र.लि.)	2018–19
		25	मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित (म.प्र.ज.नि.म.)	2017–18
		26	मध्य प्रदेश प्लास्टिक सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ग्वालियर लिमिटेड (म.प्र.पी.सी.डी.सी.एल.)	2018–19
		27	मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड (म.प्र.स.वि.नि.लि.)	2017–18
		28	पीथमपुर ऑटो क्लस्टर लिमिटेड (पी.ए.सी.एल.)	2018–19
		29	जबलपुर इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफेक्चुरिंग पार्क लिमिटेड (जे.ई.एम.पी.एल.)	2017–18
		30	भोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफेक्चुरिंग पार्क लिमिटेड (बी.ई.एम.पी.एल.)	2017–18
		31	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड (म.प्र.रा.ख.नि.लि.)	2018–19
		32	मध्य प्रदेश होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (म.प्र.हो.कॉ.लि.)	2017–18
		33	डीएमआईसी विक्रमउद्योगपुरी लिमिटेड (डीएमआईसी वि.उ.लि.)	2018–19
		34	मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (म.प्र.पी.पी.डे.कॉ.लि.)	2017–18

			कंपनियों के नाम	वर्ष जिसके लेखे प्राप्त हुए
		35	सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (सागर एस.सी.एल.)	2017–18
		36	सतना स्मार्ट सिटी लिमिटेड (सतना एस.सी.एल.)	2017–18
		सांविधिक निगम		
		37	मध्य प्रदेश वित्त निगम (म.प्र.वि.नि.)	2018–19
		38	मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन (म.प्र.वे. एवं लॉ.कॉ.)	2018–19

परिशिष्ट– 1.1 (ब)
(कंडिका 1.1 में संदर्भित)
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विवरण

			कंपनियों के नाम	वर्ष जिसके लेखे प्राप्त हुए
	अ	**नवीनतम लेखों के साथ अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम**		
इस प्रतिवेदन में शामिल नही किए गए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	गैर–ऊर्जा	**निष्क्रिय**		
		1	एमपी जेपी मिनरल्स लिमिटेड	2018–19
		2	एमपी एएमआरएल (सेमरिया) कोल कंपनी लिमिटेड	2018–19
		3	एमपी एएमआरएल (मोरगा) कोल कंपनी लिमिटेड	2018–19
		4	एमपी एएमआरएल (बिचारपुर) कोल कंपनी लिमिटेड	2018–19
		5	एमपी एएमआरएल (मरकी बरका) कोल कंपनी लिमिटेड	2018–19
		6	एमपी जेपी कोल लिमिटेड	2018–19
		7	एमपी मोनेट माइनिंग कंपनी लिमिटेड	2018–19
		8	एमपी जेपी कोल फील्ड्स लिमिटेड	2018–19
		9	एमपी सैनिक कोल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड	2018–19
		व्यापार शुरू नहीं हुआ		
	ऊर्जा	10	शाहपुरा थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड (एसटीपीटीसीएल)	2018–19
		11	बाणसागर थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड (बीटीपीसीएल)	2018–19
		12	श्री सिंगाजी पावर प्रोजेक्ट लि। (एसएसपीपीएल)	2018–19
	गैर–ऊर्जा	13	एमपी वेंचर फाइनेंस ट्रस्टी लिमिटेड (एमपीवेंफाट्रलि)	2018–19
		14	मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड (मप्रमेरेकलि)	2016–17
		15	नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (नबेप्रोकंलि)	2018–19
		16	एमपी वेंचर फाइनेंस लिमिटेड (एमपीवेंफालि)	2018–19
		परिसमापनाधीन उपक्रम		
	ऊर्जा	17	दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड (डीडीकेपीएल)	2016–17
	ब	**बकाया लेखो के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम**		
	गैर–ऊर्जा	**ब. (i) बकाया लेखों वाले निष्क्रिय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम**		
		काम बंद करने वाले		
		1	मध्य प्रदेश राज्य सेतु निगम निगम लिमिटेड	1989–90
		2	मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र खनिज और रसायन लिमिटेड	2001–02
		सांविधिक निगम		
		3	मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	2007–08
		परिसमापन होने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपकम		
		4	एमपी विद्युत यंत्र लिमिटेड	1989–90
		5	मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम लिमिटेड	2009–10
		6	ऑप्टेल टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड	2009–10
		7	मध्य प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड	2005–06

			कंपनियों के नाम	वर्ष जिसके लेखे प्राप्त हुए
		ब. (ii) लेखों के बकाया होने के कारण कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिनको प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया गया हैं		
		8	मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (एमपीएसआईडीसीएल)	2014–15
		9	मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (मप्रपुहाकॉलि)	2015–16
		10	मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (मप्रपिवतथाअविविनिलि)	2010–11
		11	मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (मप्रआविविनिलि)	2003–04
		12	मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड (मपपबो)	प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए
		13	सिंगरौली एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड (एसएसीएल)	
		14	बी–नेस्ट फाउंडेशन (बीएनएफ)	
		15	बुरहानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड (बीसीटीएसएल)	
		16	रतलाम सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (आरसीटीएसएल)	

परिशिष्ट–2.1
(कंडिकाएं 2.1.2, 2.7, 2.7.1 और 2.7.2 में संदर्भित)
ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों की नवीनतम वित्तीय वर्ष के अध्यतन लेखों के अनुसार वित्तीय स्थिति और काम के परिणामों का सारांश

(₹ करोड़ मे)

क्र. सं.	क्र. सं.	ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम एवं गतिविधि	लेखों की अवधि	ब्याज़ व कर पूर्व निवल लाभ/ हानि	ब्याज़ व कर पश्चात निवल लाभ/ हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूंजी	नियोजित पूंजी (अंशधारक कोष + दीर्घकालिक ऋण)[1]	निवल मूल्य[2]	संचित लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क.		**उत्पादन**								
1	1	मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पा.ज.कं.लि.)	2018–19	1409.56	171.50	10080.14	6310.54	15600.82	3295.90	–3014.39
		उप योग		**1409.56**	**171.50**	**10080.14**	**6310.54**	**15600.82**	**3295.90**	**–3014.39**
ख.		**पारेषण**								
2	1	मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पा.ट्रा.कं.लि.)	2018–19	403.24	45.23	2973.82	3294.35	5758.46	3091.62	–202.73
		उप योग		**403.24**	**45.23**	**2973.82**	**3294.35**	**5758.46**	**3091.62**	**–202.73**
ग.		**वितरण**								
3	1	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.)	2018–19	–1809.24	–2896.68	9693.90	6092.01	804.05	–11586.09	–17678.10
4	2	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.)	2018–19	496.94	–424.28	13993.92	5673.96	4154.40	–5746.62	–11420.58
5	3	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.)	2018–19	–2655.84	–3837.52	10930.36	5949.34	–3166.85	–16012.96	–21962.30
		उप योग		**–3968.14**	**–7158.48**	**34618.18**	**17715.31**	**1791.60**	**–33345.67**	**–51060.98**
घ.		**अन्य**								
6	1	मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (म.प्र.ऊ.वि.नि.लि.)	2017–18	0.00	0.00	252.97	0.69	0.69	0.69	0.00
7	2	मध्य प्रदेश पावर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पा.मे.कं.लि.)	2018–19	154.88	0.00	29692.08	16527.84	118.51	99.52	0.00
		योग		**154.88**	**0.00**	**29945.05**	**16528.53**	**119.20**	**100.21**	**0.00**
		इस प्रतिवेदन मे शामिल का योग (क+ख+ग+घ)		**–2000.46**	**–6941.75**	**77617.19**	**43848.73**	**23270.08**	**–26857.94**	**–54278.10**
ड़.		इस प्रतिवेदन मे शामिल नहीं								
8	1	शाहपुरा थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड (शा.थ.पा.कं.लि.)	2018–19	0.00	0.00	0.01	0.05	4.90	0.09	0.04

[1] नियोजित पूंजी अंशधारक निधि और दीर्घकालिक ऋण का कुल योग है।
[2] निवल मूल्य प्रदत्त पूंजी और मुक्त कोष और अधिशेष माइनस संचित हानि और आस्थगित राजस्व व्यय का कुल योग है।

क्र. सं.	क्र. सं.	ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम एवं गतिविधि	लेखों की अवधि	ब्याज़ व कर पूर्व निवल लाभ / हानि	ब्याज़ व कर पश्चात निवल लाभ / हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूंजी	नियोजित पूंजी (अंशधारक कोष + दीर्घकालिक ऋण)[1]	निवल मूल्य[2]	संचित लाभ / हानि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
9	2	बाणसागर थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड (बा.थ.पा.कं.लि.)	2018–19	0.08	0.07	0.08	0.05	0.68	–2.81	–2.86
10	3	श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड (श्री.सिं.थ.पा.प्रो.लि.)	2018–19	0.00	0.00	0.00	0.05	0.04	0.04	–0.01
11	4	दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड (दा.धू.ख.पा.लि.)	2016–17	–2.23	–3.06	–	45.00	36.38	36.38	–8.62
		इस प्रतिवेदन मे शामिल नहीं का योग (ड़)		**–2.15**	**–2.99**	**0.09**	**45.15**	**42.01**	**33.70**	**–11.46**
		शामिल की गयी और शामिल नहीं की गयी का महायोग		**–2002.62**	**–6944.74**	**77617.28**	**43893.88**	**23312.09[3]**	**–26824.25**	**–54289.56**

3 क्र.सं. क 1 और घ 7, पर विदित धारक कंपनियों की नियोजित पूंजी और निवल मूल्य की गणना इनकी सहायक कंपनियों (म.प्र.पा.ज.कं.लि. की ड़ 10 और ड़ 11 तथा म.प्र.पा.मे.कं.लि. की ग 3, ग 4, ग 5, ड़ 8 और ड़ 9) मे निवेश ₹ 0.25 करोड़ और ₹ 16428.32 करोड़, क्रमशः को छोडकर की गयी है ।

परिशिष्ट–2.2
(कंडिका 2.7.1.1 में संदर्भित)
31 मार्च 2019 को ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों मे प्रदत्त पूंजी और बकाया ऋणों को दर्शाता पत्रक

(₹ करोड़ मे)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपकम का नाम और क्षेत्र	प्रदत्त पूंजी				बकाया ऋण			
		राज्य सरकार	केंद्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केंद्र सरकार	अन्य	योग
1	2	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)
अ. कार्यशील उपक्रम									
1	मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पा.ज.कं.लि.)	6125.54	0.00	185.00	6310.54	186.15	0.00	12118.76	12304.92
2	मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पा.ट्रा.कं.लि.)	3294.35	0.00	0.00	3294.35	2088.15	0.00	578.69	2666.84
3	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.)	0.00	0.00	6092.01	6092.01	9421.34	0.00	2968.80	12390.14
4	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.)	0.00	0.00	5673.96	5673.96	8135.04	0.00	1765.99	9901.03
5	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.)	0.00	0.00	5949.34	5949.34	8170.50	0.00	4675.61	12846.11
6	मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (म.प्र.ऊ.वि.नि.लि.)	0.69	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
7	मध्य प्रदेश पावर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पा.मे.कं.लि.)	16527.84	0.00	0.00	16527.84	18.99	0.00	0.00	18.99
	योग	**25948.41**	**0.00**	**17900.31**	**43848.72**	**28020.17**	**0.00**	**22107.85**	**50128.03**
ब. अकार्यशील उपक्रम									
1	शाहपुरा थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड (शा.थ.पा.कं.लि.)	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	4.82	4.82
2	बाणसागर थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड (बा.थ.पा.कं.लि.)	0.00	0.00	0.05	0.05	3.49	0.00	0.00	3.49
3	श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड (श्री.सिं.थ.पा.प्रो.लि.)	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
4	दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड (दा.धू.ख.पा.लि.)	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	**0.00**	**0.00**	**45.15**	**45.15**	**3.49**	**0.00**	**4.82**	**8.31**
	महायोग	**25948.41**	**0.00**	**1794546**	**43893.87**	**28023.66**	**0.00**	**2211268**	**50136.34**

परिशिष्ट–3.1

(कंडिकाएं 3.1, 3.1.1, 3.8, 3.8.1 एवं 3.8.4 में संदर्भित)

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (गैर–ऊर्जा क्षेत्र) के अद्यतन लेखों के अनुसार वित्तीय परिणामों का सारांश

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	क्र. स.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम व क्षेत्र	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	ब्याज और कर से पहले शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज और कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी (अंशधारक पूंजी + दीर्घकालिक ऋण)	निवल मूल्य	संचित लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**एकाधिकार वातावरण में कार्य करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम**										
	अ. सरकारी कम्पनियां										
1	1	म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	92.87	88.65	108.89	39.32	456.36	456.36	362.19
2	2	मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित	2017-18	2018-19	-0.12	-0.12	0.00	100.00	105.31	105.31	5.31
3	3	म.प्र. राज्य खनन निगम लिमिटेड	2018-19	2019-20	170.58	107.47	168.25	2.20	516.55	516.55	42.96
		उप योग			**263.33**	**196.00**	**277.14**	**141.52**	**1078.22**	**1078.22**	**410.46**
II	**सेंटेज/कमीशन/ब्याज आदि अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम**										
	अ. सरकारी कम्पनियां										
4	1	म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2019-20	35.76	20.83	966.69	3.30	191.76	191.76	169.90
5	2	म.प्र. अर्बन डेव्लपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2017-18	2019-20	-6.82	-6.08	2.46	1.00	699.77	495.92	-9.08
6	3	म.प्र. लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2016-17	2019-20	21.14	13.12	103.06	2.83	145.65	145.65	126.61
7	4	म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड	2016-17	2018-19	1268.24	-27.24	12796.07	8.47	155.15	49.13	40.66
8	5	म.प्र. पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कारपोरेशन लिमिटेड	2018-19	2019-20	7.11	4.95	5.88	10.00	28.38	28.38	18.38
9	6	दी प्रोविडेन्ट इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	2017-18	2018-19	-1.63	-1.66	1.12	0.50	25.21	19.40	18.90
10	7	म.प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2019-20	18.41	14.24	61.03	20.00	269.90	269.90	234.21
11	8	म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	10.00	6.98	105.10	21.91	75.81	58.69	25.64
12	9	डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड	2018-19	2019-20	2.53	-1.06	0.00	112.86	318.50	118.31	5.45

क्र. स.	क्र. स.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम व क्षेत्र	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	ब्याज और कर से पहले शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज और कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी (अंशधारक पूंजी + दीर्घकालिक ऋण)	निवल मूल्य	संचित लाभ/हानि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
13	10	डीएमआईसी पीथमपुर जल प्रबंधन कम्पनी लिमिटेड	2018-19	2019-20	0.05	0.02	0.00	35.00	40.32	40.32	5.32
14	11	पीथमपुर ऑटो क्लस्टर लिमिटेड	2018-19	2019-20	5.62	4.05	10.18	12.89	70.62	70.62	-4.19
15	12	मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	0.00	0.00	0.00	13.40	13.56	13.56	0.16
16	13	म. प्र. प्लास्टिक सिटी डेब्लपमेन्ट कारपोरेशन ग्वालियर लिमिटेड	2018-19	2019-20	-0.16	-1.63	0.00	2.27	22.42	-0.55	-2.82
17	14	संत रविदास मध्यप्रदेश हस्त शिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2019-20	0.04	0.04	27.08	1.26	25.44	25.44	2.81
18	15	जबलपुर इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफेक्चरिंग पार्क लिमिटेड	2017-18	2019-20	0.00	0.00	0.00	0.05	26.43	23.36	0.00
19	16	भोपाल इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफेक्चरिंग पार्क लिमिटेड	2017-18	2019-20	0.00	0.00	0.00	0.05	36.04	36.04	0.00
20	17	उज्जैन स्मार्ट सिटी डेव्लपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	2018-19	2019-20	0.00	0.00	0.02	200.00	200.00	200.00	0.00
21	18	भोपाल स्मार्ट सिटी डेव्लपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	2017-18	2019-20	0.57	0.40	0.00	200.00	200.40	200.40	0.00
22	19	ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेव्लपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	2018-19	2019-20	0.02	0.00	0.00	200.00	428.14	428.14	0.00
23	20	जबलपुर स्मार्ट सिटी डेव्लपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	2018-19	2019-20	0.00	-0.76	0.63	200.00	199.07	199.07	-0.93
24	21	इन्दौर स्मार्ट सिटी डेव्लपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	2018-19	2019-20	0.27	-3.97	1.69	200.00	195.03	195.03	-4.97
25	22	सतना स्मार्ट सिटी डेव्लपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	2017-18	2019-20	0.00	0.00	0.00	0.10	1.62	1.62	0.00
26	23	सागर स्मार्ट सिटी डेव्लपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	2017-18	2019-20	0.00	0.00	0.00	40.10	40.10	40.10	0.00
27	24	मध्य प्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेव्लपमेन्ट कारपोरेशन	2016-17	2019-20	0.11	0.06	0.11	0.80	1917.67	13.96	0.06
		उप योग			**1361.26**	**22.29**	**14081.12**	**1286.78**	**5326.98**	**2864.24**	**626.11**
	ब. सांविधिक निगम										
28	1	म.प्र. राज्य वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन	2018-19	2019-20	221.72	156.52	503.80	8.06	989.85	989.85	476.04

क्र. स.	क्र. स.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम व क्षेत्र	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	ब्याज और कर से पहले शुद्ध लाभ / हानि	ब्याज और कर के बाद शुद्ध लाभ / हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी (अंशधारक पूंजी + दीर्घकालिक ऋण)	निवल मूल्य	संचित लाभ / हानि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
		उप योग (सांविधिक निगम)			**221.72**	**156.52**	**503.80**	**8.06**	**989.85**	**989.85**	**476.04**
	सेंटेज / कमीशन / ब्याज आदि अर्जित करने वाली कम्पनियों का योग				**1582.98**	**178.81**	**14584.92**	**1294.84**	**6316.83**	**3854.09**	**1102.15**
III	**प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में कार्य करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपकम**										
	अ. सरकारी कम्पनियां										
29	1	म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2019-20	13.53	10.92	109.24	113.97	1067.11	1067.11	16.80
30	2	म.प्र. होटल कारपोरेशन लिमिटेड	2017-18	2018-19	0.61	0.42	9.63	1.60	4.88	0.88	-0.72
		उप योग			**14.14**	**11.34**	**118.87**	**115.57**	**1071.99**	**1067.99**	**16.08**
	ब. सांविधिक निगम										
31	1	म.प्र. वित्त निगम	2018-19	2019-20	15.04	-58.45	98.20	406.10	1174.87	436.29	12.09
		उप योग			**15.04**	**-58.45**	**98.20**	**406.10**	**1174.87**	**436.29**	**12.09**
	प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में कार्य करने वाली कम्पनियों का योग				**29.18**	**-47.11**	**217.07**	**521.67**	**2246.86**	**1504.28**	**28.17**
	महायोग				**1875.49**	**327.70**	**15079.12**	**1958.03**	**9641.91**	**6436.59**	**1540.78**

परिशिष्ट–3.2

(कंडिका 3.1 में संदर्भित)

इस प्रतिवेदन मे शामिल नहीं किये गए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (गैर–ऊर्जा क्षेत्र) का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नाम व क्षेत्र	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	लाभांश, ब्याज और कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूँजी
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	म.प्र. पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2010-11	2018-19	0.74	2.36	8.55
2	म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2003-04	2011-12	0.00	4.38	18.36
3	म.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2018-19	19.38	2.95	81.09
4	म. प्र. पुलिस हाउसिंग एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्लपमेंन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2015-16	2018-19	13.97	38.05	4.58
	उप योग			**34.09**	**47.74**	**112.58**
II	**कार्यशील उपकमों जिन्होंने व्यवसाय शुरू नही किया/प्रथम लेखे प्राप्त नहीं**					
5	सिंगरौली एयरपोर्ट कम्पनी लिमिटेड	प्रथम लेखे प्राप्त नही	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6	मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड	प्रथम लेखे प्राप्त नही	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7	बी–नेस्ट फाउंडेशन	प्रथम लेखे प्राप्त नही	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
8	बुरहानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड	प्रथम लेखे प्राप्त नही	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9	रतलाम बस सर्विस लिमिटेड, रतलाम	प्रथम लेखे प्राप्त नही	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
10	नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड	2018-19	2019-20	0.23	0.00	5.00
11	म.प्र. मेट्रो रेल कम्पनी लिमिटेड	2016-17	2018-19	-0.18	0.00	30.00
12	म.प्र. वेन्चर फायनेंस लिमिटेड	2018-19	2019-20	0.00	0.00	0.30
13	म.प्र. वेन्चर फायनेंस ट्रस्टी लिमिटेड	2018-19	2019-20	0.00	0.00	0.01
	उप योग			**0.05**	**0.00**	**35.31**
III	**अकार्यशील उपक्रम**					
अ.	**सरकारी कम्पनियां**					
14	म.प्र. राज्य सेतु निर्माण निगम लिमिटेड	1989-90	1993-94	0.00	0.00	5.00
15	एम.पी. ए.एम.आर.एल. (सेमरिया) कोल कंपनी लिमिटेड	2018-19	2019-20	-0.01	0.00	1.00
16	एम.पी. ए.एम.आर.एल. (मोरगा) कोल कंपनी लिमिटेड	2018-19	2019-20	-0.01	0.00	1.00

क्र. स.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नाम व क्षेत्र	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	लाभांश, ब्याज और कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूँजी
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
17	एम.पी. ए.एम.आर.एल. (बिछारपुर) कोल कंपनी लिमिटेड	2018-19	2019-20	-0.17	0.00	1.00
18	एम.पी. ए.एम.आर.एल. (मरकी बरका) कोल कंपनी लिमिटेड	2018-19	2019-20	-0.01	0.00	1.00
19	एम.पी. जेपी कोल लिमिटेड	2018-19	2019-20	-3.27	0.00	10.00
20	एम.पी. मोनेट माइनिंग कंपनी लिमिटेड	2018-19	2019-20	-1.03	0.00	2.00
21	एम.पी. जेपी कोल फील्ड लिमिटेड	2018-19	2019-20	0.01	0.00	10.00
22	एम.पी. जेपी मिनरल्स् लिमिटेड	2018-19	2019-20	1.03	0.00	61.22
23	म.प्र. सैनिक कोल माईनिंग प्रा. लिमिटेड	2018-19	2019-20	0.00	0.00	0.33
24	म.प्र. एवं महाराष्ट्र मिनरल्स व कैमिकल्स लिमिटेड	2001-02	2019-20	0.00	0.00	0.30
	उप योग			**-3.46**	**0.00**	**92.85**
ब.	**सांविधिक निगम**					
25	म.प्र.राज्य सड़क परिवहन निगम	2007-08	2008-09	0.00	210.05	141.81
	उप योग			**0.00**	**210.05**	**141.81**
IV	**परिसमापन के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम**					
	सरकारी कम्पनियां					
26	म.प्र. पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड	2005-06	2006-07	0.00	0.00	0.16
27	म.प्र. फिल्म विकास निगम लिमिटेड	2009-10	2010-11	0.00	0.00	1.04
28	ऑप्टेल टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड	2009-10	2010-11	0.00	0.00	23.97
29	म.प्र. विद्युत यंत्र लिमिटेड	0	0	0.00	0.00	1.50
	उप योग			**0.00**	**0.00**	**26.67**
	सभी क्षेत्रों का योग			**30.68**	**257.79**	**409.22**

परिशिष्ट–3.3
(कंडिका 3.2 में संदर्भित)
31 मार्च 2019 को राज्य के उपक्रमों (गैर–ऊर्जा क्षेत्र) के संबंध में अंशपूँजी एवं बकाया ऋण की स्थिति दर्शाने वाला पत्रक

(₹ करोड़ में)

क्र. स.		सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो का नाम व क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	2018–19 के अन्त में अंशपूंजी				वर्ष 2018–18 के अन्त में बकाया दीर्घकालीन ऋण			
					म.प्र. सरकार	भारत सरकार	अन्य	योग	म.प्र. सरकार	भारत सरकार	अन्य	योग
1		2	3	4	5 (अ)	5 (ब)	5 (स)	5 (द)	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6 (द)
I.		एकाधिकार वातावरण में कार्य करने वाले उपक्रम										
		सरकारी कम्पनियां										
1	1	म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	वन विभाग	24-जुलाई-75	37.93	1.39	0.00	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित	लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	09-जुलाई-12	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	3	म.प्र. राज्य खनन निगम लिमिटेड	खनिज संसाधन विभाग	19-जनवरी-62	2.20	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		उप योग			**140.13**	**1.39**	**0.00**	**141.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	II.	सेंटेज/कमीशन/ब्याज आदि अर्जित करने वाली कम्पनियां										
अ)		सरकारी कम्पनियां										
4	1	म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	फल प्रस्संकरण एवं उद्यानिकी विभाग	21-मार्च-69	2.10	1.20	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2	म.प्र. अर्बन डेव्लपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	नगरीय विकास एवं आवासीय विभाग	27-अप्रैल-15	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	904.66	904.66
6	3	म.प्र. लघु उद्योग निगम लिमिटेड	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमी विभाग	28-दिसम्बर-61	2.67	0.15	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
7	4	म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	03-अप्रैल-74	8.47	0.00	0.00	8.47	98.28	0.00	7.74	106.02
8	5	म.प्र. पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कारपोरेशन लिमिटेड	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	06-मार्च-14	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	6	दी प्रोविडेन्ट इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	वित्त विभाग	04-फरवरी-26	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
10	7	म.प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड	लोक निर्माण विभाग	14-जुलाई-04	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	8	म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	विज्ञान एवं तकनीकि विभाग	18-नवंबर-83	21.91	0.00	0.00	21.91	17.12	0.00	0.00	17.12
12	9	डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड	उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग	18-मार्च-10	0.00	0.00	112.86	112.86	0.00	0.00	200.19	200.19

क्र. स.		सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो का नाम व क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	2018–19 के अन्त में अंशपूंजी				वर्ष 2018–18 के अन्त में बकाया दीर्घकालीन ऋण			
					म.प्र. सरकार	भारत सरकार	अन्य	योग	म.प्र. सरकार	भारत सरकार	अन्य	योग
1		2	3	4	5 (अ)	5 (ब)	5 (स)	5 (द)	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6 (द)
13	10	डीएमआईसी पीथमपुर जल प्रबंधन कम्पनी लिमिटेड	उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग	27-मार्च-14	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	11	पीथमपुर ऑटो क्लस्टर लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	27-दिसम्बर-04	0.00	0.00	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
15	12	मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क विकास निगम लिमिटेड	उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग	01-अप्रैल-13	0.00	0.00	13.40	13.40	0.00	0.00	15.00	15.00
16	13	म.प्र. प्लास्टिक सिटी डेब्लपमेन्ट कारपोरेशन ग्वालियर लिमिटेड	उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग	29-जुलाई-16	0.00	0.00	2.27	2.27	0.00	0.00	20.41	20.41
17	14	संत रविदास मध्यप्रदेश हस्त शिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग	28-नवंबर-81	0.02	0.52	0.72	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
18	15	जबलपुर इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफेक्चरिंग पार्क लिमिटेड	विज्ञान एवं तकनीकि विभाग	18-जनवरी-16	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	3.07	3.07
19	16	भोपाल इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफेक्चरिंग पार्क लिमिटेड	विज्ञान एवं तकनीकि विभाग	18-जनवरी-16	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20	17	उज्जैन स्मार्ट सिटी डेव्लपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	नगरीय विकास एवं आवास विभाग	02-नवंबर-16	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	18	भोपाल स्मार्ट सिटी डेव्लपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	नगरीय विकास एवं आवास विभाग	14-मार्च-16	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	19	ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेव्लपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	नगरीय विकास एवं आवास विभाग	25-अक्टूबर-16	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.26	0.26
23	20	जबलपुर स्मार्ट सिटी डेव्लपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	नगरीय विकास एवं आवास विभाग	14-मार्च-16	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	21	इंदौर स्मार्ट सिटी डेव्लपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	नगरीय विकास एवं आवास विभाग	11-मार्च-16	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	22	सतना स्मार्ट सिटी डेव्लपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	नगरीय विकास एवं आवास विभाग	20-अक्टूबर-17	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
26	23	सागर स्मार्ट सिटी डेव्लपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	नगरीय विकास एवं आवास विभाग	20-अक्टूबर-17	0.00	0.00	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00
27	24	म. प्र. इण्डस्ट्रीयल डेव्लपमेन्ट कारपोरशन	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	14-फरवरी-77	0.80	0.00	0.00	0.80	1903.71	0.00	458.09	2361.80
		उप योग			**67.47**	**1.87**	**1216.67**	**1286.01**	**2019.11**	**0.00**	**1609.42**	**3628.53**
ब)		**सांविधिक निगम**										
28	1	म.प्र. राज्य वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	19-फरवरी-58	4.28	0.00	3.78	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
		उप योग (सांविधिक निगम)			**4.28**	**0.00**	**3.78**	**8.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

क्र. स.		सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो का नाम व क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	2018–19 के अन्त में अंशपूंजी				वर्ष 2018–18 के अन्त में बकाया दीर्घकालीन ऋण			
					म.प्र. सरकार	भारत सरकार	अन्य	योग	म.प्र. सरकार	भारत सरकार	अन्य	योग
1		2	3	4	5 (अ)	5 (ब)	5 (स)	5 (द)	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6 (द)
		सेंटेज/कमीशन/ब्याज आदि अर्जित करने वाली कम्पनियां का योग			**71.75**	**1.87**	**1220.45**	**1294.07**	**2019.11**	**0.00**	**1609.42**	**3628.53**
	III.	**प्रतिस्पर्धी क्षेत्र की कम्पनियां**										
अ)		**सरकारी कम्पनियां**										
29	1	म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	पर्यटन विभाग	24-मई-78	113.97	0.00	0.00	113.97	0.00	0.00	0.00	0.00
30	2	म.प्र. होटल कारपोरेशन लिमिटेड	पर्यटन विभाग	31-जनवरी-85	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00	4.00	4.00
		उप योग			**113.97**	**0.00**	**1.60**	**115.57**	**0.00**	**0.00**	**4.00**	**4.00**
ब)		**सांविधिक निगम**										
31	1	म.प्र. वित्त निगम	वित्त विभाग	30-जून-55	383.70	0.00	22.40	406.10	0.00	0.00	495.69	495.69
		उप योग			**383.70**	**0.00**	**22.40**	**406.10**	**0.00**	**0.00**	**495.69**	**495.69**
		प्रतिस्पर्धी क्षेत्र की कम्पनियों का योग			**497.67**	**0.00**	**24.00**	**521.67**	**0.00**	**0.00**	**499.69**	**499.69**
		महायोग (अ)			**709.55**	**3.26**	**1244.45**	**1957.26**	**2019.11**	**0.00**	**2109.11**	**4128.22**
32	1	म.प्र. पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	29-सितम्बर-94	10.75	0.00	0.00	10.75	0.58	0.00	0.00	0.58
33	2	म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	अनुसूचित जाति कल्याण विभाग	29-सितम्बर-94	25.50	10.68	0.00	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00
34	3	म.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	13-सितम्बर-65	81.09	0.00	0.00	81.09	246.01	0.00	1.63	247.64
35	4	म. प्र. पुलिस हाउसिंग एवं इन्फास्ट्रक्चर डेव्लपमेंन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	गृह (पुलिस) विभाग	31-मार्च-81	4.56	0.00	0.00	4.56	0.00	0.00	507.18	507.18
36	5	सिंगरौली एयरपोर्ट कम्पनी लिमिटेड	नागरिक आपूर्ति	18-फरवरी-14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	6	मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड	पर्यटन विभाग	10-अप्रैल-17	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	7	बी–नेस्ट फाउंडेशन	नगरीय विकास एवं आवास विभाग	23-अप्रैल-18	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	8	बुरहानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड	नगरीय विकास एवं आवास विभाग	04-दिसम्बर-14	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
40	9	रतलाम बस सर्विस लिमिटेड, रतलाम	नगरीय विकास एवं आवास विभाग	20-दिसम्बर-17	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
41	10	नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	27- अक्टूबर -11	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. स.		सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो का नाम व क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	2018–19 के अन्त में अंशपूंजी				वर्ष 2018–18 के अन्त में बकाया दीर्घकालीन ऋण			
					म.प्र. सरकार	भारत सरकार	अन्य	योग	म.प्र. सरकार	भारत सरकार	अन्य	योग
1		**2**	**3**	**4**	**5 (अ)**	**5 (ब)**	**5 (स)**	**5 (द)**	**6 (अ)**	**6 (ब)**	**6 (स)**	**6 (द)**
42	11	म.प्र. मेट्रो रेल कम्पनी लिमिटेड	नगरीय विकास एवं आवास विभाग	09-जुलाई-15	143.39	0.00	0.00	143.39	0.00	0.00	0.00	0.00
43	12	म.प्र. वेन्चर फायनेंस लिमिटेड	वित्त विभाग	31- मार्च -15	0.26	0.00	0.04	0.30	0.50	0.00	0.00	0.50
44	13	म.प्र. वेन्चर फायनेंस ट्रस्टी लिमिटेड	वित्त विभाग	11- मई -15	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
45	14	म.प्र. राज्य सेतु निर्माण निगम लिमिटेड	लोक निर्माण विभाग	04- अक्टूबर -78	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	15	एम.पी. ए.एम.आर.एल. (सेमरिया) कोल कंपनी लिमिटेड	खनिज संसाधन विभाग	19- नवंबर -09	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	16	एम.पी. ए.एम.आर.एल. (मोरगा) कोल कंपनी लिमिटेड	खनिज संसाधन विभाग	19- नवंबर -09	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	17	एम.पी. ए.एम.आर.एल. (बिछारपुर) कोल कंपनी लिमिटेड	खनिज संसाधन विभाग	19- नवंबर -09	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	18	एम.पी. ए.एम.आर.एल. (मरकी बरका) कोल कंपनी लिमिटेड	खनिज संसाधन विभाग	19- नवंबर -09	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	19	एम.पी. जेपी कोल लिमिटेड	खनिज संसाधन विभाग	14- मई -09	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	20	एम.पी. मोनेट माइनिंग कंपनी लिमिटेड	खनिज संसाधन विभाग	16- नवंबर -09	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	21	एम.पी. जेपी कोल फील्ड लिमिटेड	खनिज संसाधन विभाग	04- जनवरी -10	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	22	एम.पी. जेपी मिनरल्स् लिमिटेड	खनिज संसाधन विभाग	21- फरवरी -06	0.00	0.00	61.22	61.22	0.00	0.00	98.99	98.99
54	23	म.प्र. सैनिक कोल माईनिंग प्रा. लिमिटेड	खनिज संसाधन विभाग	22-जुलाई-05	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
55	24	म.प्र. एवं महाराष्ट्र मिनरल्स व कैमिकल्स लिमिटेड	खनिज संसाधन विभाग		0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	1.50	1.50
56	25	म.प्र.राज्य सड़क परिवहन निगम	परिवहन विभाग	21- मई -62	109.96	31.85	0.00	141.81	573.35	0.00	0.00	573.35
57	26	म.प्र. पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	30- मार्च -81	0.16	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
58	27	म.प्र. फिल्म विकास निगम लिमिटेड	संस्कृति विभाग	16-दिसम्बर-81	1.04	0.00	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
59	28	ऑप्टेल टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	23-दिसम्बर-88	0.00	0.00	23.97	23.97	17.12	0.00	0.00	17.12
60	29	म.प्र. विद्युत यंत्र लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	03-दिसम्बर-74	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
योग (प्रतिवेदन में शामिल नही) (ब)					**396.72**	**42.53**	**114.36**	**553.61**	**837.56**	**0.00**	**609.30**	**1446.86**
योग अ + ब					**1106.27**	**45.79**	**1358.82**	**2510.87**	**2856.67**	**0.00**	**2718.41**	**5575.08**

परिशिष्ट–3.4
(कंडिका 3.5 में संदर्भित)
मध्य प्रदेश सरकार के वित्त लेखों एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (गैर–ऊर्जा क्षेत्र) के लेखों में 31 मार्च 2019 को पूँजी, ऋण एवं गारंटी के बकाया के संबंध में अंतर को दर्शाने वाला विवरण पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नाम	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों के अनुसार			मध्य प्रदेश सरकार के वित्त लेखों के अनुसार			अंतर		
		प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी
1	म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	37.93	0.00	0.00	2.97	0.00	0.00	34.96	0.00	0.00
2	म. प्र. राज्य खनन निगम लिमिटेड	2.20	0.00	0.00	1.61	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00
3	म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2.10	0.00	0.00	1.41	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00
4	म.प्र. अर्बन डेव्लपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड	1.00	0.00	0.00	449.00	0.00	0.00	-448.00	0.00	0.00
5	म. प्र. लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2.68	0.00	0.00	1.96	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00
6	म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड	8.47	98.28	0.00	8.47	0.00	0.00	0.00	98.28	0.00
7	म.प्र. पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कारपोरेशन लिमिटेड	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
8	दी प्रोविडेन्ट इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	0.50	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00
9	म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	21.91	17.12	0.00	17.93	0.00	0.00	3.98	17.12	0.00
10	डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	-0.40	0.00	0.00
11	म.प्र. राज्य वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन	4.28	0.00	0.00	4.43	0.00	0.00	-0.15	0.00	0.00
12	म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	113.97	0.00	0.00	161.21	0.00	0.00	-47.24	0.00	0.00
13	म.प्र. वित्त निगम	383.70	0.00	1250.00	357.60	0.00	762.99	26.10	0.00	487.01
14	म.प्र. पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	10.75	0.58	0.00	11.65	0.00	0.00	-0.90	0.58	0.00
15	म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	25.50	0.00	0.00	26.18	0.00	0.00	-0.68	0.00	0.00

क्र. स.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नाम	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों के अनुसार			मध्य प्रदेश सरकार के वित्त लेखों के अनुसार			अंतर		
		प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी
16	म.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	81.09	246.01	0.00	58.43	187.74	0.00	22.66	58.27	0.00
17	म.प्र. पुलिस हाउसिंग एवं इन्फास्ट्रक्चर कारपोरेशन निगम लिमिटेड	4.58	0.00	507.18	1.28	107.86	507.59	3.30	-107.86	-0.41
18	म. प्र. इण्डस्ट्रीयल डेव्लपमेंन्ट कारपोरेशन	0.80	1903.70	982.50	0.33	1900.00	0.00	0.47	3.70	982.50
19	नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
20	म.प्र. मेट्रो रेल कम्पनी लिमिटेड	143.39	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	43.39	0.00	0.00
	योग	**859.85**	**2265.69**	**2739.68**	**1205.23**	**2195.60**	**1270.58**	**-345.38**	**70.09**	**1469.10**

^ भारत सरकार (कार्पोरेट अफेयर्स) के आदेश दिनांक 25 अक्टूबर 2018, के अनुसार सात कम्पनियों का विलय म.प्र. ट्रेड एवं इन्वेस्टमेंट फेसिटीलेशन कारपोरेशन लिमिटेड (म.प्र. ट्राईफेक) में कर दिया गया है। इन कम्पनियों से विलय के पश्चात् म.प्र. ट्राईफेक (नाम परिवर्तित एमपीआईडीसी, भोपाल) ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2018–19 हेतु न तो वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए और न ही कम्पनी की जानकारी उपलब्ध कराई। इसलिए, विलय के पश्चात् कम्पनी से वित्तीय ऑकडो और वित्तीय लेखे की अनुलब्धता के कारण, हम समामेलन पर टिप्पणी नही कर सके।

सरल क्रमांक 6, 8, और 20 पर दर्शाये गये राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो के संबंध में पूर्व वर्ष की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से जानकारी ली गई है, क्योकि इन उपक्रमों ने न तो इनके वर्ष 2018–19 के वित्तीय परिणाम प्रस्तुत किये और न ही इनसे कोई जानकारी प्राप्त हुई।

परिशिष्ट–3.5
(कंडिका 3.6.1 में संदर्भित)
राज्य शासन द्वारा राज्य उपक्रमों में (गैर–ऊर्जा क्षेत्र), जिनके लेखे बकाया है, में बकाया लेखों की अवधि के दौरान किये गये निवेश को दर्शाने वाला विवरण पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	नवीनतम लेखो के अनुसार प्रदत्त पूँजी	लेखों को अन्तिम रूप दिये जाने तक की अवधि	बकाया लेखों की समयावधि	राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान, जिनके लेखे बकाया थे, में किया गया निवेश				योग	
					अंशपूँजी	ऋण	पूँजी अनुदान*	सब्सिडी		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम										
एक वर्ष तक बकाया										
1	मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित *	100.00	2017-18	2018-19	0.00	0.00	2.70	0.00		**2.70**
2	म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	21.91	2017-18	2018-19	0.00	0.00	0.00	110.90		**110.90**
3	मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क विकास निगम लिमिटेड *	13.40	2017-18	2018-19	0.00	0.00	10.00	0.00		**10.00**
4	संत रविदास मध्यप्रदेश हस्त शिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड*	1.26	2017-18	2018-19	0.00	0.00	16.60	0.00		**16.60**
5	भोपाल स्मार्ट सिटी डेव्लपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	200.00	2017-18	2018-19	0.00	0.00	93.00	0.00		**93.00**
	उप योग				**0.00**	**0.00**	**122.30**	**110.90**		**233.20**
दो से पॉच वर्ष तक बकाया **										
6	म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	113.97	2016-17	2017-18	0.00	0.00	0.00	47.10		**47.10**
				2018-19	0.00	0.00	0.00	32.44		**32.44**
7	म. प्र. इण्डस्ट्रीयल डेव्लपमेन्ट कॉरपोरेशन	0.80	2016-17	2017-18	0.00	250.00	3.15	512.40		**765.55**
				2018-19	0.00	250.00	0.00	0.00		**250.00**
8	म. प्र. मेट्रो रेल कम्पनी लिमिटेड	143.39	2016-17	2017-18	5.00	0.00	0.00	0.00		**5.00**
				2018-19	109.00	0.00	0.00	0.00		**109.00**
9	म. प्र. पर्यटन बोर्ड *	10.00	प्रथम लेखे प्राप्त नहीं	2017-18	10.00	0.00	180.37	0.00		**190.37**
				2018-19	0.00	0.00	111.20	0.00		**111.20**
10	म.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	81.09	2014-15	2017-18 तक	0.00	44.32	0.00	0.00		**44.32**

क्र. स.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	नवीनतम लेखो के अनुसार प्रदत्त पूँजी	लेखों को अन्तिम रूप दिये जाने तक की अवधि	बकाया लेखों की समयावधि	राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान, जिनके लेखे बकाया थे, में किया गया निवेश				योग	
					अंशपूँजी	ऋण	पूँजी अनुदान*	सब्सिडी		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
				2018-19	0.00	22.16	0.00	0.00		**22.16**
	उप योग				**124.00**	**566.48**	**294.72**	**591.94**		**1577.14**
पॉच वर्ष से अधिक बकाया**										
11	म.प्र. पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड*	10.75	2010-11	2017-18 तक	3.70	8.76	3.68	104.30		120.44
				2018-19	0.00	0.00	0.59	30.00		30.59
12	म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड*	36.18	2003-04	2017-18 तक	6.33	0.00	25.45	165.00		196.78
				2018-19	0.00	0.00	3.60	18.01		21.61
	उप योग				**10.03**	**8.76**	**33.32**	**317.31**		**369.42**
	योग				**134.03**	**575.24**	**450.34**	**1020.15**		**2179.76**

*** सरल क्रमांक 1, 3, 4, 9, 11 और 12 में दर्शाई गई कम्पनियों ने पूँजी और राजस्व अनुदान का अलग–अलग विवरण उपलब्ध नही कराया, इसलिए कुल अनुदान लिया गया है।**
**** वर्ष 2017–18 तक के निवेश के सबंध में जानकरी पूर्व वर्ष के प्रतिवेदन (2017–18) से ली गई है। (पर्यटन विकास और मेट्रो को छोडकर)**

परिशिष्ट–3.6
(कंडिका 3.8.3 में संदर्भित)
वर्ष 2000–01 से 2018–19 की अवधि के दौरान राज्य उपक्रमों (गैर–ऊर्जा क्षेत्र) में राज्य शासन द्वारा निवेशित की गई निधि को दर्शाने वाला विवरण पत्र

(₹ करोड़ में)

अ. एकाधिकार वातावरण में कार्य करने वाले उपक्रम												
वर्ष	म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड				मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित				म.प्र. राज्य खनन निगम लिमिटेड			
	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान
2000-01	14.05	49.62	0	0	0	0	0	0	2.2	0	0	0
2001-02	-5.62	-20.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003-04	29.5	-29.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005-06	0	0	0	1.15	0	0	0	0	0	0	0	0
2006-07	0	0	0	4.94	0	0	0	0	0	0	0	0
2007-08	0	0	0	4.91	0	0	0	0	0	0	0	0
2008-09	0	0	0	4.63	0	0	0	0	0	0	0	0
2009-10	0	0	0	4.6	0	0	0	0	0	0	0	0
2010-11	0	0	0	0.45	0	0	0	0	0	0	0	0
2011-12	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
2012-13	0	0	0	26.05	0	0	0	0	0	0	0	0
2013-14	0	0	0	15.14	25	0	0	0	0	0	0	0
2014-15	0	0	0	3.94	15	0	0	0	0	0	0	0
2015-16	0	0	0	10.1	15	0	0	0	0	0	0	0
2016-17	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
2017-18	0	0	0	8.22	45	0	0	0	0	0	0	0
2018-19	0	0	0	0	0	0	0	2.7	0	0	0	0

ब. सेंटेज, कमीशन, राजस्व अनुदान/सब्सिडी आदि से सुनिश्चित आय अर्जन करने वाले उपक्रम

वर्ष	म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड				दी प्रोविडेन्ट इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड				म.प्र. अर्बन डेव्लपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड				मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम			
	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान
2000-01	2.09	1.97	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.8	0	0	0
2005-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010-11	0	-1.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011-12	0	7.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012-13	0	-7.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015-16	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2016-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1416.98	0	0
2017-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0
2018-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-249.29	0	0

ब. सेंटेज, कमीशन, राजस्व अनुदान/सब्सिडी आदि से सुनिश्चित आय अर्जन करने वाले उपक्रम

वर्ष	संत रविदास मध्यप्रदेश हस्त शिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड				म.प्र. लघु उद्योग नि. लिमिटेड				म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड				म.प्र. पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कारपोरेशन लिमिटेड			
	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान
2000-01	0.02	0.34	0	0	2.68	0	0	0	12	3.67	0	0	0	0	0	0
2001-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.51	0	0	0	0	0	0
2002-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.16	0	0	0	0	0	0
2003-04	0	-0.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005-06	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.53	0	0	0	0	0	0	0
2006-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007-08	0	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010-11	0	-0.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011-12	0	0.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012-13	0	-0.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016-17	0	-0.13	0	0	0	0	0	0	0	87.05	0	0	10	0	0	0
2017-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.23	0	0	0	0	0	0
2018-19	0	0	0	16.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ब. सेंटेज, कमीशन, राजस्व अनुदान/सब्सिडी आदि से सुनिश्चित आय अर्जन करने वाले उपक्रम

वर्ष	म.प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड				म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड				म.प्र. राज्य वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन			
	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान
2000-01	0	0	0	0	21.91	0	0	0	4.8	0.46	0	0
2001-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.95	0	0
2002-03	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.52	-0.09	0	0
2003-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.32	0	0
2004-05	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005-06	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006-07	-8.5	0	0	0	0	0	0	0	-3.28	0	0	0
2007-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008-09	6.5	0	0	0	0	0	0	0	3.28	0	0	0
2009-10	1	0	0	0	0	17.12	0	0	0	0	0	0
2010-11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.21	0	0
2013-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.43	0	0
2014-15	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015-16	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016-17	0		0	0	0	0	0	0	0	90.94	0	0
2017-18	0		0	0	0	0	0	0	0	-263.58	0	0
2018-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

स. प्रतिस्पर्धा क्षेत्र में कार्य करने वाले उपक्रम								
वर्ष	म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड				म.प्र. वित्त निगम			
	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान
2000-01	23.47	0	0	0	62.54	3.47	0	0
2001-02	1.5	0	0	0	0	-1.74	0	0
2002-03	0	0	0	0	0	0	0	0
2003-04	0	0	0	0	-9.76	-0.3	0	0
2004-05	0	0	0	0	1.5	0	0	0
2005-06	0	0	0	0	5.42	58.57	0	0
2006-07	0	0	0	0	187.58	0	0	0
2007-08	0	0	0	0	65	-58.57	0	0
2008-09	0	0	0	0	6.42	0	0	0
2009-10	0	0	0	0	5	-1.43	0	0
2010-11	0	0	0	0	25.38	0	0	0
2011-12	0	0	0	10.69	5	0	0	0
2012-13	0	0	0	8.68	-15.38	0	0	0
2013-14	0	0	0	19.6	5	0	0	0
2014-15	0	0	0	18.34	5	0	0	0
2015-16	0	0	0	34.89	5	0	0	0
2016-17	0	0	0	64.63	5	0	0	0
2017-18	89	0	0	60.50	25	0	0	0
2018-19	0	0	0	0	0	0	0	0

परिशिष्ट–4.1.1
(कंडिका 4.1.5.4 में संदर्भित)
लेखापरीक्षा अवधि के दौरान आवंटन किया गया उत्पादन शुरू करने हेतु देय मामलों का विवरण

क्रमांक	इकाई का नाम	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	क्षेत्र में वर्ग मीटर	आवंटन की तिथि	पट्टा–विलेख की तिथि	कब्जे की तिथि	उत्पादन की प्रस्तावित तिथि	वास्तविक स्थिति	प्रस्तावित रोजगार (नग में)	प्रस्तावित पूंजी निवेश
1	मेसर्स भारत निर्माण	एमएसएमई अचारपुरा	930.00	03–09–2016	20–3–2017	22–08–2017	मार्च –19	लागू नहीं	20	14.00
2	मेसर्स रामनानी इंडस्ट्रीज	एमएसएमई अचारपुरा	930.00	02–07–2016	8–9–2016	लागू नहीं	सितम्बर –18	लागू नहीं	5	10.00
3	मेसर्स ए एस एलूप्लास्ट एंड इंजीनियरिंग	एमएसएमई अचारपुरा	885.00	15–07–2016	30–9–2016	लागू नहीं	सितम्बर –18	लागू नहीं	50	16.00
4	मेसर्स सरस्वती प्रिंटर्स	बगरोदा	930.00	30–05–2016	26–7–2016	23–8–2016	सितम्बर– 18	लागू नहीं	15	14.65
5	मेसर्स जैन प्लास्ट	एमएसएमई अचारपुरा	930.00	06–08–2016	23–12–2016	लागू नहीं	दिसंबर –18	लागू नहीं	140	15.00
6	मेसर्स मनाली इंडस्ट्रीज	एमएसएमई अचारपुरा	930.00	30–06–2016	1–8–2016	लागू नहीं	अगस्त–18	लागू नहीं	100	21.00
7	मेसर्स एमएम इंडस्ट्रीज	बगरोदा	930.00	24–09–2016	5–11–2016	लागू नहीं	नवंबर –18	लागू नहीं	15	13.00
8	मेसर्स राजयोग एज्यूकेशनल	अचारपुरा	5787.00	06–10–2016	29–10–2016	4–7–2016	नवंबर –18	नवंबर 2017 बाउडीवॉल 80 *प्रतिशत*	0	16.00
9	मेसर्स वीएस इंडस्ट्रीज	जादेरुआ	1200.00	28–07–2016	9–8–2016	लागू नहीं	सितम्बर –18	लागू नहीं	8	52.00
10	मेसर्स मंसवी प्लास्ट और रबर एलएलपी	पीथमपुर –3 बगडून	2,700.00	03–06–2016	12–8–2016	10–9–2016	सितम्बर –18	लागू नहीं	16	30.00
11	मेसर्स कर्मशियल सिनाबैग	सेज फेज –1	3,825.70	24–05–2016	11–8–2016	लागू नहीं	अगस्त–18	लागू नहीं	150	14.49
12	मेसर्स त्र्यंबकेश्वर एग्रो इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड	मेघनगर	465.00	04–10–2016	19–5–2017	लागू नहीं	मई –19		15	1.00

क्रमांक	इकाई का नाम	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	क्षेत्र में वर्ग मीटर	आवंटन की तिथि	पट्टा–विलेख की तिथि	कब्जे की तिथि	उत्पादन की प्रस्तावित तिथि	वास्तविक स्थिति	प्रस्तावित रोजगार (नग में)	प्रस्तावित पूंजी निवेश
13	मेसर्स हरीश ऑटो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	पीथमपुर –3 बागडून	2,787.00	15–12–2016	29–12–2016	लागू नहीं	दिसंबर –18	लागू नहीं	20	50.00
14	मेसर्स ए.ए.आर. हर्बल एक्सट्रैक्शन प्राइवेट लिमिटेड	आई.आई.डी.सी. निमरानी	4,608.00	04–08–2016	24–1–2017	25–2–2017	जनवरी –19	लागू नहीं	30	250.00
15	मेसर्स एमएम फूड्स	नमकीन क्लस्टर	500.00	31–03–2017	23–5–2017	9–7–2018	मई –19	लागू नहीं	13	23.80
16	मेसर्स रघुवंशी इण्डस्ट्रीज	पीथमपुर –3 बगडून	1,858.00	03–05–2016	27–5–2016	15–6–2016	जून –18		5	28.00
17	मेसर्स कौशल इण्डस्ट्रीज	पीथमपुर –2	5,000.00	03–06–2016	19–7–2017	4–8–2017	अगस्त–17	लागू नहीं	0	100.00
18	मेसर्स राधा माधव इण्डस्ट्रीज	पीथमपुर –3 बगडून	930.00	18–05–2016	3–9–2016	17–4–2017	अप्रैल –19	लागू नहीं	5	15.00
19	मेसर्स एम एंड डी एनवायरो सॉल्यूशंस	पीथमपुर –3 बगडून	950.00	10–08–2016	5–11–2016	5–11–2016	नवंबर –18	लागू नहीं	9	45.00
20	मेसर्स सिमरन पॉलिमर	परिधान क्लस्टर	496.00	16–03–2017	11–5–2017	लागू नहीं	मई –19		6	30.00
21	मेसर्स बाबाश्री एंटरप्राइजेज	पीथमपुर –3 बगडून	1,255.00	28–12–2016	19–1–2017	4–2–2017	फरवरी –19		10	23.60
22	मेसर्स धूत ट्रांसमिशन	पीथमपुर –5	21,728.00	30–06–2016	1–7–2016	लागू नहीं	जुलाई –18	अनापत्ति प्रमाण पत्र	275	295.00
			60,554.70						**907**	**1,077.54**

परिशिष्ट–4.1.2
(कंडिका 4.1.5.4 में संदर्भित)
वर्ष 2016–17 से पूर्व आवंटन किया गया उत्पादन शुरू करने हेतु देय मामलों का विवरण

क्रमांक	इकाई का नाम	क्षेत्र	क्षेत्र वर्गमीटर में	प्रस्तावित निवेश (₹ लाख में)	प्रस्तावित रोजगार (नग)	पट्टा–विलेख की तारीख	कब्जे की तारीख	देय उत्पादन के महीने	उत्पादन शुरू होने की तारीख	क्या निरीक्षण इकाई की वर्तमान स्थिति जानने के लिए किया गया हो	क्या एक्सटेंशन के लिए आवेदन किया गया हा
क्षे. का., इंदौर											
1	मेसर्स प्रतिष्ठा गृह उत्पाद	पीथमपुर–3– बगडून	705.00	30.50	20	जून 16	लागू नहीं	जून 18	लागू नहीं	नहीं	नहीं
2	मेसर्स माँ शारदा एग्रिटेक	पीथमपुर–3– बगडून	929.00	30.00	12	जनवरी–16	फरवरी 16	फरवरी 18	लागू नहीं	नहीं	नहीं
3	मेसर्स श्री महापाकार्टलल्प	पीथमपुर–3– बगडून	2,380.00	45.00	23	दिसम्बर–14	जनवरी–15	जनवरी –17	लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं
4	मेसर्स अवंता पंप इंडस्ट्रीज	पीथमपुर–3– बगडून	465.00	2.50	20	सितम्बर–15	अक्टूबर–15	अक्टूबर –17	लागू नहीं	नहीं	नहीं
5	मेसर्स मेघनगर ऑर्गेनिक प्रा. लिमिटेड	मेघनगर	5,000.00	129.00	20	जुलाई –14	दिसम्बर 14	जुलाई –16	लागू नहीं	नहीं	नहीं
6	मेसर्स मिलेनियम बेबी केयर	पीथमपुर –2	8,813.00	1800.00	120	नवंबर–15	दिसम्बर 15	दिसंबर –18	लागू नहीं	नहीं	नहीं
7	मेसर्स कच्छ केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	मेघनगर	14,810.00	2904.00	100	मार्च–15	लागू नहीं	मार्च –19	लागू नहीं	नहीं	नहीं
8	मेसर्स औरम फ्यूजन प्राइवेट लिमिटेड	पीथमपुर–3– बगडून	1,541.00	82.00	7	अक्टूबर–15	नवंबर –14	नवंबर –16	लागू नहीं	नहीं	नहीं
9	मेसर्स ओके फ़र्न प्रिसिजन कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	पीथमपुर–3– बगडून	7,800.00	300.00	50	फरवरी–16	फरवरी 16	फरवरी 18	लागू नहीं	नहीं	नहीं
10	मेसर्स सोहम वोकेशनल सेंटर प्राइवेट लिमिटेड	पीथमपुर–3– बगडून	563.00	88.09	10	अक्टूबर–14	फरवरी 15	फरवरी 17	लागू नहीं	नहीं	नहीं
11	मेसर्स पैन मिलेनियम इंडस्ट्रीज	पीथमपुर–3– बगडून	1,174.00	80.00	6	सितम्बर–15	सितम्बर 15	सितम्बर 17	लागू नहीं	नहीं	नहीं
12	मेसर्स श्री साई इंटरप्राइजेज	पीथमपुर –3 बगडून	3,067.00	354.00	58	जुलाई –15	लागू नहीं	जुलाई –17	लागू नहीं	नहीं	नहीं
13	मेसर्स टोरेंट फ़ार्मस्क्यूटिकल्स	पीथमपुर–3– बगडून	11,872.00	400.00	100	जून –16	जुलाई –16	जुलाई –18	लागू नहीं	नहीं	नहीं
14	मेसर्स राजस्थान पत्रिका प्राइवेट लिमिटेड	रुधिभान सिंह पुरा	3,770.00	180.00	100	फरवरी –16	जून 16	जून 18	शुरू नही हुआ	हाँ	नहीं
15	मेसर्स सुपर हाइजीन प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड	पीथमपुर–3– बगडून	22,500.00	900.00	41	फरवरी –16	लागू नहीं	फरवरी 19	लागू नहीं	नहीं	नहीं
16	मेसर्स मैन ट्यूबिनॉक्स लिमिटेड	पीथमपुर–3– बगडून	61629.00	9747.00	210	जून–15	जून–15	जून 19	शुरू नही हुआ	हाँ	नहीं
17	मेसर्स वी.ई. वाणिज्यिक वाहन प्राइवेट लिमिटेड	पीथमपुर –1	26455.00	55.00	1810	अगस्त–14	लागू नहीं	अगस्त–18	लागू नहीं	नहीं	नहीं
18	मेसर्स लूपिन लिमिटेड	सेज, पीथमपुर	37235.00	1800.00	20	फरवरी –16	लागू नहीं	फरवरी 19	लागू नहीं	नहीं	नहीं
क्षे. का., भोपाल											
1	अगाथी स्वास्थ्य देखभाल	पिल्लूखेड़ी	4000.00	324.00	30	अप्रैल–15	लागू नहीं	अप्रैल–17	शुरू नही हुआ	हाँ	नहीं
2	सकारिया एंटरप्राइजेज	पिल्लूखेड़ी	6370.00	330.00	35	मई –14	लागू नहीं	अगस्त–16	शुरू नही हुआ	नहीं	नहीं
3	डांगीकृषि केंद्र	जमनारबरगी	450.00	40.00	15	मार्च –16	लागू नहीं	मई –18	शुरू नही हुआ	नहीं	नहीं

परिशिष्ट–4.1.3
(कंडिका 4.1.5.5 में संदर्भित)
मामलों के अनियमित हस्तांतरण का विवरण

क्र. सं.	इकाई का नाम	टिप्पणियाँ
1	मैसर्स रतन बेसिक ड्रग्स	मेसर्स रतन बेसिक ड्रग्स को आवंटित (दिसंबर 1980) उत्पादन इकाई की स्थापना नहीं होने और बकाया के भुगतान में चूक के कारण, पट्टा–विलेख रद्द(मार्च 2007) कर दी गई । आवेदन (मार्च 2013) प्राप्त होने पर एक वर्ष के भीतर सक्षम प्राधिकारी ने व्यवसाय संचालन शुरू करने के निर्देश के साथ समाप्ति नोटिस (जून 2013) वापस ले लिया, जो जनवरी 2016 तक और बढ़ा दिया गया। हालांकि, जब इकाई ने फरवरी 2016 तक उत्पादन शुरू नहीं किया, तो पट्टा–विलेख को रद्द कर दिया गया और जमीन पर कब्जा वापस (मार्च 2016) ले लिया गया । मेसर्स डिवाइन इंजीनियरिंग कंसल्टिंग ग्रुप के पक्ष में जमीन हस्तांतरित करने के लिए मेसर्स रतन बेसिक ड्रग्स (मई 2017 के बाद उक्त जमीन का मालिकाना हक नहीं होने पर) ने आवेदन किया। मामले को एक ताजा आवंटन के रूप में न मानकर भूमि को हस्तांतरित (जुलाई 2017) किया गया और प्रीमियम की कम वसूल हुआ, अर्थात यह 100 *प्रतिशत* के बजाय प्रचलित प्रीमियम (हस्तांतरण शुल्क) का केवल 10 *प्रतिशत* था, (मामले को एक ताजा आवंटन के रूप में मानकर यह समझा जा सकता था)। सरकार ने जवाब दिया (जून 2020) कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों के आधार पर पट्टे को रद्द करने और वापस लेने की अनुमति दी गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एक इकाई के स्थानांतरण आवेदन को मानते हुए, जिसके पास अब विषय भूमि का शीर्षक/कब्जा नहीं था, कंपनी ने शक्तियों से परे काम किया था ।
2	मेसर्स अल–शुभारंभ बुइल्डकॉन एंड सर्विसेज लिमिटेड	लेखापरीक्षा ने देखा कि पट्टा–विलेख (जनवरी 2018 और सितंबर 2013) की समाप्ति पर, संबंधित इकाई ने क्रमशः (फरवरी 2018 और अक्टूबर 2013) अपील दायर की । अपीलीय प्राधिकरण ने उत्पादन गतिविधियों को शुरू करने के लिए एक वर्ष(अप्रैल 2018 और अगस्त 2014) का समय दिया अन्यथा पट्टा–विलेख समाप्त हो जाएगा। हालांकि, संबंधित आवंटियों ने निर्धारित कार्रवाई करने के बजाय, कुछ अन्य दलों को अपनी जमीन हस्तांतरित करने के लिए आवेदन (अक्टूबर 2018 और जनवरी 2016 को क्रमशः) किया और अपीलीय प्राधिकारी को सूचित किए बिना इसकी अनुमति (अक्टूबर 2018 और नवंबर 2016) दी गई। इसलिए, कंपनी को पट्टा–विलेख की समाप्ति को बहाल कर और भूमि को नए सिरे से आवंटित करना चाहिए और 100 *प्रतिशत* भूमि प्रीमियम वसूल करना चाहिए, जिसके लिए केवल 10 *प्रतिशत* हस्तांतरण शुल्क लिया गया । सरकार ने जवाब (जून 2020) दिया कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों के आधार पर पट्टे को रद्द करने और वापस लेने की अनुमति दी गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी ने भाषा और भाव में अपीलीय प्राधिकरण के आदेशों का पालन नहीं किया। इस तरह चूक करने वाले आवंटियों को औद्योगिक भूमि पर कब्जा करने और विकास में बाधा डालने का मौका मिला और अंत में विषय भूमि को स्थानांतरित करके छोड़ दिया।
3	मैसर्स आईएफबी इंडस्ट्रीज	
4	मैसर्स डेकोर एक्सोक्सिल्स प्राइवेट लिमिटेड (नवंबर 2004 में डेकोर द्वारा अधिग्रहण से पहले, मेसर्स प्रोग्रेसिव एक्सट्रैक्ट्स एंड एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड)	क्षे. का. भोपाल ने औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप, भोपाल में मैसर्स प्रोग्रेसिव एक्सट्रैक्ट्स एंड एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को औद्योगिक भूमि आवंटित (नवंबर 1981) की। इकाई कमजोर थी और इसे, मेसर्स भास्कर ईएक्सएक्सआईओएस लिमिटेड (बाद में एम/एस डेकोर एक्सोक्सिल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम को 31/12/2013 से बदल दिया गया) द्वारा खरीदा (नवंबर 2004) गया था, लेकिन पट्टा–विलेख को चार साल से अधिक की देरी से निष्पादित (मार्च 2009) किया गया । क्षे. का., भोपाल को बाद में पता (मार्च 2015) चला, कि इकाई को बंद कर दिया गया था और ₹ 10.70 लाख बकाया था । इसके बाद, इकाई को बकाया राशि जमा करने के लिए 60 दिनों का नोटिस दिया (अगस्त 2015 और मई 2018) गया, अन्यथा पट्टा–विलेख को रद्द किया जा सकता था। हालांकि, इकाई चालू नहीं हुई। बाद में आवंटियों ने कंपनी को मैसर्स बद्री कॉटसिन प्राइवेट लिमिटेड को जमीन हस्तांतरित करने के लिए आवेदन (जनवरी 2019) किया जिसे अनुमति (फरवरी 2019) दे दी गई।

परिशिष्ट–4.1.4
(कंडिका 4.1.5.6 में संदर्भित)
भूमि आवंटन और हस्तांतरण मामलों (क्षे. का. भोपाल) में भूमि प्रीमियम की कम वसूली को दर्शाने वाला विवरण

अ. भूमि हस्तांतरण मामले (क्षे. का., भोपाल)

क्रमांक	हस्तांतरणकर्ता का नाम	औद्योगिक क्षेत्र	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	शुल्क देय (₹)	वास्तव में वसूला गया स्थानांतरण शुल्क (₹)	कम देय स्थानांतरण शुल्क (₹)
1	मेसर्स डेकोर एक्सिलोज	मंडीदीप	40412.82	6167866.00	6016231.00	151635.00
2	मैसर्स रतन बेसिक्स	मंडीदीप	12140.57	1214057.00	697871.90	516185.10
3	मैसर्स आईएफबी इंडस्ट्रीज	मंडीदीप	20006.67	2426398.00	2274763.00	151635.00
4	मैसर्स एरियन एग्रो बिक्री	मंडीदीप	2248.00	224800.00	73266.66	151533.34
5	मेसर्स बाबा हैवी फैब्रिकेटर	मंडीदीप	5950.00	621928.00	296110.00	325818.00
6	मेसर्स अंवी एंटरप्राइजेज	मंडीदीप	3284.00	328400.00	111257.00	217143.00
7	मेसर्स उत्कृष्ट पेसिंग	मंडीदीप	1858.00	185800.00	58965.40	126834.60
8	मैसर्स कॉनकोर इंडस्ट्रीज	मंडीदीप	2021.78	202179.00	64971.50	137207.50
9	मेसर्स नेताजी काया कल्प उपचार	मंडीदीप	1200.00	120000.00	34836.50	85163.50
10	मेसर्स भोपाल मेटल इंडस्ट्रीज	मंडीदीप	977.65	97765.00	53366.00	44399.00
11	मेसर्स सीएनसी एडवांस मेकिंग	मंडीदीप	2314.12	231412.00	75691.00	155721.00
12	मेसर्स आरेस्ट्रो फार्मा	मंडीदीप	48562.27	7662068.00	7510433.00	151635.00
13	मेसर्स अल सुभा अरांब बिल्डकॉन सर्विसेस पीटीसी। लिमिटेड	मंडीदीप	1393.39	133939.00	48928.00	97411.00
14	मेसर्स इंडस्ट्रियल पैकेजिंग	मंडीदीप	1862.20	186220.00	59120.00	127100.00
15	मैसर्स शिवराज इंजीनियरिंग	पिल्लूखेड़ी	1200.00	48000.00	6336.50	41663.50
16	मेसर्स सूर्या गैस	मंडीदीप	3724.39	372439.00	127406.00	245033.00
17	मैसर्स प्रेम पत्थर	मंडीदीप	2783.51	278351.00	92904.00	185447.00
18	मेसर्स एमकेवीवीसीएल	मंडीदीप	2509.31	250931.00	82949.00	168082.00
कुल अ. (भूमि हस्तांतरण मामले)				**20752553.00**	**17685406.46**	**3079646.54**

ब. भूमि आवंटन मामले (क्षे. का., भोपाल)

क्रमांक	इकाई का नाम	क्षेत्र का नाम	क्षेत्र (वर्ग मीटर)	वसूली योग्य (₹)	वास्तव में वसूला गया (₹)	कम वसूली (₹)
1	मेसर्स भारत निर्माण	एमएसएमई अचारपुरा	930.00	186000.00	95200.00	90800.00
2	मेसर्स रामनानी इंडस्ट्रीज	एमएसएमई अचारपुरा	930.00	186000.00	95200.00	90800.00
3	मेसर्स ए एस एलूप्लास्ट एंड इंजीनियरिंग	एमएसएमई अचारपुरा	885.00	177000.00	88900.00	88100.00
4	मेसर्स एक्सपर्ट इंजीनियरिंग वर्क्स	एमएसएमई अचारपुरा	930.00	186000.00	95200.00	90800.00
5	मेसर्स श्री साई इंटरप्राइजेज	बगरोदा	930.00	186000.00	61200.00	124800.00
6	मेसर्स माता गुजरी ग्रह उद्योग	कीरतपुर	1425.00	35625.00	29375.00	6250.00
7	मेसर्स सरस्वती प्रिंटर्स	बगरोदा	930.00	186000.00	61200.00	124800.00

8	मेसर्स राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन	एसईजेड अचारपुरा	5787.00	1157400.00	ब857815.00	299585.00
9	मेसर्स बालाजी ट्रेडर्स	कीरतपुर	1300.00	32500.00	26250.00	6250.00
10	मेसर्स एमएसपी ऑफसेट	बगरोदा	930.00	186000.00	61200.00	124800.00
11	मेसर्स कमल इंडस्ट्रीज	एमएसएमई अचारपुरा	930.00	186000.00	95200.00	90800.00
12	मेसर्स गुरुदत्त पारुलकर	बगरोदा	930.00	186000.00	61200.00	124800.00
13	मेसर्स हिंवावा फूड्स	एमएसएमई अचारपुरा	930.00	186000.00	95200.00	90800.00
14	मेसर्स श्री राम एंटरप्राइजेज	एमएसएमई अचारपुरा	930.00	186000.00	95200.00	90800.00
15	मेसर्स आलोक मल्टीप्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज	बगरोदा	930.00	186000.00	61200.00	124800.00
16	मेसर्स मंथन कंस्ट्रक्शन	बगरोदा	930.00	186000.00	61200.00	124800.00
17	मेसर्स जेके एंड संस	बगरोदा	930.00	186000.00	61200.00	124800.00
18	मेसर्स श्री साई इंटरप्राइजेज	कीरतपुर	1300.00	32500.00	26250.00	6250.00
19	मेसर्स बाग करखाना	एमएसएमई अचारपुरा	930.00	186000.00	95200.00	90800.00
20	मेसर्स साई इरा टेक	बगरोदा	930.00	186000.00	95200.00	90800.00
21	मेसर्स सुपर किसान इंडस्ट्रीज	एमएसएमई अचारपुरा	1739.30	347800.00	104251.00	243549.00
22	मेसर्स पोरवाल ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड	बगरोदा	4650.00	930000.00	198000.00	732000.00
23	मेसर्स जैन प्लास्ट	एमएसएमई अचारपुरा	930.00	186000.00	95200.00	90800.00
24	मेसर्स मनाली इंडस्ट्रीज	एमएसएमई अचारपुरा	930.00	186000.00	95200.00	90800.00
25	मेसर्स अभिनव एंटरप्राइजेज	बगरोदा	930.00	186000.00	61200.00	124800.00
26	मेसर्स लकी इंडस्ट्रीज	एमएसएमई अचारपुरा	820.00	164000.00	39900.00	124100.00
27	मेसर्स आदित्य एंटरप्राइजेज	बगरोदा	930.00	186000.00	61200.00	124800.00
28	एम.एम. इंडस्ट्रीज	बगरोदा	930.00	186000.00	61200.00	124800.00
29	मेसर्स नेचर बायो फूड्स लिमिटेड	मंडीदीप	20072.41	20072410.00	12875589.00	7196821.00
30	मेसर्स इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड	एमएसएमई अचारपुरा	101211.88	1000000.00	665000.00	335000.00
कुल ब (भूमि आवंटन मामले)				**27669235.00**	**16475330.00**	**11193905.00**
कुल योग(अ + ब)						**1,42,73,551.54**

परिशिष्ट–4.1.5
(कंडिका 4.1.5.6 में संदर्भित)
भूमि आवंटन और हस्तांतरण मामलों (क्षे. का. इंदौर) में भूमि प्रीमियम की कम वसूली का विवरण

अ. भूमि आवंटन मामले (क्षे. का., इंदौर)					
क्रमांक	हस्तांतरणकर्ता का नाम	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	प्रीमियम शुल्क (₹)	वसूल योग्य प्रीमियम (₹)	कम देय प्रीमियम शुल्क (₹)
1	मेसर्स स्पैशली ऑर्गेनिक्स	23819.00	13550365.00	21437100.00	7886735.00
2	मैसर्स धूत ट्रांसमिशन पी 5	21728.00	18868380.00	20831880.00	1963500.00
3	मैसर्स फ्लेक्स जेनरिक	15815.76	5065344.00	19770000.00	14704656.00
4	कौशल उद्योग पीथमपुर द्वितीय	5000.00	2536500.00	4500000.00	1963500.00
5	मेकवेल फूड पी आई	4065.00	1018855.00	3658500.00	2639645.00
6	मैसर्स मदर्सन लिमिटेड पी 5	30341.00	30366735.00	32330235.00	1963500.00
7	मैसर्स राधा माधव इंडस्ट्रीज पी 3	930.00	227120.00	837000.00	609880.00
8	मेसर्स जेड.टी. स्टीयरिंग पी 5	26246.00	24899910.00	26863410.00	1963500.00
9	मैसर्स अल्टिस इंडस्ट्रीज पी 5	28524.00	20658040.00	29379540.00	8721500.00
10	मैसर्स बाबाश्री पी 3	1255.00	335670.00	1129500.00	793830.00
11	मैसर्स जेनपच इंटरनेशनल एसईजेड ।।	16535.44	5341609.00	20669300.00	15327691.00
12	मैसर्स अलंकारन पी 3	18476.00	5294484.00	16628400.00	11333916.00
13	मैसर्स जलपादेवी इंजीनियरिंग पी 3	56188.00	40578480.00	50569200.00	9990720.00
14	मैसर्स मालवा फ्लोर मिल्स पी 3	929.00	113643.00	836100.00	722457.00
15	मेसर्स रघुवंशी इंडस्ट्रीज पी तृतीय	1858.00	537072.00	1672200.00	1135128.00
16	मेसर्स हाईटेक काम्पटेन्ट पी 3	11543.00	2978862.00	10388700.00	7409838.00
17	मैसर्स अल्केम लैब्स एसईजेड ।।	125275.00	144300000.00	168996000.00	24696000.00
18	मेसर्स ऐरावत एग्रो इंडस्ट्रीज	854.00	101202.00	769050.00	667848.00
19	मैसर्स पी.एस.ए. केमीकल्स एसईजेड	21402.36	8018265.00	26752950.00	18734685.00
20	मैसर्स रुसान फार्मा एसईजेड द्वितीय	24290.00	16022400.00	30362500.00	14340100.00
21	मैसर्स कमर्शियल सिनाबैग एसईजेड–1	3825.70	1373069.00	4782125.00	3409056.00
22	मैसर्स एओन टेक्सटाइल्स पी 3	1500.00	417500.00	1350000.00	932500.00
23	मैसर्स मानसवी प्लास्ट और रबर पी 3	2700.00	818300.00	2430000.00	1611700.00
24	मैसर्स हरिश ऑटो इंडस्ट्रीज पी 3	2787.00	847358.00	2508300.00	1660942.00
25	मैसर्स शंकर सोया एसईजेड द्वितीय	7850.00	2006400.00	9812500.00	7806100.00
26	मेसर्स एए हरबल उत्पाद निमरानी	4608.00	313776.00	2764800.00	2451024.00
27	मैसर्स एम एंड डी एनवायरनमेंट सॉल्यूशंस पी 3	950.00	233800.00	855000.00	621200.00
28	मैसर्स अंबिका फेब्रिकेटर्स पी 3	929.00	113643.00	836100.00	722457.00
29	मेसर्स अजंता फार्मा	191982.00	240358080.00	265054080.00	24696000.00
30	मैसर्स आर कॉक्स मल्टीपेक प्राइवेट लिमिटेड पी2	3719.00	1852446.00	3347100.00	1494654.00
31	मेसर्स शक्ति पोलिटैप निमरानी	4608.00	313776.00	2764800.00	2451024.00
32	मैसर्स अभय प्लास्ट पी 5	4982.00	1266334.00	4483800.00	3217466.00
33	मैसर्स मोहनी हेल्थ पी 3	15555.00	7761175.00	13999500.00	6238325.00
34	मैसर्स फूड पाज़ेसको पी 3	4050.00	1266334.00	4483800.00	3217466.00
35	मेसर्स टीएस फाइन केमिकल्स निमरानी	864.00	22104.00	518400.00	496296.00

36	मेसर्स मोहन आयरन एंड स्टील पी 3	929.00	113643.00	836100.00	722457.00
37	मैसर्स वंदना प्लासिटक और रबर पी 3	2700.00	818300.00	2430000.00	1611700.00
38	मैसर्स कुशाग्रो फसल विज्ञान निमरानी	864.00	22104.00	518400.00	496296.00
39	मेसर्स सुवन एडिबेल्स एफपीपी निमरानी	12166.00	686952.00	7299600.00	6612648.00
40	मेसर्स श्री पेपर पेपर उत्पाद पी 3	24586.00	14190810.00	22127400.00	7936590.00
कुल अ (भूमि आवंटन)					**225974530.00**

ब. स्थानांतरण मामले (क्षे. का., इंदौर)

क्रमांक	हस्तांतरणकर्ता का नाम	क्षेत्र (वर्ग मीटर)	वास्तविक चार्ज (₹)	देय चार्ज (₹)	कम शुल्क (₹)
1	मैसर्स मैन ट्रक्स इंडिया पीथमपुर	343082.00	73241044.00	73437394.00	196350.00
2	मेसर्स चौहान उद्यम पीथमपुर	5000.00	158650.00	450000.00	291350.00
3	मेसर्स प्रीति ऑटोमोटिव पीथमपुर	1213.00	51424.20	109170.00	57745.80
4	मेसर्स यूनो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड पीथमपुर	10000.00	451150.00	900000.00	448850.00
5	मेसर्स वेद इंडस्ट्रीज पीथमपुर	1802.30	51845.15	162202.50	110357.35
6	मेसर्स ऑटोमन प्रोमेटल मैन पीथमपुर	7500.00	242150.00	675000.00	432850.00
7	मेसर्स परफैक्ट इंडस्ट्रीज पीथमपुर	929.00	72517.20	167220.00	94702.80
8	मेसर्स जैन इंजीनियरिंग पीथमपुर	3717.00	115764.40	334530.00	218765.60
9	मेसर्स प्रज्ञा इंडिस्ट्रीज पीथमपुर	880.00	33642.00	79200.00	45558.00
10	मेसर्स भाग्यवंती ग्रेनाइट्स पीथमपुर	5000.00	158650.00	450000.00	291350.00
11	मेसर्स अमन मशीन पीथमपुर	1800.00	51770.00	162000.00	110230.00
12	मैसर्स क्रिस्ट इंडस्ट्रीज पीथमपुर	1858.00	85867.20	167220.00	81352.80
13	मैसर्स प्योरिटी इंटरनेशनल पीथमपुर	1394.00	61089.60	125460.00	64370.40
14	मेसर्स बजाज रबर पीथमपुर	4060.00	127254.00	365400.00	238146.00
15	मैसर्स डेकोरा ट्यूब पीथमपुर	5574.00	614638.00	1003320.00	388682.00
16	मेसर्स जय इंडस्ट्रीज पीथमपुर	900.00	21710.00	81000.00	59290.00
17	मेसर्स एआर फोर्स एमकेटी पीथमपुर	929.00	22678.60	83610.00	60931.40
18	मैसर्स रॉयल इंजीनियरिंग पीथमपुर	929.00	22678.60	83610.00	60931.40
19	मैसर्स डेकोरा ट्यूब पीथमपुर	6138.66	720229.42	900000.00	179770.58
20	मेसर्स यश डायनीसिस कंट्रोवल प्राइवेट लिमिटेड पीथमपुर	4181.00	131295.40	376290.00	244994.60
21	मैसर्स इंदौर प्लास्टिक पीथमपुर	1813.50	83491.43	163215.90	79724.47
22	मैसर्स गुड़िया केमिक्ल्स पीथमपुर	929.00	22678.60	83610.00	60931.40
23	मेसर्स वाइन इंडस्ट्रीज पीथमपुर	2787.00	84735.80	250830.00	166094.20
कुल ब (स्थानांतरण मामले)					**3983328.80**
कुल योग (अ + ब)					**22,99,57,858.80**

परिशिष्ट–4.2.1
(कंडिका 4.2.5 में संदर्भित)
म.प्र.रा.व.वि.नि.लि. के संभागीय क्षेत्र और वृक्षारोपण के क्षेत्र को दर्शाने वाला मानचित्र

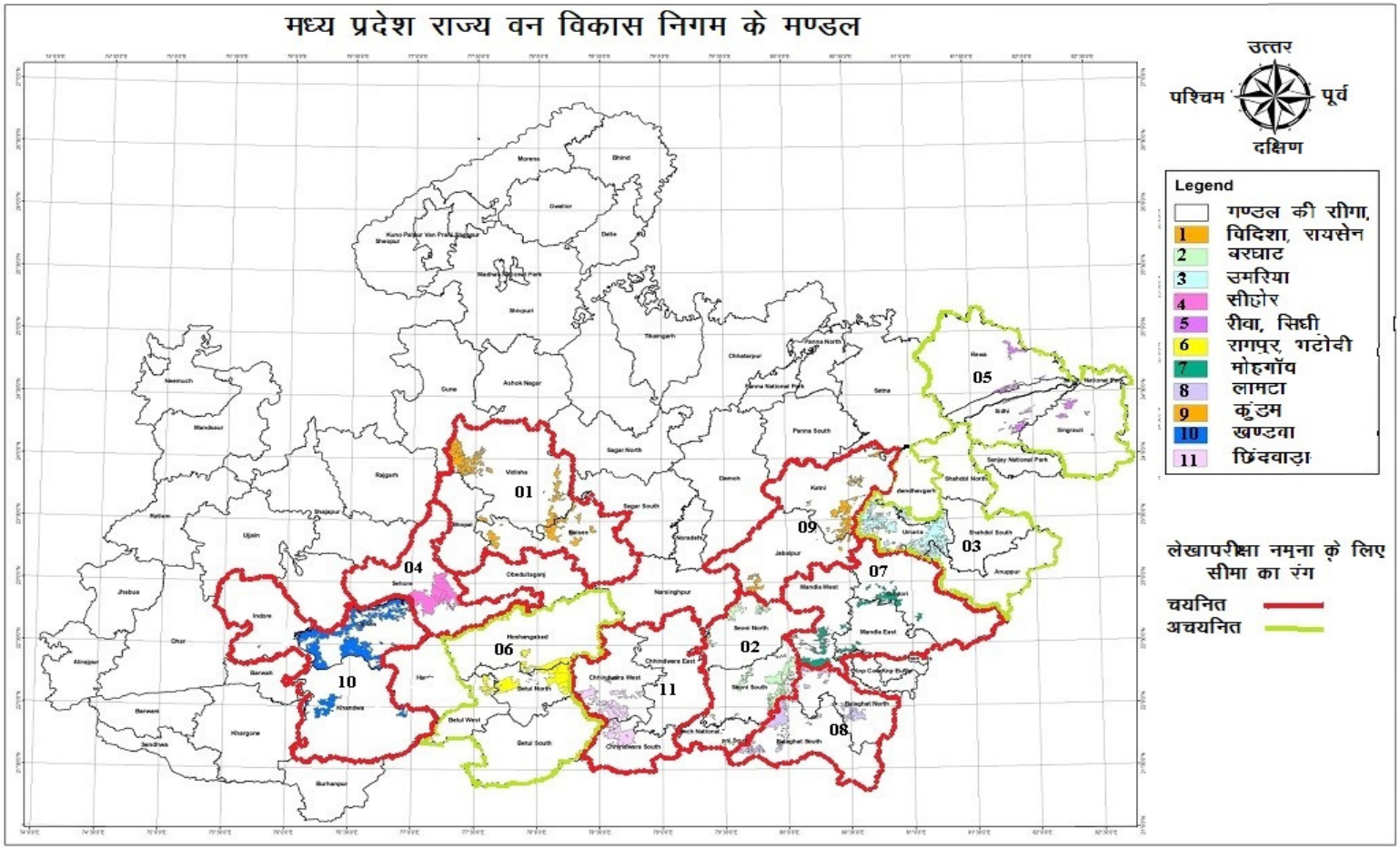

परिशिष्ट–4.2.2
(कंडिका 4.2.6.2 में संदर्भित)
मंडलों के कब्जे में 2016–17 से 2018–19 के दौरान अतिक्रमण के साथ ली गई/हटाए गए अतिक्रमण की भूमि का विवरण

(हेक्टेयर में)

मण्डल का नाम	1 अप्रैल 2016 के अनुसार कब्जे में कुल भूमि	2016–19 के दौरान ली गई भूमि	31 मार्च 2019 तक कब्जे में कुल भूमि	1 अप्रैल 2016 तक कुल अतिक्रमित भूमि	2016–19 के दौरान ली गई अतिक्रमित भूमि	2016–19 के दौरान हटाया गया अतिक्रमण	31 मार्च 2019 तक कुल अतिक्रमित भूमि	31 मार्च 2019 तक भूमि जिसका रोपण किया जाना बाकी है
1	2	3	4 (2+3)	5	6	7	8 (5+6–7)	9
कुंडम	33943.45	1412.05	35355.50	16.54	0.00	0.00	16.54	3560.97
बरघाट	49724.24	शून्य	49724.24	53.56	0.00	0.00	53.56	5145.00
लमटा	52449.38	शून्य	52449.38	0.59	0.00	0.00	0.59	12104.60
मोहगांव	62877.75	3452.34	66330.09	25.02	17.54	4.62	37.94	10219.32
विदिशा–रायसेन	24807.65	5630.06	30437.71	7704.12	496.62	340.00	7860.74	685.16
सीहोर	9601.88	5440.69	15042.57	1302.55	533.35	0.00	1835.90	3705.41
खंडवा	27468.20	1197.97	28666.17	1059.26	0.00	6.15	1053.11	3088.54
छिंदवाड़ा	25783.62	2284.15	28067.77	24.81	0.00	0.00	24.81	2284.15
उप योग 1	**286656.16**	**19417.27**	**306073.43**	**10186.44**	**1047.51**	**350.77**	**10883.18**	**40793.15**
उमरिया	31800.68	*	31800.68	*	*	*	*	3124.00
रामपुर–भटोदी	33714.56	*	33714.56	*	*	*	*	2822.54
रीवा–सीधी	18914.87	*	18914.87	*	*	*	*	5879.16
उप योग 2	**84430.11**	*	**84430.11**	*	*	*	*	**11825.70**
महा योग	**371086.27**	**19417.27**	**390503.54**		**1047.51**	**350.77**	**10883.18**	**52618.84**

* कोई डेटा नहीं क्योंकि लेखापरीक्षा के लिए चयनित नहीं किया गया।

परिशिष्ट–4.2.3
(कंडिका 4.2.6.6 में संदर्भित)
नवम–चरण के लिए परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार वृक्षारोपण के लक्ष्य, 2015–16 से 2019–20 के दौरान निगम द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्य और वास्तविक वृक्षारोपण

वर्ष	परियोजना मण्डल का नाम	नवम चरण के अनुसार वृक्षारोपण का लक्ष्य (शुद्ध क्षेत्र हेक्टेयर में)	निगम द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्य (शुद्ध क्षेत्र हेक्टेयर में)*	वास्तविक वृक्षारोपण (शुद्ध क्षेत्र हेक्टेयर में)*	नवम चरण के संबंध में वार्षिक लक्ष्य के निर्धारण में कमी		निगम द्वारा तय किए गए वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी	
					शुद्ध क्षेत्र हेक्टेयर में	*प्रतिशत* में	शुद्ध क्षेत्र हेक्टेयर में	*प्रतिशत* में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2015–16	बरघाट–सिवनी	590.00	595.50	581.35	5.50	–	–14.15	–2.38
2015–16	छिंदवाड़ा	1594.55	822.00	812.00	–772.55	–48.45	–10.00	–1.22
2015–16	खंडवा	1247.85	1150.00	1140.00	–97.85	–7.84	–10.00	–0.87
2015–16	कुंडम–जबलपुर	1594.00	1275.00	1653.00	–319.00	–20.01	378.00	–
2015–16	लमता–बालाघाट	1052.51	763.50	741.50	–289.01	–27.46	–22.00	–2.88
2015–16	मोहगांव–मडला	675.00	714.10	661.44	39.10	–	–52.66	–7.37
2015–16	रामपुर भटोदी– बैतूल	0.00	0.00	0	0.00	–	0.00	–
2015–16	रीवा–सीधी	0.00	605.00	611.60	605.00	–	6.60	–
2015–16	सीहोर	1179.01	1005.00	1000.00	–174.01	–14.76	–5.00	–0.50
2015–16	उमरिया	0.00	361.00	346.00	361.00	–	–15.00	–4.16
2015–16	विदिशा रायसेन– भोपाल	1791.09	1345.00	1340.00	–446.09	–24.91	–5.00	–0.37
2015–16	**योग**	**9724.01**	**8636.10**	**8886.89**	**–1087.91**	**–11.19**	**250.79**	**2.90**
2016–17	बरघाट–सिवनी	674.00	596.00	556.50	–78.00	–11.57	–39.50	–6.63
2016–17	छिंदवाड़ा	1598.25	990.00	990.00	–608.25	–38.06	0.00	
2016–17	खंडवा	1333.78	1160.00	1160.00	–173.78	–13.03	0.00	
2016–17	कुंडम–जबलपुर	478.03	446.00	446.00	–32.03	–6.70	0.00	

वर्ष	परियोजना मण्डल का नाम	नवम चरण के अनुसार वृक्षारोपण का लक्ष्य (शुद्ध क्षेत्र हेक्टेयर में)	निगम द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्य (शुद्ध क्षेत्र हेक्टेयर में)*	वास्तविक वृक्षारोपण (शुद्ध क्षेत्र हेक्टेयर में)*	नवम चरण के संबंध में वार्षिक लक्ष्य के निर्धारण में कमी		निगम द्वारा तय किए गए वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी	
					शुद्ध क्षेत्र हेक्टेयर में	*प्रतिशत* में	शुद्ध क्षेत्र हेक्टेयर में	*प्रतिशत* में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016–17	लमता–बालाघाट	1035.77	778.00	740.03	–257.77	–24.89	–37.97	–4.88
2016–17	मोहगांव–मडला	670.00	702.50	697.19	32.50		–5.31	–0.76
2016–17	रामपुर भटोदी– बैतूल	480.00	0.00	0	–480.00	–100.00	0.00	
2016–17	रीवा–सीधी	227.00	263.00	263.00	36.00		0.00	
2016–17	सीहोर	1153.20	1200.00	1200.00	46.80		0.00	
2016–17	उमरिया	560.00	365.00	365.00	–195.00	–34.82	0.00	
2016–17	विदिशा रायसेन– भोपाल	582.67	1015.00	965.00	432.33		–50.00	–4.93
2016–17	**योग**	**8792.70**	**7515.50**	**7382.71**	**–1277.20**	**–14.53**	**–132.79**	**–1.77**
2017–18	बरघाट–सिवनी	631.00	467.50	477.00	–163.50	–25.91	9.50	
2017–18	छिंदवाड़ा	1392.66	600.00	600.00	–792.66	–56.92	0.00	
2017–18	खंडवा	430.04	710.00	710.00	279.96		0.00	
2017–18	कुंडम–जबलपुर	394.71	388.00	388.00	–6.71	–1.70	0.00	
2017–18	लमता–बालाघाट	1035.51	671.50	678.53	–364.01	–35.15	7.03	
2017–18	मोहगांव–मडला	690.00	482.50	466.50	–207.50	–30.07	–16.00	–3.32
2017–18	रामपुर भटोदी– बैतूल	480.00	269.60	269.60	–210.40	–43.83	0.00	
2017–18	रीवा–सीधी	220.00	170.00	170.00	–50.00	–22.73	0.00	
2017–18	सीहोर	1190.98	755.00	755.00	–435.98	–36.61	0.00	
2017–18	उमरिया	600.00	365.00	352.24	–235.00	–39.17	–12.76	–3.50
2017–18	विदिशा रायसेन– भोपाल	480.00	1085.00	1085.00	605.00		0.00	
2017–18	**योग**	**7544.90**	**5964.10**	**5951.87**	**–1580.80**	**–20.95**	**–12.23**	**–0.21**

वर्ष	परियोजना मण्डल का नाम	नवम चरण के अनुसार वृक्षारोपण का लक्ष्य (शुद्ध क्षेत्र हेक्टेयर में)	निगम द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्य (शुद्ध क्षेत्र हेक्टेयर में)*	वास्तविक वृक्षारोपण (शुद्ध क्षेत्र हेक्टेयर में)*	नवम चरण के संबंध में वार्षिक लक्ष्य के निर्धारण में कमी		निगम द्वारा तय किए गए वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी	
					शुद्ध क्षेत्र हेक्टेयर में	*प्रतिशत* में	शुद्ध क्षेत्र हेक्टेयर में	*प्रतिशत* में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018–19	बरघाट–सिवनी	592.00	568.00	546.00	–24.00	–4.05	–22.00	–3.87
2018–19	छिंदवाड़ा	1384.19	665.00	665.00	–719.19	–51.96	0.00	
2018–19	खंडवा	477.53	736.00	556.00	258.47		–180.00	–24.46
2018–19	कुंडम–जबलपुर	443.85	327.50	327.50	–116.35	–26.21	0.00	
2018–19	लमता–बालाघाट	804.61	900.50	882.50	95.89	11.92	–18.00	–2.00
2018–19	मोहगांव–मंडला	590.00	503.00	498.00	–87.00	–14.75	–5.00	–0.99
2018–19	रामपुर भटोदी– बैतूल	480.00	341.40	336.40	–138.60	–28.88	–5.00	–1.46
2018–19	रीवा–सीधी	240.00	309.00	307.00	69.00		–2.00	–0.65
2018–19	सीहोर	1109.17	770.00	720.00	–339.17	–30.58	–50.00	–6.49
2018–19	उमरिया	550.00	374.00	374.00	–176.00	–32.00	0.00	
2018–19	विदिशा रायसेन– भोपाल	480.00	1040.00	1040.00	560.00		0.00	
2018–19	**योग**	**7151.35**	**6534.40**	**6252.40**	**–616.95**	**–8.63**	**–282.00**	**–4.32**
2019–20	बरघाट–सिवनी	480.00	120.50	98.50	–359.50	–74.90	–22.00	–18.26
2019–20	छिंदवाड़ा	1235.64	325.00	320.00	–910.64	–73.70	–5.00	–1.54
2019–20	खंडवा	527.21	1027.00	1027.00	499.79	94.80	0.00	
2019–20	कुंडम–जबलपुर	480.00	580.00	503.00	100.00	20.83	–77.00	–13.28
2019–20	लमता–बालाघाट	872.54	303.50	313.00	–569.04	–65.22	9.50	
2019–20	मोहगांव–मंडला	2517.00	784.00	991.41	–1733.00	–68.85	207.41	
2019–20	रामपुर भटोदी– बैतूल	480.00	275.00	264.68	–205.00	–42.71	–10.32	–3.75

वर्ष	परियोजना मण्डल का नाम	नवम चरण के अनुसार वृक्षारोपण का लक्ष्य (शुद्ध क्षेत्र हेक्टेयर में)	निगम द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्य (शुद्ध क्षेत्र हेक्टेयर में)*	वास्तविक वृक्षारोपण (शुद्ध क्षेत्र हेक्टेयर में)*	नवम चरण के संबंध में वार्षिक लक्ष्य के निर्धारण में कमी		निगम द्वारा तय किए गए वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी	
					शुद्ध क्षेत्र हेक्टेयर में	*प्रतिशत* में	शुद्ध क्षेत्र हेक्टेयर में	*प्रतिशत* में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019–20	रीवा–सीधी	223.00	278.00	278.00	55.00	24.66	0.00	
2019–20	सीहोर	1117.19	780.00	780.00	–337.19	–30.18	0.00	
2019–20	उमरिया	480.00	187.00	187.00	–293.00	–61.04	0.00	
2019–20	विदिशा रायसेन– भोपाल	480.00	790.00	790.00	310.00	64.58	0.00	
2019–20	**योग**	**8892.58**	**5450.00**	**5552.59**	**–3442.58**	**–38.71**	**102.59**	**1.88**
	महा योग	**42105.53**	**34100.10**	**34026.46**	**–8005.43**	**–19.01**	**–427.02**	**–1.25**

* एनटीपीसी के लिए जमा कार्य और वृक्षारोपण के लक्ष्य को शामिल नहीं किया गया।

नोटः चरण–नवम की परियोजना रिपोर्ट (वृक्षारोपण लक्ष्यों) में लक्ष्यों के संबंध में वास्तविक रोपण में 20.03 *प्रतिशत* की कमी थी।

परिशिष्ट–4.2.4
(कंडिका 4.2.6.6 में संदर्भित)
वृक्षारोपण लक्ष्यों के निर्धारण और उपलब्धि में कमी का विवरण

कटाई के लिए देय वर्ष (वृक्षारोपण का पिछला वर्ष)	कूप क्र.	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	कटाई/रोपण न करने के कारण
लामटा मंडल			
2015–16	1155 VIII	40.00	संपूर्ण कूप क्षेत्र सी प्रकार के अंतर्गत था, क्योंकि इसमें वर्ष 1983 में 40 हेक्टेयर रोपण क्षेत्र शामिल हैं।
2015–16	1817 VIII	42.29	5 हेक्टेयर क्षेत्र ए प्रकार के अंतर्गत था और 37.29 हेक्टेयर क्षेत्र वर्ष 1986 में रोपित था।
2015–16	1526 VIII	60.00	कूप का 10 हेक्टेयर क्षेत्र ए प्रकार के अंतर्गत था और 50 हेक्टेयर क्षेत्र वर्ष 1980 से 1983 तक रोपित था।
2015–16	1521 VIII	50.00	10 हेक्टर का कूप क्षेत्र ए प्रकार के अंतर्गत था और 50 हेक्टेयर क्षेत्र में वर्ष 1960 से 1967 में रोपित था।
2016–17	1414, 1434		प्रारंभिक सर्वेक्षण की तुलना में, सकल क्षेत्र और शुद्ध क्षेत्र 42.30 हेक्टेयर और 24.20 हेक्टेयर कम पाया गया।
2017–18	1814, 563		उची ढलान और क्षेत्र में पानी भरा होने के कारण शुद्ध क्षेत्र 8 हेक्टेयर कम हो गया था।
बरघाट मंडल			
2015–18		6000 (अपेक्षित)	वन विभाग से कोई भूमि हस्तांतरित नहीं की गई थी जैसा कि परियोजना रिपोर्ट में अपेक्षित था।
2016–17	403 IXA	7.67	पथरीली सतह या अतिक्रमण के कारण भूमि को वृक्षारोपण के लिए अनुपयुक्त पाया गया। वन विभाग को जमीन के हस्तांतरण को रद्द करने के लिए प्रस्ताव(दिसंबर 2015) दिया गया था।
2016–17	पी–61 IXA	34.86	
2016–17	पी–82 IXC	38.98	
2016–17	पी–85 IXD	46.70	
2016–17	180 IXF	57.00	
2016–17	पी 547 IXE	31.04	
2017–18	पी–62 XB	19.17	
2017–18	पी–546 XE	9.90	
2017–18	पी–548 XF	50.09	
कुंडम मंडल			
2015–16	161–VIII	39.05	कंपनी ने अतिक्रमण के कारण कंपार्टमेंट को कब्जे में नहीं लिया है।
2016–17	161–IX	60.00	
2017–18	161–X	47.24	
मोहगांव मंडल			
2015–16	938 VIII, 940 VIII, 44 VIII, 43 VIII, 858 VIII, 390 VIII, 37 III और 40 VIII	413.80	वन समिति के विरोध के कारण भूमि को कटाई के लिए विचार नहीं किया जा सका।
2016–17	948 IX	87.40	ग्रामीण लोगों के विरोध के कारण कटाई पर विचार नहीं किया जा सका।
	385 IX, 44 IX, 36 IX और 51 IX,	354.30	लंबित अदालती मामलों के कारण कटाई पर विचार नहीं किया जा सका।
	956 IX, 725	190.00	रोपण योग्य 'बी' प्रकार के क्षेत्र की अनुपस्थिति के कारण रोपण नहीं किया जा सका।

कटाई के लिए देय वर्ष (वृक्षारोपण का पिछला वर्ष)	कूप क्र.	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	कटाई/रोपण न करने के कारण
		52.00	ग्रामीण लोगों के विरोध के कारण नियोजित 52 हेक्टेयर के बजाय केवल 42 हेक्टेयर में वृक्षारोपण किया जा सका।
2017–18	950X, 390X, 385X, 400X और 163X	383.85	ग्रामीण लोगों के विरोध के कारण कटाई पर विचार नहीं किया जा सका।
	904	5.00	ग्रामीण लोगों द्वारा कूप में कटाई के विरोध के कारण रोपण नहीं किए जा सके।

परिशिष्ट–4.2.5
(कंडिका 4.2.6.7 में संदर्भित)
परियोजना प्रतिवेदन के पैरा 4.1 और 4.4 के अनुसार प्रजातिवार वृक्षारोपण के कुल लक्षित क्षेत्र, लागत लाभ अनुपात और प्रतिफल की आंतरिक दर का विवरण

क्र.	वृक्षारोपण का प्रकार	वृक्षारोपण के लिए शुद्ध क्षेत्र (हेक्टेयर में)	लागत लाभ अनुपात (35 वर्ष में)	प्रतिफल की आंतरिक दर (35 वर्ष में)	वृक्षारोपण का *प्रतिशत*
1	व्यावसायिक वर्षा आधारित सागौन	40000	1.00: 4.13	18.66	92.27
2	व्यावसायिक वर्षा आधारित बांस	1250	1.00: 4.90	21.27	2.88
3	व्यावसायिक वर्षा आधारित खमेर	250	1.00: 2.71	16.8	0.58
4	हाई इनपुट आंवला	1250	1.00: 9.30	31.72	2.88
5	हाई इनपुट सागौन	600	1.00: 1.83	13.56	1.38

परिशिष्ट–4.2.6
(कंडिका 4.2.6.7 में संदर्भित)
बांस, खमेर और आंवला के लिए लक्ष्य और उपलब्धि का विवरण

(हेक्टेयर में क्षेत्र)

प्रजाति	वर्ष	परियोजना रिपोर्ट के अनुसार लक्षित क्षेत्र	वार्षिक लक्ष्य के अनुसार लक्षित क्षेत्र	वास्तविक वृक्षारोपण क्षेत्र	वार्षिक लक्ष्य का कम निर्धारण	वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले कम वृक्षारोपण
बांस	2015–16	250	75	264	–175	
	2016–17	220	154	69	–66	–85
	2017–18	220	92	92	–128	0
	2018–19	220	30	30	–190	0
	2019–20	250	0	0	–250	
	योग	**1160**	**351**	**455**	**–809**	**–85**
खमेर	2015–16	50	0	0	–50	0
	2016–17	35	0	0	–35	0
	2017–18	35	0	0	–35	0
	2018–19	35	0	0	–35	0
	2019–20	50	0	0	–50	0
	योग	**205**	**0**	**0**	**–205**	**0**
आंवला	2015–16	250	0	0	–250	0
	2016–17	185	0	0	–185	0
	2017–18	185	0	0	–185	0
	2018–19	185	0	0	–185	0
	2019–20	250	0	0	–250	0
	योग	**1055**	**0**	**0**	**–1055**	**0**
कुल योग		**2420**	**351**	**455**	**–2069**	**–85**

परिशिष्ट–4.2.7
(कंडिका 4.2.6.8 में संदर्भित)
10 *प्रतिशत* क्षेत्र से अधिक में पॉली–पॉट रोपड़ के कारण हुई अतिरिक्त लागत की गणना

वृक्षारोपण का वर्ष	मण्डल का नाम	वृक्षारोपण क्षेत्र (हेक्टेयर में)	लगाए गए पॉली–पॉट पौधों की संख्या	लगाए गए रूट–शूट पौधों की संख्या	कुल पौधे लगाए	कुल पौधों का 10 *प्रतिशत* जिसे पॉली–पॉट के माध्यम से लगाया जाना था	अतिरिक्त पॉली–पॉट वृक्षारोपण	अतिरिक्त लागत (₹) (₹ 21.37 प्रति पॉट की अधिक लागत से)
2017–18	विदिशा–रायसेन	1075	2674600	0	2674600	267460	2407140	51440582
2017–18	सीहोर	745	1846298	0	1846298	184630	1661668	35509849
2017–18	खंडवा	700	1740665	0	1740665	174067	1566599	33478210
2018–19	विदिशा–रायसेन	1040	2327520	260000	2587520	258752	2328768	49765772
2018–19	सीहोर	720	1608684	180000	1788684	178868	1609816	34401759
2018–19	खंडवा	736	1697470	131250	1828720	182872	1645848	35171772
योग		**5016**	**11895237**	**571250**	**12466487**	**1246649**	**11219838**	**239767944**

परिशिष्ट–4.3.1
(कंडिका 4.3.4 में संदर्भित)
वन्यजीव सर्किट और हेरिटेज सर्किट के तहत लेखापरीक्षा के लिए चयनित कार्य आदेशों की सूची

क्रमांक	कार्य का नाम	घटक का नाम	ठेकेदार का नाम	कार्य का मूल्य (₹ में)	कार्य को सौपने की तिथि
वन्यजीव सर्किट – 12 कार्य आदेश					
1	कान्हा नेशनल पार्क जिला– मंडला में कैफेटेरिया, एम्फीथिएटर, लॉग हट्स और अन्य विकास कार्यों का निर्माण।	कान्हा राष्ट्रीय उद्यान (मुक्की गेट)	मेसर्स एमके इंजीनियर्स ग्रुप, भोपाल	110000000	06.06.2016
2	कान्हा नेशनल पार्क जिला– मंडला में कैफेटेरिया, एम्फीथिएटर, लॉग हट्स और अन्य विकास कार्यों का निर्माण।	कान्हा राष्ट्रीय उद्यान (किसली गेट)	मेसर्स एमके इंजीनियर्स ग्रुप, भोपाल	50000000	06.06.2016
3	पन्ना नेशनल पार्क पन्ना के बफर क्षेत्र में कैफेटेरिया, ओपन एयर थिएटर, 09 लॉग हट्स, पार्किंग और अन्य कार्य का निर्माण।	पन्ना राष्ट्रीय उद्यान	संजना कंस्ट्रक्शन	50000000	20.09.2016
4	पेंच नेशनल पार्क, सिवनी के बफर क्षेत्र में कैफेटेरिया, एम्फीथिएटर, कम्पाउंड वॉल, फेंसिंग, कैंपिंग साइट और अन्य विकास कार्यों का निर्माण।	पेंच राष्ट्रीय उद्यान	मैसर्स मानस कंस्ट्रक्शन, भोपाल	40120000	29.07.2016
5	संजय नेशनल पार्क, सीधी जिले के बफर जोन में कंपाउंड वॉल, चेन लिंक फेंसिंग, पार्किंग एरिया, कैफेटेरिया, लॉग हट्स और अन्य कार्यों का निर्माण।	संजय राष्ट्रीय उद्यान	मेसर्स पैरामाउंट इंजीनियर्स ग्रुप, भोपाल	38323000	01.10.2016
6	पनपथा बफ़र ज़ोन, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, उमरिया जिले के पास वन सूचना केंद्र का निर्माण, ओपन एयर एम्फीथिएटर, कम्पाउंड वॉल, चेन लिंक फ़ेंसिंग, कैनोपी वॉक, पार्किंग और अन्य विकास कार्य।	बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान	मेसर्स एमके इंजीनियर्स ग्रुप, भोपाल	35000000	04.10.2017
7	सीधी में संजय राष्ट्रीय उद्यान में वन सूचना केंद्र, गेट और अन्य कार्य का निर्माण	संजय राष्ट्रीय उद्यान	मैसर्स कमलेश तिवारी, रीवा	33700000	31.03.2017
8	वन्यजीव सर्किट के तहत स्वीकृत बांधवगढ़, उमरिया जिले में मचान, बफर ज़ोन एंट्री गेट, पार्किंग, पाथवे और सोलर लाइटिंग आदि का निर्माण।	बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान	विनोद कुमार पांडे, भोपाल	11920000	08.03.2019
9	संजय राष्ट्रीय उद्यान, सीधी में कैनोपी वाक का निर्माण	संजय राष्ट्रीय उद्यान	मेसर्स पैरामाउंट इंजीनियर्स ग्रुप, भोपाल	11581000	06.10.2018
10	ग्राम रोहनिया, तहसील मैहर, जिला सतना में रास्ते की सुविधाओं का निर्माण।	रास्ते की सुविधाएं	मैसर्स संजना कंस्ट्रक्शन, भोपाल	11300000	15.06.2017
11	मुकुंदपुर चिड़ियाघर, सतना जिले के पास कैफेटेरिया, पार्किंग, परिसर की दीवार आदि का निर्माण।	मुकुंदपुर राष्ट्रीय उद्यान	मैसर्स आस्था इंजीनियरिंग सतना	10822000	23.07.2016
12	सिवनी–छिंदवाड़ा के बीच रास्ते की सुविधाओं का निर्माण।	रास्ते की सुविधाएं	मेसर्स एमके इंजीनियर्स ग्रुप, भोपाल	10000000	24.08.2016
वन्यजीव सर्किट – 12 कार्य आदेश				**412766000**	
हेरिटेज सर्किट					
1	खजुराहो, छतरपुर में कन्वेंशन सेंटर का निर्माण	खजुराहो और आसपास	वीजी इन्फ्रावेन्चर्स प्रा. लिमिटेड	196300000	15.11.2017
2	जहाज़ महल परिसर, मांडू में ध्वनि और प्रकाश शो का कार्यान्वयन।	मांडू	ट्राईकलर इंडिया शासपियल प्रायवेट लिमिटेड, नॉएडा	56200000	15.03.2017

क्रमांक	कार्य का नाम	घटक का नाम	ठेकेदार का नाम	कार्य का मूल्य (₹ में)	कार्य को सौपने की तिथि
3	बारादरी, इटालियन गार्डन और गोपाल मंदिर, ग्वालियर में सार्वजनिक सुविधाओं, विकास, मार्ग, पार्किंग और अन्य कार्यों का निर्माण।	ग्वालियर और आसपास	पैरामाउंट इंजीनियर्स ग्रुप, भोपाल	34000000	22.08.2017
4	पथरिया किले, कुटनी बांध, खजुराहो में कैफेटेरिया, कार्यालय ब्लॉक, विश्राम क्षेत्र और अन्य कार्यों का निर्माण	खजुराहो और आसपास	संजना कंस्ट्रक्शन	34000000	14.06.2017
5	बैजताल, ग्वालियर में सार्वजनिक सुविधाओं, विकास, सौंदर्यीकरण और अन्य कार्यों का निर्माण।	ग्वालियर और आसपास	कसाना कंस्ट्रक्शन, भोपाल	32500000	08.08.2017
6	ग्वालियर फोर्ट, ग्वालियर (ग्वालियर गेट, उरवाई गेट, सास बहू मंदिर, गुरुद्वारा, साउंड एंड लाइट शो में सार्वजनिक सुविधा, स्मारिका दुकान, पार्किंग और अन्य कार्यों का विकास)	ग्वालियर और आसपास	एमके इंजीनियर्स ग्रुप, भोपाल	30000000	02.08.2017
7	बटेश्वर और पदावली, मुरैना में सार्वजनिक सुविधाओं, पार्किंग, मार्ग और अन्य कार्यों का विकास।	ग्वालियर और आसपास	पैरामाउंट इंजीनियर्स ग्रुप, भोपाल	24000000	26.09.2017
8	चंदेरी, अशोकनगर जिले के पास बैजू बावरा समाधि, चकला बावड़ी, दिल्ली दरवाज़ा, ढोलिया दरवाजा के आसपास सार्वजनिक सुविधा और विकास कार्यों का निर्माण।	चंदेरी	पांडे ब्रदर्स कंस्ट्रक्शन, चंदेरी	22000000	10.04.2017
9	ग्वालियर में विभिन्न स्थानों के लिए भूनिर्माण कार्य।	ग्वालियर और आसपास	राज मंगल डेवलपर्स, शिवपुरी	17200000	08.03.2018
10	लक्ष्मीबाई स्मारक, ग्वालियर में सार्वजनिक सुविधाओं का विकास, पार्किंग, रेटेनिंग दीवार और अन्य कार्य।	ग्वालियर और आसपास	शास्त्री बिल्डर्स, ग्वालियर	16500000	20.04.2017
11	मांडू, जिला धार में टीएफसी में आंतरिक विद्युतीकरण कार्य का निर्माण	मांडू	एमके इंजीनियर्स ग्रुप	15700000	16.02.2018
12	टीआरसी ओरछा का निर्माण	ओरछा	मैसर्स कृपा राम यादव	15500000	09.03.2017
13	कन्वेंशन सेंटर, खजुराहो में बाहरी विद्युतीकरण कार्य	खजुराहो और आसपास	वीजी इन्फ्रावेन्चर्स प्रा. लिमिटेड	13500000	10.06.2019
14	ग्वालियर और चंबल संभाग के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पत्थर की सामग्री उपलब्ध कराना और उन्हें ठीक करना	ग्वालियर और आसपास	हर्षवर्धन इन्फ्राटेक प्रा. लि., भोपाल	13000000	13.02.2018
15	कन्वेंशन सेंटर, खजुराहो में प्रकाश व्यवस्था प्रदाय करना और ठीक करना	खजुराहो और आसपास	वीजी इन्फ्रावेन्चर्स प्रा. लिमिटेड	12806000	25.10.2019
16	शिल्प ग्राम, छतरपुर, खजुराहो जिले में थीम पार्क का निर्माण।	खजुराहो और आसपास	शास्त्री बिल्डर	12657000	21.08.2018
17	मितावली, मुरैना में सार्वजनिक सुविधाओं, पार्किंग, मार्ग और अन्य कार्यों का विकास	ग्वालियर और आसपास	पैरामाउंट इंजीनियर्स ग्रुप, भोपाल	12500000	26.09.2017
18	कन्वेंशन सेंटर, खजुराहो में एचवीएसी कार्य प्रदान करना और ठीक करना	खजुराहो और आसपास	वोल्गा एयर टेक्नोलोजीस, भोपाल	10330000	09.07.2019
19	ओबेदुल्लागंज, रायसेन जिले में रास्ते की सुविधा में आंतरिक इले. के निर्माण का कार्य	रास्ता की सुविधाएं	मैसर्स ओम कंस्ट्रक्शन	10300000	23.03.2018
20	खजुराहो, जिले छतरपुर में कुटनी बांध, पथरिया किले में पैदल पुल का निर्माण।	खजुराहो और आसपास	पैरामाउंट इंजीनियर्स ग्रुप	10059000	13.04.2018
हेरिटेज सर्किट – 20 कार्य आदेश				**589052000**	

परिशिष्ट–4.3.2
(कंडिका 4.3.5.1 में संदर्भित)
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और वन विभाग से अनुमति प्राप्त नहीं करने के कारण या म. प्र. सरकार द्वारा भूमि प्राप्त नही करने के कारण भारत सरकार द्वारा छोड़े गए घटकों का विवरण

क्रम सं	स्थान	घटक का नाम	मूल स्वीकृति (₹ लाख में)	टिप्पणियाँ	कारण
कार्यों के छोडे गए घटक और घटाया गया सीएफए					
1	ग्वालियर और आसपास	संगीत का तानसेन संग्रहालय	300.07	जमीन की अनुपलब्धता के कारण घटक को छोडा गया और ₹ 2.45 लाख को छोड़कर शेष पूरी राशि को कम किया गया था। ₹ 2.45 लाख को बैजा ताल में सौर रोशनी में स्थानांतरित कर दिया गया।	उच्च स्तर के इस संगीत संग्रहालय को बनाने के लिए, पुराने महालेखाकार कार्यालय के दोनों तलों पर इसके निर्माण के लिए आवंटित जगह पर्याप्त महसूस नहीं की गई। इसलिए, कम्पनी द्वारा भवन के तीसरे तल पर अतिरिक्त स्थान की मांग की गई। हालांकि, मांग वाले स्थान पर कुछ सरकारी कार्यालय चल रहे थे। इसके बाद भारत सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के तहत, म. प्र. सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी के लिए नियंत्रण और कमांड सेंटर के विकास के लिए भवन के हिस्से को प्रदान किया गया (जनवरी 2018)। इसके बाद, कम्पनी ने संग्रहालय के विकास के लिए ग्वालियर में वैकल्पिक स्थान पर भूमि प्राप्त करने का प्रयास किया, हालांकि, म. प्र. सरकार और कम्पनी द्वारा किसी भी उपयुक्त भूमि को अंतिम रूप नहीं दिया गया। परिणामतः, चूँकि ओरछा का मौजूदा संग्रहालय (जहांगीर महल, ओरछा) संगीत के संग्रहालय के विस्तार और निर्माण के लिए उपलब्ध था, म. प्र. सरकार ने संगीत के संग्रहालय को ग्वालियर से जहांगीर महल में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा (मार्च 2018)। संगीत संग्रहालय के स्थांनातरण से भारत सरकार सहमत नही हुआ और केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) से ₹ 447.64 लाख (ककण मठ घटक के मूल्य सहित) घटा दिए गए।
2	ग्वालियर और आसपास	ककण मठ में विकास	150.02	एएसआई द्वारा अनुमति प्रदान नहीं की गई। राशि को संगीत के तानसेन संग्रहालय में अन्य घटकों के निष्पादन के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। अंततः घटक को त्याग दिया गया।	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने ककण मठ में स्थित स्मारकों के विकास के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रदान नहीं किया था और कम्पनी के एनओसी के लिए आवेदन को एएसआई द्वारा अस्वीकार कर दिया गया (अप्रैल 2017)। एएसआई द्वारा यह सुझाव दिया गया कि संरक्षित क्षेत्र के बाहर घटकों के निर्माण के लिए विकल्प तलाशे जाएं।
3	खजुराहो और आसपास	येलो बिल्डिंग में टीएफसी और टीआईसी	200.04	घटक को त्याग दिया गया, क्योंकि एएसआई ने अनुमति नहीं दी और येलो बिल्डिंग को नहीं सौंपा।	खजुराहो स्थित येलो बिल्डिंग एएसआई के नियंत्रण में है। येलो बिल्डिंग में एक पुराना संग्रहालय स्थित है। एएसआई ने एक नए संग्रहालय भवन का निर्माण किया है, हालांकि, कुछ पुरानी मूर्तियों और सामग्री को पुरानी येलो बिल्डिंग में ही रखा गया है। इसे देखते हुए, एएसआई ने टीएफसी और टीआईसी के निर्माण के लिए कम्पनी को येलो बिल्डिंग सौंपने से इनकार कर दिया (दिसंबर 2017)। म. प्र. सरकार ने एमओटी, भारत सरकार को टीएफसी को होटल पायल, खजुराहो (कम्पनी की एक

क्रम सं	स्थान	घटक का नाम	मूल स्वीकृति (₹ लाख में)	टिप्पणियाँ	कारण
					वाणिज्यिक इकाई) में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया (सितंबर 2018)। भारत सरकार, टीएफसी के स्थानांतरण से सहमत नही हुई और सीएफए से ₹ 200.04 लाख कम किया गया।
कार्यों के छोडे गए घटक और सीएफए का पुनः विनियोजन					
4	खजुराहो और आसपास	विभिन्न स्मारकों में रोशनी	50.02	ओरछा में विभिन्न स्मारकों के सौर रोशनी में स्थानांतरित कर दिया गया	एएसआई संरक्षित स्मारकों में सौर रोशनी के लिए अनुमति प्राप्त करने में कठिनाई के मद्देनजर, म. प्र. सरकार ने एमओटी, भारत सरकार को इस घटक को छोड़ने और ओरछा में सौर रोशनी और फोकस लाइट की ओर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया (अप्रैल 2018), जिस पर भारत सरकार ने सहमति व्यक्त की।
5	खजुराहो और आसपास	रानेह फॉल	100.35	घटक को कुटनी बांध में स्थानांतरित किया गया क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान प्राधिकरण द्वारा एनओसी प्रदान नहीं की गई।	रानेह फॉल, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अधिकार क्षेत्र में था। हालांकि, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र निदेशक द्वारा रानेह फॉल में विकास कार्य करने की अनुमति नहीं दी गई थी। नतीजतन, घटक को छोड दिया गया और इसकी निधि ₹ 100.35 लाख को कुटनी बांध के पथरिया किले में स्थानांतरित कर दिया गया।
6	चंदेरी	विभिन्न स्मारकों में रोशनी	50.05	चंदेरी में विभिन्न स्थानों पर स्वीकृत सभी रोशनी के कार्यो को बादल महल, चंदेरी में स्थानांतरित किया गया।	एएसआई संरक्षित स्मारकों में सौर रोशनी की अनुमति प्राप्त करने में कठिनाई के मद्देनजर, म. प्र. सरकार ने एमओटी भारत सरकार को इस घटक को छोड़ने और बादल महल, चंदेरी में सौर रोशनी और फोकस लाइट की ओर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया (अप्रैल 2018), जिस पर भारत सरकार द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

परिशिष्ट–4.3.3
(कंडिका 4.3.5.1 में संदर्भित)
ऐसे घटकों का विवरण जहां ज़मीन की अनुपलब्धता और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से अनुमति नहीं मिलने के कारण स्थानांतरण/ पुनः विनियोजन किया गया था

क्रम. सं.	स्थान	घटक का नाम	मूल स्वीकृति (₹ लाख में)	संशोधित स्वीकृति (₹ लाख में)	घटक में परिवर्तन की प्रकृति	टिप्पणियाँ	अनुरूप परिवर्तन की क्र. सं.
कार्यों के घटको के सीएफए में कमी							
1	ग्वालियर और आसपास	ग्वालियर किले में विकास	350.02	309.58	कम हुआ	सार्वजनिक सुविधाओं के लिए स्वीकृत ₹ 40.44 लाख को बैजा ताल और लक्ष्मी बाई स्मारक में विभिन्न घटकों के लिए स्थानांतरित किया जाना है क्योंकि एएसआई अनुमति प्रदान नहीं कर रहा है।	10, 12
2	ग्वालियर और आसपास	बटेश्वर मंदिर परिसर का विकास	150.03	128.40	कम हुआ	सौर रोशनी के लिए स्वीकृत ₹ 21.63 लाख को बैजा ताल में समान घटकों में स्थानांतरित कर दिया गया है।	10
3	ग्वालियर और आसपास	पदावली का विकास	150.09	136.40	कम हुआ	सौर रोशनी और फोकस लाइट के लिए मंजूर किए गए ₹ 13.69 लाख को बैजा ताल में समान घटकों में स्थानांतरित किया गया।	10
4	ग्वालियर और आसपास	मितावली का विकास	150.05	139.00	कम हुआ	सौर रोशनी और फ़ोकस लाइट के लिए मंजूर किए ₹ 11.06 लाख, इटैलियन गार्डन में समान घटकों के लिए स्थानांतरित किया जाना है।	11
5	ओरछा	हेरिटेज गेट (गुदरी दरवाजा) के आसपास का विकास	30.04	22.26	कम हुआ	सौर रोशनी के लिए स्वीकृत ₹ 7.78 लाख को जहांगीर महल, ओरछा में समान घटकों के लिए स्थानांतरित किया जाना है।	13
6	खजुराहो और आसपास	विभिन्न स्मारकों के पास सार्वजनिक सुविधाएं	150.13	71.98	कम हुआ	ओरछा में स्मारकों के सौर रोशनी के लिए ₹ 17.15 लाख को स्थानांतरित किया जाना है (विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक सुविधाओं पर सौर रोशनी के लिए पिछली स्वीकृती) और ₹ 61 लाख को कुटनी बांध में अन्य घटकों के लिए स्थानांतरित किया जाएगा।	13, 14
7	खजुराहो और आसपास	धुबेला	175.14	166.36	कम हुआ	₹ 8.76 लाख को ओरछा में विभिन्न स्मारकों की रोशनी के लिए स्थानांतरित किया जाना है।	13
8	मांडू	रीवा ताल में विकास	100.08	92.39	कम हुआ	सौर रोशनी और फ़ोकस लाइट के लिए स्वीकृत ₹ 7.70 लाख को बैजा ताल, ग्वालियर की रोशनी के लिए स्थानांतरित किया जाना है।	10
9	मांडू	विभिन्न स्मारकों के आसपास विकास	50.10	31.20	कम हुआ	सौर रोशनी और फ़ोकस लाइट के लिए स्वीकृत ₹ 18.90 लाख को इटैलियन गार्डन, ग्वालियर में उसी घटकों के लिए स्थानांतरित किया जाना है।	11, 12
उप योग			**1305.68**	**1097.57**	**₹ 208.11 लाख कम हो गए**		

क्रम. सं.	स्थान	घटक का नाम	मूल स्वीकृति (₹ लाख में)	संशोधित स्वीकृति (₹ लाख में)	घटक में परिवर्तन की प्रकृति	टिप्पणियाँ	अनुरूप परिवर्तन की क्र. सं.
कार्यों के घटकों के सीएफए में वृद्धि							
10	ग्वालियर और आसपास	बैजा ताल के आसपास का विकास	600.04	637.81	वृद्धि	बटेश्वर मंदिर में से ₹ 21.63 लाख जोड़े गए, संगीत के तानसेन संग्रहालय से ₹ 2.45 लाख और पधावली के लिए सौर रोशनी और फोकस लाइट में से ₹ 13.69 लाख बैजा ताल में स्थानांतरित किए जाने हैं।	1, 2, 3, 8
11	ग्वालियर और आसपास	इटैलियन गार्डन के आसपास विकास	300.06	368.42	वृद्धि	ग्वालियर किले में सार्वजनिक सुविधाओं के लिए स्वीकृत ₹ 20.22 लाख को पत्थर फव्वारे की पूर्वावस्था के लिए स्थानांतरित किए जाने हैं और लक्ष्मी बाई स्मारक से ₹ 10.47 लाख, मितावली से ₹ 11.06 लाख, रीवा ताल मांडू से ₹ 7.70 लाख और मांडू से ₹ 18.90 लाख रोशनी और फोकस लाइट के लिए मंजूर किए गए।	4, 9
12	ग्वालियर और आसपास	लक्ष्मी बाई स्मारक के आसपास विकास	150.05	159.80	वृद्धि	ग्वालियर किले के घटकों के विकास से ₹ 20.22 लाख अलग–अलग घटकों के लिए स्थानांतरित हुए और सौर रोशनी के लिए स्वीकृत ₹ 10.47 लाख, इटैलियन गार्डन में इन्हीं घटकों के लिए स्थानांतरित किया जाना है।	1, 9
13	ओरछा	अन्य	70.13	153.83	वृद्धि	विभिन्न स्मारकों पर रोशनी और सौर फोकस लाइट के लिए राशि का पुनः विनियोजन (₹ 49.41 लाख से ₹ 133.11 लाख बढे)।	5, 6, 7 और परिशिष्ट 4.3.2 का क्र. 4
14	खजुराहो और आसपास	कुटनी बांध में पथरिया किला	400.26	561.61	वृद्धि	₹ 100.35 लाख रानेह फॉल से स्थानांतरित किए जाने हैं और ₹ 61 लाख विभिन्न स्मारकों की जन सुविधाओं से पुल और शौचालय के घटकों के लिए स्थानांतरित किया जाना है।	6 और परिशिष्ट 4.3.2 का क्र. 5
15	चंदेरी	बादल महल में सौर रोशनी और फोकस लाइट	0	50.05	वृद्धि	नया घटक, चंदेरी में विभिन्न स्थानों पर स्वीकृत सभी रोशनी को बादल महल, चंदेरी में स्थानांतरित किया जाना है।	परिशिष्ट 4.3.2 का क्र. 6
उप योग			**1520.54**	**1931.52**	**₹ 410.98 लाख जोड़ा गया**		

परिशिष्ट– 4.3.4
(कंडिका 4.3.5.2 में संदर्भित)
निविदाओं और कार्यों को सौपने में देरी

क्र. सं.	कार्य का नाम	एनआईटी की दिनांक[1]	एलओए की दिनांक[2]	कार्य सौपनें की दिनांक	निर्धारित समापन दिनांक	वास्तविक समापन दिनांक	भारत सरकार की स्वीकृति दिनांक से एनआईटी में देरी[3]	भारत सरकार की स्वीकृति दिनांक से कार्य को सौपने में देरी	एलओए दिनांक से कार्य को सौपने में देरी[4]	कार्य आदेश के तहत कार्य समापन करने में देरी	स्वीकृति आदेश के तहत कार्य समापन करने में देरी	कम्पनी का प्रतिउत्तर और लेखापरीक्षा की टिप्पणियॉं
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)=(3)-स्वीकृति दिनांक**	**(9)=(5)-स्वीकृति दिनांक**	**(10)=(5)-(4)+15 दिन**	**(11)=(7)-(6)**	**(12)=(7)-स्वीकृति आदेश के तहत निर्धारित समापन दिनांक**	**(13)**
वन्यजीव सर्किट (स्वीकृति आदेश के अनुसार निर्धारित समापन दिनांक – 06 जून 2018)												
1	पनपथा बफ़र ज़ोन बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले के पास वन सूचना केंद्र, ओपन एयर एम्फीथिएटर, कम्पाउंड वॉल, चेन लिंक फ़ेंसिंग, कैनोपी वॉक, पार्किंग और अन्य विकास कार्य का निर्माण।	25–मई –17	24–जून –17	04–अक्टूबर –17	03–सितंबर –18	06–फरवरी –20	535	667	87	521	610	म. प्र. सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (अगस्त 2020) कि जमीन की उपलब्धता में देरी के कारण काम में देरी हुई।
2	वन्यजीव सर्किट के तहत स्वीकृत बांधवगढ़ उमरिया जिले में मचान, बफर ज़ोन एंट्री	13–फरवरी –19	06–मार्च–19	08–मार्च–19	07–जून–19	06–फरवरी –20	1164	1187	बिना विलंब	244	610	म. प्र. सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (अगस्त 2020) कि यह कार्य पूर्व में निष्पादन

[1] निविदा आमंत्रित करने की सूचना।
[2] स्वीकृति पत्र।
[3] वन्यजीव सर्किट – 07 दिसम्बर 2015 और हेरिटेज सर्किट – 19 सितम्बर 2016।
[4] एलओए जारी करने की तिथि से 15 दिनों के भीतर कार्य सौपा जाना था।

क्र. सं.	कार्य का नाम	एनआईटी की दिनांक[1]	एलओए की दिनांक[2]	कार्य सौपनें की दिनांक	निर्धारित समापन दिनांक	वास्तविक समापन दिनांक	भारत सरकार की स्वीकृति दिनांक से एनआईटी में देरी[3]	भारत सरकार की स्वीकृति दिनांक से कार्य को सौपने में देरी	एलओए दिनांक से कार्य को सौपने में देरी[4]	कार्य आदेश के तहत कार्य समापन करने में देरी	स्वीकृति आदेश के तहत कार्य समापन करने में देरी	कम्पनी का प्रतिउत्तर और लेखापरीक्षा की टिप्पणियॉ
	गेट, पार्किंग, रास्ते और सौर प्रकाश आदि का निर्माण।											के लिए वन विभाग को आवंटित किए गए थे। हालांकि, समय पर स्थान को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण काम में देरी हुई।
3	सीधी में संजय राष्ट्रीय उद्यान में वन सूचना केंद्र, गेट और अन्य कार्य का निर्माण	08–जून –16	20–सितंबर –16	21–मार्च–17	20–फरवरी –18	28–जून –19	184	470	167	493	387	म. प्र. सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (अगस्त 2020) कि कार्य योजना और विस्तृत डिज़ाइन तैयार करने में देरी के कारण काम में देरी हुई।
4	ग्राम रोहनिया तहसील मैहर जिला सतना में रास्ते की सुविधाओं का निर्माण	24–अक्टूबर –16	24–दिसंबर –16	15–जून –17	14–मार्च–18	26–फरवरी –19	322	556	158	349	265	म. प्र. सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (अगस्त 2020) कि कार्य योजना और विस्तृत डिज़ाइन तैयार करने में देरी के कारण काम में देरी हुई।
5	संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी में कैनोपी वॉक का निर्माण	13–अगस्त –18	18–सितम्बर –18	06–अक्टूबर –18	05–फरवरी –19	02– अप्रैल –19	980	1034	3	56	300	म. प्र सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (अगस्त 2020) कि यह कार्य पूर्व में निष्पादन के लिए वन विभाग को आवंटित किए गए थे। हालांकि, समय पर स्थान को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण, काम में देरी हुई।
6	मुकुंदपुर चिड़ियाघर, सतना जिले के पास कैफेटेरिया, पार्किंग, परिसर की दीवार आदि का निर्माण।	12–फरवरी –16	24–अप्रैल –16	23–जुलाई –16	22–मार्च–17	20–मई –18	67	229	75	424	बिना विलंब	म. प्र. सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (अगस्त 2020) कि अनुमति प्राप्त करने में देरी और भूमि की अनुपलब्धता के कारण काम में देरी हुई।

क्र. सं.	कार्य का नाम	एनआईटी की दिनांक[1]	एलओए की दिनांक[2]	कार्य सौपनें की दिनांक	निर्धारित समापन दिनांक	वास्तविक समापन दिनांक	भारत सरकार की स्वीकृति दिनांक से एनआईटी में देरी[3]	भारत सरकार की स्वीकृति दिनांक से कार्य को सौपने में देरी	एलओए दिनांक से कार्य को सौपने में देरी[4]	कार्य आदेश के तहत कार्य समापन करने में देरी	स्वीकृति आदेश के तहत कार्य समापन करने में देरी	कम्पनी का प्रतिउत्तर और लेखापरीक्षा की टिप्पणियॉ
7	संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी जिले के बफर जोन में कंपाउंड वॉल, चेन लिंक फेंसिंग, पार्किंग एरिया, कैफेटेरिया, लॉग हट्स और अन्य काम का निर्माण।	21–अप्रैल –16	16–मई –16	01–अक्टूबर –16	31–अगस्त –17	10–जुलाई –18	136	299	123	313	34	म. प्र. सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (अगस्त 2020) कि सलाहकार द्वारा डिजाइन और ड्राइंग को अंतिम रूप देने में देरी के कारण काम में देरी हुई।
8	कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जिला– मंडला में कैफेटेरिया, एम्फीथिएटर, लॉग हट्स और अन्य विकास कार्यों का निर्माण।	12–फरवरी –16	12–मई –16	01–जून –16	30–अप्रैल –18	02–नवंबर –18	67	177	5	186	149	म. प्र. सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (अगस्त 2020) कि वन विभाग से अनुमति मिलने में देरी के कारण काम में देरी हुई।
9	पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सिवनी के बफर क्षेत्र में कैफेटेरिया, एम्फीथिएटर, कम्पाउंड वॉल, फेंसिंग, कैंपिंग साइट और अन्य विकास कार्यों का निर्माण।	12–फरवरी –16[5]	05–मई –16	29–जुलाई –16	28–मार्च–17	28–मार्च–18	67	235	70	365	बिना विलंब	म. प्र. सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (अगस्त 2020) कि जमीन की उपलब्धता में देरी के कारण, काम की पुनः निविदा जारी की गयी और काम में देरी हुई।
10	कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जिला– मंडला में कैफेटेरिया, एम्फीथिएटर, लॉग हट्स और अन्य विकास कार्यों का निर्माण।	12–फरवरी –16	05–मई –16	06–जून –16	05–फरवरी –17	02–अक्टूबर –19	67	182	17	969	483	म. प्र. सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (अगस्त 2020) कि भूमि और बफर क्षेत्र पर कब्ज़ा प्राप्त करने में देरी के कारण काम में देरी हुई।

[5] 22 फरवरी 2016 को मूल्य बोलियाँ खोलने के बाद भी, कम्पनी द्वारा कार्य को सौपने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। बिना किसी कारण को दर्ज किए, कम्पनी ने फिर से 07 अप्रैल 2016 को निविदा कार्रवाई शुरू की। अंततः काम को परियोजना के अनुमोदन की तिथि से आठ महीने की देरी के साथ, 29 जुलाई 2016 को मैसर्स मानस कंस्ट्रक्शंस, भोपाल को प्रदान किया गया। ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय से एक वर्ष की देरी से 28 मार्च 2018 को कार्य पूरा किया गया ।

क्र. सं.	कार्य का नाम	एनआईटी की दिनांक[1]	एलओए की दिनांक[2]	कार्य सौपनें की दिनांक	निर्धारित समापन दिनांक	वास्तविक समापन दिनांक	भारत सरकार की स्वीकृति दिनांक से एनआईटी में देरी[3]	भारत सरकार की स्वीकृति दिनांक से कार्य को सौपने में देरी	एलओए दिनांक से कार्य को सौपने में देरी[4]	कार्य आदेश के तहत कार्य समापन करने में देरी	स्वीकृति आदेश के तहत कार्य समापन करने में देरी	कम्पनी का प्रतिउत्तर और लेखापरीक्षा की टिप्पणियॉ
11	सिवनी–छिंदवाड़ा के बीच रास्ते की सुविधाओं का निर्माण।	08–फरवरी –16	02–मार्च–16	24–अगस्त –16	23–मई –17	24–अप्रैल –17	63	261	160	बिना विलंब	बिना विलंब	म. प्र. सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (अगस्त 2020) कि जमीन पर कब्ज़ा प्राप्त करने में देरी के कारण, काम में देरी हुई।
12	पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना के बफर क्षेत्र में कैफेटेरिया, ओपन एयर थिएटर, 09 लॉग हट्स, पार्किंग और अन्य कार्य का निर्माण।	12–फरवरी –16	06–अप्रैल –16	20–सितंबर –16	19–सितम्बर –17	18–जनवरी –20	67	288	152	851	591	म. प्र. सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (अगस्त 2020) कि सलाहकार द्वारा डिजाइन और ड्राइंग को अंतिम रूप देने में देरी के कारण, काम में देरी हुई।
हेरिटेज सर्किट (स्वीकृति आदेश के अनुसार निर्धारित समापन दिनांक – 18 मार्च 2019)												
13	कन्वेंशन सेंटर, खजुराहो में बाहरी विद्युतीकरण कार्य	01–फरवरी –19	07–मार्च–19	10–जून –19	09–अक्टूबर –19	30–सितंबर –20	865	994	80	357	562	म. प्र. सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (अगस्त 2020) कि कन्वेंशन सेंटर के सिविल कार्य को पूरा करने में देरी के कारण, बाहरी विद्युतीकरण, एसी और एचवीएसी लगाने और प्रकाश की फिक्सिंग के काम को भी देरी के साथ लिया गया।
14	कन्वेंशन सेंटर, खजुराहो में एचवीएसी कार्य प्रदान करना और ठीक करना	21–फरवरी –19	14–जून –19	09–जुलाई –19	08–जनवरी –20	30–सितंबर –20	885	1023	10	266	562	
15	कन्वेंशन सेंटर, खजुराहो में प्रकाश व्यवस्था का काम प्रदान करना और ठीक करना	11–फरवरी –19	03–जून –19	25–अक्टूबर –19	24–फरवरी –20	30–सितंबर –20	875	1131	129	219	562	
16	जहाज महल परिसर, मांडू में ध्वनि और प्रकाश शो का कार्यान्वयन।	22–जुलाई –16	04–जनवरी –17	15–मार्च–17	14–सितम्बर –17	10–फरवरी –19	बिना विलंब	177	55	514	बिना विलंब	म. प्र. सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (अगस्त 2020) कि साउंड और लाइट शो की जगह बदलने, एएसआइ द्वारा

क्र. सं.	कार्य का नाम	एनआईटी की दिनांक[1]	एलओए की दिनांक[2]	कार्य सौपनें की दिनांक	निर्धारित समापन दिनांक	वास्तविक समापन दिनांक	भारत सरकार की स्वीकृति दिनांक से एनआईटी में देरी[3]	भारत सरकार की स्वीकृति दिनांक से कार्य को सौपने में देरी	एलओए दिनांक से कार्य को सौपने में देरी[4]	कार्य आदेश के तहत कार्य समापन करने में देरी	स्वीकृति आदेश के तहत कार्य समापन करने में देरी	कम्पनी का प्रतिउत्तर और लेखापरीक्षा की टिप्पणियॉ
												अंतिम स्क्रिप्ट की मंजूरी में देरी और अन्य प्रक्रियात्मक पहलुओं के कारण, काम में देरी हुई।
17	ग्वालियर किले, ग्वालियर में सार्वजनिक सुविधा, स्मारिका दुकान, पार्किंग और अन्य कार्यों का विकास (ग्वालियर गेट, उरवाई गेट, सास बहू मंदिर, गुरुद्वारा, साउंड एंड लाइट शो)	15–नवंबर –16	23–दिसंबर –16	02–अगस्त –17	01–जुलाई –18	20–मई –18	57	317	207	बिना विलंब	बिना विलंब	म. प्र. सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (अगस्त 2020) कि साइट/ज़मीन पर कब्ज़ा प्राप्त करने में देरी की वजह से काम में देरी हुई।
18	ग्वालियर और चंबल संभाग के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पत्थर की सामग्री उपलब्ध कराना और उन्हें लगाना।	27–नवंबर –17	29–दिसंबर –17	13–फरवरी –18	12–मई –18	09–जून –18	434	512	31	28	बिना विलंब	म. प्र. सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (अगस्त 2020) कि विभिन्न स्थलों पर बुनियादी सिविल कार्य पूरा करने में देरी के कारण, पत्थर को बिठाने का काम देरी से पूरा किया गया।
19	मितावली, मुरैना में सार्वजनिक सुविधाओं, पार्किंग, मार्ग और अन्य कार्यों का विकास	15–नवंबर –16	18–सितम्बर –17	26–सितम्बर –17	25–मार्च–18	23–मार्च–18	57	372	बिना विलंब	बिना विलंब	बिना विलंब	म. प्र. सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (अगस्त 2020) कि एएसआइ से साइट पर कब्जा पाने में देरी के कारण, काम में देरी हुई।
20	बैजताल, ग्वालियर में सार्वजनिक सुविधाओं, विकास, सौंदर्यीकरण और अन्य कार्यों का निर्माण।	24–अक्टूबर –16	09–दिसंबर –16	08–अगस्त –17	07–जुलाई –18	15–मई –18	35	323	227	बिना विलंब	बिना विलंब	म. प्र. सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (अगस्त 2020) कि साइट/ज़मीन पर कब्ज़ा प्राप्त करने में देरी की वजह से

क्र. सं.	कार्य का नाम	एनआईटी की दिनांक[1]	एलओए की दिनांक[2]	कार्य सौपनें की दिनांक	निर्धारित समापन दिनांक	वास्तविक समापन दिनांक	भारत सरकार की स्वीकृति दिनांक से एनआईटी में देरी[3]	भारत सरकार की स्वीकृति दिनांक से कार्य को सौपने में देरी	एलओए दिनांक से कार्य को सौपने में देरी[4]	कार्य आदेश के तहत कार्य समापन करने में देरी	स्वीकृति आदेश के तहत कार्य समापन करने में देरी	कम्पनी का प्रतिउत्तर और लेखापरीक्षा की टिप्पणियॉ
21	बारादरी, इटालियन गार्डन और गोपाल मंदिर, ग्वालियर में सार्वजनिक सुविधाओं, विकास, मार्ग, पार्किंग और अन्य कार्यों का निर्माण।	24–अक्टूबर –16	04–अगस्त –17	22–अगस्त –17	21–जुलाई –18	15–जून –18	35	337	3	बिना विलंब	बिना विलंब	कामों में देरी हुई।
22	बटेश्वर और पदावली, मुरैना में सार्वजनिक सुविधाओं, पार्किंग, मार्ग और अन्य कार्यों का विकास।	15–नवंबर –16	18–सितम्बर –17	26–सितम्बर –17	25–मई –18	23–मार्च–18	57	372	बिना विलंब	बिना विलंब	बिना विलंब	म. प्र. सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (अगस्त 2020) कि एएसआइ से साइट की अनुमति/अधिकार प्राप्त करने में देरी के कारण काम में देरी हुई।
23	ग्वालियर के लक्ष्मी बाई स्मारक में सार्वजनिक सुविधाओं का विकास, पार्किंग, रिटेनिंग वॉल और अन्य कार्य।	15–नवंबर –16	23–दिसंबर –16	01–अप्रैल –17	19–अक्टूबर –17	15–फरवरी –18	57	194	84	119	बिना विलंब	म. प्र. सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (अगस्त 2020) कि साइट/ ज़मीन पर कब्ज़ा पाने में देरी के कारण, काम देरी से पूरा हुआ।
24	चंदेरी अशोकनगर जिले के पास बैजू बावरा समाधि, चकला बावड़ी, दिल्ली दरवाज़ा, ढोलिया दरवाजा के आसपास सार्वजनिक सुविधा और विकास कार्यों का निर्माण।	31–जनवरी –17	03–मार्च–17	10–अप्रैल –17	09–अक्टूबर –17	30–मार्च–18	134	203	23	172	बिना विलंब	म. प्र. सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (अगस्त 2020) कि एएसआइ/ नगर परिषद से अनुमति मिलने में देरी के कारण, काम देरी से पूरा हुआ।
25	ग्वालियर में विभिन्न स्थानों के लिए भूनिर्माण कार्य।	27–नवंबर –17	09–फरवरी –18	08–मार्च–18	07–जून –18	06–जून –18	434	535	12	बिना विलंब	बिना विलंब	म. प्र. सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (अगस्त 2020) कि विभिन्न साइटों पर बुनियादी

क्र. सं.	कार्य का नाम	एनआईटी की दिनांक[1]	एलओए की दिनांक[2]	कार्य सौपनें की दिनांक	निर्धारित समापन दिनांक	वास्तविक समापन दिनांक	भारत सरकार की स्वीकृति दिनांक से एनआईटी में देरी[3]	भारत सरकार की स्वीकृति दिनांक से कार्य को सौपने में देरी	एलओए दिनांक से कार्य को सौपने में देरी[4]	कार्य आदेश के तहत कार्य समापन करने में देरी	स्वीकृति आदेश के तहत कार्य समापन करने में देरी	कम्पनी का प्रतिउत्तर और लेखापरीक्षा की टिप्पणियॉ
												सिविल कार्य पूरा करने में देरी के कारण, भूनिर्माण कार्यों को देरी से लिया गया।
26	ओबेदुल्लागंज, रायसेन जिले में रास्ते की सुविधा एवं उसका आंतरिक इलेक्ट्रिकल कार्य का निर्माण।	08–नवंबर –17	01–दिसंबर –17	23–मार्च–18	22–जुलाई –18	22–दिसंबर –18	415	550	97	153	बिना विलंब	म. प्र. सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (अगस्त 2020) कि निर्माणों के लिए भूमि को अंतिम रूप देने में देरी के कारण, कार्य को देरी से पूरा किया गया।
27	मांडू, जिला धार में टीएफसी आंतरिक विद्युतीकरण कार्य का निर्माण	22–जून –17	08–सितम्बर –17	16–फरवरी –18	15–अगस्त –18	19–सितम्बर –18	276	515	146	35	बिना विलंब	म. प्र. सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (अगस्त 2020) कि निर्माणों के लिए भूमि को अंतिम रूप देने में देरी के कारण, कार्य को देरी से पूरा किया गया।
28	टीआरसी ओरछा का निर्माण	06–दिसंबर –16	28–जनवरी –17	09–मार्च–17	08–सितम्बर –18	07–दिसंबर –18	78	171	25	90	बिना विलंब	म. प्र. सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (अगस्त 2020) कि ड्राइंग और बीओक्यू को अंतिम रूप देने में देरी और पुरानी मौजूदा दीवार को गिराने के कारण, काम देरी से पूरा हुआ।
29	पथरिया किले, कुटनी बांध खजुराहो में कैफेटेरिया, कार्यालय ब्लॉक, जन सुविधाए और अन्य काम का निर्माण ।	06–दिसंबर –16	08–फरवरी –17	14–जून –17	13–दिसंबर –18	27–जन –20	78	268	111	410	315	म. प्र. सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (अगस्त 2020) कि साइट की मुश्किलों के कारण, ड्राइंग और बीओक्यू को अंतिम रूप देने में देरी हुई, जिस कारण काम में देरी हुई।

क्र. सं.	कार्य का नाम	एनआईटी की दिनांक[1]	एलओए की दिनांक[2]	कार्य सौपनें की दिनांक	निर्धारित समापन दिनांक	वास्तविक समापन दिनांक	भारत सरकार की स्वीकृति दिनांक से एनआईटी में देरी[3]	भारत सरकार की स्वीकृति दिनांक से कार्य को सौपने में देरी	एलओए दिनांक से कार्य को सौपने में देरी[4]	कार्य आदेश के तहत कार्य समापन करने में देरी	स्वीकृति आदेश के तहत कार्य समापन करने में देरी	कम्पनी का प्रतिउत्तर और लेखापरीक्षा की टिप्पणियॉ
30	खजुराहो, छतरपुर में कन्वेंशन सेंटर का निर्माण ।	29–जून –17	08–सितम्बर –17	15–नवंबर –17	14–नवंबर –18	पूरा नहीं	283	422	53	पूरा नहीं[6]	पूरा नहीं	म. प्र. सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (अगस्त 2020) कि जमीन की पहचान में देरी और अलग सलाहकार द्वारा शॉप ड्राइंग को अंतिम रूप देने में देरी के कारण काम में देरी हुई।
31	शिल्प ग्राम, खजुराहो जिले छतरपुर में थीम पार्क का निर्माण।	12–जनवरी –18	20–फरवरी –18	21–अगस्त –18	21–जून –19	30–अगस्त –19	480	701	167	70	165	म. प्र. सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (अगस्त 2020) कि संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करने में देरी और साइट क्लीयरेंस में देरी के कारण काम में देरी हुई।
32	खजुराहो, जिले छतरपुर में कुटनी बांध, पथरिया किले में पैदल पुल का निर्माण।	15–दिसंबर –17	06–जनवरी –18	13–अप्रैल –18	12–सितम्बर –18	15–फरवरी –19	452	571	82	156	बिना विलंब	म. प्र. सरकार ने कहा कि बांध में अत्यधिक पानी की मौजूदगी और अप्रोच रोड में बाधा के कारण, काम देरी से पूरा हुआ। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बाद में कार्य के दायरे में पुल एवं व्यूइंग गैलरी, सार्वजनिक शौचालय एवं पेयजल, सीढ़ियों के लिए सुरक्षा रेलिंग को शामिल किया गया (मार्च 2019), जिससे कार्य के विलम्ब से पूर्ण होने में योगदान मिला।

[6] कन्वेंशन सेंटर के सिविल कार्य को पूरा करने में देरी के परिणामस्वरूप ₹ 3.66 करोड़ के तीन संबंधित कार्यो को पूरा करने में देरी हुई (इस परिशिष्ट के सरल क्रमाक 13, 14 और 15) ।

परिशिष्ट–4.3.5
(कंडिका 4.3.5.3 में संदर्भित)
ठेकेदारो के द्वारा कार्य प्रारम्भ करने में देरी

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य सौपने की तिथि	ठेकेदार का नाम	वास्तविक समापन की तिथि	पूरा होने में देरी (दिन)	कार्यों की शुरुआत में देरी (दिन)	देरी के कारण	कम्पनी का प्रतिउत्तर और लेखापरीक्षा की टिप्पणियॉं
1	पनपथा बफ़र ज़ोन, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, उमरिया जिले के पास वन सूचना केंद्र का निर्माण, ओपन एयर एम्फीथिएटर, कम्पाउंड वॉल, चेन लिंक फ़ेंसिंग, कैनोपी वॉक, पार्किंग और अन्य विकास कार्य।	4–अक्टूबर –17	एम के इंजीनियर्स ग्रुप, भोपाल	06–फरवरी –20	521	90	कम्पनी ने पनपथा बफर जोन, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के पास वन सूचना केंद्र, ओपन एयर थिएटर, कम्पाउंड वॉल, चेन लिंक फेंसिंग, कैनोपी वॉक, पार्किंग, आदि के निर्माण के लिए वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त नहीं किया।	म. प्र. सरकार ने कहा (अगस्त 2020) कि कार्य के निष्पादन के स्थान में परिवर्तन के कारण काम शुरू होने में देरी, कम्पनी के नियंत्रण में नहीं थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी कार्य निष्पादन के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान नहीं कर सकी, जिसके परिणामस्वरूप स्थान (भूमि) का परिवर्तन हुआ और परिणामस्वरूप काम शुरू होने में देरी हुई।
2	वन्यजीव सर्किट के तहत स्वीकृत बांधवगढ़, उमरिया जिले में मचान, बफर ज़ोन एंट्री गेट, पार्किंग, पाथवे और सौर प्रकाश आदि का निर्माण।	8–मार्च–19	विनोद कुमार पांडे, भोपाल	06–फरवरी –20	244	114	कम्पनी ने व्हाइट टाइगर फ़ॉरेस्ट लॉज की साइट को काम करने के लिए, ठेकेदार को 30 जून 2019 तक नहीं सौंपा, जिसका मुख्य कारण उसका व्यावसायिक संचालन था।	म. प्र. सरकार ने अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा कि रिसॉर्ट के संचालन के कारण काम में देरी हुई।
3	सीधी में संजय राष्ट्रीय उद्यान में वन सूचना केंद्र, गेट और अन्य कार्य का निर्माण	21 मार्च 17	मैसर्स कमलेश तिवारी, रीवा	28–जून –19	493	90	कम्पनी ने वन विभाग से वन सूचना केंद्र, कैफेटेरिया, ओपन एयर थिएटर, पार्किंग और अन्य कार्यों के निर्माण के लिए संजय राष्ट्रीय उद्यान के पास काम करने से पहले एनओसी नहीं ली। इसके अलावा, वन सूचना केंद्र (एफआईसी), ओपन एयर थियेटर, पार्किंग और कैफेटेरिया के निर्माण के लिए पहचान की गई राजस्व भूमि के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) पार्क प्रबंधन से जारी नहीं किया गया।	म. प्र. सरकार ने अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा कि भूमि उपलब्धता और अन्य अनुमतियां प्राप्त करने में देरी के कारण, कार्यों में देरी हुई।
4	ग्राम रोहनिया, तहसील मैहर, जिला सतना में रास्ते की सुविधाओं का निर्माण	15–जून –17	मैसर्स संजना कंस्ट्रक्शंस, भोपाल	26–फरवरी –19	349	40	रोहनिया में रास्ते की सुविधाओं के निर्माण के लिए कम्पनी ने समय पर आवश्यक जमीन उपलब्ध नहीं कराई।	
5	संजय राष्ट्रीय उद्यान, सीधी में कैनोपी वाक का निर्माण	6–अक्टूबर –18	मेसर्स पैरामाउंट इंजीनियर्स ग्रुप, भोपाल	02–अप्रैल –19	56	45	कम्पनी ने कार्य को सौपने से पहले संजय राष्ट्रीय उद्यान में कैनोपी वाक के निर्माण के लिए वन विभाग से राईट ऑफ़ वे प्राप्त	

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य सौपने की तिथि	ठेकेदार का नाम	वास्तविक समापन की तिथि	पूरा होने में देरी (दिन)	कार्यों की शुरुआत में देरी (दिन)	देरी के कारण	कम्पनी का प्रतिउत्तर और लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ
							नहीं किया। इसके अलावा, तीन बार काम के लेआउट में लगातार बदलाव हुए।	
6	मुकुंदपुर चिड़ियाघर, सतना जिले के पास कैफेटेरिया, पार्किंग, परिसर की दीवार आदि का निर्माण।	23–जुलाई –16	मैसर्स आस्था इंजीनियरिंग, सतना	20–मई –18	424	75	कम्पनी ने कार्य को सौपने से पहले कैफेटेरिया, पार्किंग, परिसर की दीवार के निर्माण के लिए वन विभाग से एनओसी प्राप्त नहीं की। इसके अलावा, वन भूमि को गैर–वन उपयोग के लिए बदलने की अनुमति में भी देरी हुई	
7	संजय राष्ट्रीय उद्यान, सीधी जिले के बफर जोन में कंपाउंड वॉल, चेन लिंक फेंसिंग, पार्किंग एरिया, कैफेटेरिया, लॉग हट्स और अन्य काम का निर्माण।	1–अक्टूबर –16	मेसर्स पैरामाउंट इंजीनियर्स ग्रुप, भोपाल	10–जुलाई –18	313	23	कम्पनी ने कार्य को सौपने से पहले कैफेटेरिया और पार्किंग की जगह के निर्माण के लिए वन विभाग से एनओसी प्राप्त नहीं किया।	
8	पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना के बफर क्षेत्र में कैफेटेरिया, ओपन एयर थिएटर, 09 लॉग हट्स, पार्किंग और अन्य कार्य का निर्माण।	20–सितंबर –16	संजना कंस्ट्रक्शन	18–जनवरी –20	851	240	कम्पनी ने कार्य को सौपने से पहले पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बफर क्षेत्र में कैफेटेरिया, ओपन एयर थिएटर, 9 लॉग हट्स, पार्किंग और अन्य कार्यों के निर्माण के लिए वन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त नहीं की।	
9	चंदेरी, अशोकनगर जिले के पास बैजू बावरा समाधि, चकला बावड़ी, दिल्ली दरवाज़ा, ढोलिया दरवाजा के आसपास सार्वजनिक सुविधा और विकास कार्यों का निर्माण।	10–अप्रैल –17	पांडे ब्रदर्स कंस्ट्रक्शन, चंदेरी	30– मार्च –18	172	90	हेरिटेज सर्किट के तहत चंदेरी के पास बैजू बावरा समाधि, चकला बावड़ी, दिल्ली दरवाजा, ढोलिया दरवाजा के आसपास सार्वजनिक सुविधाओं और विकास कार्यों के निर्माण के लिए कम्पनी ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से राईट ऑफ़ वे प्राप्त नहीं किया।	म. प्र. सरकार ने अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा कि एएसआई और नगर परिषद से अनुमति मिलने में देरी के कारण काम में देरी हुई।
10	जहाज महल परिसर, मांडू में ध्वनि और प्रकाश शो का कार्यान्वयन।	15– मार्च –17	मेसर्स ट्राईकलर इंडिया शासपियल प्रायवेट लिमिटेड, नॉएडा	10–फरवरी –19	514	420	मार्च 2017 में कार्य को सौपने के बाद, स्क्रिप्ट की मंजूरी, कम्पनी द्वारा लेआउट ड्राइंग की मंजूरी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अंतिम अनुमोदन (मई 2018), मुख्य रूप से लाइट एंड साउंड शो का स्थान जहाज महल से हिंडोला महल परिवर्तन के कारण, कार्य आदेश की तिथि से 14 महीने की देरी के साथ दिया गया। अंततः, ठेकेदार द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि से 17 महीने की देरी के भीतर, 10 फरवरी 2019 को काम पूरा कर लिया गया।	म. प्र. सरकार ने लेखाापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा कि साइट पर कब्ज़ा प्राप्त करने में देरी की वजह से काम में देरी हुई।

परिशिष्ट–4.3.6
(कंडिका 4.3.5.3 में संदर्भित)
नए निविदाओं को आमंत्रित किए बिना मौजूदा ठेकेदारों को कार्यों के नए घटकों को सौपना

सरल क्र	काम का नाम	ठेकेदार का नाम	मूल पीएसी (₹ करोड़ में)[7]	उद्धृत दर *प्रतिशत* में (एसओआर से कम)	अतिरिक्त कार्यों के घटकों के आवंटन का महीना	मौजूदा ठेकेदार को आवंटित घटकों का नाम	अतिरिक्त कार्यों के घटकों का मूल्य (₹ करोड़ में)
1	पनपथा बफ़र ज़ोन, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, उमरिया जिले के पास वन सूचना केंद्र का निर्माण, ओपन एयर एम्फीथिएटर, कम्पाउंड वॉल, चेन लिंक फ़ेंसिंग, कैनोपी वॉक, पार्किंग और अन्य विकास कार्य।	एमके इंजीनियर्स ग्रुप, भोपाल	2.40	35.54	अगस्त–18	पनपथा के लिए मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार, पहुच मार्ग, पार्किंग, चेन लिंक फेंसिंग, कैंपिंग साइट डेवलपमेंट, कैफेटेरिया, किचन, फॉरेस्ट वॉकिंग ट्रेल्स, कैनोपी वॉक एक्सटेंशन, पाथवे	1.54
2	सीधी में संजय राष्ट्रीय उद्यान में वन सूचना केंद्र, गेट और अन्य कार्य का निर्माण	मैसर्स कमलेश तिवारी, रीवा	2.10	31.36	जून/ जुलाई 2018 और मार्च / जून 2019	कॉमन टॉयलेट, चेनलिंक फेंसिंग, पाथवे, बोरिंग और ओपन–एयर थिएटर + ड्रेनेज सिस्टम	1.27
3	मुकुंदपुर चिड़ियाघर, सतना जिले के पास कैफेटेरिया, पार्किंग, परिसर की दीवार आदि का निर्माण।	मैसर्स आस्था इंजीनियरिंग, सतना	1.20	28.97	मार्च–18	केम्पिंग साईट और कैफेटेरिया के अतिरिक्त घटक	0.33
4	संजय राष्ट्रीय उद्यान के बफर जोन में परिसर की दीवार, चेन लिंक फेंसिंग, पार्किंग क्षेत्र, कैफेटेरिया, लॉग हट्स और अन्य निर्माण	मेसर्स पैरामाउंट इंजीनियर्स ग्रुप, भोपाल	3.50	36.22	दिसम्बर–17	मौजूदा/ पुराने भवन का उन्नयन	1.60
5	पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सिवनी के बफर क्षेत्र में कैफेटेरिया, एम्फीथिएटर, कम्पाउंड वॉल, फेंसिंग, कैंपिंग साइट और अन्य विकास कार्यों का निर्माण।	मैसर्स मानस कंस्ट्रक्शन, भोपाल	2.50	33.21	मई–17	बोरिंग और कैनोपी वॉक	1.23
6	कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिला– मंडला में कैफेटेरिया, एम्फी थियेटर, लॉग हट्स और अन्य विकास कार्यों का निर्माण।	मेसर्स एमके इंजीनियर्स ग्रुप, भोपाल	2.50	34.64	सितम्बर–17	वन सूचना प्रणाली, कैनोपी वॉक, मार्ग, स्टाफ क्वार्टर और अन्य कार्य	2.50
7	पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना के बफर क्षेत्र में कैफेटेरिया, ओपन एयर थियेटर, 09 लॉग हट्स, पार्किंग और अन्य कार्य का निर्माण।	संजना कंस्ट्रक्शन	4.00	28.00	मई–17	पर्यटन सूचना केंद्र और द्वार	1.00
8	ग्वालियर और चंबल संभाग के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पत्थर की सामग्री उपलब्ध कराना और उन्हें ठीक करना।	हर्षवर्धन इन्फ्राटेक प्रा. लि., भोपाल	0.85	12.51	मई–18	बैजाताल में वाल ट्रीटमेंट पर स्टोन जाली	0.45

[7] पीएसी – अनुबंध का अनुमानित मूल्य।

सरल क्र	काम का नाम	ठेकेदार का नाम	मूल पीएसी (₹ करोड़ में)[7]	उद्धृत दर *प्रतिशत* में (एसओआर से कम)	अतिरिक्त कार्यों के घटकों के आवंटन का महीना	मौजूदा ठेकेदार को आवंटित घटकों का नाम	अतिरिक्त कार्यों के घटकों का मूल्य (₹ करोड़ में)
9	बटेश्वर और पडावली, मुरैना में सार्वजनिक सुविधाओं, पार्किंग, मार्ग और अन्य कार्यों का विकास।	पैरामाउंट इंजीनियर्स ग्रुप, भोपाल	1.50	24.24	फरवरी–18	बटेश्वर में पार्किंग विकास	0.68
10	चंदेरी, अशोकनगर जिला के निकट बैजू बावरा समाधि, चकला बावड़ी, दिल्ली दरवाज़ा, ढोलिया दरवाजा के आसपास सार्वजनिक सुविधा और विकास कार्यों का निर्माण।	पांडे ब्रदर्स कंस्ट्रक्शन, चंदेरी	1.10	29.95	जनवरी–18	पर्यटक सुविधा केंद्र	1.10
11	ग्वालियर में विभिन्न स्थानों के लिए भूनिर्माण कार्य।	राज मंगल डेवलपर्स, शिवपुरी	1.32	26.66	मई –18	कूनो पालपुर, मड़ीखेड़ा के अतिरिक्त स्थान का भूनिर्माण कार्य	0.40
12	टीआरसी ओरछा का निर्माण	मैसर्स कृपा राम यादव	1.05	30.74	अप्रैल 18	बाउंड्री वॉल, पाथवे आदि।	0.50
योग							**12.60**

परिशिष्ट–4.3.7
(कंडिका 4.3.5.4 में संदर्भित)
ठेकेदार द्वारा काम पूरा करने में देरी

क्र. सं.	कार्यों का नाम	अनुबंध मूल्य[8] (₹ लाख में)	उद्धृत दर *प्रतिशत* में (एसओआर से कम)	पूर्णता की निर्धारित तिथि	पूर्णता की वास्तविक तिथि	विलंब जिस पर ठेकेदार को जुर्माना लगाया जाना था (दिनों में)	देरी पर जुर्माना[9] (₹ लाख में)	लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ
कम्पनी द्वारा अनुचित समय विस्तार के मामले								
1	सीधी में संजय राष्ट्रीय उद्यान में वन सूचना केंद्र, गेट और अन्य कार्य का निर्माण	271.24	31.36	20–फरवरी –18	28–जून –19	180	24.41	कम्पनी ने ठेकेदार को 14 महीने के लिए यानी 20 अप्रैल 2019 तक बिना जुर्माना लगाये समय विस्तार दिया (फरवरी 2018 से जून 2019 तक), जिसमे छह महीने बारिश के मौसम के लिए एवं साथी की मौत आदि कारण सम्मिलित थे। चूँकि, 20 फरवरी 2018 तक काम पूरा होने की अवधि में बारिश का मौसम सम्मिलित था और साथी की मृत्यु ठेकेदार का व्यक्तिगत मुद्दा था, बरसात के मौसम और साथी की मृत्यु के आधार पर छह महीने का समय विस्तार उचित नहीं था क्योंकि यह अप्रत्याशित घटना की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसके अलावा, कम्पनी ने कार्य को पूरा करने में 490 दिनों की देरी को नियमित किया (फरवरी 2020) और अन्य आधारों पर जैसे वन विभाग द्वारा कार्य को रोकना, बालू खनन पर रोक, उच्च तनाव वाली विद्युत लाइन इत्यादि पर समय विस्तार दिया और केवल तीन दिनों के लिए ₹ 35,494 टोकन पेनल्टी लगाई।
2	ग्राम रोहनिया, तहसील मैहर, जिला सतना में रास्ते की सुविधाओं का निर्माण	85.17	37.10	14–मार्च–18	26–फरवरी–19	113	4.86[10]	कम्पनी ने ठेकेदार को 207 दिनों के लिए यानी 07 अक्टूबर 2018 तक समय विस्तार दिया (मार्च 2019), जिसमें समय पर जमीन मुहैया नहीं कराने, कार्य की मात्रा में वृद्धि आदि के लिए 87 दिन सम्मिलित थे और कार्यस्थल से सड़क स्तर ऊपर होने के कारण कार्यस्थल पर बारिश का पानी जमा होने और राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्य प्रगति पर होने के कारण कन्नेक्टिविटी की कमी के लिए 120 दिन सम्मिलित थे एवं परिणामस्वरूप केवल सात दिनों के लिए नाममात्र का ₹ 24,878 जुर्माना लगाया। चूँकि, 14 मार्च 2018 तक काम पूरा होने की अवधि में बारिश का मौसम शामिल था, बारिश के मौसम और सड़क निर्माण के आधार पर मांग की गई 160 दिनों के विस्तार के खिलाफ स्वीकृत 120 दिनों का विस्तार उचित नहीं था क्योंकि यह अप्रत्याशित घटना की श्रेणी के तहत नही आता है।

[8] ठेकेदार को आंवटित वास्तविक कार्य और अतिरिक्त कार्य के मूल्य और उद्धत दरों में कमी लागू करने के बाद अनुबंध का मूल्य ।

[9] अनुबंध मूल्य के 0.05 प्रतिशत प्रतिदिन एवं अनुबंध मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत तक, जहॉ अनुबंध मूल्य = पीएसी x (100–उद्धत दर)/100 ।

[10] 120 दिनों की शास्ति : ₹ 5.11 लाख - कम्पनी द्वारा वसूल शास्ति : ₹ 0.25 लाख ।

क्र. सं.	कार्यों का नाम	अनुबंध मूल्य[8] (₹ लाख में)	उद्धृत दर *प्रतिशत* में (एसओआर से कम)	पूर्णता की निर्धारित तिथि	पूर्णता की वास्तविक तिथि	विलंब जिस पर ठेकेदार को जुर्माना लगाया जाना था (दिनों में)	देरी पर जुर्माना[9] (₹ लाख में)	लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ
3	सतना जिला के मुकुंदपुर चिड़ियाघर के पास कैफेटेरिया, पार्किंग, परिसर की दीवार आदि का निर्माण।	118.24	28.97	22–मार्च–17	20–मई –18	171	1.81[11]	ठेकेदार ने 485 दिनों (यानी 20 सितंबर 2018 तक) के लिए समय बढ़ाने का दावा किया, जिसमें वन विभाग द्वारा काम बंद करने (75 दिन), साथी की स्वास्थ्य समस्या (60 दिन), साथी की मृत्यु (150 दिन), रेत खनन पर प्रतिबंध (20 दिन), वन विभाग द्वारा सामग्री की आवाजाही पर प्रतिबंध (90 दिन) और पीएसी में वृद्धि (90 दिन) जैसे विभिन्न कारणों का हवाला दिया गया। कम्पनी ने ठेकेदार को 424 दिनों के लिए यानी 20 मई 2018 तक, समय विस्तार स्वीकृत किया (अप्रैल 2019), जिसमें साथी के बीमार स्वास्थ्य के लिए 36 दिन और साथी की मृत्यु के लिए 150 दिन सम्मिलित थे एवं केवल 15 दिनों के लिए ₹ 15,810 का मामूली दंड लगाया। चूँकि, ठेकेदार फर्म के साथी का बीमार स्वास्थ्य और मृत्यु उनका व्यक्तिगत मुद्दा था और इस आधार पर काम का समय विस्तार बिना दंड के नहीं किया जाना चाहिए था। हालांकि, कम्पनी ने इस आधार पर मांगे गए 210 दिनों के समय विस्तार के खिलाफ, 186 दिनों के विस्तार को मंजूरी दे दी, जो कि न्यायसंगत नहीं थी क्योंकि यह अप्रत्याशित घटना की श्रेणी में नहीं आती थी।
4	संजय राष्ट्रीय उद्यान, सीधी जिला के बफर जोन में परिसर की दीवार, चेन लिंक फेंसिंग, पार्किंग क्षेत्र, कैफेटेरिया, लॉग हट्स और अन्य कार्य का निर्माण।	383.23	36.22	31–अगस्त –17	10–जुलाई –18	23	4.31[12]	ठेकेदार ने 374 दिनों के लिए (अर्थात 14 सितंबर 2018 तक) विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए जैसे कि वन विभाग द्वारा काम रोकना (23 दिन), बारिश के कारण बालू खनन पर प्रतिबंध (28 दिन), पीएसी में वृद्धि (240 दिन), साईट प्रदान न करना (83 दिन) समय विस्तार का दावा किया। कम्पनी ने ठेकेदार को 313 दिनों के लिए (अक्टूबर 2018) अर्थात 10 जुलाई 2018 तक, 23 दिनों के लिए बरसात के मौसम को शामिल करके, केवल ₹ 10,000 नाममात्र का जुर्माना लगाकर समय विस्तार दिया। चूँकि, 31 अगस्त 2017 तक काम पूरा होने की अवधि में बरसात का मौसम शामिल था, बारिश के मौसम के आधार पर मांग की गई 28 दिनों के विस्तार के खिलाफ, 23 दिनों का विस्तार उचित नहीं था क्योंकि यह अप्रत्याशित घटना की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आती थी।

[11] अनुबंध मूल्य - (₹ 118.24 लाख x 0.0625 प्रतिसप्ताह शास्ति की प्रतिशत दर)/ 7 दिन * (186 दिन – 15 दिन)।

[12] 23 दिनों की शास्तिः ₹ 4.41 लाख – कम्पनी द्वारा वसूल शास्तिः ₹ 0.10 लाख ।

क्र. सं.	कार्यों का नाम	अनुबंध मूल्य[8] (₹ लाख में)	उद्धृत दर *प्रतिशत* में (एसओआर से कम)	पूर्णता की निर्धारित तिथि	पूर्णता की वास्तविक तिथि	विलंब जिस पर ठेकेदार को जुर्माना लगाया जाना था (दिनों में)	देरी पर जुर्माना[9] (₹ लाख में)	लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ
5	पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सिवनी के बफर क्षेत्र में कैफेटेरिया एम्फीथिएटर, कम्पाउंड वॉल, फेंसिंग, कैंपिंग साइट और अन्य विकास कार्यों का निर्माण।	355.00	33.21	28–मार्च–17	28–मार्च–18	150	26.58[13]	ठेकेदार ने एक वर्ष के लिए समय विस्तार (28 मार्च 2018 तक) का दावा किया, जिसमें कई कारणों का हवाला दिया गया जैसे कि क्षेत्र में भारी वर्षा और भूमि के विवाद के कारण काम में रुकावट (तीन महीने), पीएसी में वृद्धि और लंबित परिष्करण कार्य (सात महीने), सुझाए गए परिवर्तनों और मरम्मत को पूरा करना (दो महीने)। कम्पनी ने 28 मार्च 2018 तक कांट्रैक्टर को बिना दंड लगाये (365 दिन) समय विस्तार स्वीकृत किया (अप्रैल 2017, दिसंबर 2017 और जनवरी 2018) और केवल ₹ 5,000 टोकन पेनल्टी लगाई। 28 मार्च 2017 तक काम पूरा होने की अवधि में, बरसात का मौसम (तीन महीने) सम्मिलित था और काम में परिवर्तन/मरम्मत (दो महीने) ठेकेदार की खराब कारीगरी के कारण हुआ। अतः बारिश और कार्य में परिवर्तन/ मरम्मत के आधार पर पांच महीने का समय विस्तार उचित नहीं था क्योंकि यह अप्रत्याशित घटना की श्रेणी में नहीं आता था। इसलिए, कम्पनी पर जुर्माना लगाने की शर्त के साथ पांच महीने (150 दिन) के लिए समय विस्तार देना चाहिए था।
6	छतरपुर जिला के खजुराहो मे कुटनी बांध, पथरिया किले में पैदल पुल का निर्माण।	100.59	14.6	12–सितम्बर –18	15–फरवरी–19	70[14]	3.17[15]	ठेकेदार ने पीएसी में वृद्धि (85 दिन) और रेलिंग और फर्श आदि के बारे में लंबित निर्णय (52 दिन) जैसे विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए 207 दिन (यानी 17 अप्रैल 2019 तक) के लिए समय बढ़ाने का दावा किया। कम्पनी ने केवल ₹ 0.35 लाख का जुर्माना लगाकर, ठेकेदार को 149 दिनों के लिए समय विस्तार दिया। चूँकि कम्पनी ने (तिथि का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन दिनांक 30.01.2019 को अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा निधि की मांग की गई थी) उसी ठेकेदार को ₹ 35.89 लाख के रेलिंग के अतिरिक्त तत्वों के लिए अतिरिक्त कार्य आवंटित किया और अतिरिक्त कार्य के कारण 85 दिनों के लिए विस्तार दिया गया। हालांकि, अतिरिक्त गारंटी माँगने की तिथि से 15 दिनों के बाद 15/02/2015 को ठेकेदार काम पूरा कर चुका था। इसलिए कम्पनी द्वारा दिया गया विस्तार उचित नहीं है।
7	पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना के बफर क्षेत्र में कैफेटेरिया,	360.00	28	19–सितम्बर –17	18–जनवरी–20	30	5.40	ठेकेदार ने 840 दिनों के लिए, 18 जनवरी 2020 तक समय बढ़ाने का दावा किया, जिसमे काम में वृद्धि (270 दिन), जुटाव की अवधि (30 दिन), वन विभाग द्वारा काम रोकने (90 दिन), डिजाइन और

[13] 150 दिनों की शास्तिः ₹ 26.63 लाख – कम्पनी द्वारा वसूल शास्तिः ₹ 0.05 लाख।
[14] कार्य की मात्रा में वृद्धि के कारण समय में विस्तार : 85 दिन – अतिरिक्त कार्य की सूचना के बाद वास्तविक कार्य पूर्ण होने में लगा समयः 15 दिन।
[15] 70 दिनों की शास्तिः ₹ 3.52 लाख – कम्पनी द्वारा वसूल शास्तिः ₹ 0.35 लाख ।

क्र. सं.	कार्यों का नाम	अनुबंध मूल्य[8] (₹ लाख में)	उद्धृत दर *प्रतिशत* में (एसओआर से कम)	पूर्णता की निर्धारित तिथि	पूर्णता की वास्तविक तिथि	विलंब जिस पर ठेकेदार को जुर्माना लगाया जाना था (दिनों में)	देरी पर जुर्माना[9] (₹ लाख में)	लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ
	ओपन एयर थिएटर, 09 लॉग हट्स, पार्किंग और अन्य कार्य का निर्माण।							ड्राइंग में बदलाव (180 दिन), रेत खनन पर प्रतिबंध (120 दिन) और एमडी द्वारा काम बंद करना (150 दिन) जैसे विभिन्न कारणों का हवाला दिया। कम्पनी ने ठेकेदार को 830 दिनों के लिए बिना जुर्माना लगाए समय विस्तार दिया। शेष 10 दिनों के विलंब के लिए ₹ 50,230 जुर्माना ठेकेदार से वसूला गया। चूंकि वर्क ऑर्डर की शर्तों के तहत ठेकेदार को इस तरह की अलग जुटाव की अवधि की अनुमति नहीं है, इसलिए इस आधार पर 30 दिनों का समय विस्तार उचित नहीं था।
उप योग							**70.54**	
क्षति की वसूली न होने के मामले								
8	कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिले– मंडला में कैफेटेरिया, एम्फीथिएटर, लॉग हट्स और अन्य विकास कार्यों का निर्माण।	326.80	34.64	05–फरवरी –17 (विस्तारित तिथि: 31–दिसंबर –17)	02–अक्टूबर–19	640	32.68	ठेकेदार ने काम पूरा करने की विस्तारित निर्धारित तिथि (31.12.2017) से 640 दिनों की देरी के साथ कार्य पूरा किया (अक्टूबर 2019)। हालांकि, काम के समय विस्तार के संबंध में ठेकेदार से कोई भी दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए और कम्पनी ने केवल राशि को रोक दिया है और ₹ 32.68 लाख जुर्माना नहीं वसूला है।
9	लक्ष्मीबाई स्मारक, ग्वालियर में सार्वजनिक सुविधाओं का विकास, पार्किंग, रेटैनिंग दीवार और अन्य कार्य।	124.84	24.5	19–अक्टूबर –17	15–फरवरी–18	119	7.43	ठेकेदार ने चार महीनों के लिए (अर्थात 18 फरवरी 2018 तक) समय विस्तार का दावा किया, जिसमे काम के डिजाइन और ड्राइंग में परिवर्तन और राईट ऑफ़ वे (आरओडब्ल्यू) प्रदान नहीं करने जैसे विभिन्न कारणों का हवाला दिया। कम्पनी ने ठेकेदार को चार महीने के लिए यानी 18 फरवरी 2018 तक जुर्माना लगाने के साथ समय विस्तार दिया (दिसंबर 2017)। हालाँकि, कम्पनी ने उसे वसूल नहीं किया और कार्योत्तर समय विस्तार प्रदान किया।
10	चंदेरी के पास, जिला अशोकनगर में बैजू बावरा समाधि, चकला बावड़ी, दिल्ली दरवाज़ा, ढोलिया दरवाजा के आसपास सार्वजनिक सुविधा और विकास कार्यों का निर्माण	154.11	29.95	09–अक्टूबर –17	30–मार्च–18	172	13.25	ठेकेदार ने विभिन्न कारणों जैसे अतिक्रमण, एएसआई द्वारा अन्य चल रहे कार्य, ठेकेदार को ₹ 1.10 करोड़ के अतिरिक्त कार्य के आवंटन का हवाला देते हुए 31 मार्च 2018 तक के समय विस्तार का दावा किया। कम्पनी ने ठेकेदार को जुर्माना लगाने के साथ 31 मार्च 2018 तक समय विस्तार दिया (जनवरी 2018)। हालांकि, कम्पनी ने ठेकेदार से हर्जाना नहीं वसूला है।
उप योग							**53.36**	

परिशिष्ट–4.3.8
(कंडिका 4.3.5.7 में संदर्भित)
स्वदेश दर्शन योजना के तहत कम्पनी द्वारा अपने स्वयं के वाणिज्यिक संपत्तियों में किए गए कार्यों का विवरण

क्र. सं.	काम का नाम	राष्ट्रीय उद्यान	ठेकेदार का नाम	काम का मूल्य (₹ में)	कार्य आदेश की तिथि	वास्तविक व्यय (₹ में)	पूरा होने की तिथि	लेखापरीक्षा के रिमार्क	कम्पनी का प्रतिउत्तर और लेखापरीक्षा की टिप्पणी
1	टीआरसी सरही, मंडला जिला के लिए 30 केवीए के डीजी सेट की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशन।	कान्हा राष्ट्रीय उद्यान (मुक्की गेट)	सांघी सेल्स, भोपाल	5,05,000	15/01/2018	5,47,432	10/02/2018	कम्पनी ने पर्यटन मंत्रालय की बिना मंजूरी के संजय राष्ट्रीय उद्यान में इलेक्ट्रिक सब–स्टेशन (₹ 20 लाख) और सौर प्रकाश व्यवस्था (₹ 30.25 लाख) के निर्माण के लिए प्राप्त वन्यजीव सर्किट की योजना निधि को परिवर्तित करके अपनी वाणिज्यिक आवासीय इकाई पर काम कराया।	म. प्र. सरकार ने कहा (अगस्त 2020) कि लॉग हट्स के लिए बेहतर बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए, कार्य कराया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उक्त कार्य, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्यों के घटकों में सम्मिलित नहीं था।
2	होटल परसुली रिसॉर्ट, परसुली, जिले सीधी में कमरे और रेस्टोरेंट के लिए एयर कंडीशनर की आपूर्ति और स्थापना।	संजय राष्ट्रीय उद्यान	अल्फा कम्युनिकेशन, भोपाल	14,00,000	31/10/2017	11,31,741	10/11/2018	कम्पनी ने पर्यटन मंत्रालय की बिना मंजूरी के संजय राष्ट्रीय उद्यान में इलेक्ट्रिक सब–स्टेशन (₹ 20 लाख) और सौर प्रकाश व्यवस्था (₹ 30.25 लाख) के निर्माण के लिए प्राप्त वन्यजीव सर्किट की योजना निधि को परिवर्तित करके अपनी वाणिज्यिक आवासीय इकाई के नए/पुनर्निर्मित कमरों और रेस्टोरेंट पर काम कराया।	म. प्र. सरकार ने कहा (अगस्त 2020) कि पर्यटकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए, उक्त कार्य को लॉग हट्स के घटकों से कराया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उक्त कार्य, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्यों के घटकों में सम्मिलित नहीं था।
3	परसुली रिसोर्ट परसुली, सीधी जिले में बाहरी विद्युतीकरण का काम, बोलार्ड लाइटिंग केबल, पुराने ब्लॉक से मुख्य पैनल का स्थानांतरण।	संजय राष्ट्रीय उद्यान	विभा इलेक्ट्रिकल	36,70,000	04/09/2017	28,76,625	05/11/2018	कम्पनी ने पर्यटन मंत्रालय की बिना मंजूरी के संजय राष्ट्रीय उद्यान में इलेक्ट्रिक सब–स्टेशन (₹ 20 लाख) और सौर प्रकाश व्यवस्था (₹ 30.25 लाख) के निर्माण के लिए प्राप्त वन्यजीव सर्किट की योजना निधि को परिवर्तित करके अपनी वाणिज्यिक आवासीय इकाई के नए/पुनर्निर्मित कमरों और रेस्टोरेंट पर काम कराया।	म. प्र. सरकार ने कहा (अगस्त 2020) कि लॉग हट्स के लिए बेहतर बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए, कार्य कराया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उक्त कार्य, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्यों के घटकों में सम्मिलित नहीं था।

क्र. सं.	काम का नाम	राष्ट्रीय उद्यान	ठेकेदार का नाम	काम का मूल्य (₹ में)	कार्य आदेश की तिथि	वास्तविक व्यय (₹ में)	पूरा होने की तिथि	लेखापरीक्षा के रिमार्क	कम्पनी का प्रतिउत्तर और लेखापरीक्षा की टिप्पणी
4	काठ बंगला में 11 केवी लाइन एक्सटेंशन और डीपी संरचना कार्य और बडकाडोल, परसुली रिज़ॉर्ट सीधी के लिए 11 केवी शिफ्टिंग कार्य।	संजय राष्ट्रीय उद्यान	रूचि मिश्रा, रीवा	14,81,000	23/02/2018	8,93,225	29/05/2018	कम्पनी ने पर्यटन मंत्रालय की बिना मंजूरी के संजय राष्ट्रीय उद्यान में इलेक्ट्रिक सब–स्टेशन (₹ 20 लाख) और सौर प्रकाश व्यवस्था (₹ 30.25 लाख) के निर्माण के लिए प्राप्त वन्यजीव सर्किट की योजना निधि को परिवर्तित करके, अपनी वाणिज्यिक आवासीय इकाई परसिली रिसोर्ट और काठ बंगला रास्ते की सुविधा पर काम कराया।	म. प्र. सरकार (अगस्त 2020) ने कहा कि काठ बंगला परिसर में कैफेटेरिया और कैम्पिंग स्थल के लिए बेहतर बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए, एसी के घटकों से काम कराया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उक्त कार्य, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्यों के घटकों में सम्मिलित नहीं था।
5	बघीरा जंगल रिज़ॉर्ट, सरही रिसॉर्ट में स्विमिंग पूल, रिटेनिंग दीवार का निर्माण।	कान्हा राष्ट्रीय उद्यान (मुक्की गेट)	मैसर्स मनोज कुमार चिमनिया, भोपाल	51,00,000	13/08/2019	19,17,000	पूर्ण (दिनांक नही दर्शाई गई)	कम्पनी ने पर्यटन मंत्रालय की बिना मंजूरी के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान (मुक्की गेट–: 17.85 करोड) के निर्माण के लिए प्राप्त वन्यजीव सर्किट की योजना निधि को परिवर्तित करके अपनी वाणिज्यिक आवासीय इकाई बागीरा जंगल रिज़ॉर्ट, सरही रिसॉर्ट पर काम कराया।	म. प्र. सरकार ने कहा (अगस्त 2020) कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के सरही गेट पर पर्यटकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए काम शुरू किया गया। इस योजना के तहत सरही गेट पर बनाए गए एफआईसी, लॉग हट्स, रिसेप्शन आदि को सरही रिसॉर्ट नाम दिया गया था, जो कम्पनी की मौजूदा इकाई नहीं है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने स्विमिंग पूल, रिटेनिंग वॉल आदि के कामों को कराया, जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्यों के घटकों में सम्मिलित नहीं था।
6	पनपथा बफर जोन, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, उमरिया जिला के पास वन सूचना केंद्र, ओपन एयर एम्फीथिएटर, कम्पाउंड वॉल, चेन लिंक फेंसिंग, कैनोपी वॉक, पार्किंग और अन्य विकास कार्य का निर्माण ।	बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान	एम.के. इंजीनियर्स ग्रुप, भोपाल	3,50,00,000	04/10/2017	38,96,000	06/02/2020	कम्पनी ने अपने पुराने व्हाइट टाईगर जगंल लॉज में पाथवे, वेंटिग एरिया, गार्डन, पार्किंग, बैठक व्यवस्था और लैंडस्केपिंग के निर्माण के लिए ठेकेदार को ₹ 21.21 लाख का कार्य आंवटित किया, जो कि योजना के डीपीआर का भाग नही था और कम्पनी की वाणिज्यिक आवासीय इकाई थी। इसके अलावा, कम्पनी ने अपने वर्तमान/पुराने व्हाईट टाइगर जंगल लॉज को जंगल लुक में परिवर्तित करने के लिए	म. प्र. सरकार ने कहा (अगस्त 2020) कि भारत सरकार ने योजना के तहत लॉग हट के निर्माण के कामों को मंजूरी दी थी, जो वाणिज्यिक संपत्ति भी हैं। आगे यह कहा गया कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट ने डब्ल्यूटीएफएल में निष्पादित कार्यों को देखा था और भारत सरकार को सूचित भी किया था। इस कारण से कार्य, योजना के दिशा–निर्देशों के भीतर किए गए थे। हालांकि, कार्यों का विवरण अनुमोदन के लिए परियोजना समापन रिपोर्ट के साथ भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी की मौजूदा परिसंपत्तियों में जैसे कि डब्ल्यूटीएफएल के कार्यों का निष्पादन भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्यों

क्र. सं.	काम का नाम	राष्ट्रीय उद्यान	ठेकेदार का नाम	काम का मूल्य (₹ में)	कार्य आदेश की तिथि	वास्तविक व्यय (₹ में)	पूरा होने की तिथि	लेखापरीक्षा के रिमार्क	कम्पनी का प्रतिउत्तर और लेखापरीक्षा की टिप्पणी
								₹ 17.75 लाख की नॉन –एसओआर वस्तुओं के उपयोग को भी स्वीकृति दी (मार्च 2019)। कम्पनी ने ₹ 38.96 लाख के सीएफए के परिवर्तन के लिए भारत सरकार से किसी प्रकार का अनुमोदन प्राप्त नही किया।	के घटकों में सम्मिलित नहीं था।
7	वन्यजीव सर्किट के तहत स्वीकृत बांधवगढ़, उमरिया जिले में मचान, बफर ज़ोन एंट्री गेट, पार्किंग, पाथवे और सोलर लाइटिंग आदि का निर्माण।	बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान	विनोद कुमार पांडे, भोपाल	1,19,20,000	08/03/2019	77,51,000	06/02/2020	कम्पनी ने अपने वर्तमान/पुराने व्हाईट टाइगर जंगल लॉज के सामने बगीचा, पक्के मंच, पवेलियन, तालाब, अतिथी कक्ष के लिए रास्ता, बरगद के पेड़ के पास भोजन क्षेत्र के निर्माण के लिए ठेकेदार को ₹ 77.51 लाख का कार्य आंवटित किया, जो कि योजना के डीपीआर का भाग नही था और कम्पनी की वाणिज्यिक आवासीय इकाई थी। कम्पनी ने सीएफए के परिवर्तन के लिए भारत सरकार से किसी प्रकार का अनुमोदन प्राप्त नही किया।	म. प्र. सरकार ने कहा (अगस्त 2020) कि योजना के तहत निष्पादित कार्यों का विवरण, वास्तविक व्यय, निविदाओं, कार्यों की तस्वीरें इत्यादि के विवरण के साथ, भारत सरकार को समापन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी की मौजूदा परिसंपत्तियों में जैसे कि डब्ल्यूटीएफएल के कार्यों का निष्पादन भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्यों के घटकों में सम्मिलित नहीं था और कम्पनी ने इस संबंध में भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति नहीं ली थी।
8	संजय राष्ट्रीय उद्यान, सीधी जिले के बफर जोन में कंपाउंड वॉल, चेन लिंक फेंसिंग, पार्किंग एरिया, कैफेटेरिया, लॉग हट्स और अन्य काम का निर्माण।	संजय राष्ट्रीय उद्यान	मेसर्स पैरामाउंट इंजीनियर्स ग्रुप, भोपाल	3,83,23,000	01.10.16	1,77,28,000	10/07/2018	कम्पनी ने अपनी परसिली की मौजूदा/पुरानी इमारत के अपग्रेडेशन, फ्लोरिंग, किचन एक्सटेंशन और टॉयलेट निर्माण के लिए ₹ 1.60 करोड का अतिरिक्त कार्य ठेकेदार को आंवटित किया, जो इस परियोजना की डीपीआर का हिस्सा नहीं था और कम्पनी की वाणिज्यिक आवासीय इकाई थी। इसके अलावा, कम्पनी ने सीएफए के अंतरण के लिए भारत सरकार से कोई अनुमोदन भी प्राप्त नहीं किया।	म. प्र. सरकार ने कहा (अगस्त 2020) कि परसिली रिज़ॉर्ट में पर्यटकों को एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से इसमें काम कराया गया था और परसिली रिज़ॉर्ट में रसोई के निर्बाध संचालन के लिए इन्वेंट्री आइटम खरीदे थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी की मौजूदा परिसंपत्तियों यानी पार्सिली रिज़ॉर्ट में कार्यों का निष्पादन भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्यों के घटकों के तहत प्रदान नहीं किया गया था और कम्पनी ने इस संबंध में भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति नहीं ली थी।

क्र. सं.	काम का नाम	राष्ट्रीय उद्यान	ठेकेदार का नाम	काम का मूल्य (₹ में)	कार्य आदेश की तिथि	वास्तविक व्यय (₹ में)	पूरा होने की तिथि	लेखापरीक्षा के रिमार्क	कम्पनी का प्रतिउत्तर और लेखापरीक्षा की टिप्पणी
								इसके अलावा, अनुमोदित डीपीआर में योजना के तहत बनाई जाने वाली परिसंपत्तियों के संचालन पर कोई भी व्यय प्रदान नहीं किया गया। इस योजना के तहत मुकुंदपुर राष्ट्रीय उद्यान में निर्मित कैफेटेरिया के मामले में, कम्पनी ने अपने स्वयं की निधि से इसके संचालन के लिए इन्वेंट्री की खरीद की (मार्च 2018)। हालांकि, संजय राष्ट्रीय उद्यान में इस आदेश के अंतर्गत निर्मित लॉग हट्स के मामले में, लॉग हट्स के वाणिज्यिक संचालन के लिए माल की खरीद के लिए कम्पनी ने अपने स्वयं की निधि की बजाय इस योजना की ₹ 17.28 लाख की निधि का उपयोग किया (नवंबर 2017)।	
9	ग्वालियर में विभिन्न स्थानों के लिए भूनिर्माण कार्य	ग्वालियर और आसपास	मैसर्स राज मंगल डेवलपर्स, शिवपुरी	1,72,00,000	08/03/2018	40,00,000	06/06/2018	कम्पनी ने उसी ठेकेदार को, दो अतिरिक्त स्थानों अर्थात् कुनो पालपुर (₹ 25 लाख) और मदीखेड़ा (₹ 15 लाख) में भूनिर्माण कार्य के लिए ₹ 40 लाख के अतिरिक्त कार्य आवंटित किया (मई 2018), जो हेरिटेज सर्किट में शामिल नहीं थे। प्रारम्भ में इन कार्यों को राज्य सरकार और निगम के बजट से पूरा करने का प्रस्ताव था। हालाँकि, इन कार्यों सहित पूरे काम के लिए वास्तविक भुगतान (₹ 34.62 लाख) हेरिटेज सर्किट की निधि से किया गया।	म. प्र. सरकार ने कहा (अगस्त 2020) कि सिस्टम त्रुटि के कारण, सभी व्यय हेरिटेज सर्किट के तहत बुक किए गए थे और रिवर्स एंट्री पास करके सुधार किया जा रहा है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने लेखापरीक्षा में सुधार प्रविष्टि की प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की है। इसके अलावा, राज्य बजट और निगम बजट का आवंटन भी प्रस्तुत नही किया।
कुल राशि				**11,45,99,000**		**4,07,41,023**			

परिशिष्ट–4.4.1
(कंडिका 4.4.6.2 में संदर्भित)
टर्नकी अनुबंधों में ट्रांसफार्मर क्रय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	एजेंसी	ड्ब्लू.ओ. क्र.	तारीख	ट्रांसफार्मर की क्षमता (एमवीए में)	इकाई फोर्ड मूल्य (रुपये में)	मात्रा (सं)	कुल लागत	टी/एफ तेल की मात्रा (कि.ली. मे)	दर प्रति कि.मी.	टी/एफ तेल की लागत	बिना तेल के टी.के.सी. ट्रांसफार्मर की फोर्ड लागत (प्रति यूनिट)	बिना तेल के टीकेसी ट्रांसफार्मर की योग लागत	कंपनी की स्वयं की खरीद (फोर्ड मूल्य इकाई)	कंपनी की अपनी खरीद से *प्रतिशत* में वृद्धि (प्रतिशत में)	कंपनी की कुल लागत	लागत में कुल अंतर
1	2	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13 (7–12)**	**14 (13*8)**	**15**	**16**	**17 (15*8)**	**18 (14–17)**
1	2016–17	एडीबी– III	**टीआर–504 / पैकेज–ए**	03.05.016	160 एमवीए 220 / 132	6.54	2	13.08	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	13.08	4.037	62.00	8.07	5.01
2			**टीआर–505 / पैकेज–बी**	03.05.2016	160 एमवीए 220 / 132	6.48	2	12.97	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	12.97	4.037	60.63	8.07	4.90
						2.98	3	8.93	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	8.93	2.095	42.13	6.29	2.65
3			**टीआर–509 / पैकेज–एफ**	17.03.2016	160 एमवीए 220 / 132	6.83	1	6.83	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	6.83	4.037	69.15	4.04	2.79
					50 एमवीए 132 / 33	3.66	2	7.31	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	7.31	2.095	74.57	4.19	3.12
4			टीआर – 506 / पैकेज –सी	30.3.2016	50 एमवीए 132 / 33	3.84	3	11.51	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	11.51	2.095	83.11	6.29	5.22
5			टीआर – 508 / पैकेज–ई	13.06.2016	50 एमवीए 132 / 33	3.29	4	13.15	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	13.15	2.095	56.97	8.38	4.77
6			टीआर –503 / लॉट –2	01.03.2014	63 एमवीए 132 / 33	4.01	1	4.01	37	0. 004385	0.16	3.85	3.85	2.090	84.34	2.09	1.76

क्र. सं.	वर्ष	एजेंसी	ड्ब्लू.ओ. क्र.	तारीख	ट्रांसफार्मर की क्षमता (एमवीए में)	इकाई फोर्ड मूल्य (रुपये में)	मात्रा (सं)	कुल लागत	टी/एफ तेल की मात्रा (कि.ली. मे)	दर प्रति कि.मी.	टी/एफ तेल की लागत	बिना तेल के टी.के.सी. ट्रांसफार्मर की फोर्ड लागत (प्रति यूनिट)	बिना तेल के टीकेसी ट्रांसफार्मर की योग लागत	कंपनी की स्वयं की खरीद (फोर्ड मूल्य इकाई)	कंपनी की अपनी खरीद से *प्रतिशत* में वृद्धि (प्रतिशत में)	कंपनी की कुल लागत	लागत में कुल अंतर
					40 एमवीए 132/33	2.43	2	4.85	31	0.004385	0.14	2.29	4.58	1.632	40.40	3.26	1.32
7			टीआर –501 / लॉट –2	01.03.2014	160 एमवीए 220/ 132	6.29	4	25.15	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	25.15	4.037	55.78	16.15	9.01
8			टीआर –502 / लॉट –1	01.03.2014	63 एमवीए 132/33	4.01	1	4.01	37	0.004385	0.16	3.85	3.85	2.090	84.34	2.09	1.76
					40 एमवीए 132/33	2.43	6	14.56	31	0.004385	0.14	2.29	13.74	1.632	40.40	9.79	3.95
					योग	**31**						**124.95**				**78.71**	**46.27**
9	2018–19	एडीबी–III	टीआर –512 / टीके	20.04.2018	40 एमवीए 132/33	2.56	3	7.68	31	0.004385	0.14	2.42	7.27	1.632	48.51	4.89	2.37
10			टीआर –513 / टीके	20.04.2018	40 एमवीए 132/33	2.54	2	5.07	31	0.004385	0.14	2.40	4.80	1.632	48.51	3.26	1.54
11			टीआर –511 / टीके	20.04.2018	160 एमवीए 220/ 132	5.21	4	20.83	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	20.83	4.440	17.30	17.76	3.07
				20.04.2018	50 एमवीए 220/ 33	3.43	2	6.86	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	6.86	3.080	11.39	6.16	0.70
12			टीआर –520 / टीके	20.04.2018	40 एमवीए 132/ 33	2.53	6	15.16	31	0.004385	0.14	2.39	14.34	1.632	46.51	9.79	4.55
					योग		**17**						**54.10**			**41.87**	**12.24**
					कुल योग		**48**						**179.05**			**120.57**	**58.51**

परिशिष्ट–4.4.2
(कंडिका 4.4.6.2 में संदर्भित)
टर्नकी अनुबंधों के तहत खरीदे गए समान क्षमता के ट्रांसफार्मर की दरों में अंतर का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	ट्रांसफार्मर का प्रकार / क्षमता	निविदा नंबर (एल–1)	निविदा रेट प्रति यूनिट	आगामी निविदा नंबर	आगामी निविदा में प्रति यूनिट की दर	दर का अंतर	आगामी निविदा की मात्रा (नग)	रकम (कॉलम 8 * कॉलम 9)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	2016–17	160 एमवीए	टीआर –505 / पैकेज–बी	6.61	टीआर – 504 / पैकेज–ए	6.67	0.06	2	0.12
2	2016–17	160 एमवीए	टीआर –505 / पैकेज–बी	6.61	टीआर –509 / पैकेज–एफ	6.91	0.30	1	0.30
3	2016–17	50 एमवीए	टीआर –505 / पैकेज–बी	3.03	टीआर –509 / पैकेज–एफ	3.70	0.66	2	1.32
4	2016–17	50 एमवीए	टीआर –505 / पैकेज–बी	3.03	टीआर –506 / पैकेज–सी	3.89	0.86	3	2.58
5	2016–17	50 एमवीए	टीआर –505 / पैकेज–बी	3.03	टीआर –508 / पैकेज–ई	3.35	0.32	4	1.28
							योग		**5.60**

परिशिष्ट–4.4.3
(कंडिका 4.4.6.3 में संदर्भित)
2016–17 से 2018–19 के दौरान ट्रांसफार्मर की क्रय और उपयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्रं.	वर्ष	आदेश संख्या	ट्रांसफार्मर की क्षमता	क्रय किए गए ट्रांसफार्मर की संख्या	ट्रांसफार्मर वार आपूर्ति की प्राप्ति का माह	ट्रांसफार्मर वार उपयोगिता के महीने	फोर्ड मूल्य	अवधि (महीने मे) (07/2020 तक) जिसके लिए रसीद की तारीख से दो महीने छोड़कर सामग्री अनुपयोग पड़ा रहा	ब्याज दर (प्रतिशत में)	सामग्री के मूल्य का 70 *प्रतिशत* पर ब्याज का नुकसान
1	2016–17	04–01/टीआर –07/2016/160एमवीए /एसआई/04581–3 दि.16. 12.2016	220 केवी, 160 एमवीए (संख्या–3नग)	तीसरी इकाई	07.12.17	कमीशन दिनांक 30.04.18	3.54	3	12	0.07
2		04–01/केएफडबल्यू/ मप्रविकालि/टीआर–108/लॉट–।/एसआई/04591–6 दि. 31.01.2017	400/220/33केवी, 315 एमवीए (संख्या –6नग)	पहली इकाई	22.12.18	कमीशन दिनांक 09.03.20	8.00	12	11.5	0.64
				दूसरी इकाई	23.12.18	कमीशन दिनांक 25.08.19	8.00	8	11.5	0.43
				तीसरी इकाई	21.05.19	कमीशन नही हुए	8.00	12	11.5	0.64
				चौथी इकाई	27.08.19	कमीशन नही हुए	8.00	9	11.5	0.48
				पॉचवी इकाई	03.11.19	कमीशन नही हुए	8.00	7	11.5	0.38
3		04–01/ केएफडबल्यू / मप्रविकालि/टीआर–108/ लॉट–।।/ एसआई/04592 –7 दि. 31.01.2017	220/132/33 केवी, 160 एमवीए (संख्या –15नग)	पहली इकाई	12.03.19	कमीशन दिनांक 30.11.19	4.04	7	11.5	0.19
				दूसरी इकाई	09.06.19	कमीशन दिनांक 13.12.19	4.04	4	11.5	0.11
				तीसरी इकाई	19.05.19	कमीशन दिनांक 29.02.20	4.04	7	11.5	0.19
				सातवी इकाई	25.11.19	कमीशन नही हुए	4.04	6	11.5	0.16
				आठवी इकाई	13.11.19	कमीशन नही हुए	4.04	6	11.5	0.16
				नौवी इकाई	22.01.20	कमीशन नही हुए	4.04	4	11.5	0.11
				दसवी इकाई	08.03.20	कमीशन नही हुए	4.04	3	11.5	0.08
4		04–01/ केएफडबल्यू / मप्रविकालि /टीआर–108 /लॉट–।।।/ एसआई / 04593–8 दि. 31.01.2017	132/33 केवी, 63 एमवीए (संख्या –6नग)	पहली इकाई	06.08.18	कमीशन दिनांक 12.03.19	2.30	5	11.5	0.07
				दूसरी इकाई	08.08.18	कमीशन दिनांक– 10.04.19	2.30	6	11.5	0.09

				पॉचवी इकाई	03.02.19	कमीशन दि.– 05.05.20	2.30	15	11.5	0.23
				छटवी इकाई	15.10.19	कमीशन दि.– 21.03.20	2.30	3	11.5	0.06
			132 केवी 40 एमवीए (संख्या –3नग)	पहली इकाई	02.08.18	कमीशन दि.–17.02.19	1.75	4	11.5	0.05
5	2017–18	04–01/टीआर–42/2017/160एमवीए/ एसआ/ 04660–5 दि. 06.02.2018	220 केवी, 160 एमवीए (संख्या –7नग)	पहली इकाई	09.02.19	कमीशन दि.– 20.07.19	3.65	3	12	0.08
				चौथी इकाई	27.03.19	कमीशन दि.– 22.12.19	3.65	7	12	0.18
				पॉचवी इकाई	12.07.19	कमीशन दि.– 30.12.19	3.65	4	12	0.10
				छटवी इकाई	23.08.19	कमीशन दि.– 05.05.20	3.65	6	12	0.15
6		टीआर–43/2017/50 एमवीए/ एसआई	50 एमवीए, 132/33 केवी (संख्या. 16 नग)	छटवी इकाई	05.03.19	कमीशन दि.–16.09.19	2.02	4	12	0.06
				16वी इकाई	08.03.19	कमीशन दि.– 27.11.19	2.02	7	12	0.10
7	2018–19	04–01/टीआर–25/2018/ 50एमवीए/ एसआई /04684–5 दि.28.08.2018	220/33 केवी, 50 एमवीए (संख्या –3नग)	पहली इकाई	09.04.19	कमीशन दि.– 14.11.19	2.82	5	12	0.10
8		04–01/जेआईसीए–।।/ मप्रविकालि/टीआर–205/एसआई /04709–5 दि. 04.10.18	132/33केवी, 50 एमवीए ऊर्जा ट्रान्स्फ़ोर्मर (संख्या. –22 एनसीसी)	तीसरी इकाई	12.12.19	कमीशन दि.– 04.06.20	2.14	4	12	0.06
				पॉचवी इकाई	17.02.20	कमीशन दि.– 30.07.20	2.14	3	12	0.04
				छटवी इकाई	08.02.20	कमीशन दि.– 17.07.20	2.14	3	12	0.04
			योग	**28**			**.561**			**.435**

परिशिष्ट–4.4.4
(कंडिका 4.4.6.3 में संदर्भित)
2016–17 से 2018–19 के दौरान ट्रांसफार्मर की क्रय और उपयोग का विवरण (टर्नकी अनुबंध)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	ड्ब्लूओ. क्र.	कार्यक्रम की तिथि	ट्रांसफार्मर की क्षमता	इकाई फोर्ड मूल्य में	मात्रा (नग में)	योग लागत	देरी से प्राप्त वास्तविक मात्रा	ट्रांसफार्मर की आपूर्ति का महीना	ट्रांसफार्मर की स्थापना का महीना	अवधि (महीना) जिसके लिए सामग्री प्राप्ति की तारीख से दो महीने तक बेकार पड़ी थी (नवंबर 2019 तक)	ब्याज की दर (*प्रतिशत*)	सामग्री के मूल्य का 70 *प्रतिशत* पर ब्याज का नुकसान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2016–17	टीआर –505 / पैकेज–बी	03.05.16	160 एमवीए	6.61	2	13.22	1	फरवरी–18	अगस्त–18	4	12	0.19
			03.05.16	50 एमवीए	3.03	3	9.1	1	फरवरी–18	जुलाई–18	3	12	0.06
					3.03			1	जनवरी–18	जून–18	3	12	0.06
2		टीआर –509 / पैकेज–एफ	17.03.16	160 एमवीए	6.91	1	6.91	1	अप्रैल–17	दिसम्बर–17	6	12	0.29
3		टीआर –506 / पैकेज–सी	30.03.16	50 एमवीए	3.89	3	11.68	1	जून–18	दिसम्बर–18	4	12	0.11
4		टीआर –508 / पैकेज–ई	13.06.16	50 एमवीए	3.35	4	13.4	1	अप्रैल–18	सितम्बर–18	3	12	0.07
					3.35			1	नवंबर–18	मार्च–19	3	12	0.07
5		टीआर –503 / लॉट –2	01.03.14	63 एमवीए	4.01	1	4.01	1	मार्च–16	जनवरी–18	20	12	0.56
6			01.03.14	40 एमवीए	2.43	4	9.71	1	जुलाई–16	नवंबर–17	14	12	0.24
					2.43			1	सितम्बर–16	अप्रैल–18	17	12	0.29
7		टीआर –501 / लॉट –2	01.03.14	160 एमवीए	6.29	8	50.31	1	मार्च–16	नवंबर–16	6	12	0.26
					6.29			1	जुलाई–16	जनवरी–17	4	12	0.18
8		टीआर–502 / लॉट –1	01.03.14	40 एमवीए	2.43	7	16.99	1	जुलाई–16	मार्च–18	18	12	0.31
					2.43			1	अप्रैल–16	नवंबर–16	5	12	0.09
					2.43			1	अप्रैल–16	जनवरी–18	19	12	0.32
					2.43			1	मई–16	अक्टूबर–16	3	12	0.05
					2.43			1	मई–16	नवंबर–18	28	12	0.48
					2.43			1	जुलाई–16	नवंबर–17	14	12	0.24
9	2018–19	टीआर –512 / टीके	20.04.18	40 एमवीए	2.56	3	7.68	1	मार्च–19	सितम्बर–19	4	12	0.07
10		टीआर –511 / टीके	20.04.18	160 एमवीए	5.21	4	20.83	1	मार्च–19	नवंबर–19	8	12	0.29
					5.21			1	अगस्त–19	नवंबर–19	3	12	0.11
			20.04.18	50 एमवीए	3.43	2	6.86	1	जून–19	नवंबर–19	5	12	0.12
11		टीआर –520 / टीके	20.04.18	40 एमवीए	2.53	6	15.16	1	अप्रैल–19	नवंबर–19	5	12	0.09
					85.14		**185.86**	**32**		**योग**			**4.54**

परिशिष्ट–4.4.5
(कंडिका 4.4.6.3 में संदर्भित)
ट्रांसफार्मर की निष्क्रियता का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	एसएस का नाम	एसएस की क्षमता	स्थापित ट्रांसफार्मर की क्षमता (एमवीए में)	कुल क्षमता	ट्रांसफार्मर की लागत (करोड़ में)	2018–19 में दर्ज किया गया अधिकतम भार (एमवीए में)	स्थापित क्षमता में दर्ज भार का *प्रतिशत*
1	132 के.वी. बिस्कोर	132 के.वी.	50	50	2.10	8	16.20
2	132 के.वी. सतना–।।	132 के.वी.	50+50	100	4.20	21	20.50
3	132 के.वी. बुढ़ा	132 के.वी.	50	50	2.10	12	24.06
4	220 के.वी. मोरना	132 के.वी.	63	63	2.09	10	15.73
5	400 के.वी. जुलानिया	132 के.वी.	40	40	1.63	1	2.50
6	220 के.वी. भानुपुर	220 के.वी.	160	160	4.04	26	15.94
7	220 के.वी. ग्वालियर– ।।	220 के.वी.	160+160	320	8.08	61	19.06
8	220 के.वी. सिरमौर	220 के.वी.	160	160	4.04	36	22.25
			योग		**28.28**		

परिशिष्ट–4.4.6
(कंडिका 4.4.6.4 में संदर्भित)
2016–17 से 2018–19 के दौरान ट्रांसफार्मर के क्षतिग्रस्त होने का विवरण और मरम्मत के लिए असंवैधानिक घोषित किया गया

सरल कमांक	एसएस का नाम	निष्क्रिय ट्रांसफार्मर की क्षमता	विनिर्माण ट्रांसफार्मर का वर्ष	क्षति की तिथि	सेवा जीवन (वर्षों में)	क्षति का कारण	सर्वेक्षण रिपोर्ट की तिथि
1	220 केवी, दक्षिण क्षेत्र, इंदौर	40 एमवीए	1995	17.08.2016	21	डिफरेंशियल ट्रिप्ड इंडिकेशन और पि.आर.वी.	04.09.2018
2	132 केवी, चौराल	40 एमवीए	1991	25.09.2016	25	डिफरेंशियल ट्रिप्ड इंडिकेशन और बुकोलज़ इंडिकेशन	03.08.2018
3	220 केवी, उज्जैन	40 एमवीए	1994	22.06.2017	23	डिफरेंशियल ट्रिप्ड इंडिकेशन	प्रक्रिया चालू है
4	132 केवी, छिंदवाड़ा	40 एमवीए	1996	19.09.2017	21	33 केवी की फीडिंग फाल्ट के समय ट्रिप	22.01.2019
5	400 केवी, बीना	315 एमवीए	1991	15.01.2018	27	डिफरेंशियल ट्रिप्ड इंडिकेशन और बुचोलज़, पीआरवी इंडिकेशन	02.01.2019
6	400 केवी, बीना	315 एमवीए	1991	14.02.2018	27	डिफरेंशियल ट्रिप्ड इंडिकेशन और बुचोलज़, पीआरवी इंडिकेशन	02.01.2019
7	132 केवी, पिपरिया	40 एमवीए	1995	24.06.2018	23	33 केवी की फीडिंग फाल्ट के समय ट्रिप	27.07.2019
8	132 केवी, घाटाबिल्लोद	40 एमवीए	1991	02.06.2018	27	डिफरेंशियल ट्रिप्ड इंडिकेशन और बुकोलज़, इंडिकेशन	02.11.2019
9	400 केवी, आष्टा	160 एमवीए	1990	23.07.2018	28	डिफरेंशियल ट्रिप्ड इंडिकेशन और बुचोलज़, पीआरवी इंडिकेशन	31.05.2019

परिशिष्ट–4.5.1
(कंडिका 4.5.5 में संदर्भित)
म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले बिलिंग दक्षता, वितरण घाटे और अतिरिक्त नुकसान का विवरण

वितरण कंपनियों का नाम	वित्तीय वर्ष	प्रदत्त ऊर्जा (एमयू में)	बेची गई ऊर्जा (एमयू में)	बिलिंग दक्षता	सर्कल द्वारा वहन की गई हानि (*प्रतिशत* में)	म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा निर्धारित लक्ष्य (*प्रतिशत* में)	म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक हानि (*प्रतिशत* में)	हानि (एमयू में)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि.	2016–17	19268.2	14328.82	74.37	25.63	19	6.63	1277.48
	2017–18	21235.65	15308.23	72.09	27.91	18	9.91	2104.45
	2018–19	23928.64	15020.57	62.77	37.23	17	20.23	4840.76
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि.	2016–17	17326.78	13409.47	77.39	22.61	18	4.61	798.76
	2017–18	19333	14102	72.94	27.06	17	10.06	1944.90
	2018–19	21142.90	14680.33	69.43	30.57	16	14.57	3080.52
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि.	2016–17	21387.4	17565.2	82.13	17.87	16	1.87	399.94
	2017–18	22323.96	18621.22	83.41	16.59	15.5	1.09	243.33
	2018–19	24572.4	20598.63	83.83	16.17	15	1.17	287.50

*(**स्रोत**: आर–15, वार्षिक वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षा द्वारा विवरण)*

परिशिष्ट–4.5.2
(कंडिका 4.5.6.1 में संदर्भित)
वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों में प्रस्तुत की गई अतिरिक्त/लघु बिलिंग दक्षता का विवरण

वितरण कंपनियों का नाम	वित्तीय वर्ष	ऊर्जा प्रदत्त (एमयू में)	जैसा कि वार्षिक वित्तीय विवरण में दर्शाया गया है		वार्षिक वित्तीय विवरण में होनी वाली प्रतिवेदन		वार्षिक वित्तीय विवरण में दिखाए गए अतिरिक्त/कम	
			बेचीं गयी ऊर्जा (एमयू)	बिलिंग दक्षता	बेचीं गयी ऊर्जा (एमयू)	बिलिंग दक्षता	बेचीं गयी ऊर्जा (एमयू)	बिलिंग दक्षता
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि.	2016–17	19268.2	14328.82	74.37	12309.15	63.88	2019.67	10.49
	2017–18	21235.65	15308.23	72.09	13276.41	62.52	2031.82	9.57
	2018–19	23928.64	15020.57	62.77	15020.57	62.77	0	0
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि.	2016–17	17326.78	13409.47	7739	13376.64	77.2	32.83	0.19
	2017–18	19333	14102	72.94	14085.3	72.86	16.7	0.08
	2018–19	21142.90	14680.33	69.43	14673.5	69.4	6.83	0.03
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि.	2016–17	21387.4	17565.2	82.13	17565.2	82.13	0	0
	2017–18	22323.96	18621.22	83.41	18617.42	83.4	3.8	0.01
	2018–19	24572.40	20598.63	83.83	20581.83	83.76	16.8	0.07

*(**स्रोतः** आर–15, वार्षिक वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षा द्वारा विवरण)*

परिशिष्ट–4.5.3
(कंडिका 4.5.6.2 में संदर्भित)
वितरण हानि के विरुद्ध वितरण कंपनियों की क्षेत्र इकाइयों द्वारा प्राप्त की गई बिलिंग दक्षता की स्थिति का विवरण

वितरण कंपनियों का नाम	क्षेत्र इकाइयों का नाम	वित्तीय वर्ष	ऊर्जा प्रदत्त (एमयू में)	बेची गई ऊर्जा (एमयू में)	बिलिंग दक्षता (*प्रतिशत*)	सर्कल द्वारा वहन किए गए हानि (*प्रतिशत*)	म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा निर्धारित लक्ष्य (*प्रतिशत*)	म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध अतिरिक्त हानि(*प्रतिशत*)	नुकसान (एमयू में)	औसत बिलिंग दर (औ.ब.दर)	ए.बी.आर. के अनुसार इकाइयों के हानि का मूल्य (₹ करोड़ में)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि.	होशंगाबाद	2016–17	1617.33	1009.34	62.41	37.59	19	18.59	300.70	6.19	186.13
		2017–18	1867.79	1085.45	58.11	41.89	18	23.89	446.14	6.75	301.14
		2018–19	2084.85	1245.31	59.73	40.27	17	23.27	485.12	6.72	326.0
	ग्वालियर	2016–17	1630.7	961.4	58.96	41.04	19	22.04	359.47	7.18	258.10
		2017–18	1923.8	1048	54.48	45.52	18	27.52	529.52	7.80	413.02
		2018–19	2104.3	1189.4	56.52	43.48	17	26.48	557.17	7.57	421.78
	बेतुल	2016–17	985.6	721.43	73.20	26.80	19	7.80	76.91	6.22	47.84
		2017–18	971.17	719.05	74.04	25.96	18	7.96	77.31	6.75	52.18
		2018–19	1034.41	789.97	76.37	23.63	17	6.63	68.59	6.69	45.89
	श्योपुर	2016–17	643.96	355.73	55.24	44.76	19	25.76	165.88	6.33	105.0
		2017–18	790.34	395.93	50.10	49.90	18	31.90	252.15	7.03	177.26
		2018–19	847.7	510.05	60.17	39.83	17	22.83	193.54	6.85	132.58
	राजगढ़	2016–17	1171.34	794.41	67.82	32.18	19	13.18	154.38	6.14	94.79
		2017–18	1180.55	836.92	70.89	29.11	18	11.11	131.13	6.74	88.38
		2018–19	1343.03	964.83	71.84	28.16	17	11.16	149.88	6.65	99.67
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि.	रीवा	2016–17	1413.01	872.15	61.72	38.28	18	20.28	286.52	5.37	153.86
		2017–18	1676.31	997.54	59.51	40.49	17	23.49	393.80	5.51	216.98
		2018–19	1776.57	927.2	52.19	47.81	16	31.81	565.12	6.40	361.68
	सतना	2016–17	1978.42	1594.23	80.58	19.42	18	1.42	28.07	6.64	18.64
		2017–18	2463.76	1728.54	70.16	29.84	17	12.84	316.38	7.03	222.42
		2018–19	2672.47	1810.08	67.73	32.27	16	16.27	434.79	7.42	322.62

	कटनी	2016–17	845.27	656.58	77.68	22.32	18	4.32	36.54	6.17	22.55
		2017–18	993.8	652	65.61	34.39	17	17.39	172.85	7.13	123.24
		2018–19	1057.12	688.93	65.17	34.83	16	18.83	199.05	7.35	146.3
	छतरपुर	2016–17	1304.24	995.67	76.34	23.66	18	5.66	73.81	5.6	41.33
		2017–18	1486.68	1039.14	69.90	30.10	17	13.10	194.80	5.67	110.45
		2018–19	1753.84	1064.88	60.72	39.28	16	23.28	408.35	5.97	243.78
	छिंदवाड़ा*	2016–17	1293.71	1208.49	93.41	6.59	18	0.00	0.00	0.00	0.00
		2017–18	1334.52	1160.87	86.99	13.01	17	0.00	0.00	0.00	0.00
		2018–19	1467.42	1269.44	86.51	13.49	16	0.00	0.00	0.00	0.00
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि.	शाजापुर	2016–17	988.39	593.76	60.07	39.93	16	23.93	236.49	5.85	138.35
		2017–18	953.34	627.06	65.78	34.22	15.5	18.72	178.51	6.41	114.43
		2018–19	1053.02	683.68	64.93	35.07	15	20.07	211.39	6.37	134.65
	बड़वानी	2016–17	854.14	678.34	79.42	20.58	16	4.58	39.14	5.77	22.58
		2017–18	904.47	680.66	75.26	24.74	15.5	9.24	83.62	6.33	52.93
		2018–19	999.76	765.88	76.61	23.39	15	8.39	83.92	6.32	53.03
	खरगोन	2016–17	1976.7	1599.63	80.92	19.08	16	3.08	60.80	5.72	34.78
		2017–18	2085.75	1722.81	82.60	17.40	15.5	1.90	39.65	6.22	24.66
		2018–19	2293.25	1865.88	81.36	18.64	15	3.64	83.38	6.30	52.53
	इंदौर शहर*	2016–17	2676.22	2195.79	82.05	17.95	16	1.95	0.00	0.00	0.00
		2017–18	2764.3	2292.7	82.94	17.06	15.5	1.56	0.00	0.00	0.00
		2018–19	2893.4	2456.8	84.91	15.09	15	0.09	0.00	0.00	0.00
	मंदसौर*	2016–17	1044.28	1030.54	98.68	1.32	16	0.00	0.00	0.00	0.00
		2017–18	1112.6	1116.4	100.34	–0.34	15.5	0.00	0.00	0.00	0.00
		2018–19	1226.9	1243.7	101.37	–1.37	15	0.00	0.00	0.00	0.00

*(**स्रोतः** आर–15, और प्रबंधन द्वारा सुसज्जित सूचना)*

परिशिष्ट–4.5.4
(कंडिका 4.5.6.3 में संदर्भित)
कुल डी.टी.आर., डी.टी.आर. जहां मीटर स्थापित/स्थापित नहीं किए गए और मीटर रीडिंग नहीं ली गयी, का विवरण

वितरण कंपनियों का नाम	इकाइयों का नाम	डीटीआर की कुल संख्या	उन डीटीआर की संख्या जहाँ मीटर स्थापित नहीं हैं	डीटीआर जहां मीटर स्थापित है			जहां मीटर रीडिंग नहीं ली जा रही है, वहां डीटीआर की कुल संख्या	मीटर रीडिंग के बिना डीटीआर का *प्रतिशत*
				डीटीआर की संख्या जहाँ मीटर स्थापित हैं	डीटीआर की संख्या जहाँ मीटर रीडिंग ली जा रही है	डीटीआर की संख्या जहाँ मीटर रीडिंग नहीं ली जा रही है		
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि.	होशंगाबाद	30608	22607	8001	8001	0	22607	73.86
	बेतुल	14423	12377	2046	352	1694	14071	97.56
	ग्वालियर	21507	17294	4213	4213	0	17294	80.41
	श्योपुर	19501	18447	1054	1054	0	18447	94.60
	राजगढ़	31650	22736	8914	1828	7086	29822	94.22
	उप–समूह योग	**117689**	**93461**	**24228**	**15448**	**8780**	**102241**	**86.87**
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि.	सतना	20888	18340	2548	365	2183	20523	98.25
	रीवा	19979	15715	4264	970	3294	19009	95.14
	कटनी	8907	5478	3429	764	2665	8143	91.42
	छतरपुर	15318	12383	2935	2827	108	12491	81.54
	छिंदवाड़ा	17920	14681	3239	555	2684	17365	96.90
	उप–समूह योग	**83012**	**66597**	**16415**	**5481**	**10934**	**77531**	**93.40**
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि.	शाजापुर	11395	10988	407	0	407	11395	100.00
	बड़वानी	15246	12899	2347	516	1831	14730	96.62
	मंसूर	20472	14816	5656	0	5656	20472	100.00
	इंदौर	11137	1002	10135	3835	6300	7302	65.57
	खरगोन	18298	16857	1441	600	841	17698	96.72
	उप–समूह योग	**76548**	**56562**	**19986**	**4951**	**15035**	**71597**	**93.53**
	कुल योग	**277249**	**216620**	**60629**	**25880**	**34749**	**251369**	**90.67**

*(**स्रोतः** प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी)*

परिशिष्ट–4.5.5
(कंडिका 4.5.6.3 में संदर्भित)
एलटी उच्च मूल्य वाले उपभोक्ता, एलटी उच्च मूल्य वाले उपभोक्ता जहां एएमआर मीटर स्थापित हैं/स्थापित नहीं हैं और मीटर रीडिंग नहीं ली जा रही है, का विवरण

वितरण कंपनियों का नाम	इकाइयों का नाम	एलटी उच्च मूल्य[16] के उपभोक्ताओं की कुल संख्या	एलटी उच्च मूल्य वाले उपभोक्ताओं की संख्या जहां एएमआर मीटर स्थापित नहीं हैं	एलटी उच्च मूल्य वाले उपभोक्ता जहां एएमआर मीटर स्थापित हैं			एलटी हाई वैल्यू उपभोक्ताओं की कुल संख्या जहां मीटर रीडिंग नहीं ली जा रही है	एएमआर मीटर रीडिंग के बिना उपभोक्ताओं का *प्रतिशत* (कॉलम 8*100/कॉलम 3)
				एलटी उच्च मूल्य वाले उपभोक्ताओं की संख्या जहां एएमआर मीटर स्थापित हैं	एलटी उच्च मूल्य वाले उपभोक्ताओं की संख्या जहां मीटर रीडिंग ली जा रही है	एलटी उच्च मूल्य वाले उपभोक्ताओं की संख्या जहां मीटर रीडिंग नहीं ली जा रही है		
1	2	3	4	5	6	7	8 =(4+7)	9
म.प्र.म.क्षे.वि.वि. क.लि.	होशंगाबाद	2233	1403	830	830	0	1403	62.83
	बेतुल	443	58	385	385	0	58	13.09
	ग्वालियर	697	15	682	682	0	15	2.15
	श्योपुर	93	9	84	84	0	9	9.68
	राजगढ़	1105	773	332	198	134	907	82.08
	उप–समूह योग	**4571**	**2258**	**2313**	**2179**	**134**	**2392**	**52.33**
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि. क.लि.	सतना	2766	2048	718	526	192	2240	80.98
	रीवा	1721	1295	426	426	0	1295	75.25
	कटनी	1865	1550	315	208	107	1657	88.85
	छतरपुर	1897	1675	222	182	40	1715	90.41
	छिंदवाड़ा	1967	959	1008	918	90	1049	53.33
	उप–समूह योग	**10216**	**7527**	**2689**	**2260**	**429**	**7956**	**77.88**
म.प्र.प.क्षे.वि.वि. क.लि.	शाजापुर	706	219	487	487	0	219	31.02
	बड़वानी	820	11	809	809	0	11	1.34
	मंसूर	2821	0	2821	312	2509	2509	88.94
	इंदौर	17336	55	17281	17110	171	226	1.30
	खरगोन	1467	0	1467	1087	380	380	25.9
	उप–समूह योग	**23150**	**285**	**22865**	**19805**	**3060**	**3345**	**14.45**
	कुल योग	**37937**	**10070**	**27867**	**24244**	**3623**	**13693**	**36.09**

[16] 10 केवी से ज्यादा के भार वाले एलटी उपभोक्ता। स्त्रोत : प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत सूचना।

परिशिष्ट–4.5.6
(कंडिका 4.5.6.3 में संदर्भित)
कुल 33/11 केवी एसएस, एसएस जहां सीबी स्थापित हैं, स्थापित नहीं हैं और आवश्यक क्षमता का विवरण

वितरण कंपनियों का नाम	इकाइयों का नाम	33/11 केवी एसएस की कुल संख्या	एसएस की संख्या जहां सीबी स्थापित हैं	एसएस की संख्या जहां सीबी स्थापित नहीं हैं	सीबी की कुल आवश्यक क्षमता (केवीएआर) (प्रति एसएस 1500 केवीएआर)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि.	होशंगाबाद	121	88	33	49500
	बेतुल	91	52	39	58500
	ग्वालियर	108	66	42	63000
	श्योपुर	72	57	15	22500
	राजगढ़	101	72	29	43500
	उप–समूह योग	**493**	**335**	**158**	**237000**
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि.	सतना	70	44	26	39000
	रीवा	83	38	45	67500
	कटनी	57	29	28	42000
	छतरपुर	83	54	29	43500
	छिंदवाड़ा	111	72	39	58500
	उप–समूह योग	**404**	**237**	**167**	**250500**
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि.	शाजापुर	91	79	12	18000
	बड़वानी	70	64	6	9000
	मंसूर	104	90	14	21000
	इंदौर शहर	116	74	42	63000
	खरगोन	116	106	10	15000
	उप–समूह योग	**497**	**413**	**84**	**126000**
	कुल योग	**1394**	**985**	**409**	**613500**

*(**स्रोतः** प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत सूचना और लेखापरीक्षा द्वारा किया गया विवरण)*

परिशिष्ट–4.5.7
(कंडिका 4.5.6.4 में संदर्भित)
कुल मीटर्ड उपभोक्ताओं, अनंतिम रूप से मीटर्ड उपभोक्ताओं और मीटर्ड उपभोक्ताओं के खिलाफ अनंतिम रूप से बिल उपभोक्ताओं के *प्रतिशत* का विवरण

वितरण कंपनियों का नाम	क्षेत्र इकाइयों का नाम	2016–17			2017–18			2018–19		
		मीटर्ड उपभोक्ताओं की कुल संख्या	प्राविधिक बिलिंग	*प्रतिशत*	मीटर्ड उपभोक्ताओं की कुल संख्या	प्राविधिक बिलिंग	*प्रतिशत*	मीटर्ड उपभोक्ताओं की कुल संख्या	प्राविधिक बिलिंग	*प्रतिशत*
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क. लि.	होशंगाबाद	254690	20902	8.21	257905	105108	40.75	279264	108134	38.72
	बेतुल	171153	42617	24.9	183869	61411	33.4	204938	64297	31.37
	ग्वालियर	152811	32954	21.57	165833	124851	75.29	191647	116187	60.63
	श्योपुर	72756	8388	11.53	78928	63109	79.96	82708	60252	72.85
	राजगढ़	182270	10224	5.61	190624	136175	71.44	195781	91546	46.76
	उप योग	**833680**	**115085**	**13.8**	**877159**	**490654**	**55.94**	**954338**	**440416**	**46.15**
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क. लि.	सतना	279515	100800	36.06	292286	110304	37.74	302921	141892	46.84
	रीवा	225748	71284	31.58	248758	92847	37.32	255427	120031	46.99
	कटनी	185541	32304	17.41	203761	44125	21.66	214062	105463	49.27
	छतरपुर	287533	109284	38.01	311785	93686	30.05	340807	123760	36.31
	छिंदवाड़ा	331502	53482	16.13	357289	48423	13.55	382146	116773	30.56
	उप योग	**1309839**	**367154**	**28.03**	**1413879**	**389385**	**27.54**	**1495363**	**607919**	**40.65**
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि.	शाजापुर	137058	3763	2.75	140251	4013	2.86	147882	3830	2.59
	बड़वानी	192146	3312	1.72	209709	2154	1.03	229133	164348	71.73
	मन्दसौर	248350	2137	0.86	271489	1645	0.61	277291	103098	37.18
	खरगोन	269233	6875	2.55	294881	6572	2.23	332111	175157	52.74
	इंदौर शहर	602430	64398	10.69	620768	49449	7.97	649243	37929	5.84
	उप योग	**1449217**	**80485**	**5.55**	**1537098**	**63833**	**4.15**	**1635660**	**484362**	**29.61**
	कुल–योग (अ + ब + स)	**3592736**	**562724**	**15.66**	**3828136**	**943872**	**24.66**	**4085361**	**1532697**	**37.52**

*(**स्रोत**: आर–15, और लेखापरीक्षा द्वारा किया गया विवरण)*

परिशिष्ट–4.5.8
(कंडिका 4.5.6.4 में संदर्भित)
2016–17 से 2018–19 के दौरान दोषपूर्ण मीटरों के प्रतिस्थापन का *प्रतिशत* दर्शाने वाला विवरण

वितरण कंपनियों का नाम	इकाइयों का नाम	प्रतिस्थापन का *प्रतिशत*		
		2016–17	**2017–18**	**2018–19**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि.	होशंगाबाद	41.56	64.97	55.13
	बेतुल	65.55	68.02	44.81
	ग्वालियर	21.64	32.67	31.96
	श्योपुर	27.75	6.70	8.20
	राजगढ़	25.65	34.57	46.11
	कंपनी में प्रतिस्थापन की सीमा	21.64–65.55	6.70–68.02	8.20–55.13
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि.	सतना	35.64	26.38	35.93
	रीवा	21.36	14.80	25.51
	कटनी	11.92	33.78	17.22
	छतरपुर	12.23	18.40	11.28
	छिंदवाड़ा	23.40	21.96	39.13
	कंपनी में प्रतिस्थापन की सीमा	11.92–35.64	14.80–33.78	11.28–39.13
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि.	शाजापुर *	71.18	71.55	72.33
	बड़वानी *	76.37	46.80	65.60
	मन्दसौर	22.65	20.69	30.67
	इंदौर शहर *	79.38	88.92	85.74
	खरगोन	7.53	8.60	16.97
	कंपनी में प्रतिस्थापन की सीमा	7.53–79.38	8.60–88.92	16.97–85.74

*(**स्रोतः** प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत सूचना और लेखापरीक्षा द्वारा किया गया विवरण)*

** इन तीन क्षेत्र इकाइयों में मीटर के प्रतिस्थापन का प्रतिशत 65.6 से 85.74 प्रतिशत के बीच संतोषजनक माना गया है*

परिशिष्ट–4.5.9
(कंडिका 4.5.6.4 में संदर्भित)
मूल्यांकन किए गए उपभोग के अनुसार भुगतान किए गए उपभोक्ताओं का विवरण

वितरण कंपनियों का नाम	क्षेत्र इकाइयों का नाम	2016–17		2017–18		2018–19		संपूर्ण	
		उपभोक्ताओं की संख्या	इकाइयों (एमयू)	उपभोक्ताओं की संख्या	इकाइयों (एमयू)	उपभोक्ताओं की संख्या	इकाइयों (एमयू)	उपभोक्ताओं की संख्या	इकाइयों (एमयू)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि. क.लि.	होशंगाबाद	2103	0.96	1336	1.05	701	0.62	4140	2.63
	बेतुल	19895	6.07	9081	3.66	4355	2.29	33331	12.02
	ग्वालियर (ओ एंड एम)	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
	श्योपुर	150	0.13	32	0.07	10	0.02	192	0.22
	राजगढ़	2663	1.79	2971	2.4	629	0.59	6263	4.78
	उप–योग (ए)	**24811**	**8.95**	**13420**	**7.18**	**5695**	**3.52**	**43926**	**19.65**
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि. क.लि.	सतना	1232	7.22	1312	16.98	2048	3.11	4592	27.31
	रीवा	2648	3.43	2084	3.69	1187	3.34	5919	10.46
	कटनी	118	0.26	18	0.08	26	0.08	162	0.42
	छतरपुर	174	0.78	358	0.44	566	0.18	1098	1.4
	छिंदवाड़ा	7991	4.49	11162	5.36	8666	3.95	27819	13.8
	उप–योग (बी)	**12163**	**16.18**	**14934**	**26.55**	**12493**	**10.66**	**39590**	**53.39**
म.प्र.प.क्षे.वि.वि. क.लि.	शाजापुर	3103	2.38	1300	1.29	77	0.35	4480	4.02
	बड़वानी	2868	1.69	3658	1.8	1532	0.83	8058	4.32
	मन्दसौर	8364	3.29	986	1.02	1525	2.89	10875	7.2
	इंदौर	10387	12.3	13921	11.44	8137	6.57	32445	30.31
	खरगोन	526	0.51	240	0.33	114	0.15	880	0.99
	उप–योग (स)	**25248**	**20.17**	**20105**	**15.88**	**11385**	**10.79**	**56738**	**46.84**
	कुल–योग (अ + ब + स)	**62222**	**45.3**	**48459**	**49.61**	**29573**	**24.97**	**140254**	**119.88**

*(**स्रोतः** विश्लेषण और लेखापरीक्षा द्वारा काम किया गया विवरण, यह प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर आधारित है)*

परिशिष्ट–4.5.10
(कंडिका 4.5.6.4 में संदर्भित)
31 मार्च 2019 तक मीटर्ड उपभोक्ताओं को तीन वर्षों से अधिक समय तक लगातार अनंतिम रूप से बिलिंग का विवरण

वितरण कंपनियों का नाम	क्षेत्र इकाइयों का नाम	उपभोक्ताओं की संख्या
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि.	होशंगाबाद	31,687
	बेतुल	16,037
	ग्वालियर	उपलब्ध नहीं
	श्योपुर	940
	राजगढ़	67,546
	उप–समूह योग	**1,16,210**
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि.	सतना	12,940
	रीवा	43,405
	कटनी	7,376
	छतरपुर	28,274
	छिंदवाड़ा	12,389
	उप–समूह योग	**1,04,384**
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि.	शाजापुर	43
	बड़वानी	1,983
	मन्दसौर	19
	इंदौर शहर	856
	खरगोन	1
	उप–समूह योग	**2,902**
	योग योग	**2,23,496**

*(**स्रोतः** प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी)*

परिशिष्ट–4.5.11
(कंडिका 4.5.6.6 में संदर्भित)
छापे की जाँच के लक्ष्यों, अनियमितताओं और लक्ष्यों में कमी का विवरण

वितरण कंपनियों का नाम	इकाइयों का नाम	2016–17					2017–18					2018–19				
		लक्ष्य	वास्तविक कनेक्शन जाँच की संख्या	अनियमिततायें	की गई जाँच के विरूद्ध अनियमितता का *प्रतिशत*	लक्ष्य में गिरावट	लक्ष्य	वास्तविक कनेक्शन जाँच की संख्या	अनियमिततायें	की गई जाँच के विरूद्ध अनियमितता का *प्रतिशत*	लक्ष्य में गिरावट	लक्ष्य	वास्तविक कनेक्शन जाँच की संख्या	अनियमिततायें	की गई जाँच के विरूद्ध अनियमितता का *प्रतिशत*	लक्ष्य में गिरावट
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि.	होशंगाबाद	48000	16731	4223	25.24	31269	48000	19786	4831	24.42	28214	48000	18480	4503	24.37	29520
	बेतुल	36000	12628	5310	42.05	23372	36000	12027	3591	29.86	23973	36000	8287	2720	32.82	27713
	ग्वालियर	34000	10982	6658	60.63	23018	34000	11556	6527	56.48	22444	34000	8355	4514	54.03	25645
	श्योपुर	22000	5125	1525	29.76	16875	22000	3078	1019	33.11	18922	22000	2375	794	33.43	19625
	राजगढ़	33000	12880	5697	44.23	20120	33000	13678	5610	41.01	19322	33000	8884	2676	30.12	24116
	उप–समूह योग	**173000**	**58346**	**23413**	**40.13**	**114654**	**173000**	**60125**	**21578**	**35.89**	**112875**	**173000**	**46381**	**15207**	**32.79**	**126619**
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि.	सतना	47239	48868	16510	33.78	लागू नहीं	48072	61873	21134	34.16	लागू नहीं	45570	29704	6673	22.46	15866
	रीवा	48283	34412	9053	26.31	13871	49112	26013	8122	31.22	23099	44948	13589	4217	31.03	31359
	कटनी	26640	19686	6705	34.06	6954	26636	24622	9222	37.45	2014	25389	13965	2454	17.57	11424
	चतरपुर	53676	24172	11328	46.86	29504	51996	22636	5791	25.58	29360	52425	10958	3080	28.11	41467
	छिंदवाड़ा	76556	43362	4414	10.18	33194	76556	38130	3115	8.17	38426	75309	26784	1858	6.94	48525
	उप–समूह योग	**252394**	**170500**	**48010**	**28.16**	**83523**	**252372**	**173274**	**47384**	**27.35**	**92899**	**243641**	**95000**	**18282**	**19.24**	**148641**

*(**स्रोतः** प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत सूचना और लेखापरीक्षा द्वारा किया गया विवरण)*

परिशिष्ट–4.5.12
(कंडिका 4.5.6.6 में संदर्भित)
लोक–अदालत में चोरी के मामलों, नमूना चयनित कृषि पंप कनेक्शनों की संख्या और लघु मूल्यांकन का विवरण

वितरण कंपनियों का नाम	क्र. सं.	क्षेत्र इकाइयों का नाम	लोक अदालत में निपटाए गए चोरी के कुल मामलें	कृषि पंप कनेक्शनों की जाँच के नमूने की संख्या	संक्षिप्त मूल्यांकन (₹ करोड़ में)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि.	1	होशंगाबाद	5793	105	0.49
	2	बेतुल	10177	253	1.34
	3	ग्वालियर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	4	श्योपुर	5259	44	0.33
	5	राजगढ़	16433	116	0.51
		उप–योग (अ)	**37662**	**518**	**2.67**
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि.	1	स्तना	4232	100	0.49
	2	श्रीवा	10692	125	0.54
	3	कटनी	3046	39	0.17
	4	छतरपुर	16097	105	0.30
	5	छिंदवाड़ा	6123	207	0.83
		उप–योग (ब)	**40190**	**576**	**2.33**
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि.	1	शाजापुर	8043	100	0.50
	2	बड़वानी	6244	100	0.50
	3	मन्दसौर	3590	142	0.76
	4	खरगोन	4109	101	0.21
		उप–योग (स)	**21986**	**443**	**1.97**
कुल योग (अ + ब + स)			**99838**	**1537**	**6.97**

*(**स्रोतः** प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत सूचना और लेखापरीक्षा द्वारा किया गया विवरण)*

परिशिष्ट–4.5.13
(कंडिका 4.5.6.6 में संदर्भित)
मार्च 2019 तक लोक अदालत में चोरी के मामलों, कनेक्शन जारी न करने और राजस्व की हानि (न्यूनतम शुल्क पर) का विवरण

वितरण कंपनियों का नाम	क्र. सं.	क्षेत्र इकाइयों का नाम	2016–17			2017–18			2018–19		
			लोक अदालत में निपटाए हुए मामलों की संख्या	जारी किए गए नए कनेक्शनों की संख्या	राजस्व की हानि (₹लाख में)	लोक अदालत में निपटाए हुए मामलों की संख्या	जारी किए गए नए कनेक्शनों की संख्या	राजस्व की हानि (₹लाख में)	लोक अदालत में निपटाए हुए मामलों की संख्या	जारी किए गए नए कनेक्शनों की संख्या	राजस्व की हानि (₹लाख में)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि.	1	होशंगाबाद	470	0	24.14	374	0	9.1	248	0	2.23
	2	बेतुल	878	0	65.68	746	0	27.99	189	0	3.17
	3	ग्वालियर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	4	श्योपुर	198	0	9.39	309	0	8.58	233	0	2.8
	5	राजगढ़	804	0	55.61	1110	0	37.02	386	0	6.6
		उप–योग (अ)	**2350**	**0**	**154.82**	**2539**	**0**	**82.69**	**1056**	**0**	**14.8**
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि.	6	सतना	859	0	38.52	1118	0	18.65	257	0	1.67
	7	रीवा	1538	0	58.14	1455	0	29.73	529	0	10.62
	8	कटनी	725	0	20.89	731	0	6.26	290	0	5.48
	9	छतरपुर	2988	0	69.67	1479	0	20.25	4097	0	16.97
	10	छिंदवाड़ा	1713	0	68.7	1453	0	30.41	254	0	2.84
		उप–योग (ब)	**7823**	**0**	**255.92**	**6236**	**0**	**105.3**	**5427**	**0**	**37.58**
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि.	11	शाजापुर	299	0	18.27	530	0	16.93	236	0	2.97
	12	बड़वानी	320	0	17.09	597	0	15.63	383	0	5.61
	13	मन्दसौर	767	0	17.76	417	0	10.85	121	0	1.65
	14	इंदौर शहर	421	0	4.8	325	0	1.67	734	0	1.77
	15	खरगोन	142	0	3.25	451	0	4.24	1945	0	26.95
		उप–योग (स)	**1949**	**0**	**61.17**	**2320**	**0**	**49.32**	**3419**	**0**	**38.95**
महा योग (अ + ब + स)			**12122**	**0**	**471.91**	**11095**	**0**	**237.31**	**9902**	**0**	**91.33**

*(**स्रोत**: प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत सूचना और लेखापरीक्षा द्वारा किया गया विवरण)*

राजस्व हानि का योग = ₹ 4.72 करोड़ + ₹ 2.37 करोड़ + ₹ 0.91 करोड़ = ₹ 8.00 करोड़।

परिशिष्ट–4.5.14
(कंडिका 4.5.6.7 में संदर्भित)
एचटी उपभोक्ताओं, जिन्हें ग्रामीण क्षेत्र छूट की अनुमति नहीं थी, का विवरण

क्षेत्र इकाइयों का नाम	क्र. सं.	एचटी उपभोक्ताओं के नाम	क्षेत्र जहां उद्योग स्थित है	उपभोक्ता आईडी	ग्रामीण क्षेत्र छूट की अनुमति नहीं				
					2016–17	2017–18	2018–19	योग	योग
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि.									
होशंगाबाद	1	मेसर्स आयुष स्टोन क्रेशर धनवाड़ा	धनवाड़ा	2454400594168	7872.5	134117.5	128902.5	270892.5	918272.25
	2	प्रधानाचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय	चारुवा	2454400594073	23346	30879	29025	83250	
	3	मेसर्स अटल एंटरप्राइजेज	ढालवाड़ा कला	2454600594180	0	4590	32283	36873	
	4	मेसर्स ज्योति कंस्ट्रक्शन कंपनी	सरसूद	2454400594179	0	15529.5	82135.5	97665	
	5	मैसर्स राधा स्टोन क्रशर	धनवाड़ा	2454400594172	0	95625	105391.5	201016.5	
	6	मेसर्स भगवती एंटरप्राइजेज		2454400594178	0	14484	62679	77163	
	7	प्रिंसिपल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कालेज	सोमाल वाला खुर्द	2454500594176	0	6060	9450	15510	
	8	मेसर्स श्री जम्भ कन्सटक्शन कं	सारंगपुर	24544594183	0	0	82071.75	82071.75	
	9	मैसर्स पांडव एग्रो फूड प्रोसेसिंग	ढांडिया	2454600594187	0	0	53830.5	53830.5	
बेतुल	10	मैसर्स बालाजी एसोसिएट्स	बोथिया ब्राह्मण वारा	2132024736	80917.25	99566	103479	283962.25	827467.30
	11	मैसर्स ओरिएंटल नागपुर–बैतूल हाईवे	साईखमरा	6317461717	53865	57849	58050	169764	
	12	मैसर्स ओरियंटल नागपुर बैतूल हाईवे प्रा. लिमिटेड	मिलनपुर	8407774119	53865	57849	58050 169764		
	13	मैसर्स हनुमंत शुगर प्रा. लि. गाँव जीणदानोरा	जीणदानोरा	5609933765	0	40545	42916.5	83461.5	
	14	मेसर्स राजेंद्र सिंह किलेदार कन्सटक्शन	नगर कोटि	5139701557	37975.5	41230	41310	120515.5	
श्योपुर	15	मेसर्स नामधारी खाट ऑयल	करहल	4387022000	25619.5	26950.5	29455.05	82025.05	203148.85
	16	मेसर्स मुंगिया बायो फयूल	सोनकलान	2002814418	36119.5	46448.3	38556	121123.8	
राजगढ़	17	मेसर्स भावना इंजीनियरिंग	निद्रखेड़ी	7941252601	0	0	34051	34051	289183
	18	मेसर्स मधु मिलन इंडस्ट्रीज़ लि.	अर्निया	4773904111	15804	31158	16797	63759	
	19	मैसर्स कुशाल सिंह	करकरा	4210037387	36402	74717	80254	191373	
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि. का योग									**2238071.40**
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि.									
सतना	1	भिलाई जे. पी. सीमेंट	बाबूपुर	2472832000	2421832	1715605	1722091	5859528	110616989
	2	मैसर्स के. जे. एस. सीमेंट लि.	अमिलिया	4081832000	3946740	4265335	4387120	12599195	
	3	मैसर्स प्रिज्म सीमेंट यूनिट–।।	मनखेड़ी	3472832000	9109100	7741788	7606669	24457557	
	4	प्रिज्म सीमेंट लिमिटेड यूनिट–1	बथिया	7732832000	7726606	7021391	7183604	21931601	
	5	रिलायंस सीमेंट को. प्राइवेट लिमिटेड	भारल	5988390373	14449747	15531586	15787776	45769109	

रीवा	6	मैसर्स माँ पौली पेक्स इंडस्ट्रीज लि.	दिहिया	2315571654	202360	303746	309162	815268	7208664
	7	जेपी बेला प्लांट	नौबस्ता	1871832000	1287440	2167203	2662650	6117293	
	8	मैसर्स शुक्लाअग्रिटेक लिमिटेड भूंडा	भुँधा	5492478096	48492	54942	56645	160079	
	9	मेसर्स ओम ट्रेडिंग कंपनी	बरेठीकला	1152093069	34940	38458	42626	116024	
कटनी	10	तेजसवानी माइनिंग	छपरा बहोरि बंद	7449354366	91300	87648	90882	269830	521481
	11	मैसर्स ओजस्वी मार्बल और ग्रेनाइट	हरदुआ	998132000	80803	90540	80308	251651	
छतरपुर	12	नवरतन मिनरल्स	घोरा	3780003834	0	0	25994	25994	167039
	13	श्री जी मिनरल्स	पीरा	7438783322	0	0	64961	64961	
	14	विंध्यांचल मिनरल्स	लखारी	9881832000	20797	26106	29180	76084	
छिंदवाड़ा	15	कृष्णा बेल्ट्स प्रा. लिमिटेड	सन्नूर	1406952000	92859	87385.85	125092.8	305337.7	578826
	16	मेसर्स मध्य प्रदेश चेक पोस्ट डेवेलपमेंट कंपनी लि.	सन्नूर	7834367949	43092	37826.15	46440	127358.2	
	17	जुगनू फूड्स प्रा. लिमिटेड	रोहनकला	4732425292	21150	56079.45	68901	146130.5	
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि. का योग									**119092999**
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि.									
मन्दसौर	1	मेसर्स सोनिक बायोकेम एक्सट्रैक्शन	थारोड	7065904000	280829	304424.65	303169.5	888423.15	1211988.45
	2	मेसर्स डोनी पोलो उद्योग लि.,	मकदावन	4186904000	14749	15690.1	16269	46708.1	
	3	मेसर्स जय हनुमान इंडस्ट्रीज	दुधखेड़ी	8355803508	34640.5	31577.5	36000.9	102218.9	
	4	मेसर्स ज्योति मिनरल्स	कटार	4103960871	25114.45	76389.85	73134	174638.3	
खरगोन	5	मेसर्स अग्रवाल डिस्टलरी	सबलपुर	743528189	0	65282	117550	182832	458344
	6	मैसर्स आशुतोष बंसल	सेल्दा	1592051910	23641	94250	80325	198216	
	7	मेसर्स इंडस मेगा फूड पार्क प्रा.	दुदगोहन	3435904000	21116	28639	27540	77296	
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि. का योग									**1670332.45**
तीनों वितरण कम्पनियां (म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि. + म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि. + म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि.) के कुल योग									**12,30,01,403**

*(**स्रोतः** विश्लेषण किया गया और लेखापरीक्षा द्वारा किया गया विवरण)*

परिशिष्ट–4.5.15
(कंडिका 4.5.6.7 में संदर्भित)
एचटी उपभोक्ताओं जिनके बिलिंग गलत टैरिफ श्रेणी के विरुद्ध की गई थी, का विवरण

क्षेत्र इकाइयों का नाम	क्र. सं.	उपभोक्ताओं के नाम	उपभोक्ता आईडी	उद्योग का उद्देश्य	भार (केवी ए)	लागू टैरिफ श्रेणी	टैरिफ श्रेणी जिसमे आवेदन करना था	कम बिल की राशि	कम बिलिंग की अवधि
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि.									
होशंगाबाद	1	मैसर्स एकलव्य आवासीय विद्यालय	500594162	विद्यालय	150	एचवी –65	एचवी– 3.2	425000	अप्रैल 2016 से मई 2019 तक
बैतूल	2	मैसर्स डब्ल्यूसीएल	7910232000	टाउनशिप को पानी की आपूर्ति	180	एचवी –51	एचवी– 2.1	15184160	जुलाई 2016 से जून 2019
	3	मेसर्स जवाहर नवोदय विद्यालय	333627552	विद्यालय	100	एचवी –65	एचवी– 3.2	695746	अप्रैल 2017 से जून 2019
उप–समूह योग (अ)								**16304906**	
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि.									
सतना	4	मैसर्स महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय	5691832000	विश्वविद्यालय	150	एचवी –65	एचवी– 3.2	1773770	अप्रैल 2014 से दिसंबर 2018*
उप–समूह योग (ब)								**1773770**	
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि.									
इन्दौर शहर	5	मैसर्स ऐश्वर्या बिल्डर्स	474904000	मेट्रो टावर में व्यवसायिक क्षेत्र की दो मंजिलें	400	एचवी–3.3 (शॉपिंग मॉल)	एचवी–3.2 (गैर–औद्योगिक)	1896135	अप्रैल 2016 से मार्च 2019
	6	मेसर्स एक्यूटिव एक्सपोर्टर	2144904000	कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए व्यापरिक पार्क	750	एचवी–3.3 (शॉपिंग मॉल)	एचवी–3.2 (गैर–औद्योगिक)	6688405	अप्रैल 2016 से मार्च 2019
	7	मैसर्स विद्याराज	2775640004	व्यवसायिक स्थान के रूप में दो फर्मों द्वारा उपयोग किया जाता है	250	एचवी–3.3 (शॉपिंग मॉल)	एचवी–3.2 (गैर–औद्योगिक)	201000	अप्रैल 2016 से मार्च 2019
	8	मेसर्स ब्रिलियंट एस्टेट	5265904000	व्यवसायिक संपत्ति के लिए इस्तेमाल की जा रही आवासीय संपत्ति	160	एचवी–3.3 (शॉपिंग मॉल)	एचवी–3.2 (गैर–औद्योगिक)	146880	अप्रैल 2016 से मार्च 2019
	9	मेसर्स विक्रम हाइट्स	9769968188	व्यवसायिक कार्यालय और आवासीय उपयोग	90	एचवी–3.3 (शॉपिंग मॉल)	एचवी–3.2 (गैर–औद्योगिक)	97200	अप्रैल 2016 से मार्च 2019
	10	मेसर्स आरोन डेवलपर्स	8925904000	टाउनशिप कनेक्शन	200	एचवी– 6.2	एचवी–3.2 (गैर–औद्योगिक)	8967857	अप्रैल 2016 से मार्च 2019
उप–समूह योग (स)								**17997477**	
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि. और म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि. और म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि. (अ + ब + स) का कुल योग								**36076153**	

*(**स्रोत:** विश्लेषण और लेखापरीक्षा द्वारा किया गया विवरण)*

** कनेक्शन पुराना था, रिकॉर्ड/जानकारी की उपलब्धता के अनुसार, हानि को अधिकतम अवधि के लिए कम किया गया था।*

परिशिष्ट–4.5.16
(कंडिका 4.5.6.7 में संदर्भित)
एचटी उपभोक्ताओं, जिनकी बिलिंग अस्थायी कनेक्शन टैरिफ के बजाय स्थायी कनेक्शन टैरिफ के विरुद्ध की गई थी का विवरण

वितरण कंपनियों के नाम	क्षेत्र इकाइयों का नाम	एचटी उपभोक्ताओं के नाम	खाता संख्या	कनेक्शन का उद्देश्य	भार (केवीए)	कनेक्शन की अवधि	राजस्व की हानि
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि.	बेतुल	मेसर्स भेल	9697022000	निर्माण	60	सितंबर 2010 से जून 2018*	1899907
		मेसर्स मैक्नली भारत इंजी. कोर्प. लि.	594096	निर्माण	100	मार्च 2011 से फरवरी 2015 तक*	3323691
		मेसर्स मैक्नली भारत इंजी. कोर्प. लि.	594095	निर्माण	100	अप्रैल 2011 से अगस्त 2017*	4497688
	राजगढ़	ओरिएंटल स्ट्रक्चर लिमिटेड देहरीबामन पचोर	2928932126	निर्माण	900	जनवरी 2017 से अगस्त 2019	15762774
		ओरिएंटल स्ट्रक्चर लिमिटेड देहरीबामन पचोर	3987230444	निर्माण	700	जनवरी 2017 से अगस्त 2019	10984886
		प्रोजेक्ट मैनेजर दिलीप बिल्डकोन, कोटरा कुंडालिया बांध	4688443583	निर्माण	250	जनवरी 2016 से अगस्त 2019	36167120
		प्रोजेक्ट मैनेजर दिलीप बिल्डकोन, मोहनपुआ बांध	7022222888	निर्माण	900	नवंबर 2014 से मई 2017*	37242438
		प्रोजेक्ट मैनेजर दिलीप बिल्डकोन, जोगीडाटा, एनएच –03	851972648	निर्माण	180	सितंबर 2016 से अगस्त 2019	19722943
		प्रोजेक्ट मैनेजर दिलीप बिल्डकोन, बाँसखेड़ी	4950553469	निर्माण	100	अक्टूबर 2014 से दिसंबर 2018*	13992169
		गौतम फ्रेट प्रा. लिमिटेड	219098717	पावर प्लांट शुरू हुआ/ ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज़ेशन	1250	अप्रैल 2016 से मार्च 2019	1570351
		मेसर्स रस्कुरे	5672682608	पावर प्लांट शुरू हुआ/ ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज़ेशन	625	अप्रैल 2016 से मार्च 2019	275173
		तुहिना एंटरप्राइजेज	2168241469	पावर प्लांट शुरू हुआ/ ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज़ेशन	1000	अप्रैल 2016 से मार्च 2019	1553966
		मेसर्स शिववानी एनर्जी लि.	8465246046	पावर प्लांट शुरू हुआ/ ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज़ेशन	2500	अप्रैल 2016 से मार्च 2019	17573355
		केआरबीएल लि.	4694956813	पावर प्लांट शुरू हुआ/ ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज़ेशन	100	अप्रैल 2016 से मार्च 2019	2261028
		मेसर्स अडोरा एनर्जी	6469501746	पावर प्लांट शुरू हुआ/ ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज़ेशन	1500	अप्रैल 2016 से मार्च 2019	17169627
		ए.सी.एम.ई. सोलर एनर्जी	2946607528	पावर प्लांट शुरू हुआ/ ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज़ेशन	2500	अप्रैल 2016 से मार्च 2019	6511905

		एवन साइकिल लिमिटेड लुधियाना	4382944245	पावर प्लांट शुरू हुआ/ ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज़ेशन	200	जनवरी 2018 मार्च 2019 तक	2463953
		मेसर्स नेचुरल गोल्ड पल्स एंड फ्लोर	6799727115	पावर प्लांट शुरू हुआ/ ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज़ेशन	1000	मई 2018 से मार्च 2019	1631033
	उप योग						**194604007**
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि.	छिंदवाड़ा	आर्कन्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन	8925904000	निर्माण	150	जुलाई 2018 से सितंबर 2019	3919088
	उप योग						**3919088**
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि.	**मन्दसौर**	मेसर्स डीजे एनर्जी पी लिमिटेड (सर्किट ।।)	343808157	पावर प्लांट शुरू हुआ/ ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज़ेशन	1	अप्रैल 2016 से जून 2016	48880
		मेसर्स रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, (आरयूएमएस)	2521155462	पावर प्लांट शुरू हुआ/ ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज़ेशन	1	जून 2017 से मार्च 2019	3147264
		मेसर्स फ्रेंड सोल्ट एंड एलाइड ब्लॉक (आई) प्रा. लिमिटेड,	4029807717	पावर प्लांट शुरू हुआ/ ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज़ेशन	1	अगस्त 2016 से मार्च 2019	437031
		मेसर्स एवेंजर्स सोलर प्राइवेट लि.	6244573098	पावर प्लांट शुरू हुआ/ ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज़ेशन	1	सितंबर 2017 से मार्च 2019	2682561
		मेसर्स फोकल एनर्जी सोलर वन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	6360849775	ग्रिड के साथ पावर प्लांट / सिंक्रोनाइज़ेशन शुरू करें	1	अप्रैल 2016 से मार्च 2019	17074290
		मेसर्स सुजलॉन ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड	7479114643	पावर प्लांट शुरू हुआ/ ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज़ेशन	1	अप्रैल 2016 से जून 2016	181467
		मेसर्स विंड वर्ल्ड इंडिया लिमिटेड, (रेवास–देवदा –2)	7570614319	पावर प्लांट शुरू हुआ/ ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज़ेशन	1	अप्रैल 2016 से जून 2016	68432
		मेसर्स सेल वोल्टा और सेलि सतरा प्राइवेट लिमिटेड	8915175574	पावर प्लांट शुरू हुआ/ ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज़ेशन	1	अप्रैल 2016 से मार्च 2019	653094
		मैसर्स डीजे एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	9458358387	पावर प्लांट शुरू हुआ/ ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज़ेशन	1	अप्रैल 2016 से जून 2016	219960
	बड़वानी	मेसर्स कार्यकारी अभियंता, एनवीडीए		निर्माण	150	अगस्त 2015 से जुलाई 2019*	3372683
	उप योग						**27885662**
	महा योग						**226408757**

*(**स्रोतः** विश्लेषण किया गया और विवरण लेखापरीक्षा द्वारा काम किया गया)*

**कनेक्शन पुराने थे, अभिलेख/जानकारी की उपलब्धता के अनुसार हानि की अधिकतम अवधि के लिए काम किया गया था।*

परिशिष्ट–4.5.17
(कंडिका 4.5.6.7 में संदर्भित)
आपूर्ति कोड के प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम आवश्यक भार तक अनुबंधित भार नहीं बढ़ाने के कारण लघु बिलिंग का विवरण

वितरण कंपनियों के नाम	क्षेत्र इकाइयों का नाम	एचटी उपभोक्ताओं के नाम	भार (केवीए)	अल्प बिलिंग की राशि (₹)	अल्प बिलिंग की अवधि
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि.	बेतुल	मैसर्स द्वारका आई एंड सी प्रा. लिमिटेड	75	392788	अप्रैल 2016 से मार्च 2019
	ग्वालियर	मेसर्स राज इंडस्ट्रीज	60	589338	अप्रैल 2016 से मार्च 2019
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि.	रीवा	निदेशक, ऑल इंडिया रेडियो	94	75600	अप्रैल 2016 से मार्च 2019
	छिंदवाड़ा	मेसर्स एसडीओ टेलीफोन	90	135019	अप्रैल 2016 से मार्च 2019
		मेसर्स कमिशनर मिल्क स्कीम	93	44003	अप्रैल 2016 से मार्च 2019
		मेसर्स ऑल इंडिया रेडियो	85	162080	अप्रैल 2016 से मार्च 2019
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि.	शाजापुर	जवाहर नवोदय विद्यालया	70	260490	अप्रैल 2016 से मार्च 2019
	बड़वानी	मैसर्स महामृत्युंजय अस्पताल	60	544320	अप्रैल 2016 से मार्च 2019
	इंदौर शहर	मेसर्स रॉक हार्ड टायर	60	643680	अप्रैल 2016 से मार्च 2019
		मैसर्स नेशनल एग्री	60	639450	अप्रैल 2016 से मार्च 2019
		मेसर्स ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट	60	643680	अप्रैल 2016 से मार्च 2019
		मैसर्स दिगंबर जैन	75	332210	अप्रैल 2016 से मार्च 2019
		योग		**4462658**	

*(**स्रोतः** विश्लेषण और लेखापरीक्षा द्वारा किया गया विवरण)*

परिशिष्ट–4.5.18
(कंडिका 4.5.6.8 में संदर्भित)
वितरण कंपनियों की चयनित क्षेत्र इकाइयों में विभिन्न श्रेणियों के बकाया के योग स्थिति का विवरण

(₹ करोड़ में)

वितरण कंपनियों के नाम	क्षेत्र इकाइयों का नाम और नंबर	उपभोक्ताओं की श्रेणी	मार्च–17	मार्च–18	मार्च–19
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि. (अ)	5 (होशंगाबाद, ग्वालियर, बैतूल, श्योपुर और राजगढ़)	घरेलू	900.56	1225.82	549.33
		गैर घरेलू	66.73	83.41	108.76
		पब्लिक वॉटर वर्क्स/ स्ट्रीट लाइट	15.05	22.44	25.32
		एलटी उद्योग	24.77	31.86	42.33
		सिंचाई पंप	251.83	350.72	500.15
		अन्य कृषि	1.30	1.59	2.49
		एचटी	27.52	33.90	40.91
		योग	**1287.76**	**1749.74**	**1269.30**
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि. (ब)	5 (सतना, रीवा, कटनी, छतरपुर और छिंदवाड़ा)	घरेलू	406.01	649.54	289.07
		गैर घरेलू	32.53	45.17	80.29
		पब्लिक वॉटर वर्क्स/ स्ट्रीट लाइट	8.25	12.71	29.18
		एलटी उद्योग	10.13	12.67	21.15
		सिंचाई पंप	43.96	76.98	154.76
		अन्य कृषि	0.15	0.23	0.36
		एचटी	111.94	103.76	129.33
		योग	**612.97**	**901.06**	**704.15**
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि. (स)	5 (शाजापुर, बड़वानी, मंदसौर, इंदौर शहर और खरगोन)	घरेलू	228.11	322.62	193.43
		गैर घरेलू	24.41	25.80	49.54
		पब्लिक वॉटर वर्क्स/ स्ट्रीट लाइट	18.04	28.43	60.16
		एलटी उद्योग	3.12	3.43	9.24
		सिंचाई पंप	20.69	22.41	50.79
		अन्य कृषि	0.09	0.07	0.08
		एचटी	327.05	185.68	283.26
		योग	**621.49**	**588.44**	**646.51**
		कुल योग (अ + ब + स)	**2522.22**	**3239.24**	**2619.96**

*(**स्रोत:** आर –15 और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी)*

परिशिष्ट–4.5.19
(कंडिका 4.5.6.8 में संदर्भित)
मार्च 2019 तक, विभिन्न श्रेणियों के तहत उपभोक्ताओं जिनसे एक वर्ष से अधिक का बकाया देय था पर वियोग नहीं किए गए, का विवरण

(₹ करोड़ में)

वितरण कंपनियों के नाम	क्षेत्र इकाइयों का नाम	घरेलू		गैर घरेलू		औद्योगिक		संपूर्ण	
		नग	राशि	नग	राशि	नग	राशि	नग	राशि
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क. लि.	होशंगाबाद	16261	120025893	1168	23249789	288	6965505	17717	150241187
	बेतुल	83032	114990158	2961	20842630	372	4818738	86365	140651526
	राजगढ़	168583	700845000	5424	119512000	1000	63809000	175007	884166000
	ग्वालियर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	श्योपुर	77688	1055986815	1843	213442887	0	0	79531	1269429702
	उप–समूह योग	**345564**	**1991847866**	**11396**	**377047306**	**1660**	**75593243**	**358620**	**2444488415**
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क. लि.	सतना	68418	694600000	794	21500000	0	0	69212	716100000
	रीवा	93078	463170000	4126	128402000	352	10074000	97556	601646000
	कटनी	85487	382926394	7623	116977216	825	33173460	93935	533077070
	छिंदवाड़ा	50726	100105080	4114	51590199	827	12438905	55667	164134184
	छतरपुर	24116	72115000	765	23804000	58	2766000	24939	98685000
	उप–समूह योग	**321825**	**1712916474**	**17422**	**342273415**	**2062**	**58452365**	**341309**	**2113642254**
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि.	शाजापुर	1551	9582617	459	8219879	2	70440	2012	17872936
	इंदौर (शहर)	19820	231352641	3880	70933819	71	4792680	23771	307079140
	खरगोन	1262	4794339.46	261	1508404	1	24319	1524	6327062.46
	बड़वानी	141	596000	17	267000	0	0	158	863000
	मंसूर	32557	122829913.9	2133	23842679	114	3426530	34804	150099122.9
	उप–समूह योग	**55331**	**369155511.4**	**6750**	**104771781**	**188**	**8313969**	**62269**	**482241261.4**
	कुल योग	**722720**	**407.39**	**35568**	**82.4**	**3910**	**14.23**	**762198**	**504.04**

*(**स्रोत**: प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी)*

परिशिष्ट–4.5.20
(कंडिका 4.5.6.8 में संदर्भित)
उपभोक्ताओं का विवरण जिनके कनैक्शन तीन साल से पहले स्थायी रूप से विच्छेदित (पीडी) कर दिए गए, पीडी मामलों के विरुद्ध आरआरसी जारी की गई और मार्च 2019 तक आगे की कार्रवाई के लिए लंबित थे

(₹ करोड़ में)

कंपनियों के नाम	इकाइयों का नाम	मार्च–19							
		पीडी के बाद बकाया		3 साल से ऊपर के पीडी मामले		3 साल से ऊपर के पीडी मामलों के विरुद्ध जारी आरसी		शेष	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि.	होशंगाबाद	46845	17.22	32345	8.40	11213	4.39	21132	4.01
	बेतुल	29494	7.03	11864	4.24	5723	2.82	6141	1.42
	ग्वालियर	9962	20.77	4526	11.24	1223	3.22	3303	8.02
	श्योपुर	5611	9.43	2224	4.39	772	1.14	1452	3.25
	राजगढ़	43769	27.9	16632	10.32	3158	1.76	13474	8.56
	उप–समूह योग	**135681**	**82.35**	**67591**	**38.59**	**22089**	**13.33**	**45502**	**25.26**
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि.	सतना	51878	19.12	9653	2.90	2142	1.35	7511	1.55
	रीवा	65385	28.46	56558	26.11	5972	2.46	50586	23.65
	कटनी	62974	15.73	30597	7.47	0	0	30597	7.47
	छतरपुर	109069	22.66	26284	10.64	0	0	26284	10.64
	छिंदवाड़ा	10986	3.01	1736	0.54	231	0.04	1505	0.50
	उप–समूह योग	**300292**	**88.98**	**124828**	**47.66**	**8345**	**3.85**	**116483**	**43.81**
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि.	शाजापुर	16255	11.83	27067	7.38	2669	4.75	24398	2.63
	बड़वानी	6381	2.1	360	0.08	0	0	360	0.08
	मंसूर	12392	1.68	4081	0.93	2775	0.63	1306	0.30
	इंदौर शहर	92152	14.29	24796	11.9	4327	3.54	20469	8.36
	खरगोन	12014	7.54	1	0.01	0	0	1	0.01
	उप–समूह योग	**139194**	**37.44**	**56305**	**20.3**	**9771**	**8.92**	**46534**	**11.38**
	कुल योग	**575167**	**208.77**	**248724**	**106.55**	**40205**	**26.10**	**208519**	**80.45**

*(**स्रोत**: प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी)*

परिशिष्ट–4.5.21
(कंडिका 4.5.6.8 में संदर्भित)
मार्च 2019 तक स्थायी रूप से विच्छेदित किए गए, अस्थायी कनेक्शन के विरुद्ध बकाए का विवरण

(₹ करोड़ में)

वितरण कंपनियों के नाम	क्र. सं.	इकाइयों का नाम	बकाया राशि
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि.	1	होशंगाबाद	0.24
	2	बैतुल	0.98
	3	ग्वालियर	0.3
	4	श्योपुर	0.08
	5	राजगढ़	0.43
		उप–समूह योग	**2.03**
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि.	1	सतना	1.74
	2	रीवा	3.38
	3	कटनी	1.25
	4	छतरपुर	1.85
	5	छिंदवाड़ा	1.04
		उप–समूह योग	**9.26**
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि.	1	शाजापुर	0.65
	2	बड़वानी	0.17
	3	मंदसौर	0.13
	4	इंदौर (शहर)	7.45
	5	खरगोन	1.18
		उप–समूह योग	**9.58**
		कुल योग	**20.87**

*(**स्रोतः** प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी)*

परिशिष्ट–4.5.22
(कंडिका 4.5.6.9 में संदर्भित)
संबल योजना में कृषि पंप कनेक्शनों के बकाए की छूट का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

वितरण कंपनियों के नाम	क्र. सं.	क्षेत्र इकाइयों का नाम	संबल योजना की धारा 138 के तहत निपटाए हुए मामलों की कुल संख्या	जाँच किए गए मामलों की संख्या	बकाया मे अनुचित छूट (₹ करोड़ में)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि.	1	होशंगाबाद	10341	55	0.3
	2	राजगढ़	2636	204	1.31
		उप–योग (अ)	**12977**	**259**	**1.61**
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि.	3	सतना	3788	70	0.32
	4	रीवा	2761	111	1.09
	5	छिंदवाड़ा	1326	74	0.24
		उप–योग (ब)	**7875**	**255**	**1.65**
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि.	6	मंदसौर	605	21	0.12
		उप–योग (स)	**605**	**21**	**0.12**
कुल योग (अ + ब + स)			**21457**	**535**	**3.40**

*(**स्रोतः** प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत जानकारी और लेखापरीक्षा द्वारा किया गया विवरण)*

©
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
2021
www.cag.gov.in

www.agmp.cag.gov.in